

सम्प्रग्र आम-सेवा की ओर

धीरेन्द्र मजूमदार

○

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन
राजधानी, काशी

प्रकाशक :
मन्त्री, अखिल भारत सर्वेचेवा-सभा,
राजधानी, काशी

०

पहली वार : ५,०००
मार्च, १९६०
मूल्य : ढाई रुपया

○

मुद्रक :
ओम्प्रकाश कपूर,
शानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ५६८९-१६

प्र काशु व्हैं य

‘समग्र ग्राम-सेवा की ओर’ पुस्तक के पहले दो खण्ड हमारे पाठक पढ़ चुके हैं। उन दोनों खण्डों में श्री धीरेन्द्रभाई ने अपने बीस साल के ग्राम-सेवा के अमूल्य अनुभव दिये थे। प्रस्तुत तीसरा खण्ड उसीके बाद की कड़ी है।

विश्व की राजनीति तथा अर्थनीति में बहुत परिवर्तन हो चुका है, परन्तु भारत की ग्रामीण समस्याएँ आज भी वैसी ही बनी हुई हैं, जैसी पहले थीं। भूदान-आन्दोलन ग्राम-स्वराज्य की मजिल तक पहुँच चुका है। उसकी सफलता के लिए सर्वांगीण दृष्टि से सेवा-योजना बनाये विना काम न चलेगा।

इमें प्रसन्नता है कि प्रस्तुत पुस्तक में श्री धीरेन्द्रभाई ने अपने आज तक के प्रयोग, परिणाम और सुझाव देकर इसे अद्यतन बना दिया है। ग्राम-सेवा के इच्छुक प्रत्येक भाई-ब्रह्मन को इस पुस्तक से अवश्य ही प्रेरणा मिलेगी।

अ नु क्र म

१. सिंहावलोकन

३-८

एगिया में नवचेतना ३, अणुवम का विस्कोट ४, सेवाग्राम में नेताओं का जमघट ५, शोषण का धूमिल दर्शन ६, श्रम-प्रतिष्ठा की पूर्वभूमिका ७।

२. समाधान की झलक

७-१२

कम्युनिस्टों से सम्पर्क ७, कम्युनिस्ट-विचार में कमी ८, तीव्र विचार-मन्थन ९, वापू की क्रातिकारी विचारधारा १०, आहान का असर १०, नवी विचार-दृष्टि १०, सेवाग्राम का शिविर ११।

३. बराँव का केन्द्र

१३-१७

ग्राम-सेवा का प्रयोग १४, बराँव में केन्द्र खुला १५, रणीवाँ को प्रस्थान १६, नेतृत्व-स्वावलम्बन का प्रश्न १७।

४. सेवापुरी और रणीवाँ

१८-२१

सेवापुरी का चुनाव १८, स्थानीय साधनों का प्रश्न १९, सेवापुरी-आश्रम का श्रीगणेश २१, रणीवाँ का पुनर्निर्माण २०, स्वावलम्बन का विचार २०।

५. अंग्रेजों के जाने पर

२२-२९

रणीवाँ में प्रयोग शुल २२, स्वावलम्बन-विज्ञालय २३, विकास-समिति का अध्यक्ष २३, सहयोग-समितियाँ २४, दिलचस्पी में कमी का कारण २४, देहाती जनता की मुसीबत २५, सहफार का प्रयत्न २६, भर्यंकर स्थिति २६, जनता को चेतावनी २७, 'किसानों को चेतावनी' पुस्तक २८, भविष्यवाणी उही उतरी २९।

६. चरखा-सघ का अध्यक्ष

३०-३४

वापू की सलाह की अवहेलना ३०, विचार-मन्यन ३१,
गॉव में बैठने का विचार ३२, रचनात्मक-कार्यकर्ता सम्मेलन
३३, सर्वादिय-समाज की स्थापना ३३, अन्यक्ष बनना
स्वीकार ३४।

७ देशव्यापी दौरा

३५-४३

वापू की अन्तिम सलाह ३५, उत्तर प्रदेश में लोक-
सेवक-सघ ३६, प्रस्ताव कार्यान्वय करने का निश्चय ३७,
मेघाग्राम में शिविर ३८, किशोरलाल भाई का आशीर्वाद ३९,
जयपुर-काशी में ४०, देशव्यापी दौरा ४१, 'हुजूर-मजूर' का
विवेचन ४१, विविध तत्त्व का गाल ४२, नव-संस्करण की
टिक्का में ४३, उच्चली में विश्राम ४३।

८ रचनात्मक कार्य और राजनीतिक दल

४४-५५

वापू की कल्पना ४४, विरोधी दल की स्थिति ४६,
महत्वपूर्ण चर्चा ४७, विधि का विधान ४७, काशी-सदारा
रचनात्मक कार्य ४८, हेवरभाई का प्रयत्न ४९, सफलता क्यों
नहीं मिलती ? ५०, विरोधी पक्षों की स्थिति ५०, भारतीय दृष्टि
से विचार ५१, कार्य शैली में अन्तर ५२, रचनात्मक कार्य में
वाधा क्यों ? ५२, राजनीति में स्वधर्म से वाधा ५३, कार्यकर्ता
दृष्टि साफ कर ले ५५।

९ सेवापुरी : एक प्रशिक्षण-केन्द्र

५६-६८

सेवापुरी में प्रशिक्षण-केन्द्र ५६, साथी कार्यकर्ताओं से
अपेक्षा ५७, सम-चिन्तन नहीं, सह-चिन्तन ५८, करण भाई
पर जिम्मेदारी ५८।

१०. रचनात्मक कार्य और कांग्रेस

५९-६६

विकेन्द्रित व्यवस्था ५९, निरुत्साह और मनोमथन ६०,
वापू के नेतृत्व की कीमत ६१, एक गलतफहमी ६२, गाधीजी

की पद्धति क्यों स्वीकार की ? ६३, सयुक्त कार्यक्रम के वाद ६४।

२१. कताई-मण्डल

६६-६८

कार्यकर्ताओं की पत्नियों का प्रशिक्षण ६७, नरसिंहपुर में प्रयोग ६८, क्रान्ति में परिवार भी शामिल हो ६८।

२२. कोसी-धेन के अनुभव

६९-७८

ग्रामोन्योग का काम क्यों ? ६९, विहार में कार्यकर्ता-शिविर ७०, मिल-वहिष्कार का सकल्प ७१, विहार में अनुकूल वातावरण ७१, कोसी-धेन का दोरा ७२, जनता की दिलचस्पी ७२, चुनाव सम्बन्धी प्रश्न ७३, एक मनोरजक प्रश्नोत्तर ७३, जनता किसे वोट देगी ? ७४, जनता की कसौटी ७५, कठोर तपस्या करिये ७६, रणीबों की स्थिति से अन्तर ७६, ग्रामराज्य पर जोर ७७, खादी-कार्यकर्ताओं में उत्साह ७७, काग्रेस-जनों पर उलटा असर ७८।

२३. समग्र विद्यालय का जन्म

७९-८७

कार्यकर्ताओं में निराशा ७९, विनोदा की तेलगाना-यात्रा ८०, विनोदा का आहान ८०, सेवाग्राम से प्रस्थान ८१, क्रान्ति-यात्रा का श्रीगणेश ८१, मेरा विचार-मन्थन ८२, समग्र विद्यालय की कल्पना ८४, शिक्षा-समिति का निर्णय ८४, साधियों से विचार-विनिमय ८५, करण भाई को पत्र ८६, समग्र विद्यालय का उद्घाटन ८७।

२४. खादीग्राम में बैठने का निश्चय

८८-९१

राममूर्तिंजी का आवाहन ८८, विहार में बैठने का निश्चय ९०, जमीन का निरीक्षण ९०, खादीग्राम में प्रवेश ९१।

२५. गाँव में नये प्रकार का शिविर

९२-९७

कार्यकर्ताओं का शिविर ९२, ग्राम-शिविर की कल्पना

१३, गोविन्दपुर में प्रयोग १४, घर-घर में चर्चा गोष्ठी १६,
प्रयोग की सफलता से प्रेरणा १६ ।

१६. सेवापुरी-सम्मेलन ९८-१०२

सेवापुरी का सम्मेलन ९८ स्वास्थ्य पर बुरा असर १००,
पत्थर तोड़ने की क्रिया १०१ ।

१७ खादीग्राम में ग्राम-सम्पर्क १०३-१०८

जर्मांदारी का अत्याचार १०३, ग्राम सम्पर्क का
श्रीगणेश १०४, सताह में एक दिन गौव में १०६ ।

१८ चरखा-संघ का विलीनीकरण १०७-११५

निष्क्रिय विलीनीकरण १०७, मेरा विरोध १०९, विनोदा
का भूदान-आन्दोलन १११, सर्व सेवा-संघ ने जिम्मेदारी ली
१११, २५ लाख एकड़ भूदान का निश्चय ११२, केन्द्रित
उद्योगों का वहिष्कार ११२, चरखा-संघ का प्रश्न ११३,
चाडिल सम्मेलन ११४, विलीनीकरण स्वीकृत ११५ ।

१९. मुँगेर में भूदान-प्रचार ११६-१२२

गांधी-निधि की मदद ११६, निर्णय का विरोध ११७,
विनोदा की स्वीकृति ११८, आन्दोलन में तेजी ११८, मुँगेर
जिले के काम की जिम्मेदारी ११९, छात्रों का आवाहन ११९,
युवकों का प्रश्नसनीय कार्य १२०, रामविलास जर्मा का दौरा
१२०, लेटे-लेटे दौरा १२१, जिले में जोरदार प्रचार १२२ ।

२०. जीवनदानियों का शिविर १२३-१२९

सर्व-सेवा-संघ की अध्यक्षता स्वीकार १२४, जीवन-
दानियों का शिविर १२५, परीक्षा का प्रश्न १२६, सभा परलोक
में होगी । १२६, मन्त्र और तन्त्र १२७, नवे विचार, पुराने
सस्कार १२८ ।

२१. श्रम-साधना का श्रीगणेश १३०-१४१

पत्थर फोड़ने का काम १३०, पानी की चिन्ता १३२,

कुँआ खोडने का सर्वप १३२, श्रम-साधना का प्रयाप १३४, गाधी के असली चेला १३४, समग्र ग्राम-सेवा विद्वाल्य १३५, मजूर बनने का प्रयोग १३६, साम्ययोग पर विचार १३८, विनोदा से चर्चा १३८, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा १४०, बालबाड़ी और छात्रावास १४०, खादीग्राम का आकर्षण १४१।

२२. वेदखली का आन्दोलन १४२-१५५

पानी की समस्या १४३, पानी-सम्मेलन १४३, बॉध बॉधने का कार्यक्रम १४४, अनुग्रह बाबू से चर्चा १४५, पार्टी-वन्दी का अभिगाप १४६, वेदखली की समस्या १४७, गिरफ्तारियों शुल १४७, सघ का प्रत्ताव १४८, नेहरूजी का वक्तव्य १४८, विनोदाजी की राय १४८, जमानत पर रिहाई १४९, सफाई देने का विचार १५०, स्थिति में परिवर्तन १५०, गरीबों की कम्बल परेड १५१, वेदखली और अधिकारी १५२, आन्दोलन का असर १५३, जनता की दिलचस्पी १५४।

२३. क्रान्ति और श्रम-साधना १५६-१६५

उडीसा की यात्रा १५६, कमर का दर्द मिटा १५८, श्रम-आधारित जीवन पर जोर १५९, कार्यकर्ताओं के गिरिधार १६१, साधियों द्वारा विरोध १६३, विनोदा की अनुमति १६४।

२४. तन्त्रमुक्ति और निधिमुक्ति १६६-१७७

लश्मीबाबू को छोड़ने की माँग १६७, तन्त्रमुक्ति का आवाहन १६८, सघ की बैठक में चर्चा १६९, कुछ कार्यकर्ताओं का साहस १७० 'कटनी पड़ाव' का सुझाव १७०, तन्त्रमुक्ति का प्रस्ताव १७१, पल्नी का प्रस्ताव १७२, पटना में बैठक १७४ सुन्धाएँ और कार्यकर्ता १७५, खादीग्राम की बैठक १७६।

२७ क्रान्ति के मार्गदर्शन का प्रयत्न

१७८-१८६

जनता और नवा विचार १७८, स्वयं प्रयोग के लिए तेयार १७९, साथियों की अस्तीकृति १८०, विरोधाभास की समस्या १८१, सर्व सेवा-सघ के प्रति आठर के कारण १८१, असली 'गाधीबाले' १८१, पक्षों का त्याग १८२, ग्रामदान से प्रेरणा १८३, मार्ग-दर्शन का प्रयत्न १८४, खादी ग्राम का शिविर १८४, श्रम भारती का निधिमुक्ति का निश्चय १८५।

२८ रामधुन से हिसा का प्रतिकार

१८६-१९२

यात्रा-टोली का अपमान १८६, रुपया छीनने की घटना १८७, रामधुन का प्रयोग १८९, नेहरूजी से मुलाकात १९०।

२९. समवेतन और साम्ययोग

१९३-१९७

मजदूरों के साथ एकरूपता १९३, बौद्धिक और जारीरिक श्रम १९४, समवेतन और साम्ययोग १९६, प्रयोग से प्रसन्नता १९६।

३०. अमशाला के अनुभव

१९८-२१४

आन्दोलन की ख्याति १९८, खादीग्राम-केन्द्र का विस्तार १९९, हमारी योजना और सरकारी योजना १९९, मजदूरों में क्रान्ति कैसे हो ? २००, पढाई शुरू करने का विचार २००, लड़कों की पढ़ने में विजेप दिलचस्पी २०१, सामाजिक बातावरण कैसे ? २०२, राष्ट्रव्यापी शिक्षण-योजना २०४, प्रयोग करने का निश्चय २०६, अमशाला की धूम २०७, छात्रों की आश्र्वयजनक प्रगति २०८, अमशाला और बुनियादी शाला का सगम २०९, आशा के अनुरूप प्रतिक्रिया २१०, शिक्षकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर २१०, खादीग्राम से चर्चा २११, पड़ोसी गाँवों पर असर २१२, ग्रामशाला की कल्पना

२१२, सोखोदेवरा से चर्चा २१३, गाँव-गाँव में फैलने का विचार २१४।

२९. ग्रामराज-सम्मेलन

२१५-२३१

आनंदोलन और नयी तालीम २१६, विकेन्द्रित करने वा निश्चय २१७, तात्कालिक कार्यक्रम २१९, डेवर भाई से अनुरोध २२०, सभी दलों को निमन्त्रण २२१, हृदयस्पर्गी दृश्य २२२, नौजवानों में निराशा २२३, आहान का स्वागत २२४, राष्ट्रीय शिक्षा का क्रमविकास २२४, सार्वजनिक पाठगाला-पद्धति २२५, अनिवार्य शिक्षण की ओर २२६, युग की आकाशा २२७, वर्तमान शिक्षा-पद्धति २२७, शिक्षा के विकल्प की खोज २२८, शिक्षा की संग्रहित स्थिति २२९, ग्राम-विश्वविद्यालय की ओर २३०।

३०. क्रान्ति-न्याजा का निर्णय

२३२-२३९

क्रान्तिकारी कौन ? २३३, विचार-मन्थन २३४, सालभर पदयात्रा का विचार २३५, प्रार्थना-प्रवचन में वोपण २३५, साथियों को निर्णय स्वीकार २३६, सुख्य दफ्तर खालीग्राम में २३८।

द्वितीय अध्याय

१. ललमटिया का ग्रामदान

२४३-२५६

बदरौठ का ग्रामदान २४४, प्रतिक्रियावादियों की चेष्टा २४५, विरोध का सुफल २४६, पाढ़ा गाँव में भूमि की आवादी २४६, खिरिया के ग्रामीणों पर असर २४७, नाले पर बौध का प्रस्ताव २४८, सामूहिक पुरुषार्थ २४९, सरकारी सहायता २५०, अहिंसक समाज और राज्य-सत्या २५२, मत्र और तत्र २५२, सरकारी यत्र की जड़ता २५३, बौध से प्रेरणा २५५, ललमटिया का ग्रामदान २५६।

२ अम्भारती-परिवार की पद्यात्रा

२५७-२६४

भूमि का पुनर्वितरण २५७, किञ्चकिच और किञ्चिन
२५८, सामूहिक सेती का प्रश्न २५९, ललमटिया की भूमि का
वितरण २६०, झंवेर भाई से चर्चा २६२, राष्ट्रीय सकल्य जहरी
२६२, लमेत पर असर २६३, प्रार्थना-प्रवचन २६५, कान्ति-
सम्मेलन २६९, कान्ति-यात्रियों को आशीर्वाद २६९।

३. केन्द्रीय दफ्तर काशी में

२६५-२७८

केन्द्रीय दफ्तर का प्रश्न २७५, गया से खादीग्राम २७६,
खादीग्राम से काशी २७७, अहिंसक वातावरण का प्रश्न २७७।

४ पठ्यात्रा की फलश्रुति

२७९-२८५

पद्यात्रा के अनुभव २७९, वडे परिवार में प्रवेश २८०,
पत्न-निरपेक्षता २८१, सर्वोदयी मित्रों की सख्ता में वृद्धि २८२,
साम्ययोगी परिवार की बठिनाइयों २८२, स्नेह और सामूहिक
पुरुषार्थ २८४, निराशा का वातावरण २८५।

५ सम-वेतन और साम्य-योग की साधना

२८६-२९२

वेतन-विप्रमता का प्रश्न २८७, विहार खादी-सघ में सम-
वेतन २८९, सम-वेतन और साम्य सावना २९०, जनता का
न्तर उठाना जहरी २९२।

६ ललमटिया में ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी

२९३-३१०

भूटान यज्ञ का विकास २९४, अजातवास आवश्यक
२९५, अम्भारती की जिम्मेदारी २९७, नवी तालीम की प्रक्रिया
२९७, कृपिमूलक ग्रामोद्योग २९७, समाज के टो वर्ग २९८,
अनुकूल वातावरण आवश्यक २९९, खादीग्राम का वन्धन
३०१, प्रदर्शनी करने का विचार ३०१, प्रदर्शनी की पुरानी
पद्धति ३०२, लखनऊ की प्रदर्शनी ३०३, अनिलसेन गुप्त से
चर्चा ३०४, प्रदर्शनी में ग्राम-स्वराज्य का चित्र रहे ३०६,

ललमटिया मे प्रयोग ३०७, अनोखे ढग की प्रदर्शनी ३०८, -
प्रदर्शनी का भला-बुरा असर ३०९ ।

७. नयी तालीम की समस्या

३११-३२५

नयी तालीम का समाधानकारी रूप आवश्यक ३११,
भाई राममूर्ति गोव मे बैठने को उत्सुक ३१२, गाला का
पुनर्गठन ३१३, प्रयोग की असफलता ३१५, पुरानी और
नयी स्थिति ३१६, दोष का उद्गम कहौं ? ३१७, बुनियादी
गाला फिर खोली ३१८, शिक्षको मे कमी ३१९, मायावी
ससार की लीला ३२०, शिक्षक कहौं मिलेंगे ? ३२१, तीन
वाते आवश्यक ३२२, शिक्षक का स्वभाव ३२२, समवाय-
शिक्षण की समस्या ३२३, आरोपित उपाय ३२४, समवाय-
पद्धति के लाभ ३२४ ।

८ हुजूर को मजूर बनाने का स्वप्न साकार

३२६-३४४

समवेतन और साम्ययोग ३२७, खादीग्राम की व्यवस्था
का प्रश्न ३२८, जिले के कार्यकर्ताओ से वार्ता ३२९, शिक्षण-
कार्य का विकेन्द्रीकरण ३३१, बडे बच्चों की व्यवस्था ३३२,
चटमाडीह का ग्रामदान का सकल्प ३३४, लाख-डेढ लाख की
योजना ३३५, कुछ दानपत्र वापस ३३६, वहनो का जागरण
३३६, खादीग्राम मे वहनो की ट्रेनिंग ३३८, घर से निकल-
कर धान-रोपाई ३३९, वारह वर्ष का स्वप्न साकार ३४०,
सामाजिक रुढियों पर प्रहार ३४१, कार्यकर्ताओं का दोष
३४२, कटनी-याचा का सुफल ३४४ ।

समग्र श्राम-सेवा की ओर

◦

तीसरा खण्ड

◦

प्रयोग - परिणाम - सुझाव

अभय-आश्रम, नलरामपुर

१६-५-५७

प्रिय आशा वहन,

१५ साल बीत गये। सन् '४२ के जेल-प्रवास से ग्राम-सेवा की आखिरी कहानी लिख भेजी थी। पिछले १५ सालों में देश और दुनिया में इतने अधिक परिवर्तन हो गये कि ऐसा लगता है, मानो सैकटी वर्ष बीत गये। देश आजाद हुआ। लोगों ने वडी धूमबाम से आजादी की खुशियों मनायी। फिर बुद्ध दिन इसी खुशी में मस्त रहे। उसके बाद लोग एक दूसरे की शिकायत बरने लगे, जैसे किसी हारी हुई टीम के खिलाड़ी किया करते हैं।

देखते-देखते भारत के आसपास के देशों में भी आजादी की लहर उठी। सारी एशिया में नव-जीवन की नव-चेतना का सचार हुआ और चारों तरफ राष्ट्र-निर्माण की योजनाओं की धूम मची।

एशिया में वह धूम आज भी मची हुई है।

नवचेतना एशिया के देशों की आजादी से पश्चिमी देशों के लिए ग्रोपण का अवसर घटता चला गया। फल-स्वरूप उनके जीवन-मध्यवर्ष की समस्या उठ खड़ी हुई। इससे इन देशों की आपसी कश्मकश बढ़ी। युद्ध तो समाप्त हुआ, पर इस कश्मकश ने ज्ञान्ति स्थापित नहीं होने दी। युद्ध के दिनों में जो राष्ट्र-मित्र-राष्ट्र थे, वे ही एक-दूसरे के साय होड़ करने लगे। फिर भी सबको ज्ञान्ति की चाह थी। वह इसलिए नहीं कि वे ज्ञान्तिवादी या ज्ञान्ति-प्रिय हो गये थे, वल्कि इसलिए कि युद्ध की समाप्ति इतिहास की एक विशिष्ट घटना से हुई।

१९४५ मे जापान के हिरोगिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराया गया, जिससे पलभर मे वे दोनो नगर व्यस्त हो गये। इसे देखकर सारा विश्व स्तम्भित हो उठा। वह किकर्तव्यविमूढ हो गया और इसी किकर्तव्यविमूढता की स्थिति मे युद्ध की समाति हुई। यह बात तो इतिहास ही बतायेगा कि वस्तुतः युद्ध की समाति हुई या युद्ध स्थगित हुआ।

लेकिन इस घटना ने समस्त मानव-समाज की विचारधारा तथा इतिहास की दिशा ही बदल दी। १९४५ की इस घटना से पहले का सारा इतिहास युद्ध का ही इतिहास रहा। वीर-गाथा इस इतिहास की एक मुख्य सम्पत्ति मानी जाती थी। इतना ही नहीं, मानव-समाज के काव्य और महाकाव्य मी युद्ध-केन्द्रित ही रहे हैं। अपनी रामायण और महाभारत को ले, चाहे ईरान की स्तम्भ और सोहराव की कहानी ले या यूनान और इटली की पुराण-कथा ले, सबमे आदि से अन्त तक युद्ध की ही कहानी भरी पड़ी है।

अणु-गति के आविकार ने तथा हिरोगिमा और नागासाकी के अनुभव ने मानव के नेत्रों के समक्ष यह बात स्पष्ट कर दी है कि भविष्य का इतिहास युद्ध का नहीं, आन्ति का ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो सम्पूर्ण सुष्ठि इतिहास की विडम्बना से ही मुक्त हो जायगी। यही कारण है कि १९४५ से १२ साल का जो यह युग बीत गया, इसका इतिहास समस्त सासार द्वारा आन्ति की निष्फल खोज का इतिहास हुआ। निष्फल होने पर भी यह निष्क्रिय नहीं है। चिन्तन जारी है, उसके साथ-साथ युद्ध का खतरा भी अपनी जगह पर कायम है।

आज जब हम नयी क्रान्ति और नयी आन्ति की बातें करते हैं, जब लोगों की क्रान्ति मे निहित आन्ति और आन्ति मे क्रान्ति की अनिवार्यता की ओर सक्रेत करते हैं, तो देहाती लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कभी हमारे बाप-दादों ने ऐसा किया था, जो आप इस तरह की बात करते हैं? और विद्वज्ज्ञन हमसे इतिहास की नजीर मॉगते हैं। वे पूछते हैं कि इतिहास के सन्दर्भ म इस विचार का स्थान कहाँ है? वे भूल जाते हैं कि

वाप-दादो ने जिस पृष्ठभूमि में अपना जीवन-यापन किया था, वह पृष्ठभूमि सम्पूर्ण बदल गयी है और विज्ञान ने पुराने इतिहास को बदलकर नये इतिहास के निर्माण की ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न कर दी है।

यह मने योडे में आज की स्थिति का सिंहावलोकन किया। इस इतिहास को ठीक बनाने के लिए वापु ने हमें किस काम का इंगारा किया, उस पर अब हमें नजर डालनी चाहिए। तुम सेवाग्राम में तो उन दिनों सेवाग्राम की जगह-जमीन, वच्चा कच्चा अगोरे मॉ बनी बाहर ही बैठी रही। इसलिए देश और दुनिया की सारी हलचलों को प्रत्यक्ष देखती रही। तुम्हे मालूम ही है कि किस हालत में वापु जेल से छूट आये।

वापु के एक महीने बाद मैं भी जेल से छूटकर बाहर आया। बाहर आते ही बीमार हालत में सेवाग्राम पहुँचा। आराम करने के लिए उन्होंने जब मुझे एक महीने के लिए रोक लिया, तो तुम्हारे ही मकान पर ठहरने का मुझे सोभाग्य मिला। उन दिनों देशभर के जेल से छूटे नेताओं के पास कोई काम था नहीं। वापु के पास सबका जमघट लगा रहता था। तुम लोगों के स्नेहभरे आतिथ्य के कारण सबका जमाव तुम्हारे यहाँ ही होने से मुझे सीखने और समझने का बड़ा मोका मिला, क्योंकि हमेशा गौव के बोने में बेठकर सेवा करने के कारण पहले कभी इतने लोगों का सत्सग नहीं मिला था। सच तो यह है कि उस समय तुम्हारे यहाँ मेने जो दो मास विताये, वे मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूँजी हैं। नायकमंजी के ओर तुम्हारे स्नेह के साथ साथ 'मितु' का प्यार भूलने की वस्तु नहीं है। वह तो अपने-आपमें एक बड़ी सम्पत्ति है ही। लेकिन जो बात आज मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि उन्हीं दो महीनों में मुझे वापु की कान्ति का प्रत्यक्ष दर्जन मिला और मेरे सामने यह स्पष्ट हुआ कि हम किसलिए हैं और हमारे मार्फत वापु करना क्या चाहते हैं।

उससे पहले मैं इतना ही समझता था कि देश को आजाद करने के लिए गौव-गौव में जन-समर्पक करना है और जो कुछ करना है, उसे

एकाग्र और शाश्वत रूप मेर करना है। ग्राम-सेवा के अनुभव के कारण समाज के शोषण का कुछ धूमिल दर्शन अवश्य हुआ था। पर वह सारा दर्शन और सारा विचार अत्यन्त अस्पष्ट था। न तो कोई स्पष्ट मार्ग ही दीखता था और न उसकी खोज के लिए कोई बाहोंग चेष्टा ही की थी। काम के दौरान मेर सहज रूप से जो कुछ छिटपुट विचार आ जाते थे, उन्हेंके आधार पर कुछ चिन्तन हो जाता था।

'४१-'४२ के पत्रों मेरै 'भलमनर्इ' और 'चमार-सियार' रूपी दो वर्गों के परस्पर व्यवहार का वर्णन किया था। उसीसे शोषण के स्वरूप का व्यान किस तरह आया और मेरी भावनाएँ तथा श्रम-प्रतिष्ठा की सहानुभूति किस प्रकार इन 'चमार सियार' लोगों की ओर बढ़ी, यह भी मैं बता चुका हूँ। उन्हीं लोगों के घरों मेरे मेहमान बनने के कारण उनके साथ जाते करते हुए उनके काम के स्थान पर चले जाना और काम मेर उनके साथ आमिल हो जाना आदि प्रवृत्तियों सहज रूप से विकसित होती गयी। इन प्रवृत्तियों के पीछे उन दिनों मेर 'श्रम-प्रतिष्ठा' या 'श्रममूलक समाज-रचना' के विचार की कोई बुनियाद नहीं थी। मानो भगवान् नेपथ्य मेर ही मेरे भीतर इन विचारों की नीव डाल रहे थे। बाद मेरणीवों मेरै किस प्रकार श्रम का आग्रह रखता रहा, उसकी भी कहानी लिख चुका हूँ। यद्यपि उस समय श्रम की अनिवार्य आवश्यकता महसूस करता था, पर भी उस समय तक श्रम-आधारित व्यवस्थित समाज रचना की कल्पना नहीं उठी थी।

जेल से छूटने के बाद तुम लोगों के साथ जो दो महीने विताये, उनीं बीच मुझे एक नयी दृष्टि मिली और शोषण-मुक्त तथा श्रेणीहीन समाज का मानो स्पष्ट चित्र मेरी आँखों के सामने आ गया। यह सब किस प्रकार हुआ, उसकी कहानी फिर किसी दिन लिखूँगा। ● ● ●

अभय-आश्रम, वलरामपुर

१७-५-१५७

सन् १९४१ में मे आगरा सेट्टल जेल मे नजरवन्द था। मेरी वैरक मे दो-तीन भाइयों के सिवा वाकी सब कम्युनिस्ट जवान थे। उनसे मेरा अच्छा खेह-सम्बन्ध हो गया था। वे सब मुझे 'दादा' कहकर पुकारते थे। उन्हीं दिनों मे तुम्हारे पास अपनी ग्राम-सेवा के अनुभव लिख भेजता था। उन पत्रों को हमारे कम्युनिस्ट साथी पढ़ा करते थे। मेरा 'भलमनई' वाला विचार वे बहुत पसन्द करते थे।

मेरी बातचीत से कम्युनिस्ट भाइयों को ऐसा लगता था कि मे उनके साथ हो सकूँगा। अत. वे अपना साहित्य पढ़ने का मुश्किल आग्रह करते रहते थे। लेकिन तुम्हे मालूम ही है कि पढ़ने-लिखने से कम्युनिस्टों से मेरा कभी वास्ता रहा नहीं। मे उनकी किताबें ले तो सम्पर्क लेता था, पर दो-चार पन्नों से अविक पढ़ नहीं पाता था। किन्तु धीरे-धीरे मुझे उनके विचारों मे दिलचस्पी आने लगी और गपशप मे मैने उनसे सारा विचार जानने की कोशिश भी की। वे सब मुझे बड़े भले भी लगते थे। लेकिन उनमे कही कुछ ऐसी बातें थीं, जिनसे उनके सिद्धान्त मेरे टिल मे जमते नहीं थे। दूसरों को अपने विचार समझाने के उनके तौर-तरीके भी मुझे पसन्द नहीं थे। वाद में सन् '४२ का आन्दोलन शुरू होने पर जब फिर से मै नजरवन्द हुआ और इलाहावाद सेण्टल जेल मे पहुँचा, तो वहाँ के कुछ कम्युनिस्टों से मेरा परिचय हुआ। ढाई साल मे धीरे-धीरे मैने उनकी पॉच-सात किताबें भी पढ़ डालीं। उन किताबों से कार्ल मार्क्स के दार्शनिक विश्लेषण मे मुझे कुछ सार तो मालूम हुआ, परन्तु ऐसा लगा कि उनका समाधान अधूरा-

सा ही है। तात्कालिक विप्रम परिस्थिति के निराकरण का उन्होंने एक सामयिक-सा हल मात्र निकाला है।

कम्युनिस्टों का जो थोड़ा-सा साहित्य मैंने पढ़ा, उसमें मुझे एक और कभी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि उनके विचार तर्कपूर्ण तो है, लेकिन उनके पीछे मानव-स्वत्त्वति की बुनियाद का अभाव कम्युनिस्ट-विचार है। उनमें मानवीय भावनाओं का निरादर है, यद्यपि मेरे कभी मानव-सन्ताप का निराकरण ही उनके दर्जन का एकमात्र आधार है। इन कारणों से मेरा आकर्षण इनके विचारों की ओर से घटता चला गया। वस्तुतः उस समय मुझमें इतनी वैचारिक क्षमता नहीं थी, जिससे मैं मार्क्सवादी दर्जन का ठीक से विश्लेषण करता, उस पर विचार करता और उसके फलस्वरूप उसे अग्राह्य मानता। लेकिन स्पष्ट वैचारिक भूमिका न होते हुए भी मेरा आकर्षण सहज ही हट गया। तुम अगर पूछोगीं, तो मैं उसका कोई कारण नहीं बता सकूँगा। यह बात मैंने इसीलिए लिखी है कि यदि तुम लोग तात्त्विक बहस करना चाहो, तो मैं उसके लिए असमर्थ हूँ, यह बात तुम्हे मालूम हो जाय। सच तो यह है कि मनुष्य की जीवनधारा के निर्णय के पीछे हमेशा तर्क ही नहीं रहता। उसके पीछे स्वभाव, स्वधर्म तथा स्वत्त्वति भी काम करती है। भनु व तर्क इनकी गोध में करता है। यह अवश्य है कि कभी तर्क से किसी का अन्तर्निहित स्वभाव प्रस्फुटित होता है और कभी कोई स्वभाव से ही तर्क करता है। मेरे जीवन में तर्क से स्वभाव ही मुख्य स्थान रखता आया है, यह सब तुम जानती ही हो। हालाँकि आजकल लोग तर्क के कारण ही मेरे तरफ आकर्षित होते हैं। तो कम्युनिस्टों के विचार के प्रति अत्यन्त आकर्षण होने के बावजूद मैं जो उससे विमुख हुआ, उसका कारण मेरा स्वभाव और स्वत्त्वति ही है, ऐसा मानना चाहिए।

इसी समय से मेरे भीतर विचार मन्थन जाग्रत हुआ। मैं सोचने लगा कि ये लोग कहते तो ठीक है। समाज की सम्पत्ति का निर्माण करने में जो लोग खून-पसीना एक करते हैं, उन्हें दोनों जून खाने का साधन नहीं

और जो सम्पत्ति के उत्पादन में एक बैंड भी पसीना नहीं ब्रह्माते, वे मौज
करते हैं। इस अन्यायपूर्ण और अनुचित स्थिति का

तीव्र विचार- निराकरण होना चाहिए। इतना ही नहीं, सामाजिक
मन्यन प्रतिष्ठा भी उलटी है। जो लोग कमाकर दुनिया को
खिलाते हैं, वे छोटे माने जाते हैं और जो उनके कब्जे पर

बैटकर आराम करते हैं, वे भद्र लोग—‘भलमनई’—हैं। यह स्थिति कहाँ
तक उचित है? इसके साथ साथ में यह भी सोचता था कि अगर इन लोगों
के विचार के पीछे सास्कृतिक भूमिका या मानवीय भावना नहीं है, तो किस
विचार के आधार पर ऐसी हास्यास्पद परिस्थिति का निराकरण किया जा
सकता है? मैं यह सब सोचता रहा, लेकिन मन को किसी भी प्रकार
समाधान नहीं मिला। चिन्तन के दौरान में कुछ थोड़ा विचार अवश्य कर
लेता था, जिसकी झलक मेरे सन् '४२ वाले पत्रों से तुम्हे मिलती होगी।

ऐसी उधेड़वुनवाली मानसिक स्थिति में सन् '४५ में जेल से निकला।
मेरे सेवाग्राम पहुँचने के कुछ ही दिन पहले से वाप्र कार्यकर्ताओं के बीच

चननात्मक कार्य के वर्तमान स्वरूप तथा भावी
वाप्र की क्राति- परिकल्पना पर चर्चा कर रहे थे। चरखा सब के नव-
कारी विचारधारा सम्करण पर सात दिनों तक वाप्र जाजू सवाद हो चुका
था। कार्यकर्ताओं में उसकी बड़ी चर्चा थी। जिस दिना

में मेरी मानसिक उथल पुथल चल रही थी, उसी दिना में वाप्र के विवेचन
की बात सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली। चिन्तन के लिए एक दिना मिल
गयी। उन्होंने कहा कि “अग्रेज जा रहे हैं। शायद हम जितनी जन्दी सोच
रहे हैं, उससे भी जल्दी वे चले जायें। अब हम सभको इस श्रड्हा का दर्शन
करना है कि चरखा शोषण-निराकरण और अहिंसक समाज स्थापना का
सावन है।” वाप्र की ये सब बातें मानो आँखों के सामने एक नयी ज्योति
प्रकट कर रही थी। उन्होंने तालीमी सध के सामने कहा कि “गर्म से मृत्यु
तक तालीम का थ्रेत्र हो और नयी तालीम में युग-युग की समस्याओं के
समावान की शक्ति निहित रहे।” कस्तूरबा-इस्ट के सदस्यों के सामने

उन्होंने लोकतन्त्र की नवी तथा क्रातिकारी व्याख्या देश की तथा देश के सामने समग्र ग्राम-सेवा का सर्वोगीण एवं बुनियादी कार्यक्रम रखा और उसके लिए सात लाख ऐसे नौजवानों का आहान किया, जो अपने श्रम से स्वावलम्बी बनकर सेवा कर सके। वापू की इन बातों ने हमारे सामने एक नये दर्जन का द्वार खोल दिया।

वापू के समग्र ग्राम-देवा के कार्यक्रम तथा उसके लिए शरीर-श्रम से गुजारा बरनेवाले सात लाख जवानों के आहान का मुझ पर सबसे अधिक

प्रभाव पड़ा। ऐसा लगा, मानो जिस बल्तु की खोज आहान का असर में मैं इतने दिनों से ब्याकुल था, वह बिल्कुल

हाथ में आ गयी। वर्ग-विप्रमता का निराकरण होना चाहिए—यह बात मुझे ही नहीं, बल्कि सारे आधुनिक विचारों को मान्य थी। लेकिन वर्ग-संघर्ष से इसका निराकरण नहीं होगा, ऐसा मैं मानता था। जेल में मैं कम्युनिस्टों से वहस भी करता था। उनसे कहता था कि संघर्ष की प्रक्रिया यदि अनन्त है, यदि सामन्तवाद से संघर्ष वर पूँजीवाद उसे समाप्त करता है और पूँजीवाद से संघर्ष कर 'प्रोलेटेरियटवाद' उसे समाप्त करता है। तो वह कौन-सी बन्तु होगी, जो इस प्रोलेटेरियटवाद से संघर्ष कर इसे समाप्त करेगी?

वापू ने शोषणहीन समाज कायम करने के लिए नवी श्रान्ति में नये बाहकों का जो आहान किया और उनके लिए जो यह वर्त रखी कि वे

अपने पुरुषार्थ से स्वावलम्बी बनकर श्रमिक-वर्ग में नवी विचार-दृष्टि बिलीन हो जायें, शोषण-निराकरण की उनकी इस

विचारधारा ने एक नवी क्रातिकारी टिक्का खोल दी। वर्ग-संघर्ष नहीं, वर्ग-परिवर्तन ही वर्ग-मेद के निराकरण का सही भार्ग है, यह सट हो गया। जेल में कम्युनिस्ट मित्रों से तर्क करते समय मैं उन्हें बताता था कि वे ही शरीर-श्रमिकों का शोषण ये बुर्जुआ-वर्गवाले करते हैं। अतएव श्रमिकों को होठ दिलाकर इन बुर्जुओं को खत्म करने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आखिर होठ कौन दिलायेगा?

वाहोश-वर्ग से से ही आप जैसे नेता उनमें असन्तोष फैलाकर दूसरे बुर्जुओं का खातमा करेंगे। फिर आप जैसे नेता लोग ही उनकी छाती पर बैठकर किसी न किसी वहाने उनका शोपण करते रहेंगे। तो आप लोग एक नये प्रकार के बुर्जुआ बनेंगे। इस बात का वे खण्डन करते थे और खूब तर्क-पूर्ण खण्डन करते थे। मैं उनका जवाब ठीक से नहीं दे पाता था। लेकिन मन में अपनी बात पर श्रद्धा कायम रहती थी। वर्ग-सधर्प के पीछे मानव-सम्मृति की हत्या की जो कल्पना सामने आ जाती थी, उस कारण भी मेरी तबीयत उनकी दलीलों को स्वीकार करने में झिझकती थी। उन दिनों मेरे सामने वर्ग-निराकरण का दर्शन स्पष्ट नहीं था। आज जिस प्रकार हुजूर-मजूर के तत्त्व का विश्लेषण करता हूँ, उतना उन दिनों नहीं कर पाता था। लेकिन उस दिग्गा में दिमाग धृमता रहता था। चरखा सघ के नव-सस्करण की बातचीत से निश्चित दिग्गा में विचार चलने लगा।

वापू की समग्र ग्राम-सेवा की परिकल्पना और उसके लिए नौजवानों के आवाहन के फलस्वरूप बहुत-से नौजवान इस काम के लिए अपना

नाम भेजने लगे। ऐसा निर्णय हुआ कि इन जवानों सेवाग्राम का सेवाग्राम में एक गिविर चलाया जाय, जिसमें शिविर उन्हे नव-सस्करण के तत्त्व समझाये जा सके।

उस गिविर में मुझे भी बोलना पड़ा। उन दिनों श्रेणी विषमता की समस्या मेरे दिमाग में भरपूर थी। वीस साल पहले फैजावाद जिले के देहातों में धृमते समय भलमनई यानी बाबू लोगों और 'चमार-सियार' यानी मजदूर लोगों के आपसी सम्बन्ध के कारण दिमाग की जो परेगानी थी, इतने दिनों बाद उसका समाधान पाकर मैं प्रफुल्लित था। ऐसी मनोदशा मेरे मैने समाज के शोपण के स्वस्प का जो विश्लेषण किया, उससे सेवाग्राम के लोग बहुत प्रभावित हुए। जो लोग मुझे जानते थे, वे मेरे मुँह से उन बातों को सुनकर कुछ चकित भी हुए, क्योंकि पढ़ने-लिखने से मेरा सम्बन्ध नहीं है, यह उन्हे मालूम था। मैने

समग्र आम-सेवा की ओर

१२

कम्युनिस्टों के दर्शन की असारता का जो विवेचन किया, उसे सुनने के लिए
वे तैयार नहीं थे। 'हुजूर' और 'मज़ूर' बच्चे उस गिविर में ही निकले।
कुछ साथियों पर मेरी बातों का उल्टा असर हुआ। वे कहने लगे कि वह
गांधीवाद नहीं है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि माल्म होता है,
जेल में धीरेन भाई पर कम्युनिस्टों का असर हुआ है और अब तो वे
प्रचुरता कम्युनिस्ट जैसे लगते हैं।

● ● ●

श्रमभारती, खादीग्राम

१७-७-'५७

सेवाग्राम मे डेट महीने रहते समय जेसी वैचारिक स्पष्टता हुई, उसका संक्षिप्त विवरण पिछले पत्र मे लिखा था। बापू के नये विचार को लेकर मैं अपने प्रदेश मे लौटा। गावी आश्रम के साधियो से उसकी चर्चा की। उन्हे विचार तो ठीक लगा, लेकिन बापू की सलाह के अनुसार खादी-काम मे आमूल परिवर्तन को उन्होने कुछ अव्यावहारिक माना। विचित्र भाई ने मुझसे-कहा कि मैं यह विचार आश्रम के सभी कार्यकर्ताओ से कहूँ और इसके लिए आश्रम के केन्द्रो मे जाकर चर्चा करूँ। तदनुसार मैंने एक महीने तक आश्रम के केन्द्रो मे घूमकर चरखा-सघ के नव सस्करण के बुनियादी तत्त्वो को समझाने की कोशिश की। आश्रम के भाड़यो को मैंने समझाया कि बापू के बताये हुए तरीके से खादी का काम करने पर ही 'चरखा अहिंसा का प्रतीक' सिद्ध हो सकेगा। इस प्रकार से हम जनता मे प्रवेश कर शोपण-निराकरण का कार्यक्रम अगर नहीं चलायेंगे, तो बापू के कहे अनुसार भले ही अग्रेज जलदी चले जायें और देश मे राष्ट्रीय सरकार बन जाय, लेकिन वह सरकार शोपक-वर्ग के हाथ मे ही चली जायगी और वह निहित स्वार्थ का ही सरक्षण करेगी। फिर शोपण-निराकरण का कार्यक्रम दूर की चीज बन जायगा। हम यदि उस कार्यक्रम को चलाना भी चाहेंगे, तो वह कठिन होगा। इतिहास कहता है कि विदेशी सरकार किसी देश के नागरिको पर जितना दमन-चक्र चला सकती है, स्वदेशी सरकार अपने विरोधियो का उससे अधिक दमन कर सकती है, क्योंकि जहाँ विदेशी राज्य मे देश की सारी जनता कम से कम मन से विरोध मे आमिल रहती है, वहाँ स्वदेशी राज्य मे देश

का वह वर्ग, जिसका सरकार सरकार करती है, उसके दमन-कार्य में साथ देता है।

इस प्रकार से मैं महीने भर प्रचार कार्य करता रहा। लेकिन आश्रम ने वह निर्णय किया कि मैं अलग से आश्रम के ही मात्रहत कहीं बैठकर समग्र ग्राम-सेवा का प्रयोग करूँ और आश्रम अपना ग्राम-सेवा का काम पूर्ववत् चलाता रहे।

प्रयोग

समग्र ग्राम-सेवा के काम में जो लोग मेरे साथी बने, उनके लिए यह आवश्यक था कि वे इस विचार को स्वीकार करें और उसके लिए कुछ त्याग करें। श्रम-आधारित जीवन के लिए उनकी तैयारी होना भी जरूरी था। इसके लिए मैंने आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं के नाम एक आवाहन-पत्र लिखा, जिसे विचित्र भाई ने अपने सिफारिशी पत्र के साथ सभी कार्यकर्ताओं के पास भिजवा दिया। उसमें मैंने कार्यकर्ताओं से यह माँग की थी कि जो लोग समग्र ग्राम-सेवा के काम में मेरा साथ देना चाहें, वे आश्रम के वेतन-मान से २५ प्रतिशत कम वेतन पर अपना गुजारा कर इस काम में आगे बढ़ें। मेरे आवाहन पर करणभाई, बड़ीभाई, प्रयागदत्त भाई, हरिराम भाई आदि कुछ साथी इस काम के लिए आगे आये। आश्रम ने उन्हें अपनी पुरानी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और वे मेरे साथ आ गये।

उस समय रणीवॉ-आश्रम सरकार द्वारा जब्त था। इसलिए यह प्रश्न हुआ कि इन साथियों को लेकर मैं किस स्थान पर बैठूँ। बनारस के पास एक स्थान का सुझाव आया कि जब तक रणीवॉ-आश्रम सरकार द्वारा बापस न मिले, तब तक वहाँ रहकर हम नये विचार से काम करे। तदनुसार बनारस जिले के साथियों की एक बैठक गांधी आश्रम, काशी में रखी, क्योंकि मैं चाहता था कि नया काम स्थानीय मदद से हो। लेकिन ऐयरभाई ने मुझे यह खबर भिजवायी कि बनारस के अधिकारी मुझे जिले में प्रवेश करने नहीं देंगे। मैंने कहा कि “अधिक-से-अधिक वे मुझे गिरफ्तार ही तो करेंगे। और क्या करेंगे?” मैं चलने को तैयार हो रहा था।

इस पर इलाहावाद के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि इस समय कांग्रेस के सभी लोग रचनात्मक काम करना चाहते हैं। बापू भी

वर्णव में अगले मोर्चे की तैयारी में देश को समग्र ग्राम-सेवा का कार्यक्रम दे रहे हैं। ऐसे समय आपको खामखाह जेल में जाकर नहीं बेठना चाहिए। उन्होंने आपस में सलाह कर इलाहावाद के पास, वर्णव नामक स्थान तथ

वर दिया, जहाँ बैठकर मैं वीच के दिनों में काम करूँ। वर्णव में काम जमानेवालों में वहाँ के कुँवर साहव तथा इलाहावाद के डाक्टर कैलासनाथ काटजू, लालबहादुर गाल्ली तथा श्रीमती पृणिमा बनर्जी मुख्य थे। उनका कहना था कि जब तक मैं वहाँ रहूँ, तब तक मैं वहाँ का आश्रम जमा दूँ। बाद में वे लोग उसे छलते रहे। देश को अपेक्षा से बहुत पहले ही स्वराज्य मिल गया और सभी बड़े नेता राज्य-व्यवस्था में चले गये। फल स्वरूप मेरे वर्णव से हट जाने के बाद वह केन्द्र नहीं चल सका।

समग्र ग्राम-सेवा की बुनियाद तालीम ही हो सकती है, क्योंकि ग्राम-सेवा का असली उद्देश्य ग्रामीणों की सेवा है। सन् १९४१ में आगरा जेल से सरकारी ग्राम सुधार-विभाग के पचायतघरों की योजना पर टिप्पणी करते हुए मैंने तुम्हें लिखा था कि पहले पच बनेगा, बाद में पचायत बन सकेगी और पचायत के बनने पर ही पचायतघरों की आवश्यकता होती है। शुरू से ही मेरी मान्यता यह रही है कि ग्राम-निर्माण ग्रामवासी के निर्माण से ही हो सकता है। इसलिए सारी सेवा तालीम के माव्यम से ही सम्भव है। तदनुसार मैंने वर्णव में बुनियादी शिक्षा की व्यापक योजना बनायी।

शिक्षा का प्रधान उपादान शिक्षक ही होता है। इसलिए पहले मैंने अपने साथियों को शिक्षक की डेनिंग देने की बात सोची। तदनुसार उनके बच्चों तथा उस गाँव के कुछ और बच्चों को शिक्षा देने का काम हाथ में लिया, जिसमें साथियों को नयी तालीम की पढ़ति का ज्ञान करा सकूँ। नयी तालीम के काम में मेरा भी कुछ अन्यास नहीं था। फिर भी विचार आर दृष्टि स्पष्ट होने के कारण मैं उनका मार्ग-दर्जन कर लेता था।

इस सिलसिले में मैंने महसूस किया कि शिक्षकों को नियमित रूप से कुछ जिक्षा-शाल का अन्यास कराना भी आवश्यक है। अतः करण के साथ सभी साधियों को एक बार तुम्हारे पास सेवाग्राम भेज देने का विचार किया। अपने साथ एक भाई को रखकर वाकी सबको वहाँ भेज दिया। मैं उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ बरांव रह गया।

मैंने पहले ही कहा है कि इस बार बापू से मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा वर्ग-परिवर्तन की दिशा में मिली थी। इसीलिए हमने निश्चय किया कि

रणीवाँ को	वरांव के कुँवर साहब से सामान लेकर हम लोग अपना
मकान अपने हाथ से बना लें। सब भाई बहनों ने	मकान अपने हाथ से बना लें। सब भाई बहनों ने
प्रस्थान	मिलकर इटे पाथना शुरू किया और मकान के लायक
	आवश्यक उटे पाथ लीं। मकान में राज-मिल्की, बढ़ई

और कुछ मजदूर तो अवश्य लगाये, परन्तु वाकी सारा काम अपने हाथों किया। इससे सब लोगों का उत्साह खूब बढ़ा। साथ-साथ सबका आत्म-विद्वास भी बढ़ा। कुछ दिनों के बाद काग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की कारामुक्ति हुई। उसके कुछ दिन बाद रणीवाँ-आश्रम हमें बापस मिल गया। पूर्वयोजना के अनुसार बरांव के काम को स्थानीय लोगों के हाथ सौंपकर हम लोग रणीवाँ चले गये।

रणीवाँ जाकर देखा कि पुलिस ने उसे विल्कुल उजाड़ दिया है। कुछ मकान द्वर-उधर खड़े थे। हमने उन्हींकी मरम्मत कर उन्हे साफ़ कर लिया और आसपास के गाँवों का पुनर्संगठन करने की कोशिश करने लगे। रणीवाँ में यह सुविधा थी कि हम वहाँ आन्दोलन से पहले छह साल काम कर चुके थे। लोगों से स्नेह-सम्पर्क था। कुछ नौजवान हमारे सम्पर्क में आकर जेल भी गये थे। मैं वहाँ के देहातों में घूमकर लोगों से मिला और मैंने उन नौजवानों से भी काम लेना शुरू किया। मेरी दृष्टि यह थी कि हम गाँव के स्वाभाविक नेतृत्व का विकास करके ग्राम-सेवा का काम करें। इस बारे में मैं १९४१ के पत्रों में भी तुम्हें काफी लिख चुका हूँ। मन में आया कि यह अच्छा अवसर है। हमने छह साल काम करके

यहाँ अनुकूल वातावरण बनाया है, कुछ स्थानीय नौजवानों को तैयार किया है। आश्रम जब्त होना तथा सबका जेल चला जाना—ऐसी घटना थी, जिससे हमारी और आसपास की जनता की सहानुभूति काफी बढ़ी हुई थी। ऐसे समय यदि हम यहाँ की जनता से कहे कि अब आप लोग यहाँ का काम चलायें और हमें छुट्टी दें, तो यह एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा।

बापू ने जब सात लाख गाँवों के लिए सात लाख नौजवानों की मॉग की थी, तो मैं अपने साथियों से कहा करता था कि सात लाख नौजवान दूसरे गाँव में जाकर काम करें, इसके बदले हम यह क्यों नेतृत्व-स्वाव-लम्बन का प्रश्न न कहे कि सात लाख गाँवों में सात लाख नौजवान तैयार होने चाहिए। तभी हमारा भावी आनंदोलन जनता के स्वाभाविक नेतृत्व से चल सकेगा। आखिर स्वावलम्बन का मतलब क्या ? अगर हमारे कार्यकर्ता किसी गाँव में रुई की गाठ लेकर बैठे, लोगों को चरखा चलाना सिखाये, कुछ को बुनाई सिखा दें और फिर सूत कतवा और कपड़ा बुनवाकर सबको कपड़ा दे दें, जिससे गाँव के किसी आदमी को बाहर से कपड़ा न लाना पड़े, तो क्या हम उस गाँव को स्वावलम्बी कह सकते हैं ? गाँव के सब लोग अपना अन्न-बस्त्र पैदा कर लें, इतने मात्र से ग्राम-स्वावलम्बन नहीं हो सकता। अतः मैं अपने साथियों से कहा करता था कि जब तक गाँव में नेतृत्व-स्वाव-लम्बन और व्यवस्था-स्वावलम्बन नहीं होगा, तब तक गाँव परमुखायेकी ही बना रहेगा। अतएव अपने विचार के अनुसार प्रत्यक्ष प्रयोग का अवसर उपस्थित होने पर मैंने इस टिक्का में गम्भीर विचार करना शुरू किया।

० ० ०

श्रमभास्ती, खादीग्राम

१९-७-'५७

इलाहाबाद जेल मेरे मैने खादी-काम के द्वारा समग्र ग्राम-सेवा की एक टजवर्णिय योजना बनायी थी। उसे सब लोगों ने पसन्द भी किया था। मैं चाहता था कि उस प्रकार का कोई प्रयोग करें और सेवक-प्रशिक्षण के लिए कोई विद्यालय कायम करें, जिससे आसपास के देहातों मेरे सेवा का प्रत्यक्ष काम हो सके। मैंने उसकी एक योजना बना डाली और उसे वापू को दिखलाया। वापू ने उसे बहुत पसन्द किया और उसके लिए मुझे आशीर्वाद भी दिया। गांधी आश्रम ने चाल खर्च आश्रम कोप से देना स्वीकार किया। लेकिन शुरुआत मेरा मकान, जमीन आदि के लिए पूँजी-खर्च की अक्षि उसमे नहीं थी। वापू ने यह खर्च कहीं से देने को कहा।

इससे प्रोत्साहित होकर उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं के सामने मैंने अपनी योजना रखी। साथ-ही-साथ मैंने यह भी कहा कि जो जिला

मुझे ५० एकड़ जमीन और ५० हजार रुपया देगा,

सेवापुरी का उस जिले मेरे अपना केन्द्र खोलूँगा। बनारस और

चुनाव कानपुर जिले के मित्रों ने मेरी शर्त स्वीकार कर मुझे

आमंत्रित किया। बनारस से मेरा पुराना सबध होने

के कारण मेरा सट्ज छुकाव उसी जिले की ओर हुआ और मैंने सेवा पुरी का लेत्र चुना।

सेवापुरी की जमीन ऊमर-जगल थी। उस पर मकान आदि बनाने के लिए मेरे पास फेंगे की कमी थी। तुम कहोगी कि जब वापू ने मवान आदि के लिए पूरा खर्च देना स्वीकार किया था, तो धन का अभाव कैसे हुआ?

अभाव दर्शाता था कि मैं शुल से ही बाहर से पैसा लाकर आश्रम बनाने का पक्षपाती नहीं था। बनारस जिले के लोग स्थानीय साधनों चन्दा बटोरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब का प्रश्न तक वे कुछ नहीं कर पाये थे। मेरा विचार था कि पहले स्थानीय साधन से कुछ पैसा खड़ा कर लूँ, फिर बापू का धन खर्च करूँ।

वहाँ मिली हुई जमीन पर आश्रम का मकान न बनाने का एक कारण और भी था। शुल से ही मेरी हाटी यह रही है कि अगर ग्राम-सेवा के लिए ग्रामवासियों से स्नेह-सम्पर्क करना है, तो पहले गाँव के अन्दर उन्हींके दिये हुए स्थानों में रहकर उनके साथ सम्पर्क जोड़ा जाय और धीरे-धीरे आश्रम खड़ा किया जाय। आश्रम बनाने में भी शुल-शुल से यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनता से सामान मॉगकर श्रोपड़ियों खड़ी की जायें और फिर आश्रम-निर्माण का काम वीरे-धीरे बढ़ाया जाय। ऐसा न करने से ग्रामीण जनता आश्रमवासियों को स्वजन नहीं समझ पाती। आश्रम के आन्तरिक कार्यक्रम की वृद्धि तो होती है, पर ग्रामीण जनता के हृदय में उनका प्रवेश नहीं हो पाता। रणीवाँ-केन्द्र भी उसी तरह बना था। फलस्वरूप वह केन्द्र आज उसी गाँव के युवकों द्वारा ही सचालित हो रहा है और गाँव की जनता आज भी हमारे साथ कुटुम्बी जन जैसा ही व्यवहार करती है।

यद्यपि बापू से धन मिलने की स्वीकृति मिल गयी थी और बनारस के मित्रों ने भी कुछ देने का वादा किया था, फिर भी मैंने जिस प्रक्रिया से रणीवाँ का काम शुरू किया था, वहाँ भी उसी सेवापुरी-आश्रम प्रक्रिया को अपनाया। मैं लालसिंह और दो साथियों का श्रीगणेश के साथ वहाँ गया और गाँव के लोगों ने अपने घरों के जो हिस्से हमें दे दिये, उन्हींमें हम सब रहने लगे। सब लोग एक ही घर में नहीं रहते थे, बल्कि कई स्थानों में वैटफर रहते थे और उस क्षेत्र में सम्पर्क स्थापित करते थे।

धीरे-धीरे जब लोगों का प्रेम बढ़ने लगा और हमे उनकी सहानुभूति प्राप्त होने लगी, तो हमने उनसे सामान मॉगकर वहाँ की प्राप्त भूमि पर कुछ झोपड़ियाँ डाल दी। इस तरह सेवापुरी-आश्रम का श्रीगणेश हुआ।

पिछले पत्र में मैंने लिखा था कि रणीवों-आश्रम का पुनर्निर्माण स्थानीय लोगों के नेतृत्व और व्यवस्था में करना चाहिए, ऐसा मैं महसूस

करता था। मैं सोचता था कि अगर ऐसा कर सकूँगा, रणीवों का पुनर्निर्माण तो समग्र ग्राम-सेवा तथा स्वराज्य का एक अच्छा प्रयोग हो जायगा। इस विचार से रणीवों तथा आसपास के कुछ मित्रों को मैंने बुलाया। मैंने उन्हें बताया कि चापू का कहना है कि अग्रेज शायद जल्दी ही भारत से चले जायें। लेकिन उनके चले जाने से ही स्वराज्य नहीं होता। स्वराज्य तब होता है, जब देश की जनता अपना काम अपने-आप ही चला ले। इस देश की जनता का मतलब है, देहाती जनता। इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान की तुलना करके मैंने उन्हें बताया कि जहाँ इंग्लैण्ड में १०० में ८९ व्यक्ति ग्राहरों में वसते हैं, वहाँ हिन्दुस्तान में १०० में ८४ व्यक्ति देहातों में वसते हैं। तो जैसे इंग्लैण्ड एक ग्राहरी देश है, वैसे हिन्दुस्तान एक देहाती देश है। आपका स्वराज्य तब होगा, जब आप लोग अपना काम अपने-आप ही चलायें। रणीवों-आश्रम आप ही लोगों का है। इसलिए इसे भी आपको ही चलाना चाहिए।

ईश्वर की महिमा अपार है। जिन पण्डित लालताप्रसादजी ने मुझे आमन्त्रित कर अपने गोंव में बुलाया था, उनके मन में भी उन दिनों ऐसा ही विचार उठता था। वे कहने लगे कि मैंने तो यही स्वावलम्बन का विचार निश्चय किया था कि इस बार धीरेन भाई आये, तो उनसे कह देंगा कि अब बाहर से पैसा लाकर वहाँ का आश्रम न चलाये। इसी इलाके के लोगों से अनाज मॉगकर उसे चलाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रस्ताव के लिए वे भी प्रस्तुत नहीं थे। वे भी इतना ही सोचते थे कि बाहर से पैसा न लाया जाय। वे

इतना नहीं मोच पाये थे कि हम लोग कोई वहाँ न रहें और वहाँ का सारा काम उन्हें ही चलाना पड़े। किन्तु मेरा प्रत्ताव सुनकर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन वे इतना अवश्य चाहते थे कि भले ही हम सब साथियों को सेवापुरी भेज ठ, परन्तु मैं खुद कुछ दिन वहाँ रहकर वहाँ के युवकों को प्रशिक्षित कर दूँ।

००८

श्रमभारती, खादीग्राम

१८-२-१९४८

रणीवों के नौजवानों से भाई रामलाल मिश्र उन दिनों गांधी आश्रम के कार्यकर्ता बन चुके थे और वे मेरठ के दफ्तर में काम करते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे वहाँ का काम छोड़कर मेरे प्रयोग में शामिल हो सकते हैं ?

उन दिनों गांधी आश्रम का वेतन-मान अच्छा था। अधध के निम्न-मव्यम श्रेणी की हालत बहुत खराब थी। जिस परिवार में कोई आदमी वाहरी नौकरी नहीं करता था, उसकी टजा अत्यन्त रणीवों ने दबनीय थी। वैसी हालत में रामलाल के परिवार के सामने यह प्रस्ताव कठिन परीक्षा का था। एक तरफ मेरे प्रति प्रेम और दूसरी तरफ गरीबी में निश्चित मासिक आमदनी का त्याग। दो में से प्रेम को चुनना कठिन था। स्वतन्त्रता के समाम में नौकरी छोड़ना जितना कठिन था, उसमें यह त्याग कठिन था। उन दिनों सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्था में काम करना देश-द्रोह माना जाता था, तो पैसा छोड़ने पर वदले में कम से-कम टेङ-भक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिल जाती थी। गांधी आश्रम का काम छोड़कर रणीवों के प्रयोग में शामिल होने में, वदले में ऐसा कुछ मिलने की सम्भावना नहीं थी, क्योंकि गांधी आश्रम का काम भी त्याग और टेङ-भक्ति का काम माना जाता था। आखिर रामलाल वह काम छोड़कर आ गया और विचित्रभाई ने तुरन्त उसे मुक्त कर दिया।

रामलाल के आ जाने पर इस प्रयोग के लिए तीन-चार नौजवान और भी साथ हो लिये। उनकी गार्फत उस धेन का रचनात्मक काम

वरने की योजना सोचने लगा। मवसे पहली आवश्यकता मावन की थी। आसपास के लोगों ने हमें रहने के लिए टृटे हुए मकान दिये। उनकी मरम्मत कर ली। उन्होंने खलिहानों से योड़ा-योड़ा गङ्घा निकालकर भी आश्रम चलाने के लिए लालताप्रसादजी के हाथ में दे दिया। चार-पॉच नौजवानों की श्रद्धा तथा पठित लालताप्रसाद की निष्ठा की पूँजी लेकर मैंने रणीवों का नया अव्याय शुरू किया। स्थानीय नेतृत्व, साधन तथा व्यवस्था से एक केन्द्र चलाने के अवसर से मुझे बड़ी खुशी हुई।

तालीम का काम ही ग्राम-निर्माण का करीब करीब एकमात्र काम है और उसीके जरिये गाँव के सारे कार्यक्रम चल सकते हैं, यह मान्यता मेरी

शुरू से ही रही है। लेकिन नयी तालीम की पढ़ति की स्वावलम्बन-

स्पष्ट धारणा इन नौजवानों में नहीं थी। उनमें उसकी

द्यालय योग्यता भी नहीं थी। उधर उस डलाके में शिक्षा

की चाह बढ़ रही थी। यह देखकर मैंने उनसे एक हाईस्कूल खोलकर चलाने को कहा। उस स्कूल का नाम 'स्वावलम्बन विद्यालय' रखने के लिए कहा। स्वावलम्बन का अर्थ यह लगाया कि विद्यार्थी अपने उद्योग से कमाकर अपनी फीस अदा करे। मैंने समझा कि काम के साथ साथ पठाई चलेगी, तो धीरे-धीरे नयी तालीम का बातावरण बनेगा। साथ ही वहों के तरुण मित्रों को उसके लिए आवश्यक 'सिखाई' हासिल करायी जा सकेगी।

इस प्रकार मेवापुरी में बुनियादी शिक्षा का पूरा रूप और रणीवों में उभका अधूरा रूप लेकर प्रयोग में लग गया। इसी बीच विलायत से

हिन्दुस्तान में 'वैविनेट मिशन' आया और आम विकास-समिति

चुनाव के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में फिर से काग्रेस

का अव्यक्त मन्त्रिमण्डल बना और मुझे फिर से फैजाबाद जिले की

विकास-समिति का अव्यक्त बनना पड़ा।

फैविनेट मिशन के स्पष्ट पर से देगवासियों को स्पष्ट प्रतीत होने लगा एक अब स्वराज्य दूर नहीं है। गाँवों में भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका भान

होने लगा। फलस्वरूप सरकारी विभागों के कर्मचारी १९३८ में भेरी बात जितनी सुनते थे, इस बार उससे अधिक सुनने लगे। इसलिए अपनी कत्पना के अनुग्राम प्राम-विकास का काम करने का अधिक अनुसर मिला।

बो-आपरेटिव विभाग के बारे में १९३८ के मन्त्रिमण्डल के समय मेरा अनुभव अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार सारा काम को आपरेटिव के मार्फत चलाया जाय, इस विचार के आधार पर मैंने सहयोग-समितियों से मैं सानने लगा था कि जब तक गॉव के लोग मिल-कर किसी काम को नहीं उठाते हैं, तब तक देहातों में बोई काम नहीं हो सकता। इस विचार से मैंने पदित लालताप्रसाद तथा रामलाल को रणीवों के आसपास के गॉवों में सहयोग-समितियों बनाने की सलाह दी। उन दिनों जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कट्टोल रहने के कारण सहयोग-समितियों को काम भी काफ़ी मिल गया, लेकिन क्रमशः मैंने वह देखा कि कुछ गॉवों के अलावा वे समितियों गॉव के किसी किस्म के उत्पादन के काम में दिलचस्पी नहीं लेती। मैं इसका कारण हृतने लगा।

मैंने देखा कि जितनी सहकारी समितियों वनी थीं, वे गॉवभर के लोगों की नहीं थीं। वे भी 'भलमनइयो' में से कुछ ऊपर के तबके के लोगों की चीज बनकर रह गयी थीं। इन समितियों के दिलचस्पी में कभी सुख्य लोग वे ही थे, जो अग्रेजी साम्राज्यवाद के दलाल का कारण रहे थे। वे ही लोग आज भी सरकार की ओर से होनेवाले सारे कामों पर कञ्जा कर लेते हैं और उसके जरिये अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। इस स्थिति का और भी गहराई से अव्ययन करने के लिए मैं जिलेभर के देहातों में घूमने लगा। जितनी ही गहराई में गया, उतना ही सुझे लगा कि हम लोग सुधार का जो कुछ भी काम करने हैं, वह सब गॉव के शोषक तथा अत्याचारी वर्ग को मजबूत करने में ही लग जाता है। पुलिस और अधिकारी भी उसी वर्ग के

होने के कारण अन्याय में उनका ही साथ देते हैं। कांग्रेस का राज्य था, में कांग्रेस का प्रसुख कार्यकर्ता था, मन्त्रिमण्डल में तथा विधानसभा में सब मेरे मित्र थे, मेरे प्रति उन सबका आदर था, तत्कालीन मुख्य मंत्री पन्तजी का मेरे प्रति विशेष स्नेह था, लेकिन देहाती अन्यायों का निराकरण करने में मेरे असमर्थ था। बीच-बीच में डॉकटर काटजृ साहव तथा सरकार के दूसरे मित्रों से चर्चा करता, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता था। मैं सोचता था कि अभी तक पक्का स्वराज्य नहीं है, इसलिए अधिकारियों पर हमारा उतना दखल नहीं है। लेकिन एक दो माह के भीतर ही पक्का स्वराज्य हो जाने के बाद भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ा। कोशिशें बहुत कीं, पर सब निष्पल रहीं।

अग्रेजी राज्य में कांग्रेस की ओर से हम लोग किसान और मजदूरों को न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। उस कोशिश में अग्रेजी सरकार हमारा दमन करती थी। पिर भी देहाती अन्यायों के प्रतिकार देहाती जनता की में हम जितनी मदद कर सकते थे, उतनी भी मदद मुमोक्षत आज हम अपने हाथ में राज्य प्राप्त करके भी नहीं कर पा रहे थे। इससे मुझे बड़ी ग़्लानि होती थी। अग्रेजी

राज्य में देशभर में कांग्रेस कमेटियों थीं। गरीब जनता टौडकर हमारे यहाँ आती थी। हम लोग जन-शक्ति का सगठन करके उसकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करते थे। हम लोग एक प्रकार से उम शोपित वर्ग के मॉ वाप बन गये थे। लेकिन अग्रेजों के हटते ही उनकी जगह पर हम पहुँच गये। वे ही कर्मचारी, वही कार्य-पद्धति और इस कारण वही परिस्थिति। मैंने देखा कि जो लोग देहातों में गरीब जनता पर अत्याचार करते थे और उसके निराकरण की कोशिश करने पर अधिकारियों से मिलकर हमी पर दमन-चक्र चलाते थे, वे ही लोग अब कांग्रेस के सदस्य बनने लगे। मैंने देखा कि हमारे पुराने साथी अधिकारारूढ़ होकर जनता से पूर्वमर्पक खो रहे हैं और उनकी तकलीफों के प्रति उदासीन हो रहे हैं। इन तमाम कारणों से देहात की पीड़ित जनता एक प्रकार से असहाय

हो गयी। फलस्वरूप विदेशी राज्य से स्वदेशी राज्य में गरीब जनता को अधिक पीड़ित होना पड़ा। मैं अपनी असमर्थता देखकर सोचने लगा कि ऐसी हालत में इसमें रहकर क्या रुलै ? निश्चिन्त होकर नयी तालीम के प्रयोग में लग जाऊँ, तो मेरी गति का पूरा-पूरा सदुपयोग हो।

भाई केशवदेव मालवीय उन दिनों विकास-विभाग के पालिंयामेटरी सेक्रेटरी थे। यद्यपि डॉक्टर काटजू साहब उस विभाग के मन्त्री थे, फिर भी भाई केशवदेव ही उस काम को देखते थे। लखनऊ जाफर मैं उनसे मिला और उनसे अपनी मुक्ति चाही। उन्होने कहा . “ग्राम विकास के काम में आप ही लोग हमारी मदद नहीं करेगे, तो हम इसे कैसे चलायेंगे ? अब तक हम लोगों ने काम्रेस कमेटियों चलायी, आन्दोलन चलाया और अब जब रचनात्मक काम करने का मोका आया, तब आप लोग अलग हो जायेंगे, तो कैसे काम चलेगा ?”

भाई केशवदेव के कहने से मैं विकास-समिति का अव्यक्त बना रहा। कुछ उनके कहने से, कुछ यह भी सोचकर कि अभी-अभी हमें स्वराज्य

मिला है, इस समय यदि हम सबकी शक्ति इधर-उधर सहकार का विवर जायगी, तो सभव है, उससे देश का नुकसान प्रगति हो। यह समझकर मैंने इस दिशा में फिर से कोई आग्रह नहीं किया और काम चलाता रहा। जहाँ तक सम्भव था, मैं इस प्रयत्न में लगा रहता था कि काम में गौव के अधिक-से-अधिक लोगों का सहकार मिले।

सब कुछ हुआ, लेकिन ज्यो-ज्यो परिस्थिति का अव्ययन बढ़ने लगा, ज्यो त्यो मेरी वह मान्यता दृढ़ होने लगी कि वह स्वराज्य कहीं जनता का राज्य होने के बजाय किसी ऐसे गुट का राज्य भयकर स्थिति न हो जाय, जो देश की लोकगाही को मारकर तानाशाही का स्तप पकड़ ले। देश के पूँजीपति तथा गौव के शोपक लोग अपना सगठन दृढ़ करने लगे। हमारे अच्छे-अच्छे साथी, जो एक दिन बहादुरी के साथ आजादी के संग्राम में जूँ रहे

ये, वे भ्रम, मोह या लालच्चवश उनके चगुल में फँसते जा रहे थे। इस परिस्थिति को देखकर मैं घबड़ा गया। मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं थी। भागना पलायनवाट होता। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? दो-तीन माह ऐसा अनिश्चित चिन्तन चलता रहा।

दिसम्बर १९४७ में मैंने महसूस किया कि जनता को परिस्थिति का सीधे-सीधे ठिगर्डन कराना चाहिए। शुरू में मैं कुछ हिचका। ऐसा

लगाने लगा कि कहीं हमारे पुराने साथी इस कार्यक्रम जनता को से परेगान न हों। अन्त में विकास-समिति के अव्यक्त चेतावनी की हैसियत से जिलेभर का तूफानी टोरा करने का मैंने निश्चय किया। १९३८ के मन्त्रिमण्डल के दिनों में मैंने ग्राम-सुधार का जो काम किया था, उससे मुझे जिले की जनता का स्नेह प्राप्त था। इस बार कोई ८० सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को गॉव-गॉव के काग्रेस-जनों ने बड़े उत्साह से अपनाया। सरकारी विभागों के कर्मचारियों तथा काग्रेस-जनों ने मिलकर उस दौरे को खूब सफल बनाया। हर सभा में तीन से पाँच हजार तक की भीड़ होती थी। लियों भी बड़ी सख्ता में आती थी।

इन सभाओं में मैं गरीब जनता को चेतावनी देता था कि अग्रेजों के चले जाने से ही उनका स्वराज्य नहीं हो जाता है। अग्रेजों के चले जाने पर भी केवल एक स्वदेशी राज्यमात्र होकर रह सकता है, जिससे उनके शोषण का निराकरण नहीं हो सकता। मैं जनता को बताता था कि एक चतुर्मुख राधस पैदा होकर इस स्वराज्य को अपने कब्जे में कर सकता है। मैं समझता था कि अगर अपना काम-काज सँभालकर अपने स्वराज्य को अपने हाथ में नहीं करेंगे, तो वोखा खाना पड़ेगा। मैं कहता था : “जैसे खेत के मुकदमे में अपने खेत की अदालती डिगरी अपने हक में रहने पर भी कब्जा न मिलने का खतरा बना ही रहता है, उसी तरह डग्लैण्ड की पार्टमेण्ट से आपके हक में स्वराज्य की डिगरी मिलने पर भी आपके लिए कब्जा न मिलने का खतरा बना हुआ है।

समग्र ग्रामन्सेवा की ओर

अगर आप सतर्क नहीं होगे, तो जिदेशी पूँजीपति स्वदेशी पूँजीपतियों के साथ गुट बनायेगे और गॉव-गॉव में मौजूद पुराने साम्राज्यवाद तथा पूँजीवाद के दलालों के साथ मिलकर अब तक जो 'आपके तरफदार देशभक्त रहे हैं, उन्हे खरीटकर वा दूसरे उपायों से अपने चंगुल में फेंसा लेंगे। फिर जब वह राक्षस अपनी चारों भुजाएँ आगे बढ़ाकर प्रेम से आपका आलिगन करेगा, तो वह धृतराष्ट्र का ही आलिगन होगा।"

जिले की अस्ती सभाओं में जब मैंने ऐसा भाषण किया, तो सारे जिलेवालों के सामने एक नयी रोशनी आ गयी। गॉव-गॉव में इन वातों की जोरदार चर्चा होने लगी। लेकिन कठिनाई यह थी कि एक तरफ तो मैं अवेला था और दूसरी तरफ देश की सारी ग्रन्तियाँ थीं।

इस दौरे में असेम्बली के मेम्बर और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मेरे साथ रहते थे। मैंने देखा कि उन्हे इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, वल्कि वे खुश होते थे और बीच-बीच में जिन वातों 'किसानों को चेतावनी' पुस्तक की जानकारी मुझे नहीं थी, उसे सुझा भी देते थे। जिला को-आपरेटिव अफसर ने उन भाषणों के सार के साथ अपना एक लेख जोड़कर को-आपरेटिव विभाग की ओर से 'किसानों को चेतावनी' नाम की एक पुस्तिका भी छपवा दी। लेकिन प्रान्तीय अफसर लोग इससे भड़क उठे और उस अफसर का कैजावाद जिले से तबादला कर दिया गया।

तब से आज की स्थिति में कितना अन्तर है। आज नीचे का कोई भी अफसर ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इन दस सालों में नीचे से ऊपर तक कड़ी पूरी हो चुकी है। आज बड़े-बड़े नेता चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समाज की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथ में चली गयी है।

महीना बीतते न बीतते वापू चले गये। यह अच्छा ही हुआ। ईवर को यह मजूर नहीं था कि ऐसी महान् आत्मा इन वातों को देसे।

बापू के चले जाने पर तुम लोगों ने मुझे जवर्दस्ती चरखा-सघ का अव्यक्ष
बनाया। नवी जिम्मेदारी से मैं घबड़ाया जरूर, भविष्यवाणी सही लेकिन देहात की विवरताभरी स्थिति से दूर चले
उत्तरी जाने से मन को कुछ राहत जरूर मिली। १९५४ में मैं
एक बार फैजावाद गया था। इतने दिनों के बाद
जिले में पहुँचने पर सभी पुराने साथी मिलने आये थे। मिलते ही सबकी
जवान पर एक ही बात थी। “भाईजी जो कुछ कहकर गये थे, वह सब
आज विल्कुल सामने दिखाई दे रहा है।”

● ● ●

श्रमभारती, खादीग्राम

१४-३-'५८

वापू के जाते ही ऐसा लगा, मानो देश से रोजनी निकल गयी। सब लोग किकर्त्तव्यविमृद्ध हो उठे। वापू के राज्यकर्ता साथियों के सामने अनेक कार्यक्रम थे। देश की कितनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएँ थी। इसलिए वापू के अभाव का अन्धकार उन्हें कम महसूस हुआ, लेकिन वापू के रचनात्मक कामों को चलानेवाले हम लोग तो विलकुल ही दिक्-हारा हो गये थे। समझ में ही नहीं आता था कि आगे का कदम क्या हो। जो लोग राज्य सचालन कर रहे थे, उनसे जब हम चरखा आदि कार्यक्रम की बात करते थे, तो वे नाक सिकुड़ने जैसा भाव प्रकट करते थे। चोटी के कुछ नेता तो यहाँ तक कहते थे कि चरखा, ग्रामोद्योग आदि कार्यक्रम स्वराज्य की लडाई को समर्थित करने के लिए ठीक थे, लेकिन आज की दुनिया के लिए वे बेकार हैं। वापू ने जो समस्याएँ बनायी थी, उनके प्रति नेताओं के मन में हेय-भाव था। उनकी ये भावनाएँ वापू के सामने ही प्रकट होने लगी थी। उनके चले जाने पर हम लोग तो एकदम अनाय ही हो गये।

दूसरी ओर जब मै रचनात्मक सुस्थाओं की ओर दृष्टि डालता था, तो मुझे कुछ विजेप उत्साह नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि ये समस्याएँ

वेवी हुई लीक पर लध्यहीन गति से चलती जा रही वापू की सलाह की है। तुम जानती ही हो कि चरखा-संघ का नव सत्करण अवहेलना करने का वापू का प्रयास किस तरह असफल रहा।

^{४५} में गाधीजी के पास से लौटकर मैंने नव-सत्करण का विचार आश्रम के साथियों के सामने रखा था, पर उसमें मैं सफल नहीं हो

यका था। मैं अलग कहीं प्रयोग करूँ, इसके लिए उनकी मजूरी थी। आश्रम के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का हेरफेर करने के लिए वे तैयार नहीं थे। मैं अलग से प्रयोग करने को तैयार तो हुआ, लेकिन जल्दी ही मैंने महसूस किया कि एक ही सथा के अन्तर्गत भिन्न दृष्टि से काम चलाना सम्भव नहीं है, विशेषकर तब, जब सथा के मुख्य कार्यकर्ताओं की दृष्टि भिन्न रहती है। गांधी आश्रम ही नहीं, देश की अधिकांश खादी-संस्थाओं ने बापू की सलाह को रही की टोकरी में फंक दिया।

बापू चरखा-संघ के अव्यक्ष थे। इसलिए चरखा-संघ ने बापू का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार किया, किन्तु रूपयों में ढो पैसे की कीमत सूत के रूप में अदा करने के नियम को लागू करने के अलावा विकेन्ड्रीकरण तथा स्वावलम्बन की दिशा में कोई सक्रिय कठम नहीं उठाया। इस प्रकार चरखा संघ ने भी प्रकारान्तर से वही किया, जो दूसरी खादी-संस्थाओं ने किया था। वह भी उत्पत्ति-विक्री के रूप में शुद्ध व्यापारिक कार्य चलाता रहा।

इन तभाम कारणों से रचनात्मक संस्थाओं से भी मेरा समाधान नहीं होता था। गांधी आश्रम के मातहत में सेवापुरी में कुछ कर सकूँगा,

इसका भी भरोसा नहीं हो रहा था। मुझमें स्वयं इतनी विचार-मन्थन शक्ति नहीं थी कि स्वतंत्र रूप से नयी दिशा में कुछ कर सकूँ। मैं सोचता रहता था कि एक और तो देश के नेता सरकार को अपने हाथ में लेकर प्रतिक्ल दिशा में चलते रहे और दूसरी ओर हमारे जैसे मुट्ठीभर रचनात्मक कार्यकर्ता, जिनके सामने कोई क्रान्तिकारी लक्ष्य भी न हो, कहीं पर चरखा चलवाते रहे, कहीं एकाध घानी-केन्द्र खोल देया कहीं बुनियादी गाला चलाते रहे, तो इनमें से क्या परिणाम निकलनेवाला है और ये काम कितने दिन चलगे?

वहन सुनेता के आग्रह से उन दिनों रणीवों में कस्तूरखा-ट्रस्ट का काम जमाने में लगा था। मैं मानता था कि वह एक महत्व का काम है। उस सिलसिले में भी मैंने देखा कि इस रुदिग्रस्त समाज में छियों का

काम करना अत्यन्त कठिन है। फिर भी आवश्यक मानकर उसे चलाता रहा।

वे सब काम मैं कर रहा था और बड़ी दिलचस्पी और लगन के साथ कर रहा था, फिर भी दिमाग मे असमाधान बना रहा। इसलिए दिग्गज की खोज मे मेरा चिन्तन चलता रहा। कुछ ही दिनों मे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि इन सत्याओं के भीतर से ऐसी कोई नवी दिग्गज नहीं निकलेगी, जिससे चरखा-सघ के नव-सक्करण के रूप मे वापू ने जो स्वप्न देसा था, उसकी पूर्ति हो। बीच-बीच मैं यह खयाल भी जोरो से आता था कि सत्याओं के बाहर क्यों न निकलकर किसी गाँव मे चल जाऊँ और वापू की उस सेना मे क्यों न भरती हो जाऊँ, जिसके लिए वापू ने सात लाख नौजवानों की मौग की थी और चरखा-सघ ने जिनके लिए पाँच साल की वह सुविधा रखी थी कि पहले-पहल पूरे बेतन से शुरू करे, धीरे-धीरे घटाते हुए पाँचवे वर्ष मे उसे समाप्त कर दे। लेकिन गांधी आश्रम के साथियों का प्रेस तथा सत्या का भोह मुझे मजबूत रस्ती से जकड़े हुए था। इसलिए उसके लिए हिचक थी। सत्या की ओर से सेवापुरी की जिम्मेदारी भी थी। वह भी मुझे रोकती थी।

आखिर मैंने यह निश्चय कर ही लिया कि किसी गाँव मे बैठकर पूरे गाँव को ही आश्रम का रूप देने की कोशिश करूँ। एकाध ऐसा छोटा

गाँव भी मेरी नजर मे था। उन दिनों ग्रामदान का गोब मे बैठने स्वप्न देखना भी सभव नहीं था, और न आज की का विचार तरह ग्रामगाला का कोई स्पष्ट विचार ही मेरे सामने था। लेकिन सारा गाँव भिन्नकर गाँव की योजना बनाये, मिल-जुलकर अपनी उन्नति करे, इस उन्नति की प्रक्रिया मे बच्चे भी हो और उसीमे से नवी लालीम निकले आदि स्फुट विचार मेरे मन मे आते थे। क्या निकलेगा मे जानता नहीं था, लेकिन बैठने पर कुछ दरेगा, ऐसा मेरा विन्वास था। ऐसी मनोदण्डा मे सेवापुरी से रचनात्मक कार्यकर्ता-मम्मेलन मे जामिल होने के लिए वर्धा को खाना हो गया।

रास्तेभर इसी वात पर चिन्तन चलता रहा। सेवापुरी की जिम्मेदारी का ख्याल आया, लेकिन मैंने सोचा कि जिस तरह रणीवों में बैठकर अब तक सेवापुरी का सचालन करता रहा, उसी तरह उस गाँव में रहते हुए भी मैं वीच-वीच में सेवापुरी जा ही सकता हूँ। मेरे साथ सेवापुरी का 'अमरनाथ' था। सेवापुरी की बुनियादी शाला उसीके चार्ज में थी। मैंने उसे अपने मन की वात बतायी और पूछा कि क्या वह मेरे साथ बैठ सकता है? उसने अपनी तैयारी बतायी, तो मैंने करीब-करीब फैसला ही कर लिया।

सन् '४८ के मार्च का भवीना था। देश के कोने कोने से रचनात्मक कार्यकर्ता जुटे थे। पडित जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र बाबू आदि नेता भी पधारे थे। बापू के निधन के बाद 'पहला रचना-रचनात्मक कार्य-सम्मेलन' होने के कारण देशभर की कर्ता-सम्मेलन निगाह इस पर थी। सेवाग्राम पहुँचते ही तुम लोगों की जोरदार तैयारी देखकर मेरे खुश हुआ। धर्णभर के लिए स्थाल आया कि मैं जितनी निराशाजनक म्याति समझे हुए था, शायद उतनी निराशा नहीं है। बड़े नेताओं के आगमन से कुछ आगा अवश्य बैधी।

मैं तुम्हारे घर टहरा और पहुँचते ही बीमार पड़ गया। फलस्वरूप सम्मेलन की कार्यवाही में उपस्थित न हो सका। बुखार कुछ उतर जाने पर आखिरी दिन मैं उसमे पहुँचा। उस समय बड़े सर्वोदय-समाज नेता चले गये थे। केवल दादा (आचार्य कृपालानी) की स्थापना मौजूद थे। वहाँ जाकर देखा कि सारा सम्मेलन विनोदा की ओर देख रहा है। विनोदा ने भी लोगों की आशा की पूर्ति की। सर्वोदय-समाज की स्थापना का जो सुझाव उन्होंने दिया, वह मौलिक था। इतिहास में किसी भी युग-पुरुष के गिर्घ द्वारा इस प्रकार सगठनहीन सगठन की कल्पना नहीं की गयी थी। समाज रहे, सघ भी रहे, लेकिन तन्त्र न रहे। विचार का आदान-प्रदान

हो, आचार-विचार शासन पर छोड़ दिया जाय, यह एक मौलिक कल्पना थी। इतिहास में शासनहीन समाज की कल्पना की गयी है। अराजकता की बात भी काफी हो चुकी है। लेकिन उसके सक्रिय स्वरूप और विकास के मूल आधार का स्पष्ट चित्र इससे पहले कभी किसीने नहीं रखा था। विनोदाजी के सुझाव का अच्छा स्वागत हुआ। मुझे भी अच्छा लगा। दो-तीन दिन पहले वीमारी हालत में मित्रों ने मुझसे कहा था कि आप भी अपना कुछ सुझाव भेजिये, तो मैंने लिख भेजा था कि “जो भी सुगठन हो, वह सचालक न होकर मार्ग प्रदर्शक मात्र हो।” इसलिए भी जो कुछ तय हुआ, उससे मुझे बड़ा सन्तोष मिला। सोचा कि इस दिशा में नेतृत्व समवत् विनोदा ही लगे। इससे पिछली ग्लानि भी बहुत कुछ मिटी।

दूसरे दिन चरखा-संघ के टस्टी-मडल की बैठक हुई। वापू के बाद अध्यक्ष कौन हो? सब लोगों ने विनोदा पर जोर दिया कि यह जिम्मेदारी बे ही उठाये, लेकिन विनोदा ने इसे स्वीकार नहीं किया। तीन दिन तक अध्यक्ष की खोज होती रही। स्वीकार अन्ततः कृष्णदास भाई ने कहा : “अगर बड़े आदमी नहीं मिलते हैं, तो कार्यकर्ताओं में से ही कोई हो जाय।” उन्होंने मेरा नाम सुशाया। मैं अवाक् रह गया। मैंने कहा कि “वापू के चरखा-संघ को इस तरह हल्का नहीं बनाना चाहिए। देश में मुझे जानता ही कौन है?” लेकिन धोनेजी तथा अन्य लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि यह परम्परा कायम कर ही दी जाय। मेरे सामने सेवापुरी और रणीवों की जिम्मेदारी थी ही, और मैं गाधी आश्रम का कार्यकर्ता होने के नाते स्वतन्त्र भी नहीं था। साधियों ने कहा कि “विचित्र भाई यहाँ है ही, पूछ लीजिये और आप अध्यक्ष का स्थान सेवापुरी भी बना सकते हैं।” विचित्र भाई से पूछा। उन्होंने भी स्वीकृति देने की सलाह दी। फलत मैंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। ● ● ●

देशाव्यापी दौरा

: ७ :

सोनपुर स्थेन (द्वे न पर)

१९३५

चरखा-सघ का अध्यक्ष बन गया । वहन सुशीला पै को लिखा कि अब कस्तूरवा टस्ट की जिम्मेदारी लेना मेरे लिए सम्भव नहीं । वे उत्तर प्रदेश के काम को खुद ही सीधे संभाल ले । सेवापुरी की जिम्मेदारी मुझ पर यी ही, वहाँ मैं अपना मुख्य स्थान बनाऊँ, यह छूट चरखा-सघ के साधियों की ओर से रही । अतः मैं वहाँ से सेवापुरी लौट आया । इस बीच मे सेवापुरी का भी काफी कायापलट हुआ ।

वापू ने कायेस को सलाह दी थी कि आजादी के बाद वह सत्ता में न जाय, वल्कि अपने को 'लोक सेवक-सव' के रूप में स्थान्तरित करके

जनता मे फैल जाय और प्रत्यक्ष जन शक्ति का निर्माण वापू की अन्तिम कर लोकतन्त्र की सही शक्ति की स्थापना करे । वापू सलाह होते, तो शायद उनके अनुयायी इस दिशा में कुछ

करने की हिम्मत करते और कायेस का काफी बड़ा हिस्सा इस सुझाव पर अग्रल करता होता । लेकिन ऐसा नहीं हो सका और गाधीजी चले गये । कायेसवालो ने अग्रेजो द्वारा मिली हुई राज्य-सत्ता को जनता के हाथो मे छोड़ने की हिम्मत नहीं की । युग-युग मे और देश-देश मे हुआ है, स्वतन्त्रता-संग्राम । लेकिन ससार मे कही भी ऐसी मिसाल नहीं है कि स्वाधीनता-संग्राम मे जूझनेवाले दल ने विजय प्राप्ति के बाद सत्ता को अपने हाथ मे न लिया हो । इसलिए सत्ता को अपने हाथ मे लेकर देश की स्वतन्त्रता को संगठित करने की बात सोचना कायेस के लिए परम स्वाभाविक था । ऐतिहासिक लीक को छोड़कर नयी दिशा मे चलने की हिम्मत वापू जैसा युग-पुरुष ही कर सकता था ।

दूसरे के लिए यह निर्णय कठिन था। अतः कांग्रेस के नेतृत्व ने जो किया, वह परम्परा के हिसाब से ठीक ही था।

यद्यपि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी मर्यादाओं के अन्तर्गत जो किया, वह ठीक ही था, लेकिन उनमें से वहुतों के मन में यह बात खटकी।

जो लोग वापू के विचार को गहराई से समझते थे उत्तर प्रदेश में तथा उनके अधिक नजदीकी थे, उनमें इसकी ग्लानि लोक-सेवक-संघ भी थी। दादा (आचार्य झुपालानी) ऐसे लोगों में सुख्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 'लोक-सेवक-संघ' की

स्थापना का नेतृत्व लिया। उत्तर प्रदेश में रचनात्मक काम के लिए सब लोग एकत्रित हुए और उन्होंने 'लोक-सेवक-संघ' की स्थापना का निर्णय किया। दादा उसके अध्यक्ष हुए ओर भाई सादिक अली मन्त्री। उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टड्डनजी, राज्य के मुख्य मन्त्री श्री गोविन्दवल्लभ पत्त तथा अन्य मन्त्री लोग भी शामिल थे।

लोक-सेवक-संघ का मुख्य केन्द्र लखनऊ ही रखा गया, क्योंकि राजधानी होने के नाते सभी नेता वही रहते थे। शीघ्र ही महसूस किया गया कि जिस परिकल्पना के अनुमार लोक-सेवक-संघ की स्थापना हुई, उसका प्रधान केन्द्र शहर के एक भकान में दफ्तर के रूप में रहना नहीं ज़िंचता है। उसका स्वरूप किसी आश्रम का होना चाहिए। दादा ने गांधी आश्रम में प्रत्ताव किया कि सेवापुरी-आश्रम लोक-सेवक सब को दे दिया जाय और उसीको उसका प्रधान केन्द्र माना जाय। आश्रम ने प्रत्ताव करके ऐसा कर दिया। इस तरह सेवापुरी लोक-सेवक-संघ के अन्तर्गत हो गया। जिम्मेदारी लेने के लिए लोक-सेवक-संघ ने एक उप समिति बनायी और मन्त्री के नाते सादिक भाई आश्रम का सचालन करने लगे। इस तरह गांधी आश्रम की ओर से सेवापुरी की जिम्मेदारी का व्यव्हन मुझ पर से हीला हो गया। मैंने सादिक भाई से पूछा कि उन्हें मेरी हाजिरी की कितनी आवश्यकता होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि

अब वे खुद आश्रम के भीतरी कामों को देख लेंगे और करण भाई सरकारी सम्पर्क को सेभाल लेंगे। मैं कभी कभी एकाध बार आता रहूँ, तो परामर्श के लिए काफी होगा। रणीवों केन्द्र भी अब एक रजिस्ट्री शुदा संस्था हो गया था तथा रामलाल और उसके साथी योग्यता के साथ उसे चलाने लगे थे। अत. मे वहाँ की भी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से मुक्त हो गया था। इस प्रकार मुक्त होकर मैंने चरखा-सघ के काम को सेभालने का निर्णय किया और अपना मुख्य स्थान सेवाग्राम बनाया।

सेवाग्राम में रहते हुए मैंने देखा कि रचनात्मक स्थाओं और कार्यकर्ताओं में कार्य का क्रान्तिकारी लक्ष्य कुछ धीमा पड़ गया है। निष्ठा

और त्याग का अभाव नहीं था, लेकिन इष्टि राहत प्रस्ताव कार्यान्वित की ही थी। चरखा-सघ की इष्टि भी गरीबों को रोजी करने का निश्चय ढेने की ही थी। चरखा-सघ के नव-संस्करण से बापू

चरखा द्वारा शोधण-हीन तथा स्वावलम्बी समाज कायम करना चाहते थे, लेकिन सघ के कार्यकर्ताओं में ऐसी इष्टि और भावना नहीं थी। बापू के चले जाने के बाद इस्टी-मण्डल ने जो प्रस्ताव किया था, उसमें सघ के काम का पुनर्संगठन करने का लक्ष्य था। उस प्रस्ताव में ऐसा निश्चय किया गया था कि राहत के काम को प्रमाणित स्थाओं के हाथों में सौंपकर स्वावलम्बन के आधार पर चरखा-सघ के काम का संगठन किया जाय। इसलिए मैं हिम्मत करके सघ के प्रस्ताव पर अमल करने की दिशा में सोचने लगा।

किसी भी सघ के प्रस्ताव का अमल तभी हो सकता है, जब कम-से-कम उस सघ के मुख्य कार्यकर्ताओं की आस्था उसके लिए हो। आस्था-निर्माण के लिए यह आवश्यक था कि कार्यकर्ता विचार को स्पष्ट रूप से समझे तथा उसके अनुमार काम करने की आवश्यकता महसूस करें। मैं इस बारे में अपने साथी भाई धोत्रेजी तथा कुण्डासजी से परामर्श करता रहा। परामर्श से यह तय पाया कि सेवाग्राम में हर प्रदेश के दस-दस मुख्य कार्यकर्ताओं को लेकर एक विचार गिविर चलाऊ।

तदनुभार सेवाग्राम मे शिविर चला। उस शिविर में मैंने खादी के पीछे शोषणहीन समाज-रचना की कल्पना को विस्तार से समझाया। मैंने बताया कि शोषण के कारण वर्ग-विधमता पनपी सेवाग्राम में और वर्ग-विधमता के चलते सामाजिक शोषण का एक शिविर नाल्ल-निर्माण हो गया, जिसकी परिणति से थाज का मानव निश्चित रूप से ध्वनि की ओर दौड़ा जा रहा है। मैंने बताया कि यद्यपि इसका बोध सौ वरस पहले महान् ऋषि कार्ल-मार्क्स को हो गया था और उन्होंने इस भेद के निराकरण के लिए वर्ग-सघर्ष का दर्जन सासार के समक्ष प्रकट किया था, किर भी इस शोषण-प्रक्रिया मे निरन्तर वृद्धि ही होती जा रही है, वल्कि सघर्षजनित हिसा ओर द्वेष का दिन दिन अधिक सगठन होता चला जा रहा है। मैंने यह भी समझाया कि वर्ग-भेद जब तक नहीं मिटेगा और वर्ग-सघर्ष का निष्फल प्रयास छोड़कर मनुष्य उसका वैकल्पिक उपाय नहीं निकालेगा, तब तक सासार मे ज्ञानित नहीं हो सकती है। गाधीजी ने चरखा-सघ के नव-सत्करण की चर्चा मे कार्यकर्ताओं को उत्तादक वर्ग मे बिलीन होने को कहकर वर्ग-परिवर्तन का विकल्प उपस्थित किया है। उसे साकार रूप देना चरखा-सघ के कार्यकर्ताओं का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि वापू ने इस सिद्धान्त के अमल के लिए सबसे पहले चरखा-सघ के सामने ही यह प्रस्ताव रखा था। शिविर में आये सभी कार्यकर्ताओं को ये बातें अच्छी लगीं। वे अपने को कुछ पत्ता हुआ मान रहे थे। अब वे महसूस करने लगे कि वे भी किसी ज्ञानित के बाहक हैं। तमिलनाडु के मन्त्री भाई रामत्वामी मुझसे अलग भी बहुत-सी चर्चा करते रहे। वे कहने लगे कि “अफसोस है कि वे इन बातों को उस समय नहीं समझे, जब वापू थे; नहीं तो उनके सामने ही सघ द्वारा बहुत बड़ी ज्ञानित का बातावरण बनाया जा सकता था।” मैंने कहा : “सभी ईश्वर की माया है। थाज भी अगर हम इस दिग्गज मे कुछ कर सकें, तो बहुत होगा।”

कार्यकर्ताओं की प्रेरणा देखकर कुछ आशा वँधी। इतनी आशा

गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं में घूमकर नहीं बँधी थी। महाकोशल के जो कार्यकर्ता आये थे, उन्होंने भाई दादा भाई के नेतृत्व में यह निर्णय ही कर लिया कि अपने प्रदेश में जगह-जगह प्रभाणित खादी-सूखाएँ कायम कर खादी के व्यापारिक (उत्पत्ति विक्री के) काम को उन सूखाओं के हाथ सौंपकर वे गॉव-गॉव फैल जायेंगे और ग्राम-स्वावलम्बन की लक्ष्य-पूति में चरखे के काम को चलायेंगे। इन तमाम बातों से मैं खूब उत्साहित हुआ।

इस काम में मुझे पूज्य किशोरलाल भाई का भी आशीर्वाद मिला। किशोरलाल भाई से मेरा विशेष परिचय नहीं था। वैसे रणीवों में और

सेवापुरी में बैठकर काम करने के कारण मेरा परिचय किशोरलाल भाई बहुत कम आदमियों से था, लेकिन वहे आदमियों में का आशीर्वाद विनोदाजी तथा किशोरलाल भाई से नहीं के ही

वरावर था। वे मुझे जानते अवश्य थे, लेकिन उनसे कभी ग्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रहा था। दस दिन के शिविर में जो विवेचना की गयी, उसकी चर्चा वर्धा-परिवार में काफी थी। कृष्णदास भाई और दूसरे लोग इन चर्चाओं को वीच-वीच में उनके पास पहुँचाते रहे थे। मुझे मालूम हुआ कि उन्हे इन चर्चाओं में बढ़ा रस है। इससे मुझे बड़ी राहत मिली।

एक दिन कृष्णदास भाई उनसे मिलने जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ चल गया। मेरे पहुँचने पर उन्होंने मुझे खूब प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा : “दिग्गा ठीक है और आप इस दिशा में अवश्य आगे बढ़े।” उनसे बात करने से मेरा उत्साह खूब बढ़ा और फिर मैं वीच-वीच में उनसे चर्चा करने के लिए उनके पास जाता रहा। किशोरलाल भाई के साथ चर्चा करने से मेरी दृष्टि अधिक स्पष्ट हुई। बहुत सी बातों के बारे मैं मैं सोचता ठीक था, लेकिन मेरे सामने उनकी सिलसिलेवार कोई कड़ी नहीं थी। उनकी सूधम विद्लेषक दृष्टि ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिससे

और कई प्रश्नों पर मुझमे विचार की स्पष्टता आयी। बाद में उन्होंने मेरे विचारों को 'हरिजन'-पत्रों के द्वारा प्रसारित करने की भी चेष्टा की।

किशोरलाल भाई की वैज्ञानिक तथा विद्येषक दृष्टि को देखकर मेरे अवाक् हो जाता था। मुझे पश्चात्ताप होता था कि जब जेल से लैटकर सेवाग्राम मे दो महीने तक टिका रहा था, तब उस समय उनके सम्पर्क मे क्यों नहीं आया। वस्तुतः आज मैं जिन विचारों को व्यक्त करता रहता हूँ, उनका स्पष्ट बोध उन्हीं दो महीनों मे हुआ था। यदि उस समय किशोरलाल भाई के सम्पर्क मे आया रहता, तो विचार-प्रवाह के बीच-बीच मे पड़नेवाली गोठों मे न उलझता और न हधर-उधर ही कहीं भटकता। लेकिन जैसा कि तुम्हे मालूम ही है, मेरा स्वभाव हमेशा कुछ पीछे रहने का रहा है। इसलिए विना मतलब मैं कभी बड़े आदमियों के पास नहीं जाता था। बापू के पास भी तभी जाता था, जब जल्लरत होती। गप्पी तो मैं हमेशा रहा हूँ, लेकिन मेरी गप्प अपनी वरावरी के साथियों के तथा छोटे बच्चों के साथ ही चलती थी। इसी कारण १९४५ मे मैं इतने महान् दार्शनिक के सम्पर्क मे नहीं आ सका। आज वे नहीं हैं। यदि वे होते, तो आज सर्वोदय का विचार जिस प्रकार से विकसित हुआ है, उसकी गैर्ज वैज्ञानिक भाषा मैं सारी दुनिया मैं पहुँची होती।

सेवाग्राम का शिविर समाप्त हुआ और लोग अपने-अपने प्रदेश मे चले गये। उसके बाद जयपुर-काग्रेस का अधिवेशन था। सघ के प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ की प्रदर्शनी के भगठन मैं लग गये। जयपुर-काग्रेस मैं जयपुर-काग्रेस अधिवेशन मे प्रदर्शनी के बहाने देशभर के रचनात्मक कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। उन लोगों का आग्रह था कि उनके बीच मे चरखा-आन्दोलन की नयी दृष्टि स्पष्ट करें और प्रतिदिन प्रार्थना के बाद उसका विवेचन करें। तदनुसार मैं सुवर्त की प्रार्थना के बाद गाधी-विचार का विवेचन करने लगा। इससे रचनात्मक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। उनका आग्रह हुआ कि मैं एक अग्रिम भारतीय दंरा करें। चरखा-सघ के साथियों की भी ऐसी राय रही

कि केवल रचनात्मक कार्यकर्ताओं में ही नहीं, बल्कि जनता में भी इस वात का विवेचन होना चाहिए।

जयपुर-काग्रेस से लैटर्टे ही में अखिल भारतीय यात्रा के लिए निकल पड़ा। मुझमें इसके लिए बड़ी हिचक थी। सोचता था कि पता नहीं, मैं

लोगों के सामने अपना विचार ठीक-ठीक रख सकूँगा या देशव्यापी दौरा नहीं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करना एक वात है और चरखा-सघ के अव्यव के नाते देश-भर का दौरा करना दूसरी वात है।

तदनुसार मैंने गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर, आनंद्र, तमिलनाडु तथा केरल प्रान्तों का दौरा कर डाला। दौरे के बीच मैंने अपने सारे विचार लोगों के सामने रख दिये। मैंने बताया कि 'हुजूर' और 'मजूर' के रूप में उत्पादक-वर्ग तथा व्यवस्थापक-वर्ग के वर्गीकरण का निराकरण जब तक नहीं होगा, तब तक दुनिया से शोषण तथा निर्दलन का अन्त नहीं हो सकता और न सासार में शान्ति की स्थापना ही हो सकती है। मैं यह भी कहता था कि इस वैज्ञानिक युग में यदि शान्ति की स्थापना न हुई, तो मनुष्य-जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा।

इतिहास तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन तुम जैसे साथियों से जो कुछ सुन रखा था, उसके आधार पर मैं इस 'हुजूर-मजूर' के तत्त्व का कुछ ऐतिहासिक विवेचन भी करता था। बन्दर और विद्युती 'हुजूर-मजूर' का की कहानी के उदाहरण से मानव-समाज के शोषण का इतिहास बता डालता था। मनुष्य ने आपसी प्रतिद्वन्द्विता जनित अशान्ति के निराकरण के लिए राजपद का कैसे आविष्कार किया, राजपद की जिम्मेदारी चरितार्थ करने के बहाने किस तरह राजकर्मचारी वृन्द का जन्म हुआ और साथ सामन्तवाद का सगठन हुआ, वाद में औद्योगिक क्रान्ति के सिलसिले में कारखाने तथा व्यापार की वृद्धि के कारण किस तरह पूँजीवाद का सगठन

हुआ और अन्त मे पूँजीवाद तथा राज्यवाद के गठबन्धन से समाज की वागडोर किस तरह अनुत्पादक-वर्ग के हाथ मे चली गयी और आगे चलकर एक दुलैध मैनेजरवाद की सुष्टि हो गयी— इन सब बातों की विवेचना से मैं यह बताने की कोशिश करता था कि जिस तरह बन्दर ने रोटी कमानेवाली विल्डियों को सेवा देने के बहाने उनकी पूरी वी पूरी रोटी हड्डप ली और विल्डियो को भूखा रखा, उसी तरह राज्य, पूँजी तथा व्यवस्था की सम्भालने के बहाने हम लोग, जो कि शुद्ध मेहनत से एक भी रोटी का उत्पादन करने मे असमर्थ है, समाज की सम्पत्ति के अधिकार का उपभोग कर लेते हैं, और वे श्रमिक, जो उस रोटी के उत्पादन मे निरन्तर पसीना बहाते रहते हैं, रोटी के लिए मुहराज ही बने रहते हैं। इसी सिलसिले मे वर्ग-परिवर्तन की मीमांसा भी स्पष्टतर होती गयी।

इस दौरे से मेरे विचार मे भी स्पष्टता आती गयी। इस सिद्धान्त को द्विनियाद पर मे आर्थिक तथा राजनीतिक मीमांसा भी करने लगा।

अहिसक समाज की रचना के लिए राज्य-सम्भाल का लोप त्रिविध तत्व का होना चाहिए, जासन-मुक्ति के बगैर हिसा मुक्ति सम्भव

शास्त्र नहीं है, जासन-मुक्ति शोषण-मुक्ति के बिना असम्भव है और वर्ग विषमता के चलते शोषण-निराकरण हो ही

नहीं सकता है। इस त्रिविध तत्व का एक शास्त्र ही बना डाला, जिससे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अत्यविक प्रेरणा मिली। ससार की राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया वर्ग निराकरण से ही आरम्भ होती है। वर्ग-संघर्ष के विकल्प के रूप मे वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया का चित्र पाकर गांधीवादी कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साह मिला। उस दौरे ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं मे से पराजय की भावना निकालकर एक नया उत्साह पैदा कर दिया।

सारे देश की रचनात्मक सम्भालों मे गांधी विचारधारा के कान्ति-कारी पहलू के चिन्तन ने उनकी दृष्टि को समग्रता की ओर आकर्षित किया। चरखा-सब के कार्यकर्ता भी इस दिशा में सोचने लगे। इससे

चरखा-सघ के नव-संस्करण की ओर कदम बढ़ाना आसान हो गया।

मार्च सन् '४८ की बैठक में चरखा-सघ ने विकेन्द्री-नव-संस्करण की करण का जो प्रस्ताव किया था, उसका अमल आसानी दिशा में से होने लगा और विभिन्न प्रान्तों के रचनात्मक कार्यकर्ता अपने-अपने प्रदेश में नयी नयी संस्थाएँ बनाकर खादी का काम अपने हाथ में लेने लगे।

यह सब तो हुआ, लेकिन इस निरन्तर दौरे से मेरा स्वास्थ्य बिलकुल दूष गया। बात-बात में हाथ-पॉव कॉपने लगे और चक्कर आने लगे।

सेवानाम लौटते ही साथियों ने मुझे उरुलीकाचन उरुली में विश्राम भेज दिया। वहाँ बाल्कोवाजी के स्नेह के आश्रय में चार-पाँच महीने रहा। इसी बीच मैंने चरखा-सघ के कार्यकर्ताओं को पत्र लिखे। उनके जरिये मैंने देश के मध्यम-वर्ग को यह चेतावनी दी कि यदि वे समय रहते वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति में शामिल नहीं होते, तो वर्ग-संघर्ष की आग में जलकर खाक हो जायेगे। इसी समय मैंने 'आजादी का खतरा' शीर्षक एक पुस्तिका भी लिखी, जिसमें करीब-करीब उन्हीं बातों का विवेचन था, जिन्हे मैं अपने दौरे में कहा करता था। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद गांधीजी के विचार के अनुसार अगर देश का सगठन नहीं हुआ, तो आजादी ही देश के लिए किस तरह खतरा सावित हो सकती है, इसी बात का विवेचन उसमें था। इस पुस्तक से भी चरखा-सघ तथा दूसरी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली।

रचनात्मक कार्य और राजनीतिक दल

: ६ :

उत्तरीकांचन, पृष्ठा

२६३-५८

इस प्रकार मेरे चरखा-सघ के नव-संस्करण को अमल मेरे लाने के लिए विचार-प्रचार द्वारा अनुकूल बातावरण पैदा करने मेरे डेढ़ वर्षों तक पूरी एकाग्रता से लगा रहा। इस बीच सेवापुरी के जीवन मेरी पर्याप्त परिवर्तन हुआ। मेरे बीच-बीच मेरे वहाँ जाता अवश्य था, सलाह भी देता था, लेकिन मेरा चिन्तन सदा चरखे की नयी दृष्टि की ओर ही रहा। सेवापुरी-आश्रम लोक-सेवक-सघ के मातृहत भाई सादिक अली के सचालन मेरे चलता रहा और दादा (कृपालानीजी) उसका प्रत्यक्ष मार्ग-दर्जन करते रहे। परन्तु यह सिलसिला अधिक दिनों तक नहीं चल सका।

उत्तर प्रदेश मेरे लोक-सेवक-सघ की स्थापना वडे जोर-शोर से हुई थी। दादा के नेतृत्व मेरे उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी नेता उसके सदस्य बन गये थे, जो वापू के भक्त रहे हैं। वापू की अन्तिम इच्छा को पूरा करने मेरे इन लोगों मेरे व्याकुलता तथा गमीर्य की कमी नहीं थी। फिर भी उसके काम मेरे विशेष प्रगति नहीं हुई। कुछ बैठके हुई, लेकिन फल कुछ नहीं निकला।

मृत्यु के एक दिन पहले वापू ने जिस प्रकार के लोक-सेवक-सघ की स्थापना की सलाह दी थी, उस प्रकार का संगठन उत्तर प्रदेश मेरे नहीं हुआ। उन्होंने कायेस का स्वरूप बदल करके वापू की कल्पना उत्तर लोक-सेवक सघ मेरे रूपान्तरित करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि कायेस राजसत्ता अपने हाथ मेरे न ले और वह 'लोक-सेवक-सघ' के रूप मेरे गौव-गौव मेरे जनता की बीच फैल जाय तथा उनकी सेवा करके प्रत्यक्ष लोक-गति का निर्माण करे।

वापू की लोक-सेवक-सघ की कल्पना के बारे में उनके अनुयायी तरह-तरह के विचार रखते हैं। पर मुझे तो इस कल्पना के पीछे राजनीति-शास्त्र का एक नया अध्याय दिखाई पड़ा। राजतन्त्र की समाजिक वाद-लोकतन्त्र की स्थापना हुई। विभिन्न देशों में विभिन्न संविधानों के अनुसार विधानसभाएँ बनीं। विरोधी दल के स्पष्ट में आसकीय दल के सशोधन की बात भी सोची गयी। लेकिन समाज में प्रत्यक्ष लोकगाही की स्थापना नहीं हो सकी। विधानसभा राजनीतिक दलों का अखाड़ा बनी, राज्य-व्यवस्था नौकरगाही की बज्रमुष्टि में बनी रही। दर्शक की हैसियत से कभी इस राजनीतिक दल को, तो कभी दूसरे दल को प्रोत्साहित अवश्य करती रही, पर सत्ता पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रह सका। निस्सन्देह बापू जैसे युग पुरुष की दृष्टि से यह परिस्थिति ओब्ल नहीं रही होगी। उन्होंने लोक-सेवक-सघ की कल्पना द्वारा राजशाही के स्थान पर वास्तविक लोकगाही की स्थापना का दिशा निर्देश किया ही होगा, इसमें सन्देह नहीं। वस्तुतः बापू की लोकगाही की परिभाषा ही ऐसी थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि डग्लेड, जर्मनी, फ्रास, अमेरिका आदि तथाकथित लोकतान्त्रिक देशों में कहीं भी सच्ची लोकशाही नहीं है और जनता के कुछ लोग जासन-सत्ता में चले जायें, इतने मात्र से लोकगाही नहीं होती है, वल्कि जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से अधिकार के दुरुपयोग को रोक सके वहाँ लोकगाही होती है। अब प्रश्न यह है कि दुरुपयोग के अवमर पर जनता किसके नेतृत्व में विद्रोह करे ? देश के सभी जन-सेवक सत्ता के अग हों, तो जनता की स्वतन्त्र लोकसत्ता का नेतृत्व कौन करे और आवश्यकता पड़ने पर विद्रोह का नायक कौन बने ? निस्मन्देह इसके लिए ऐसा नेतृत्व आवश्यक है, जो पक्षातीत हो, जो सेवा करने के बाबजूद सत्ता का आकाशी न हो, जिसके बारे में जनता निस्सन्देह हो कि सेवा ही इसका एकमात्र धर्म है, जो जनता के किसी एक अग मात्र का प्रतिनिधित्व न करके सम्पूर्ण जनता का सेवक हो तथा उसके आहान के पीछे दलगत स्वार्थ न हो। पुराणों में सत्तावारी इन्द्र को कौन चुनौती

दे सकता था ? वही, जो इन्द्र के वरावर अथवा उससे अधिक तपत्या करने पर भी इन्द्रासन का आकाशी न होकर गण-देवता के रूप में गण के साथ ही रहता था ।

लोकतन्त्र के पुराने विचार के अनुसार विधानसभा के विरोधी दल को ही आवश्यकता पड़ने पर गण-विद्रोह का नायक बनना चाहिए ।

लेकिन वह ऐसा कैसे बन सकेगा ? जन-विद्रोह उसे विरोधी दल की कहते हैं, जिसमें सारी जनता शरीक हो । विरोधी दल स्थिति सारी जनता को कैसे शरीक करे ? वह जनता के अत्यन्त का प्रतिनिधि है याने उस पर वहुमत का भरोसा नहीं है । तो सारी जनता का नायकत्व वह कैसे करेगा ? इसलिए चालू लोकतन्त्र का विरोधी दल स्वतन्त्र लोकसत्ता का जामिन नहीं हो सकता ।

इसलिए वह आवश्यक है कि लोकसत्तात्मक राजनीति में गणतन्त्र की रक्षा के लिए नयी खोज हो । लोक-सेवक-सघ के रूप में तृतीय शक्ति की कल्पना पेश कर गाधीजी ने जनतन्त्र की रक्षा के लिए नयी सत्या का आविष्कार किया । यह सम्था निरन्तर जनता की सेवा करने पर भी सत्ता की आवाक्षा रखनेवाली न हो और न सत्ताधारी सत्या का कोई अग ही बने । वह जनता के प्रधानियोग की प्रतिनिधि न हो । उसका अधिष्ठान समग्र जनता के सेवक के रूप में ही रहे, ताकि समस्त जनता उसका विश्वास कर सके । तुम्हें शायद यह मेरी मनगढ़न्त कल्पना लगे, पर वात ऐसी नहीं है । उसके पीछे आधार है । मुख्य आधार तो वापू-विचार ही हैं । जेल से छूटने के बाद से ३० जनवरी १९४८ तक वापू के सानिध्य में रहने का मुझे जो अवसर मिला है, उसका आधार भी बड़े महत्व का है । मैं कह चुका हूँ कि उनके इन्हीं दिनों के समर्पक से मेरे विचार में स्पष्टता आयी थी ।

इस वीच की एक चर्चा विजेष उल्लेखनीय है । सन् '४७ के अन्तिम दिन थे । वापू के घनिष्ठ समर्पक के लोग दिल्ली में एकत्र थे । वापू की सभी रचनात्मक सत्याओं के कार्यकर्ता भी वहाँ थे । दादा (कृपालनीजी),

गकररावजी, डॉ० जाकिर हुसेन, प्रफुल्ल वाबू आदि नेता वहाँ उपस्थित थे। विभिन्न चर्चाओं में मुख्य चर्चा यह रही कि महत्वपूर्ण चर्चा स्वराज्य तो हो गया है, पर अब राष्ट्र निर्माण की दिशा क्या हो। कांग्रेस के राज्यकर्ता नेताओं ने गाधीजी के आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों को न तो अपनाया था और न वे उन्हे अपनाना ही चाहते थे। प्रब्ल यह था कि ऐसी हालत में उन लोगों का क्या कर्तव्य है जो निष्ठापूर्वक यह मानते थे कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बापू की वतायी दिग्गा में राष्ट्र निर्माण-कार्य हो सकेगा। आम राय यह थी कि गाधीवादी पक्ष को सत्ता में जाकर उसका उपयोग करना चाहिए। चर्चा गम्भीर थी और गाधीवादी नेता इस चर्चा में शामिल थे। मैं यत्यपि ये बल श्रोता ही था, तो भी अपने स्वभाव के अनुसार मैं इन चर्चाओं में से वैचारिक खुराक लेता रहा।

पर्याप्त चर्चा हो चुकने के बाद बापू पधारे। नेता लोगों ने बापू के सामने अपने मन की परेशानी जाहिर की। बापू ने सब सुना और अपनी दृष्टि उनके सामने रखी। उसका सार यही था कि इसके लिए सत्ता में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्ता में जाना नहीं चाहिए। वास्तविक शक्ति सत्ता के हाथ में नहीं रहती, वह तो जनता के हाथ में रहती है। जनता को इसका बोध होना चाहिए और बोध कराने का यह काम रचनात्मक कार्यकर्ताओं का है। जनता को आत्मशक्ति का बोध कराकर उसका सगठन ही रचनात्मक कार्य का व्येय है।

यह सब कैसे हो सकेगा, उसकी प्रक्रिया और कार्यक्रम क्या होगा, इत्यादि प्रश्नों पर भी पर्याप्त चर्चा हुई। तय यही हुआ कि सेवाग्राम में फरवरी '४८ के प्रथम सप्ताह में देशभर के रचनात्मक विधि का विधान कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो और बापू वहाँ अपनी योजना रखे। किन्तु विधि का विधान कुछ और था। ३१ जनवरी को बापू दिल्ली से रवाना होनेवाले थे, लेकिन ३० को ही चले गये।

वापू तो गये, लेकिन दिल्ली की वैठक से मुझ पर यह छाप पढ़ी कि वापू राज्य-सत्ता से भिन्न किसी प्रकार की स्वतन्त्र लोकशक्ति की खोज में थे। यही कारण है कि वापू के लोक-सेवक-सघ की कल्पना के सम्बन्ध में मेरी ऐसी धारणा वनी।

उत्तर प्रदेश में जो 'लोक-सेवक-सघ' बना, उसके पीछे ऐसी दृष्टि नहीं थी, यह मैं कह ही चुका हूँ। वापू ने तो उन लोगों के द्वारा लोक-सेवक-सघ की स्थापना की बात कही थी, जो सत्ता में न जाँच और सत्ता के अतिरिक्त तीमरी शक्ति का निर्माण करे। लेकिन इस लोक-सेवक-सघ में तो वे लोग ही थे, जो पहले से ही सत्ता में मौजूद थे। सत्तानिष्ठ तथा सत्ता में वैठे हुए व्यक्तियों द्वारा सत्ता-निरपेक्ष लोक-सेवा के कार्य से स्वतन्त्र लोकशक्ति का निर्माण कैसे हो सकता है? अतः उत्तर प्रदेश के लोक-सेवक-सघ की असफलता स्वाभाविक थी।

स्वतंत्रता मिल जाने पर राजनीतिक दलों द्वारा रचनात्मक काम शायद नहीं हो सकेंगे। वापू का कुछ ऐसा ही ख्याल था। उनकी एक दिन की बातों से मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ।

तुम्हे याद होगा कि दादा जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, तो उन्होंने अत्यन्त उत्साह के साथ कांग्रेस-संगठन द्वारा रचनात्मक काम करने की

कोशिश की थी। कांग्रेस की रचनात्मक उपसमिति कांग्रेस द्वारा बनी और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तरों पर रचनात्मक रचनात्मक कार्य विभाग भी बने। कुछ और छोटी छोटी समितियाँ बनीं, जो सरकार को रचनात्मक कामों के बारे में योजना देतीं। शिक्षासम्बन्धी योजना के लिए जो कमेटी बनी, उसमें डॉ. जाकिर हुसेन और आर्यनायकमज्जी थे।

१९४७ की बात है। वापू पटना आये हुए थे। स्वभावतः सभी रचनात्मक कार्यकर्ता वहाँ एकत्र थे। चरखा-सघ, तालीमी सघ आदि तमाम रचनात्मक संस्थाओं की वैठक रखी गयी थी। कई दिन वैठकें चलीं। और संस्थाओं का काम हो चुका था, चरखा-सघ की वैठक जारी

थी। हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि इस वीच आर्यनायकमंजी वापू में विदा लेने आये।

वापू ने पूछा “इतनी जलदी क्यों?” जवाब में नायकमंजी ने यह रुचना दी कि काग्रेस रचनात्मक समिति की ओर से उन्हें केन्द्रीय सरकार के गिरका-मन्त्री से मिलकर शिक्षा के बारे में योजना देनी है।

उनके पूछने पर नायकमंजी ने दादा की योजना कह सुनायी। वापू मुस्कराये। उन्होंने कहा : “प्रोफेसर से कहो कि रचनात्मक काम करने के लिए वह जगह नहीं है।” आगे चर्चा नहीं चली, लेकिन समझने के लिए वापू का इतना इंगारा ही काफी है। तुम्हें मालूम है कि दादा द्वारा प्रतिपादित काग्रेस रचनात्मक विभाग विशेष कुछ कर नहीं सका और आगे चलकर वह समाप्त हो गया।

१९५५ में छेवर भाई काग्रेस-अध्यक्ष बने। वे पुराने रचनात्मक कार्य-कर्ता हैं। इस काम के लिए उनकी निष्ठा सर्वविदित है। काग्रेस-अध्यक्ष

बनते ही वे भी काग्रेस के रचनात्मक विभाग का देवरभाई का संगठन करने में जुट गये। जिस समय उनका नाम प्रयत्न काग्रेस के अध्यक्ष-पद के लिए आया था, उस समय मैं सौराष्ट्र के सनोक्षा में होनेवाले अखिल भारतीय नवी तालीम-सम्मेलन में था। उसी समय उनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय हुआ। उनके मीठे स्वभाव ने मुझे आकर्षित किया और पहले परिचय में ही मित्रता हो गयी। स्वभावतः रचनात्मक विभाग के संगठन के बारे में वे मुझसे चर्चा करते रहे।

इन चर्चाओं के बीच एक बार मैंने छेवर भाई से कहा कि काग्रेस-संस्था पक्षगत राजनीति में इस तरह छूटी है कि उसके जरिये रचनात्मक काम के किये जाने में मुझे सन्देह है। लेकिन उनकी निष्ठा अटल थी। उन्होंने कहा : ‘काग्रेस संस्था से ही तो रचनात्मक काम हो सकेगा।’ मैंने दादा कृपालानीजी की असफलता का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि “उस समय की परिस्थिति से आज की परिस्थिति भिन्न है।”

मैंने भी अधिक चर्चा न करके यथासम्भव सहयोग देने की ही कोशिश की। लेकिन पिछले तीन सालों का अनुभव यही बताता है कि ऐसा प्रयत्न सफल नहीं होता।

ऐसे अनुभव पर मन में एक विचार आता है। आखिर रचनात्मक काम का उद्देश्य क्या है? अगर इसका उद्देश्य पिछड़े हुए देश का निर्माण

मात्र है, तो कांग्रेस-दल के हाथ में सत्ता रहते हुए नफलता क्यों अलग से रचनात्मक काम करने की उसे क्या आव- नहीं मिलती? व्यक्ता है? राज्य होने के कारण जिस सत्या के हाथ में देशभर के साधन मौजूद हैं, वह जिस रचनात्मक काम को करना चाहे, उसे सरकारी तत्र द्वारा तो चला ही सकती है, तो उसे अलग से रचनात्मक कार्यक्रम बनाने की क्या जल्हत है? अगर कांग्रेस सत्या यह समझती है कि सरकार जिस ढग से चलाती है, वह ढग ठीक नहीं है, तो सत्ताधारी दल द्वारा ऐसा समझना कहाँ तक ठीक है? अगर वह मानती है कि सरकार जो कुछ भी चला रही है, वह ठीक है, तो अलग कार्यक्रम न बनाकर उसी सरकारी कार्यक्रम को मजबूत बनाने में उसे हाथ बैटाना चाहिए। शासनालंड राजनीतिक सत्या द्वारा अलग में रचनात्मक काम की योजना बनाने के पीछे कुछ अन्तरिक्ष है, ऐसा मुझे लगता है। इस अन्तरिक्ष-घेरे के रहते सफलता कैसे मिल सकती है?

अब रही विरोधी राजनीतिक पक्ष की बात। वे लोग भी रचनात्मक काम करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं दीखता है।

इसके कारणों का भी पता लगाने की आवश्यकता है।

विरोधी पक्षों प्रबन्ध यह है कि विरोधी दल की वुनियाद क्या की स्थिति है? विरोध वैचारिक है या व्यक्तिगत? अगर वैचारिक है, तो विचार-भेद की वुनियाद क्या है? इर्लैंड में 'कन्जरवेटिव दल' तथा 'लेवर दल' के रूप में दो दल हैं। उनमें आर्थिक वुनियाद पर विचार-भेद है। कभी-कभी विचारगत और व्यक्तिगत—दो में से एक भी न होकर—राज्य चलाने के बारे में मतभेद पर भी पत बन

सकते हैं। जैसे, इंग्लॅड के 'कन्जरवेटिव दल' और 'लिब्रल दल' या अमेरिका के 'रिपब्लिकन दल' और 'डेमोक्रेटिक दल'।

इस सन्दर्भ में भारत के विभिन्न दलों पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ कायेस दल, समाजवादी दल, साम्राज्यिक दल तथा कम्युनिस्ट दल हैं। साम्राज्यिक और समाजवादी दलों की भारतीय दृष्टि विभिन्न शाखाओं को में छोड़ देता है। कायेस के से विचार कथनानुसार उनका ध्येय भी समाजवाद है। कम्युनिस्ट दल का ध्येय भी समाजवाद है। पहले कम्युनिस्ट दल

आन्तिमय लोकतंत्रीय तरीके को नहीं मानता था। अब वह उसे मानने लगा है। इस प्रकार कायेस, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट दलों में वैचारिक भूमिका में विशेष भेद नहीं रह जाता है। काम करने के तरीकों में ही अन्तर है। ऐसी हालत में जब कम्युनिस्ट दल तथा समाजवादी दल राज-कीय कायेस दल के विरोधी हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा चलाये जानेवाले रचनात्मक काम को छोड़कर और कौनसा रचनात्मक काम हो सकता है? विकेन्द्रित अर्थनीति को कायेस तथा समाजवादी दोनों ही विशिष्ट मर्यादा में मानते हैं। कम्युनिस्ट भी उसे कुछ अंग में मानने लगे हैं। आज भारत में रचनात्मक काम मुख्यतः आधिक प्रश्न को ही लेकर है और वह भी वापू के कारण प्रधानत चरखामूलक है। कम्युनिस्ट पार्टी को इन बातों में आस्था नहीं है। समाजवादी और कायेस के लोग करीब-करीब एक राय के हैं। साम्राज्यिक दलों के सामने समस्या रचना की नहीं है, वल्कि उनका काम तो शायद उस रचना को संभालने का है, जो आज काल-प्रवाह से दूट रही है। अतः नयी रचना का प्रश्न उनके सामने नहीं आता। कुछ आर्तजनों की सहायता उनके दायरे में आ सकती है, लेकिन जन-कल्याणकारी राज्यवाद के युग में गैर सरकारी राहत के काम का विशेष महत्त्व नहीं रह जाता। ऐसी हालत में विरोधी दलों के लिए कोई स्वतन्त्र रचनात्मक काम बचता ही नहीं है।

तुम कहोगी कि कायेस, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट दलों के बुनि-

यादी विचार एक होने पर भी कार्य-शैली में कुछ अन्तर है और उस अन्तर के कारण वे स्वतन्त्र रूप से अपनी पद्धति से रचनात्मक कार्य-शैली में काम कर सकते हैं और उन्हे ऐसा करना चाहिए। अन्तर लेकिन ऐसा करने के लिए उनकी मानसिक तैयारी नहीं है। इस वैज्ञानिक युग में राज्य-निरपेक्ष स्वतन्त्र जन-शक्ति द्वारा राष्ट्र-निर्माण का कुछ भी काम हो सकता है, यह बात वे मानते नहीं हैं। राजनीतिक दल राजनीति पर ही विश्वास करेंगे। राज्य के बिना वे कोई नीति निर्धारित कर ही नहीं सकते। वे मानते हैं कि अपने विचार तथा अपनी नीति के अनुसार राष्ट्र-निर्माण तथा सचालन करने के लिए राज्य-सत्ता का अपने हाथ में होना अनिवार्य है। अतः राज्य-निरपेक्ष रचनात्मक काम के प्रति रुचि न रहना राजनीतिक पक्षों का स्वभाव धर्म है। इसलिए उनका समग्र चिन्तन तथा सम्पूर्ण शक्ति सत्ता को हाथ में लेने के सराठन में ही लगती है। अपने समय और शक्ति को दूसरे कामों में लगाकर उसका अपव्यय करना वे नहीं चाहते।

तुम कहोगी कि माना, यह बात सही है, फिर भी सत्ता हाथ में लेने के लिए उनके लिए रचनात्मक काम करना फायदे का होगा। कारण,

प्रत्यक्ष रचनात्मक कार्य द्वारा जनन्सेवा करने से उनकी रचनात्मक कार्य लोकप्रियता बढ़ेगी, तो उन्हे बोट भी ज्यादा मिलेगा। मैं वाधा क्यों? तुम्हारा यह विचार टिकनेवाला नहीं है। यह तब होता, जब व्यक्तिगत लोकप्रियता ही चुनाव की बुनियाद होती। हर पक्ष की यही निष्ठा है कि चुनाव व्यक्तिगत बुनियाद पर न होकर पार्टीगत बुनियाद पर होना चाहिए। वे व्यक्तिगत चरित्र के आधार पर बोट नहीं माँगते हैं, वल्कि पक्ष के घोषणा-पत्र के आधार पर माँगते हैं। हर पक्ष के लोग मतदाताओं को समझाते हैं कि उनके पक्ष की नीति से जनता को लाभ है, इसलिए अपने पक्ष के अद्दना-सा आदमी को भी बोट देने का वे आग्रह करते हैं।

तुम्हे याद होगा कि अखिल भारत सर्व-सेवा-सघ ने पहले चुनाव सम्बन्धी अपने प्रस्ताव में जब यह कहा था कि मतदाता सज्जन व्यक्ति देखकर, न कि पार्टी देखकर बोट डे, तो हर पञ्चवाले को इस प्रस्ताव से असन्तोष हुआ था। दूसरे चुनाव में सर्व-सेवा सघ ने जब आगे बढ़कर विभिन्न पक्षों के सदस्यों को यह सलाह दी कि वे अपने पक्ष के खराव आदमी को बोट देने के बजाय बोट एकदम न देना कबूल करें, तो विभिन्न पक्षों के लोगों का असन्तोष पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। ऐसी हालत में रचनात्मक कार्य से लोकप्रियता हासिल करना भी दलगत राजनीति के स्वर्धम में बैठता नहीं। इसलिए रचनात्मक काम के बजाय अपने दल का सगठन तथा वजन बढ़ाने में लगे रहना उनके लिए अधिक स्वाभाविक है। वजन बढ़ाने का मतलब है, उतने गोव में जो लोग वजनदार हैं उन्हे अपने पक्ष में करने की चेष्टा। इस पूँजीवादी, जातिवादी तथा जर्मादारी समाज में किनका वजन है, यह आसानी से समझ सकती हो।

वस्तुत रचनात्मक कार्य के बारे में हमारे देश में स्पष्ट चिन्तन नहीं है। वापू के प्रति श्रद्धा के कारण हर पक्ष के लोगों का उनके कार्यक्रम के प्रति आदरभाव है। इसलिए वे सब इन कामों के प्रति राजनीति में स्वर्धम शुभ कामना रखते हैं। जायद कुछ सहयोग भी करना से वाधा चाहते हैं। लेकिन राजनीति के स्वभाव और स्वर्धम के कारण वे प्रत्यक्ष कुछ कर नहीं पाते। जो लोग वापू के रचनात्मक कार्यक्रम में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, उन्हे भी स्पष्ट विचार करने की आवश्यकता है।

इसके लिए राज्य-संस्था के इतिहास पर धृष्टिपात करने की आवश्यकता है। आरम्भ में मनुष्य ने राज्य-संस्था का निर्माण इसलिए किया था कि आवश्यकता पड़ने पर वह उसका इम्तेमाल कर सके। राजा रक्षा के लिए ही था। यज में ताढ़का की तरह कोई विच्छ ढाले, तो उस स्थिति में राज्य का उपयोग था। धीरे-धीरे जनता अपने सुख और सुविधा के लिए राज्य

पर अधिक जिम्मेदारी सौंपने लगी और आज राज्य का स्वरूप रक्खाकारी मात्र न रहकर कल्याणकारी हो गया है। स्वभावतः आज की जनता की अपेक्षा यह है कि उसके समग्र कल्याण की तथा उसकी सारी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी राज्य की है। जनता का काम केवल इतना ही है कि वह राज्य-सचालक चुन दे और उसके हाथ आवश्यक साधन दे दे।

तुम कहोगी कि जनता केवल राज्य-सचालक नहीं चुनती है, बल्कि विरोधी दल के रूप में उनके लिए एक प्रहरी भी चुनती है। पर यह बात सही नहीं है। जनता प्रहरी चुनने की दृष्टि से किसीको वोट नहीं देती है। वोट राज्य-सचालन के लिए ही दिया जाता है। फिर जिस दल के प्रतिनिधि यथेष्ट सख्त्या में नहीं चुने गये, यानी जिस दल को बहुमत ने अयोग्य समझा, वह राज्य-सचालन का प्रहरी बना। भला सोचो तो सही कि तुम यदि किसी काम के लिए अयोग्य हो, तो उस काम के लिए दूसरे योग्य व्यक्ति की निरीक्षिका कैसे बन सकती हो ?

तो, आज का राज्य कल्याणकारी राज्य है। इसलिए जन-कल्याण की जिम्मेदारी उस पर है। जनता उस कल्याण-कार्य के लिए टैक्स देती है। फिर उसी काम के लिए स्वतन्त्र रचनात्मक संस्था की आवश्यकता क्या है ? आखिर हमारा रचनात्मक काम जनता के चन्दे से चलता है। जनता एक ही काम के लिए दुवारा टैक्स क्यों दे ? आज अगर देती है, तो केवल दान-धर्म की परम्परा के कारण, काम की वैचारिक मान्यता के कारण नहीं। जैसे-जैसे कल्याणकारी राज्यवाद का विचार स्पष्ट होता जायगा, वैसे-वैसे एक ही काम के लिए दुवारा कर देने का सिलसिला समाप्त होता जायगा। यह तो व्यावहारिक पहल है। सिद्धान्त की दृष्टि से भी जिस जन-कल्याण के काम को सरकार करती है, उसे हम सरकार से बाहर अलग बैठकर क्यों करें ? तुम कहोगी कि सरकारी लोग उसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम ही सरकारी लोग बनकर उसे अच्छी तरह से क्यों न चलायें ?

अतएव स्वतन्त्र कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपनी दृष्टि साफ कर लेनी चाहिए। स्वतन्त्र देश में हर व्यक्ति को इन तीन में से एक मिथ्यति स्वीकार कार्यकर्ता दृष्टि करनी चाहिए ।

साफ कर ले (१) अगर वे कल्याण-कार्य को ही मानते हैं, तो उन्हें कल्याणकारी राज्य में बुसकर उसे परिपुण करना चाहिए ।

(२) अगर वे मानते हैं कि जो लोग राज्य में हैं, उनके रहते यह काम अच्छी तरह से किया नहीं जा सकता है, तो उन्हें किसी विरोधी दल में शामिल होकर या अपनी दृष्टि से विरोधी दल का सगठन कर राज्य-भूता अपने हाथ में लेनी चाहिए ।

(३) इन दोनों वातों में जिनकी आम्भा नहीं है, उन्हें केवल कल्याण-कार्य में न लगकर नयी सामाजिक मान्यता को स्थापित करने के काम में लगाना चाहिए ।

पुरानी सामाजिक मान्यता के सन्दर्भ में केवल कल्याण-कार्य के लिए राज्य-निरपेक्ष स्वतन्त्र संस्था का कोई अर्थ नहीं है ।

श्रमभारती, स्थादीग्राम

११-४-१५८

सेवापुरी का ल्योक-सेवक-सघ असफल हुआ। सादिक भाई दिल्ली चले गये और वह केन्द्र फिर से गांधी आश्रम की शाखा बना। इस बीच चरखा-सघ के काम में मैं काफी व्यस्त हो गया। सघ के नये प्रस्ताव के अनुसार मैं विकेन्द्रीकरण की दिशा में लगा रहा। इस सिलसिले में देश का दौरा करने की आवश्यकता थी। सेवापुरी के काम को मैं देखता अवश्य था, लेकिन उसके लिए अपनी जिम्मेदारी मैंने नहीं मानी थी। केन्द्र के आश्रम में लौटने पर भी आश्रम के साथियों ने भी मेरी जिम्मेदारी नहीं मानी थी। लेकिन मैं वरावर वहाँ जाता रहा। करण भाई मुझसे जो भी सलाह चाहते थे, ले लेते थे।

सेवापुरी के काम के लिए सलाह मैं अवश्य देता था, लेकिन उसके वरे मेरे निर्णय नहीं कर पा रहा था कि इसका स्वरूप क्या हो। चरखा-

सघ के नव-स्स्करण के पीछे जो दृष्टि थी, गांधी आश्रम

सेवापुरी मेरे नवीनी की दृष्टि वह नहीं थी। उत्तर प्रदेश मेरे नयी तालीम प्रशिक्षण-केन्द्र का काम विलकुल नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने

सोचा था कि नयी तालीम का कुछ काम करने के लिए

सेवापुरी की उपयोगिता है। लेकिन आश्रम ने उस काम को बन्द कर दिया था। इसके अलावा गांधी आश्रम ने सेवापुरी की कोई विशेष उपयोगिता नहीं समझी और उसने उसके लिए खर्च करना भी उचित नहीं माना। ऐसी हालत मेरे करण भाई को यह सलाह दी कि वे सेवापुरी को सरकारी ग्राम सुधार के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण-केन्द्र बनायें। साथ ही साथ गांधी आश्रम अपने काम के लिए कार्यकर्ता शिक्षण की आव-

श्यकता यदि महसून करे, तो उन लोगों की ट्रेनिंग भी वहाँ पर हो। इस तरह सेवापुरी एक स्वतन्त्र क्रान्तिकारी केन्द्र न बनकर एक गैर सरकारी प्रगिक्षण-केन्द्र बन गया। बाट में गाधी-निधि की ओर से वहाँ नवी तालीम का भी काम चला। लेकिन मैं सोचता रहा कि आखिर इसका दुनियादी उद्देश्य क्या है तथा इसकी स्थिति क्या है? यह जिस स्था की गाला है, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। किसी नवी क्रान्ति का यह आधारभूत केन्द्र भी नहीं, इसे सरकारी केन्द्र भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह इसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं निखरता है। फिर भी देश के लिए वह उपगोगी स्था है। वह ठीक से चले, वह चिन्ता मुझे थी। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से जहाँ तक बन पड़ता था, मैं इसमें समय देता था।

इतने काम के लिए करण भाई की शक्ति पर्याप्त थी। १९३५ से वे मेरे साथ थे। मेरी दृष्टि को वे समझते थे और अपनी शक्तिभर उसे कार्यान्वित करते थे। इसलिए मैं निश्चिन्त था कि करण साथी कार्यकर्ताओं भाई इस काम को भलीभौति कर लेंगे।

से अपेक्षा **यहाँ साथी कार्यकर्ताओं के बारे में दो शब्द कह दूँ।** करण भाई उस काम को ठीक से चला लेंगे, वह विश्वास मुझे सिर्फ़ इसलिए नहीं था कि वे पिछले तेरह-चौदह साल तक हृव्यहृ मेरे विचार के अनुसार काम करते रहे और आगे भी करंगे, वल्कि इसलिए था कि मूल विचार के प्रति वे वफादार थे और काम अपनी समझ से करते थे। कभी-कभी मेरी राय और मेरे विचार के विरुद्ध भी वे जाते थे, लेकिन उसका कारण था स्वतन्त्र चिन्तन। उनके स्वतन्त्र चिन्तन का मुझे विश्वास था।

साथी कार्यकर्ताओं के बारे में हम अक्सर यह गलती करते हैं कि उनसे हमारी अपेक्षा यही रहती है कि वे हृव्यहृ हमारे निर्देश के अनुसार ही काम करें। दुनिया में किन्हीं दो मनुष्यों की भी दृष्टि, विचार या राय हृव्यहृ एक नहीं हो सकती। विचार और राय तो दूर की बात हैं, दो

मनुष्यों के अँगूठों के निजान भी एक-से नहीं होते। इसलिए यह बात मान ही हेनी चाहिए कि एक गोल के कई कार्यकर्ता जब जम-चिन्तन नहीं, एक साथ काम करते हैं, तो उनमें कभी एक ही मत नह-चिन्तन वा एक ही दृष्टि नहीं हो सकती। ‘सम चिन्तन’, ‘सम-मति’ जैसे शब्द एक प्रकार से कात्यनिक ही हैं। वस्तुतः दो मनुष्यों में ‘सम-चिन्तन’ नहीं होता है, ‘सह-चिन्तन’ ही हो सकता है और ‘सम-मति’ के बदले में ‘अनुमति’ ही हो सकती है। उसे ‘सहमति’ भी कह सकते हैं। इस बुनियादी तत्त्व को बढ़ि हम समझ ले, तो कार्यकर्ताओं के बारे में हमारी बहुत-सी समस्याएँ हल हो जायें।

करण भाई मेरे साथ रणीवों गये थे। उनका सामाजिक विचार पहले ने ही मेरे विचार से भिन्न था। कार्यगैली अलग थी। काम की दिशा भी भिन्न थी। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य एक था और वह करण भाई पर या—‘त्वराज्य-प्राप्ति’ और ‘राष्ट्र-सेवा’। समाज-क्रान्ति जिम्मेदारी के सन्दर्भ में इस उद्देश्य में कोई फर्क नहीं था। उसके लिए वे कोई भी कष्ट उठाने से पीछे नहीं रहते थे। मेरे प्रति उनका व्यक्तिगत प्रेम था और एक अनुज के नाते मतभेद होते हुए भी ‘अनुमति’ थी। हालोंकि शुरू में ही मैंने उनसे कह दिया था कि “तुम मेरे साथ चल नहीं सकोगे”, फिर भी तेर्इस साल से हम एक-दूसरे के साथ चलते आ रहे हैं। शुरू में ही मैंने उनके अन्दर की शक्ति तथा अद्वा की भावना देख ली थी और हमेशा उसके विकास की ओरिशन करता था। आज वे जिस कोटि की सेवा कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि उनके बारे में मेरा मूल्याकन सही रहा है।

करण भाई सेवा पुरी का काम केवल चला ही नहीं ले गे, वल्कि उसके स्वरूप को विकसित भी कर सकेंगे, इस विद्यास के साथ मैं सेवा पुरी का काम उनके जिम्मे छोड़कर चरखा-सब के नव-सत्करण के काम में पूरे तौर में लग गया।

श्रम विद्यापीठ, सर्वोदयनगर (पसना)

• पो० कोराँव, जि० इलाहाबाद

१३-४-१५८

चरखा-संघ की विकेन्द्रीकरण की योजना के अनुसार भारत के प्रायः सभी केन्द्रों को स्थानीय समितियों के मातहत स्वतन्त्र संस्थाएँ बनाकर उन्हें संैप दिया गया। तमिलनाड, केरल और आन्ध्र की स्थानीय समितियाँ जिम्मेदारी उठाने को तैयार न थीं, अत. वे केन्द्र चरखा संघ की देखरेख में ही रह गये। लेकिन केवल इतने से खादी के काम में किसी तरह का दिग्गा-परिवर्तन नहीं हुआ। कम-से-कम मुझे सन्तोष नहीं हुआ।

नयी संस्थाएँ खादी का उत्पादन और विक्री का व्यापारिक काम उसी तरह चलाती रहीं, जिस तरह चरखा-संघ चलाता था। चरखा-संघ

में ग्राम-स्वावलम्बन, स्वतन्त्र जन-शक्ति आदि वैचारिक विकेन्द्रित व्यवस्था चर्चा होती थी, लेकिन इन संस्थाओं में तो उसका भी अभाव हो गया। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण का यह तरीका खादी के काम को आगे ले जाने के बजाय पीछे की ओर ही ले गया।

वापू के सामने ही विहार को लेकर यह चर्चा चली थी कि चूँकि चरखा-संघ एक बड़ी केन्द्रित संस्था है, इसलिए वह नयी दिशा में मुड़ने में असमर्थ हो रहा है। यदि स्थानीय लोगों के नेतृत्व में हर प्रान्त में छोटी-छोटी संस्थाएँ बनें, तो वे आसानी से तथा स्वतन्त्रतापूर्वक अपने को बदल सकती हैं। विहार के मित्रों ने वापू के सामने ही अत्यन्त उत्साह के साथ अपने को विकेन्द्रित किया था। लेकिन वहाँ भी कुछ परिणाम नहीं दिखाई पड़ा। मेरे जिम्मेदारी लेने के बाद चरखा संघ में जितनी

वैचारिक भूमिका वनी, उतनी भी विहार से नहीं बनी। इस परिस्थिति को देखकर मेरे मन में शका उठने लगी कि प्रान्तों को अलग करके हमने मही कदम उठाया या गलत ?

लेकिन यह शका अधिक दिनों तक नहीं टिकी। मैं सोचने लगा कि जायद ईश्वर का यही विधान है। चरखा-सघ यदि विकेन्द्रित नहीं होता, तो क्या हालत इससे अधिक अच्छी होती ? केन्द्र द्वारा सचालित सत्था में बहुत-सा कानूनबाद अनिवार्यतः चलता है, जिसके कारण नीचे के कार्यकर्ता अपनी प्रेरणा से बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो मैं यह मानकर सन्तोष करने लगा कि अगर प्रान्तों को विकेन्द्रित नहीं किया गया होता, तो चरखा-सघ के मातहत काम चलाने पर वैचारिक भूमिका में परिवर्तन होता या नहीं, इसमें सन्देह ही था। वापू के सामने जो चीज़ नहीं हो सकी, वह मेरे जैसा छोटा आदमी करा लेगा, ऐसा सोचना भी कल्पनातीत था। इसलिए काम के स्वरूप में यदि परिवर्तन नहीं हो सका, तो कम-से-कम इतना तो हुआ कि प्रान्तों द्वारा स्तर की प्रेरणा, नेतृत्व तथा व्यवस्था से काम चल गया। इसलिए मैं यह सोचने लगा कि यह भी विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन की दिशा में एक छोटा-सा कदम ही है।

विकेन्द्रीकरण की इस योजना से काम का स्वरूप बदलने की दिशा में विशेष लाभ न होता देखकर इस काम से मेरा उत्साह हट गया और

मानसिक परेशानी बढ़ गयी। मन में यह प्रश्न उठने निरुत्साह और

मनोमथन से स्वराज्य प्राप्त करने का जो स्वप्न वापू देखते थे,

वह क्या अव्यावहारिक था ? गहराई से विचार करने पर मुझे ऐसा नहीं लगता था, वल्कि उल्टे यह प्रश्न उठता था कि क्या चरखा गरीबों को कुछ काम देने मात्र का साधन है ? अगर ऐसा ही है, तो आर्थिक तथा राजनीतिक केन्द्रबाद के चलते केवल राहत के साधन के रूप में चरखा टिक संगेगा ! अगर लोग कपटा पहनने के लिए न कांत और केवल रोजी कमाने के लिए काते, तो उस कपड़े का क्या होगा ?

क्या केवल भूतदया से प्रेरित होकर करोड़ो गज कपड़े की खरीददारी चलेगी ? वापू ने तीस साल से खादी पहनने के पीछे जो भावना पैदा की थी, वह भावना आथिक तथा राजनीतिक आधार के बिना क्या कायम रहेगी ? मुझे तो ऐसा दीखता नहीं था । स्वराज्य-ग्राति के बाट कांग्रेसजनों के दिल से खादी की भावना घटती नजर आ रही थी । खादी-कार्यकर्ताओं का हाल भी कोई वेहतर नहीं था । वे खुद खादी पहनते थे, लेकिन परिवार के अन्य लोगों और बच्चों को खादी नहीं पहनाते थे । वे शायद खुद भी तभी तक पहनते थे, जब तक खादी-स्था मे काम करते थे ।

ऐसा होना स्वाभाविक था । कांग्रेस ने चरखा तथा खादी को उसके मूल-विचार के सन्दर्भ मे नहीं अपनाया था । उसने तो चरखे को वापू के

नेतृत्व की कीमत ही मानी थी । तुम कहोगी कि कांग्रेस वापू के नेतृत्व की जैसी बड़ी स्था के बारे मे ऐसा अनुमान करना ठीक कीमत नहीं है । लेकिन यह मेरा अनुमान-मान्त्र नहीं है । इस प्रकार के अनुमान के पीछे आधार भी है ।

कांग्रेस के अनेक बटे-बडे नेताओं के मुँह से असख्य बार इसी भावना को व्यक्त होते मैंने सुना है । वापू कांग्रेस सदस्यता के लिए सूत कातने की गति कभी भी मनवा नहीं सके थे, यह तो तुम्हे मालूम ही है । वे भी कांग्रेसजनों की इस भावना से भलीभौति परिचित थे । लेकिन एक व्यावहारिक क्रान्तिकारी के नाते वे चरखे को आगे बढ़ाने के प्रयत्न मे लगे थे । कांग्रेस की दृष्टि का बोध वापू को भलीभौति था—वह इस बात से प्रमाणित होता है कि १९४५ मे जब वापू सेवाग्राम मे चरखा सब तथा दूसरी रचनात्मक स्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेसजनों की चरखा-निष्ठा के बारे मे कहा था कि कांग्रेस थोड़े ही चरखे को मानती है, वह तो उसे मेरे कारण वर्दाश्त करती है ।

इस सिलसिले मे देशभरमे एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली है,

उसे मैं साफ कर देना चाहता हूँ। यह गलतफहमी सिर्फ आम जनता में ही नहो है, रचनात्मक कार्यकर्ताओं में भी काफी एक गलतफहमी मात्रा में है। मैंने जब देशव्यापी दौरा किया, तो उस समय कार्यकर्ताओं की बैठकों में और आम सभाओं में अक्सर ही लोग मुझसे प्रश्न करते रहे हैं कि “आज जो नेता देश की वागडोर सभाले हुए हैं, वे सब-के-सब गाधीजी के अनुयायी कहलाते हुए भी चरखा आदि वापू के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित न करके केन्द्रित उद्योगों का सगठन क्यों कर रहे हैं?” इस प्रश्न के पीछे वस्तुस्थिति का अज्ञान ही एकमात्र कारण है। इस देश में गाधीजी के सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ से पहले ही भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। यह एक राष्ट्रीय संस्था थी। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता इसका लक्ष्य था। गाधीजी के पहले राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए देश में अनेक प्रकार के प्रयोग हो चुके थे। माडरेट नेताओं द्वारा वैधानिक आन्दोलन और आतकवादियों द्वारा आतक फैलाने के कार्यक्रम की आजमाइचा हो चुकी थी। ये सब प्रयोग विफल रहे। तीसरे कार्यक्रम के अभाव में देश में निराशा फैल रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब गाधीजी असहयोग और सत्याग्रह का कार्यक्रम लेकर देश के सामने उपस्थित हुए, तो उन्हें इस नीति के पीछे आगा की एक किरण दिखाई पड़ी। सफलता में शका होने पर भी निराशा की स्थिति में देशवासियों को एक उपयोगी विकल्प मिल गया। वे महसूस करने लगे कि ऐसी असहाय स्थिति में गाधीजी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरुषार्थ का अवसर है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के उद्देश्य से वापू के असहयोग-आन्दोलन को अपना लिया। वापू अत्यन्त कुंगल सेनापति की भौति देश को क्रमशः सफलता की ओर बढ़ाते गये। इस सफलता के कारण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए गाधी-नीति पर कांग्रेस की आत्था ढढ होती गयी।

कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी राज्य से मुक्ति पाने के लिए गाधीजी की नीति को स्वीकार किया था, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि

उन्होंने गांधीजी की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्रान्ति की मान्यता को भी स्वीकार करलिया था। यो बारीकी गांधीजी की पद्धति से देखा जाय, तो लोगों ने राजनीतिक स्वतन्त्रता के क्यों स्वीकार लिए गांधीजी की पद्धति को परिस्थिति के कारण ही की? स्वीकार किया था, सिद्धान्त के कारण नहीं। द्वितीय महायुद्ध के समय श्री स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय नेताओं से समझौता करने के लिए एक मिशन भारत में आया था। उस समय कांग्रेस कार्यसमिति ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए गांधीजी को नेतृत्व से जो मुक्ति दी थी, वह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि भारतीय कांग्रेस राजनीतिक आजादी प्राप्त करने के लिए भी किस हद तक गांधीजी की अनुयायिनी थी।

विश्व में जार्ज चाशिंगटन, डी० वेलेरा, गैरीवाटडी आदि अनेक राष्ट्रनायकों ने स्वतन्त्रता संग्राम का सफल नेतृत्व किया है। इन नेताओं ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनायी हैं। उसी तरह से भारत में गांधीजी की भी एक विशिष्ट पद्धति रही है।

गांधीजी विदेशी राज्य का हटना अपनी क्रान्ति के लिए बन्यापि पहला अनिवार्य कदम मानते थे, फिर भी उनके लिए स्वतंत्रता साध्य नहीं थी, साधन थी। यही कारण था कि गांधीजी ने चरखा, ग्रामोद्योग, अख्युत्यता-निवारण, बुनियादी तालीम आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वतन्त्रता-संग्राम की बुनियाद माना था। और वे सत्याग्रह की पूर्वतेयारी में रचनात्मक कार्य को अनिवार्य घोषित करते थे। जहाँ इस प्रकार का काम नहीं होता था, बड़े-से-बड़े नेताओं के आग्रह के बावजूद वे सत्याग्रह-संग्राम की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए नेताओं को मूल सिद्धान्त के न मानने पर भी केवल सत्याग्रह की इजाजत पाने के लिए भी इन कार्यक्रमों का अनुमोदन करना पड़ता था। लगातार तीस साल तक इस प्रकार अनुमोदन करते-करते यह बात उनके स्वभाव में आ गयी थी।

कांग्रेस के वे नेता, जो कि वैचारिक भूमिका पर इन कार्यक्रमों के क्रान्तिकारी पहलू को नहीं भी मानते थे, जब निरन्तर इनका समर्थन करते थे, तो स्वयं उन्हे भी ऐसा लगता था कि वे वापू के मूल विचार को मान रहे हैं। कभी-कभी स्वयं वापू को भी ऐसा लगता था कि उन्होंने तीस साल में कांग्रेस को अपनी क्रान्ति के विचार में टाल लिया है। स्वराज्य-प्राप्ति के तुरन्त बाद कांग्रेस-सरकार से आग्रहपूर्वक यह कहना कि वह कपड़े की नयी मिले न खाले और पुरानी मिले की मरम्मत न करके उन्हे कमशा समाप्त कर दे, उनकी इस धारणा का एक प्रमाण है। कुछ ही दिनों में वापू ने यह महसूस कर लिया था कि उनके साथी कैबल राष्ट्रीय स्वाधीनता पाने तक के ही साथी रहे हैं, उनके द्वारा परिकल्पित स्वराज्य-स्थापना के साथी नहीं हैं। उनके बीच बीच के बज्जटों से ऐसा जाहिर होता था (जैसे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए स्वादी पहनने की शर्त हटा देने की सलाह दी थी, ताकि लोगों में ईमानदारी आ जाय)। इतना होने पर भी एक अत्यन्त आशावादी क्रान्तिकारी के नाते वे अन्त-अन्त तक कांग्रेस को अपनी क्रान्ति की ओर मोड़ने की आशा रखते थे। जिस दिन वे गये, उस दिन भी उन्होंने सलाह दी कि 'कांग्रेस सत्ता में न जाकर लोक-सेवक-संघ के रूप में परिणत हो जाय', यह इस आशा का उल्लंघन परिचय है।

इस गलतफहमी के निराकरण के लिए कांग्रेस के अस्ली स्वरूप की स्पष्ट घारणा आवश्यक है। मैं बता चुका हूँ कि कांग्रेस स्वतन्त्रता प्राप्ति का ध्येय रखनेवाली एक राष्ट्रवादी स्थिता थी। वह समाज-संयुक्त कार्यक्रम क्रान्ति के उद्देश्य से परिकल्पित तथा संगठित संस्था के बाद नहीं थी। विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक मान्यताएँ रखनेवाले व्यक्ति राष्ट्रीयता के आधार पर स्वाधीनता का समाम कर सकते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से सभी प्रकार के विचारवालों को स्वतन्त्रता प्रिय है। यही कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस में सामन्तवादी, पृजीवादी, सम्प्रदायवादी, समाजवादी तथा गांधी-विचारक

आदि सभी शामिल थे। स्वतन्त्रता प्राप्त करना सबके लिए समान व्येय था। जब तक भारत को आजादी नहीं मिली थी, तब तक इस प्रकार के भिन्न-भिन्न विचारवाले लोग कांग्रेस के अडे के नीचे डकड़े थे। आजादी मिलते ही सबका सयुक्त कार्यक्रम समाप्त हो गया। राष्ट्र-निर्माण के सन्दर्भ में सब अपने-अपने विचार के अनुसार सोचने लगे। समाज-चादियों ने अपना अलग ढल बनाया। कम्युनिस्ट सन् '४२ के आनंदोलन के समय से ही अलग हो गये थे। गांधीजी के बे अनुयायी, जो स्वतन्त्र जनगति के आधार पर समाज-निर्माण की बात सोचते थे, जनता के बीच चुपचाप रचनात्मक काम करने लगे। सम्प्रदायवादियों ने भी अलग होकर अपने अपने पक्ष बनाये। कांग्रेस में वे ही लोग रहे, जो राष्ट्रवादी थे। हर देश में राष्ट्रवादियों का ही बहुमत होता है। विभिन्न सामाजिक विचारक को सदा अत्यन्त अधिमत लेकर ही प्रारम्भ करना पड़ता है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि कांग्रेस के नये स्वरूप में भी देश का बहुमत ही शामिल रहे। यह सही है कि आज भी कांग्रेस में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो गांधी-विचार अथवा समाजवादी विचार रखते हैं और जो पिछले तीस वर्षों के पारिवारिक बन्धन के कारण कांग्रेस-परिवार में आज भी शामिल हैं तथा पूरी कांग्रेस को अपने विचार की ओर मोड़ने की कोशिश भी करते हैं। किन्तु कांग्रेस का मुख्य कलेवर आज शुद्ध राष्ट्रवादी है, जिसका व्येय राष्ट्रीय कल्याण है। अतः जो लोग कांग्रेस की आलोचना करते हैं, उन्हें कांग्रेस के स्वरूप के बारे में सही स्थिति समझ लेना चाहिए, ताकि गलतफहमी के कारण वे उसके प्रति अन्याय न कर दें।

कहना था कुछ, पर वहक गया किधर। अतः आज यहीं तक।

अम विद्यापीठ, सर्वोदयनगर (पसना)
पो० कोराँच, जि० इलाहाबाद
१६-४-५८

पीछे मैं बता चुका हूँ कि विभिन्न प्रान्तों में स्वतन्त्र सत्थाएँ बना देने से चरखा के नव-स्सकरण की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई। उन केन्द्रों का दौरा करके लौटने के बाद मैं कृष्णदास भाई तथा अन्य साधियों के साथ विचार-विमर्श करने लगा कि क्या यह नीति जारी रखनी चाहिए? मैं सोचने लगा कि बजाय इसके कि हम अपने काम को हस्तान्तरित करे, हमें उसके रूपान्तर की ही चेष्टा करनी चाहिए। तदनुसार खादी में विश्वास रखनेवालों द्वारा छोटी-छोटी समितियों का सगठन आरम्भ हुआ। इन समितियों का नाम कताई-मण्डल रखा गया।

कल्पना यह थी कि जहाँ कहीं पॉन्च या उससे अधिक ऐसे व्यक्ति मिल जायें, जो चरखे के विचार को मानते हों, उनके द्वारा कताई-मण्डलों का सगठन किया जाय। कताई-मण्डल के सदस्य अपने इलाके में चरखे का प्रचार करते थे। सप्ताह में एक दिन एक जगह एकत्रित होकर सप्ताह-भर के कार्यक्रम का सिहावलोकन करते थे तथा आगे की परिकल्पना बनाते थे। विचार यह था कि कताई-मण्डल जैसे-जैसे सुचारू रूप से सग-ठित होते जॉय, वैसे-वैसे उन्हे सहायता देकर वस्त-स्वावलम्बन के आवार पर समग्र सेवा-केन्द्र का सगठन किया जाय। वस्त-स्वावलम्बन की चेष्टा में जो कुछ अतिरिक्त खादी बन जायगी, उसकी विक्री चरखा-सघ तथा सम्बद्ध सत्था कर दे। मैं स्वयं दौरा करके तथा अखदारों के द्वारा इस विचार का प्रचार करता रहा। लेकिन इस प्रचार में मैं करीब-करीब

अकेला था और देश मेरी कोई स्वतन्त्र हस्ती नहीं थी। इसलिए यह आनंदोलन बहुत आगे नहीं बढ़ा। देश मेरे दो-तीन सौ कताई-मण्डलों का सगठन हुआ। कार्यकर्ताओं को उससे अच्छी दृष्टि अवश्य मिली, लेकिन यह कार्यक्रम सामाजिक विचार पर कोई असर नहीं ढाल सका। पिर भी मैं विवास के साथ अपना काम करता रहा।

जिन दिनों कताई-मण्डल का विचार चल रहा था उन्हीं दिनों मुझे एक अन्य प्रयोग की बात भी सूझ रही थी। तुम्हे मालूम है कि शुरू

से ही मैं यह मानता था कि कोई भी क्रान्ति कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं की अकेला नहीं कर सकता है। वह क्रान्ति की बात कर पवित्रों का सकता है। जीवन को क्रान्ति में शामिल नहीं कर प्रशिक्षण सकता है। और अगर वह ऐसा नहीं कर सकेगा, तो लोग क्रान्ति का विचार जान जरूर जायेंगे, लेकिन समाज में क्रान्ति नहीं होगी। इसलिए मैं यह चाहता था कि चरखा सब के कार्यकर्ता चरखे के क्रान्तिकारी पहलुओं को खुट तो समझे ही, अपनी पत्नी को भी इस विचार की ओर मोड़े। जिस समय सेवाग्राम में सभी प्रान्तों के मुख्य कार्यकर्ताओं का गिविर चल रहा था, उसी समय यह विचार मैंने उनके सामने रखा था। महाकोशल प्रान्त के सात-आठ कार्यकर्ताओं ने मेरे विचार का स्वागत किया। अपने प्रान्त के काम दूसरी स्थाओं को सोपकर समग्र ग्राम-सेवा की दृष्टि से काम करने के लिए उन्होंने नरसिंहपुर इलाके मे कुछ केन्द्र रख लिये। उन्होंने सपरिवार सेवा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और यह चाहा कि उनके परिवारों के शिक्षण की व्यवस्था कहीं पर हो।

कार्यकर्ताओं के इच्छानुसार नरसिंहपुर मे इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दादाभाई नाईक और उनकी पत्नी आनन्दी वहन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। जो कार्यकर्ता अपनी पत्नी को प्रशिक्षण में मेज़ने को ये, उन्हे अलग रहने के कारण कुछ आर्थिक सहायता भी दिये जाने का निर्णय किया गया। प्रशिक्षण का यह काम अच्छा चला,

प्रगति भी हुई। लेकिन दो साल के अत्यधिक श्रम के कारण मेरा स्वास्थ्य विलकुल गिर गया। मित्रों की राय से स्वास्थ्य-लाभ नरसिंहपुर में के लिए मैं उरुली काचन चला गया। मेरे उरुली प्रयोग काचन चले जाने के बाद वहनों का प्रशिक्षण-केन्द्र तोड़ दिया गया। मुझे लगा कि मैंने इसे शुरू करके ग्रायट गलती की थी। पर मेरा यह विश्वास अब भी कायम है कि कार्यकर्ताओं को सपरिवार क्रान्ति-कार्य करना चाहिए।

आज जब हमारी क्रान्ति ग्रामदान और ग्राम-स्वराज्य के दर्जे तक पहुँच गयी है, तो क्रान्तिकारी की सपरिवार साधना की आवश्यकता पहले से अधिक हो गयी है। आजादी के आन्दोलन में क्रान्ति में परिवार लियों पुरानी रुढ़ि के अनुसार चली और कार्यकर्ता भी शामिल हो आजादी के आन्दोलन में शामिल रहे, इससे कोई परस्पर विरोध नहीं था। कार्यकर्ता खुद रुढिग्रस्त रहते हुए भी स्वतन्त्रता-संग्राम का सैनिक बन सकता था। एक व्यक्ति सामन्तवादी, पूँजीवादी या अत्यन्त सक्रीण सम्प्रदायवादी होते हुए भी विदेशी गुलामी से मुक्ति का आकाशी हो सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही साथ रुढिग्रस्त तथा क्रान्तिकारी, दोनों नहीं हो सकता। और जब वह सम्पत्ति-विसर्जन तथा ग्रामदान का विचार लोगों को सम-आने जाता है, तो निसन्देह जो लोग ग्रामदान करेंगे, वे सब सपरिवार उस विचार में शामिल होंगे। अतः इसके प्रचारक को भी सपरिवार ही शामिल होना चाहिए।

यह पूछा जा सकता है कि क्या लियों अपना स्वतन्त्र विचार नहीं रख सकती? रख अवश्य सकती है और उन्हे रखना भी चाहिए, लेकिन विचार समझने के लिए उन्हे सयोजित अवसर मिलना चाहिए न। उन्हे अन्धकार में रखकर हम मान लेते हैं कि वे क्रान्तिविरोधी ही होती हैं।

करीब छह महीने उरुली काचन में रहकर कुछ स्वास्थ्य-लाभ करके फिर में अपिल भारतीय दौरे में लग गया।

● ● ●

कोसी-क्षेत्र के अनुभव

: १२ :

श्रम भारती, खादीग्राम

२-५-१५८

उसली काचन जाने के पहले मैंने विहार का दौरा किया था। उस दौरे में विहार खादी-समिति के प्रायः सभी प्रमुख केन्द्रों में भी गया था। उन दिनों मेरे मन में मिल-धर्मिकार की आवश्यकता का विचार चल रहा था। देश के विभिन्न प्रान्तों में रचनात्मक स्थाओं के कार्यकर्ताओं में मिल की चीजों के इस्तेमाल के बारे में कोई परहेज नहीं देखा। जिन स्थाओं में केवल ग्रामोद्योग का ही काम चलता था, वहाँ भी मिल का ही सामान इस्तेमाल किया जाता था। गाधी आश्रम में मैं बहुत दिन पहले से ग्रामोद्योगी वस्तुओं के व्यवहार पर ही जोर देता रहा था। मेरे अत्यधिक आग्रह के कारण गाधी आश्रम में चक्की का रिवाज चला था। वह भी विचार-निष्ठा के कारण कम, मेरे प्रति साधियों के स्नेह के कारण अविक था।

सारे भारत की रचनात्मक स्थाओं की एक ही हालत देखकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। आखिर लोग ग्रामोद्योग का काम क्यों चला रहे हैं?

क्या सिर्फ इसलिए कि वापू ने कहा था या गरीबों ग्रामोद्योग का को दो-चार पैसे की राहत पहुँचाने के लिए? रचनात्मक कार्यकर्ता अगर यह सब काम गरीबों को सिर्फ थोड़ी राहत पहुँचाने के लिए करते हैं, तो वे कहाँ

पहुँचेंगे? क्या वापू का जन्म केवल यही सन्देश सुनाने के लिए हुआ था? यह भावना तो सनातन काल से चली आ रही है। आज भी धार्मिक लोग एकादशी, पूर्णिमा के दिन गरीबों को राहत पहुँचाने का धर्म निवाहते हैं। क्या केवल इतने के लिए ही हजारों की तादाद में

समग्र ग्राम-सेवा की ओर

नौजवान त्याग करके गाधीजी के ज्ञाणे के नीचे इकट्ठे हुए थे ? अगर कहा जाय कि इसलिए नहीं हुए थे, उन्होंने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए त्याग किया था । अगर ऐसी बात है, तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद रचनात्मक काम क्यों किया जा रहा था ? जब मैं कार्यकर्ताओं से इस प्रकार के प्रश्न करता था, तो उनमें से अधिकांश लोगों पर कोई असर नहीं होता था । कुछ लोग गम्भीरता से विचार करते थे और कुछ लोग मुझे fanatic (पागल) कहते थे ।

विहार के दौरे में इस प्रकार के प्रश्नों से मेरा दिमाग उलझा हुआ था और मैं लक्ष्मी वावू आदि साथियों से इसकी चर्चा करता था । मेरा विहार में कार्यकर्ता की स्थानों को कम-से-कम भोजन-वस्त्र की वस्तुओं शिविर के लिए मिल का वहिष्कार करना चाहिए । लक्ष्मी

वावू, वजा वावू, रामदेव वावू तथा विहार खादी-समिति के दूसरे साथियों पर मेरी इस बात का बहुत असर हुआ । उन दिनों मैं सुख्यत दो ही बातें करता था : एक वर्ग-संघर्ष की असारता और वर्ग परिवर्तन की आवश्यकता एवं दूसरा मिल-वहिष्कार की अनिवार्यता । परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए मैं उसका जो गाधीवादी समाधान सुझाता था, उससे विहार खादी-समिति के कार्यकर्ता काफी प्रभावित हुए । वे चाहते थे कि वहों के कार्यकर्ताओं से मैं और गहराई से चर्चा करें । वे यह भी चाहते थे कि मैं विहार में कोई ऐसा केन्द्र खोलें, जहों वैचारिक मन्दर्भ में कुछ काम हो सके । इत्तफाक से हमारे एक कार्यकर्ता श्री तरुण भाई उन दिनों बीमार थे और उनके आराम के लिए लक्ष्मी वावू ने तिरील में इन्तजाम किया था । तरुण भाई ने वही रहते हुए कुछ काम करने की इच्छा प्रकट की । लक्ष्मी वावू ने भी ऐसा चाहा कि कुछ हो । सयोग मिल जाने से तिरील में ही केन्द्र बनाने का निर्णय मेने किया और वही विहार खादी-समिति के पचास मुख्य कार्यकर्ताओं का शिविर लेने की बात भी तभ पायी ।

विहार खादी-समिति के लोग बड़ी दिलचस्पी से जरीर-श्रम का काम करते हुए दिन-रात चर्चा में भाग लेते रहे। मैंने उन्हे समझाया कि उन्हें

निर्णय करना होगा कि वे खादी और ग्रामोद्योग का मिल-वहिष्कार का काम अर्थनीति के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से कर रहे समर्पण है या गरीबों को कुछ राहत पहुँचाने की इच्छा से?

अगर आर्थिक विकेन्द्रीकरण उनका लक्ष्य है, तो केन्द्रित उद्योगों को चलाते हुए क्या वह हो सकेगा? यदि नहीं हो सकेगा, तो यह आवश्यक है कि खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकर्ता भोजन-वस्त्र की सामग्रियों के लिए केन्द्रित उद्योगों का वहिष्कार करें। यह बात उनकी समझ में आ गयी और उन्होंने अपने वहाँ मिल-वहिष्कार का सकल्य कर लिया। इतना ही नहीं, वल्कि उसी समय से उन्होंने प्रान्तभर में इसका प्रचार भी शुरू कर दिया।

बापू ने जब चरखा-सघ के नव सन्करण की बात कही, तो सबसे पहले विहार के भाइयों ने ही उस योजना को अमल में लाने की बात कही थी। तटनुसार विहार चरखा-सघ सबसे पहले विहार में अनुरूप विकेन्द्रित हुआ था। उसके बाद विहार खादी-बातावरण समिति ने विकेन्द्रीकरण तथा त्वावलम्बन की योजना

चलाने के लिए अनेक प्रकार से कोशिश की थी। लेकिन उन दिनों देश में कोई वैचारिक बातावरण न होने के कारण उनकी चेष्टा सफल नहीं हो रही थी। मैंने देखा कि लक्ष्मी वालू के मन में इस बात की बड़ी रुलानि है। यही कारण था कि जब मैंने विहार का दोरा किया और जब उन्होंने मेरी विवेचना सुनी, तो वे गहराई से चर्चा करने को प्रेरित हुए थे। विहार की ऐसी रुचि और मनोभावना देखकर मैं काफी उत्साहित हुआ और विहार को विशेष रूप से समय देने लगा।

१९५१ में हमें आयी भौति कोसी-क्षेत्र में बाढ़ आयी और लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। अखबारों में उस क्षेत्र की देहाती जनता की असहाय अवस्था का वर्णन पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जाकर

अपनी ओंखों से देखना चाहिए। ऐसी निराशाजनक स्थिति में स्वावलम्बन तथा आत्म-निर्भरता की बात सुझायी जाय, तो लोग स्वभावतः उसे अपना लेंगे, ऐसा मैं मानता कोसी-क्षेत्र का दौरा था। इसलिए मैंने उस क्षेत्र की स्थिति का गहराई से अध्ययन करने की बात सोची। अक्तूबर-नवम्बर में डेढ़ महीने उस क्षेत्र में पदयात्रा करने का विचार मैंने विहार खादी समिति के गोपाल बाबू को लिख भेजा। उन्होंने निश्चित कार्यक्रम बनाकर मेरे पास भेज दिया। उन दिनों मेरा नियम यह था कि गाँव में जाकर किसी हरिजन के घर में ठहरता था। उस नियम के बारे में भी मैंने उन्हें लिख दिया।

चार-पाँच मील का ही पडाव रखा जाता था। पडाव पर हजारों की सख्त्या में लोग भापण सुनने आते थे और पचासों नौजवान साथ सुकर-

चर्चा करते थे। एक जिम्मेदार गाधीवादी समाज-जनता की क्रान्ति की बात करता है, वर्ग-निराकरण की बात करता है और उसकी प्रक्रिया उपस्थित करता है। वह औद्योगीकरण को मिटाने के लिए सरकारी कानून के अलावा वहिकार-आदोलन की बात करता है। लोगों को यह सब अजीव माल्य होता था। लोगों ने मान रखा था, ऐसी बात करना समाजवादियों का एकाधिकार है। वे मानते थे कि गाधीवाद एक श्रद्धा का विषय है। समाज की मान्यता में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चले, सिर्फ समाज में जो झट, भ्रष्टाचार आदि चाल है, वह मिट जाय। लोग ईमानदार रहे और गरीबों के प्रति दया की भावना रहे। इतना हो जाय, तो गाधीजी की कल्पना का समाज बन जायगा। सर्वसाधारण की तो बात ही क्या, बहुत से जिम्मेदार कार्यकर्ता भी मुझसे इसी प्रकार की चर्चा करते थे। खादी के तथा गाधीजी के विचारों में कुछ नयापन होने के कारण मेरी सभाओं में काफी तादाद में लोग इकट्ठे होते थे। खादी-समिति के तत्त्वावधान में सभाओं का आयोजन होता था, इसलिए महिलाएँ भी पर्याप्त सख्त्या

में आती थी। नये प्रकार के समाजवादी विचार के कारण समाजवादी नौजवान तो बड़ी सख्त्या में आते ही थे।

तुम्हें मालूम ही है कि सभाओं तथा गोष्ठियों में मेरे श्रोताओं से प्रश्न करने के लिए कहता हूँ। अत नाना प्रकार के प्रश्न मुझसे किये जाते थे, जिनमें चुनाव सम्बन्धी प्रश्न अधिक होते थे। समाजवादी नौजवान ऐसे प्रश्न अधिक करते थे।

चुनाव के बारे में स्वभाव से मेरे उदासीन रहता था। स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में कांग्रेस का सदस्य तो या ही, फिर भी कांग्रेस के

आतंरिक चुनावों में अधिक रस नहीं लेता था। अब चुनाव सम्बन्धी तो मैं कांग्रेस भी छोड़ चुका था। पक्षगत राजनीति प्रश्न के बारे में मेरा मत निश्चित हो चुका था। सर्व-सेवा-

सघ के सदस्य चुनाव में भाग न ले, यह प्रश्न सब के सामने मैं पहले ही रख चुका था। इसलिए चुनाव के सम्बन्ध में निरपेक्ष विचार प्रकट करता था। उस समय विहार में समाजवादी टल का जोर था। वे लोग समझते थे कि विहार में उनकी ही सरकार बनेगी। मैं जहाँ कही भी जाता था, तो उस टल के नौजवान बड़े विद्यास के साथ कहते थे कि कम से-कम विहार में तो समाजवादी टल की सरकार बनेगी ही। वे मुझसे तरह-तरह के सवाल करके अपने पक्ष में कुछ राय निकाल लेना चाहते थे। मैंने चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों को टालने की ही नीति रखी थी। एक जगह बड़ा दिलचस्प प्रश्नोत्तर हुआ।

आयठ नवम्बर का महीना था। चार महीने में भारतीय संविधान के अनुसार पहला आम चुनाव होनेवाला था। एक मनोरजक अतः चुनाव की चर्चा जोरों पर थी। समाजवादी प्रश्नोत्तर टल के युवकों ने एक सभा के बाद प्रश्न करना शुरू किया:

प्रश्न अगले चुनाव में आपकी राय में किसे वोट देना चाहिए? मैं वोटर की राय में जो ठीक हो, उसीको वोट देना चाहिए।

प्रश्न : लेकिन नेता लोगों को तो बताना चाहिए ?

उत्तर : नेता का स्थान वही है, जो स्कूल के अध्यापक का है। वह सालभर पटाता है, लेकिन परीक्षा के समय यह नहीं बता देता कि क्या लिखना है ? देश की भलाई-बुराई, समाज-व्यवस्था की स्फरेखा, आर्थिक परिकल्पना आदि के बारे में नेता भी जनता के गिक्षण में लगा रहेगा। बोट तो परीक्षा का भवन है। अमुक व्यक्ति को बोट देना चाहिए, ऐसा कहना तो परीक्षा में रटा देने जैसा है।

प्रश्न : लेकिन आपकी अपनी राय क्या है ?

उत्तर : मेरी राय यह है कि पक्षगत राजनीति ही देश के लिए हानिकारक है। अतएव पक्ष के आधार पर बोट न देकर व्यक्ति के आधार पर देना चाहिए और जिस चुनाव-क्षेत्र में जिस पक्ष का व्यक्ति अच्छा और सजन हो, उसीको बोट देना चाहिए।

प्रश्न : अच्छा, यह बताइये कि आपने पदयात्रा के बीच जो इतने लोगों से सम्पर्क किया, उससे क्या अन्यथा किया ? कांग्रेस के प्रति जनता की राय कैसी है ?

उत्तर : जनता की राय इतनी जल्दी नहीं समझी जा सकती है। उसके पेट में एक बात होती है, मुँह में दूसरी। इसलिए निश्चित रूप से राय नहीं ढी जा सकती।

इतने में प्रश्नकर्ता कहने लगा कि “आप कहना नहीं चाहते !” उसके बाद सभा विसर्जित हो गयी।

साना साने के बाद रात के समय एक स्कूल में ठहरा था। वहाँ तीस-चालीस युवक मिलने आये। वे सब समाजवादी टल के थे। मेरे

भाषण से वे काफी प्रभावित थे। वे अनेक विषयों पर जनता किसे बोट चर्चा करने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि पाश्चात्य देशी समाजवाद कितना अधूरा है और उसमें कहों-कहों तानागाही की गुजाइश है। अन्त में उन्होंने कहा : “अब तो आम सभा नहीं है। अब बताइये कि आपने परिस्थिति के

अध्ययन से क्या समझा ? क्या जनता काग्रेस के अत्यन्त विश्व नहीं है ? क्या विहार में समाजवादी सरकार बनने की सम्भावना नहीं दीखती ?” मैंने उनसे कहा कि “मुझे इसकी सम्भावना नहीं दीखती । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मतदाता अपने घर से काग्रेस को गाली देते हुए निकलेंगे, रास्तेभर उसे कोसते चलेंगे । बैलट वक्त के सामने खड़े होकर भी टस बार गाली देंगे, लेकिन पचां काग्रेस के ही वक्ते में डालेंगे ।”

युवकों को मेरी वार्तां से आन्चर्य हुआ । वे कहने लगे कि इतनी गाली देने का स्थाभाविक नहीं जा तो यह होना चाहिए कि दूसरी पार्टी को बोट देना चाहिए । मैंने उनसे कहा कि “आप जनता की कमौटी जैसे वस्तुस्थिति से अलग रहनेवाले पढ़े-लिखे लोगों का तर्क और होता है और जीवन-संग्राम में फँसी जनता का तर्क कुछ और ही । दोनों में फर्क है । जनता का तर्क अपने ढग का होता है और उसके अनुसार वह हिसाब भी लगा लेती है । वह आज के सत्तारूढ़ काग्रेस जन को देखती है और सत्ता-प्राप्ति की कोशिश करनेवाले आप लोगों को भी देखती है । फिर आपके आज के चरित्र और रवैया के साथ काग्रेस-जन जब सत्तारूढ़ नहीं ये और उसकी प्राप्ति में लगे हुए थे, उस समय के उनके चरित्र और रवैया का मुकाबला करती है । इस मुकाबले में आप हल्के पड़ते हैं । जनता का गणित इस प्रकार का होता है—

काग्रेस-जन सत्ता-प्राप्ति की चेष्टा में = १००% चरित्र ।

सत्ता में पहुँचने पर चरित्र में ४०% की हानि ।

अर्थात् सत्तारूढ़ काग्रेस-जन का चरित्र = $100^{\circ} - 40^{\circ}$ चरित्र = 60° चरित्र ।

दूसरी तरफ सत्ता-प्राप्ति की चेष्टा में आप लोग हैं । मान लीजिये कि आपका मूल्याकन वह 80% करती है । तो यदि आप लोग सत्ता में जायेंगे, तो आपका चरित्र $80^{\circ} - 40^{\circ} = 40^{\circ}$ होगा । ऐसी उसकी

मान्यता है। इसलिए काग्रेस से असन्तुष्ट रहने पर भी जनता काग्रेस को ही बोट देगी, ऐसा निश्चय मानिये।”

वे नौजवान अकब्रकाये तो ज़रूर, फिर भी बड़ी देर तक वहस करते रहे। मैंने उन्हें इन्द्र के उदाहरण से समझाया कि इन्द्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, पद का नाम है। जो कोई सबसे कठोर कठोर तपस्था तपस्था करेगा, उसे इन्द्र का पद मिलेगा। आप लोग करिये इतनी जल्दी इन्द्रपद पाने के चक्कर में न पड़कर काग्रेसवालों से अधिक तपस्था कैसे हो, उसकी चिन्ता करिये। उनसे अधिक जन-सेवा करिये।

दरभगा जिले के मधुबनी सबडिवीजन में मेरी यह पदयात्रा एक नया अनुभव थी। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद गौव-गौव में इस प्रकार घूमने का यह पहला अवसर था। ’४७-’४८ के बीच एक साल रणीबाँ की स्थिति मैं रणीबाँ अबद्ध रहा, लेकिन वहाँ के देहातों को से अन्तर हम लोगों ने अपने ढग से बना लिया था। इसलिए

उन दिनों की भारतीय ग्रामीण परिस्थिति का पूर्ण अनुभव रणीबाँ के आसपास के गाँवों से नहीं मिल सकता था। फिर बाड़-क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थिति विशेष प्रकार की थी। लोगों में निराशा थी। स्वराज्य-प्राप्ति से जो आशा बँधी थी, वह भी कुछ दिखाई नहीं देती थी। पहले जिन लोगों का सहारा था, वे ही आज अधिकार में चले गये। अधिकारियों के रवैये में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। लोग इन तमाम बातों को बयान करते थे। अगर उस इलाके में खादी-समिति के केन्द्रों का जाल बिछा हुआ नहीं रहता, तो लोगों की जैसी मनोवृत्ति थी, उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुर्दशा ही हो जाती। अत्यन्त निराशा के बातावरण में चरखा ही एकमात्र उनके लिए प्रकाश्तम्भ था। चरखा-सघ के अव्यक्ष के नाते लोग मेरा आदर करते थे, क्योंकि चरखे के लिए उनके मन में बड़ा आदर था।

जनता केन्द्रीय शासन-प्रणाली से इतनी ऊँई थी कि वह मेरे

ग्रामराज्य के विचार को अच्छी तरह समझने लगी। मैं उसे समझाता था कि अगर वे गॉव-गॉव में ग्रामराज्य स्थापित नहीं करेंगे ग्रामराज्य पर जोर और नौकरदाही के भरोसे रहेंगे, तो जनता के पास जो कुछ बचा-खुचा है, वह भी समात हो जायगा। जनता के सामने मैं नौकरदाही का चिन्ह खीचता था। मैं बताता था कि किस तरह एक-एक प्रकार की सेवा के बहाने एक-एक विभाग खुला हुआ है और हर विभाग में सैकड़ों लोग पतलून पहनकर ध्रुमते रहते हैं। मेरे जनता को समझाता था कि जब तक वह इन पतलूनधारियों को विदा नहीं करेगी, तब तक उसकी सारी सम्पत्ति का शोषण समात नहीं होगा। मैं यह भी बताता था कि नौकरदाही रूपी विराट्-फौज को पालने में, जनता का कितना आर्थिक शोषण होता है। मैं कहता था कि इसके निराकरण का उपाय कतार्ड-मडल ही है। कतार्ड-मडल आत्म-सगठन की शुरुआत मात्र है, लेकिन धीरे-धीरे गॉव की सारी समस्याओं का समाधान तथा व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अन्ततोर्गत्वा राज-कीय विभागों को समात करना होगा।

एक बाट-पीडित गॉव में एक सरकारी दवाखाना खुला था। मालूम हुआ कि उस दवाखाने पर २४००० रु० सालाना खर्च होता था, जिसमें दवा की मद में ३०००), ४०००) लगता था। इसका उदाहरण में जगह-जगह दिया करता था।

इस पदयात्रा से जनता को कितनी प्रेरणा मिली, यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन खादी समिति के कार्यकर्ताओं में नयी जाग्रति

बढ़वाय हुई। वे समझने लगे कि वे क्रान्ति का काम खादी-कार्यकर्ताओं कर रहे हैं। खादी के कार्यकर्ता अपने को हारा हुआ

में उत्साह मानते थे। वे समाजवादी लोगों को ही क्रान्तिकारी मानते थे। अब उन्हे महसूस होने लगा कि उनसे वे

सौ साल आगे हैं।

दूसरी ओर कायेस-जनों पर उलटा असर पड़ा। मैं जो केन्द्रवादी

राजनीति का विवेचन करता था, उसे वे अपने खिलाफ कहु आलोचना मानते थे। राजनीति-शास्त्र का वह एक मूल विचार कांग्रेस-जनों पर है, ऐसा वे समझ नहीं पाते थे। पहले भी जब मैंने उल्टा असर विहार का दोरा किया था, तो विहार के कांग्रेस-जन मुश्केने नाराज थे, अब तो वे और ज्यादा नाराज हो गये। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य तो होता ही था, दुःख भी होता था। उत्तर प्रदेश में जब मैं ग्रामों में अपने विचारों का प्रचार करता था, तब ऐसा अनुभव नहीं आया था। लेकिन विहार में ऐसा नहीं हुआ। वे मेरी वातों को अपने खिलाफ प्रचार मान वैठे। यह बड़े दुःख की वात है कि सत्ताधारी दल के सामान्य कार्यकर्ताओं का ही नहीं, वडे नेताओं का भी बौद्धिक स्तर इस प्रकार हो। मुझे इसलिए और ज्यादा दुःख होता था कि मुझे कांग्रेस-दल का कोई विकल्प नहीं दिखलाई देता था। ऐसी परिस्थिति तानाशाही की जननी होती है। लेकिन दुःख मानने से समाधान तो होता नहीं, इसलिए मैं निश्चिन्त था।

● ● ●

समग्र विद्यालय का जन्म

: १३ :

श्रमभारती, खादीग्राम

२५-६-'५८

१९४८ के रचनात्मक सम्मेलन में विनोदाजी ने सर्वोदय-समाज की कल्यना देकर रचनात्मक कार्यकर्ताओं को काफी प्रोत्साहित किया, यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ। उसीके साथ-साथ सर्व-सेवा-सघ का जन्म हुआ, यह तो मालूम ही है। उसके बाद विनोदाजी देव के विभिन्न स्थानों में यात्रा कर सर्वोदय-दर्शन पर प्रकाश डालते रहे। लेकिन रचनात्मक कार्यकर्ताओं के लिए कोई निश्चित नेतृत्व उपस्थित नहीं हो सका। उनमें पूर्ववत् निराजा तथा निक्रियता बनी रही। सर्व-सेवा-सघ बना तो जहर, पर विभिन्न स्थाएँ अपने टग पर ही अपना कार्यक्रम चलाती रहीं। उनके कामों में एकरसता नहीं हो पायी। इन तमाम कारणों से सेवाग्राम के सम्मेलन में से विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। रचनात्मक कार्यकर्ताओं के मन में व्याकुलता तथा उथल पुथल बनी रही।

१९५० में उडीसा के अगुल मे द्वितीय सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। वहाँ भी उचित नेतृत्व न मिलने के कारण कार्यकर्ता निराज ही लौटे।

वर्धा मे सर्व-सेवा-सघ की बैठक थी। शिवराम-कार्यकर्ताओं में पहली मे सम्मेलन होना तब हुआ। अकररावजी देव ने निराजा प्रबन उठाया कि विनोदाजी सम्मेलन मे हाजिर रहेगे या नहीं? विनोदाजी ने वहाँ जाने की अनिच्छा प्रकट की। तब अकररावजी देव ने यह प्रस्ताव रखा कि सम्मेलन न किया जाय। पिछले साल विनोदाजी की अनुपस्थिति से कार्यकर्ताओं को बड़ी निराजा हुई थी। इसलिए सबने इस बात पर जोर दिया कि विनोदाजी सम्मेलन मे अवश्य हाजिर रहे। अन्ततः विनोदाजी मान गये और सम्मेलन की

तारीखे निश्चित कर दी गयी। दूसरे दिन विनोवाजी ने अपना यह निर्णय सुनाया कि वे सम्मेलन से पैदल जायेगे। यात्रा की इस नवीन प्रणाली ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं में नवी दिल्लीसी पैदा कर दी। लोग बड़े उत्साह से शिवरामपट्टी पहुँचे और वहाँ पर विनोवाजी से प्रेरणा लेकर बाप्स गये।

उन दिनों हैदराबाद के तेलगाना जिले में अगान्ति की आग धधक रही थी। एक तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी के हिंसात्मक सगठन ने और

दूसरी तरफ से सरकारी दमन-चक्र ने वहाँ की जनता विनोवा की को त्रस्त कर रखा था। शिवरामपट्टी तक पहुँचकर तेलंगाना-यात्रा विनोवाजी ने आग्रह किया कि वे तेलगाना जाकर शाति का प्रयास करेंगे। वहाँ की भगावह परिस्थिति के कारण कुछ लोगों ने उन्हे वहाँ जाने से रोका, लेकिन वे नहीं माने और पैदल चल पड़े। यह यात्रा वैसी ही थी, जैसी वापू की नोआखाली-यात्रा।

विनोवाजी की तेलगाना-यात्रा और उसके फलस्वरूप भूदान की गगोत्री की कहानी आज देश का बच्चा-बच्चा जानता ही है। शान्ति का मार्ग खोजकर विनोवाजी सेवाग्राम लौटे।

सेवाग्राम आते ही उन्होंने वहाँ की स्थायों का आहान किया और उनसे कहा कि जहाँ वापू थे, जहाँ वापू द्वारा प्रतिष्ठित सारी स्थायों का केन्द्र है, जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता और अनेक नेता विनोवा का हैं, उस जिले से दुनिया को सबोदय का दर्घन मिलना चाहिए। वर्धा तहसील में सघन कार्य होना चाहिए और यह काम सभी स्थाएँ मिलकर करे।

विनोवाजी के आहान पर तमाम स्थायों की सम्मिलित समिति बनी और विनोवाजी के मार्गदर्घन में काम करने के लिए योजना भी बनी। वह सितम्बर का महीना था। उस समय हमारे अधिकाश कार्यकर्ता सेवाग्राम में मौजूद थे।

यह तो हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन एकाएक मालूम हुआ कि विनोबाजी पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए दिल्ली की ओर पदयात्रा करनेवाले हैं। यह सुनकर हमें बड़ा सेवाग्राम से अजीव सा लगा।

प्रस्थान दूसरे दिन विनोबाजी को विदाई देने के लिए हम सेवाग्राम-आश्रम गये। प्रार्थना आदि के बाद विनोबाजी ने यात्रा प्रारम्भ कर दी। उनके साथ तालीमी सघ के बच्चे कीर्तन करते हुए चल रहे थे, हम भी उनके साथ ही लिये। चरखा-सघ के सामने से सड़क जहाँ स्टेशन की ओर मुड़ती है, वहाँ से विनोबाजी ने सड़क छोड़ दी और पवनार की ओर मुड़ गये। वहाँ तक सबके साथ चलकर मैं रुक गया और सड़क पर बैठे हुए पुल पर बैठकर मैं देखता रहा कि यात्रा-दल किस तरह आगे बढ़ रहा है।

पहाड़ी रास्ता थोड़ी दूर चलकर नीचे की ओर चला गया है। अतएव यात्रा-टोली भी थोड़ी देर में अदृश्य हो गयी। लेकिन मैं बैठा-बैठा एका-

ग्रता से उस ओर देखता रहा। उस समय मैं क्या सोच क्रान्ति-यात्रा का रहा था, आज याद नहीं है, लेकिन एकाएक मेरे मन मे

श्रीगणेश विचार आया कि यह यात्रा साधारण नहीं है। इसका अन्त पण्डितजी से मिलने से ही नहीं होगा। गांधीजी

द्वारा परिकल्पित क्रान्ति का यह पूर्वभास है। इस यात्रा से देश में वापू की क्रान्ति निखरेगी, अर्थात् यह शुद्ध क्रान्ति-यात्रा है। क्रान्ति यात्रा का आरम्भ हो रहा है, इस बात की कल्पना से ही मेरा सारा अस्तित्व नाच उठा। मैं विहल-सा हो उठा। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ देर बाद मैं चरखा सघ में अपने कमरे पर लौटा और लेट गया। मैं सोचने लगा कि यह क्रान्ति जब निखरेगी, तब हम लोग कहाँ रहेंगे। मैंने इतिहास तो पढ़ा नहीं, प्रसगवश तुम लोगों से सुना जल्द है, लेकिन ऐसा लगता था कि आजादी के आन्टोलन का इतिहास ऑखों के सामने मानो चलचित्र जैसा गुजर रहा था। दादाभाई नौरोजी

ने स्वराज्य का मत्र दिया, गोखले आदि बड़े-बड़े नेताओं ने उसे संचा, यो आजादी का आन्दोलन चला। फिर १९०५ में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में एक नयी लहर आयी। इस लहर में वे नेता और कार्यकर्ता नहीं थे, जो गोखले के साथ थे। उन्हे 'माडरेट' कहा गया। तिलक के साथ नया नेतृत्व निर्माण हुआ। फिर आन्दोलन आगे चला। १९२१ में गांधीजी के कारण उसमें एक नयी लहर आयी। मैंने देखा कि १९०५ से १९०७ के आन्दोलन में जो बड़े त्यागी तथा महान् कष्ट उठानेवाले नेता और कार्यकर्ता थे, वे उसमें शामिल नहीं हुए। १९०५ में खुली सस्थाएँ भी साथ नहीं हुईं। उनके बदले नये नेता आये, नये कार्यकर्ता निकले और नयी सस्थाएँ खड़ी हुईं। मैं सोचने लगा कि गांधीजी का मत्र पाकर आगे बढ़नेवाले हम रचनात्मक कार्यकर्ता और हमारी ऐसी सस्थाएँ क्या विनोबाजी की क्रान्ति के बाहक बन सकेंगे? पिछले इतिहास के सदर्भ में मुझे ऐसा भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन चारा भी क्या था? विनोबा के साथ है कौन? वापू के क्रान्ति-वीज को सुभालनेवाले हमी लोग ही न? हम अगर इसके बाहन बनने में असमर्थ रहें, तो क्या निकलेगा?

ऐसे अनेक विचार मेरे मन में आते रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाय? फिर भी यह बेचैनी तो थी ही कि मौका आया है, तो कुछ करना ही चाहिए।

सोचते-सोचते १९२१ का चित्र सामने आया। मैं उन दिनों हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ता था। देज में आजादी के आन्दोलन की लहर उठी।

हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान उस लहर की लपेट में आ
मेरा गये; कौलेज से निकल पड़ा। किधर जाऊँगा, इसका
विचार-मन्त्र विद्यार्थी कोई पता नहीं था। गांधी आश्रम तथा कांग्री विद्यापीठ
नया खुला था। वहाँ दादा से मुलाकात हुई। हम
तीन-चार लड़के उनके साथ गांधी आश्रम में टिक गये। वाकी अधिकांश
भटक गये और अन्त में घूम-फिरकर फिर कौलेज में पहुँच गये। गांधी

आश्रम नया था और स्वभावतः उसमे नया विचार और नया जोड़ था। दादा जैसा तपस्वी गुरु उपलब्ध था। इसलिए आज भी क्रांति के सदर्भ में सोचने की वृत्ति रह गयी है। सोचा कि इस आन्दोलन में भी तो नये नौजवान आयेगे, भले ही उनकी सख्त्या थोड़ी ही हो। मैं सोचने लगा कि यह एक सूजनात्मक क्रांति होगी, तो ऐसा कौन-सा स्थान हमारे पास है, जहाँ तपे हुए नौजवानों के लिए नया विचार और नये जोश की खुराक ही उपलब्ध हो सके। अपने पास सेवाग्राम और सेवापुरी के केन्द्र ये। उस समय तक मैं देश की सभी संस्थाओं को देख चुका था। पर कोई भी स्थान मुझे जॉच नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि सम्भव है कि अब तक की निराजाजनित परिस्थिति के कारण इन संस्थाओं में जान न हो। विनोदा क्रान्ति में परिस्थिति का निर्माण कर दे, तो सम्भव है कि इनमे प्राण आ जाय। इस सम्भावना को सोचकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। लेकिन भीतर से कुछ समाधान नहीं हुआ और मेरा विचार-मन्थन जारी रहा।

मेरे मन मे यह प्रश्न उठा कि क्या ये संस्थाएँ आज की क्रांति की बाहक हो सकती हैं? सदेह तो था ही, वह बढ़ता ही गया। सोचा कि इनका जन्म जिस नक्षत्र मे हुआ, उस नक्षत्र का भी तो असर होगा। इनकी वैचारिक भूमिका तथा कार्यक्रम की वृष्टि राशीय ही होगी। ऐसी हालत मे ये समाज क्रांति का बाहन नहीं बन सकेगी, यह धारणा ढूढ़ होती गयी।

फिर यह भी ख्याल आया कि जिस तरह दादा जैसे लोगो ने १९२१ में जहाँ तहाँ बैठकर नयी-नयी संस्थाएँ बनायी, उसी तरह हममे से भी कुछ लोगो को आगे आकर नये केन्द्र बनाने होंगे। इसी तरह की चिन्ता मे कुछ समय बीत गया। एक दिन कृष्णदास भाई के साथ मैंने चर्चा की कि मुझे लगता है कि जिस क्रांति की बात मैं करता हूँ, उसके लिए हवा बन रही है। इसलिए यह जरूरी है कि चरखा-सघ के पास ऐसा शिक्षण-केन्द्र हो, जहाँ क्रान्ति के सदर्भ में आये हुए नौजवानों

को तालीम मिल सके। पिछले दो दाईं साल से मेरी प्रेरणा से कभी-कभी एक दो नौजवान विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर या नौकरी छोड़कर हमारे पास आने लगे थे। सबको तो मैं साथ नहीं रख सकता था, इसलिए मैं उन्हे खादी विद्यालय में भेज देता था, लेकिन वहाँ उन्हे भरपूर मानसिक खुराक नहीं मिलती थी और वे चले जाते थे। इस सम्बन्ध में चरखा-सघ के मित्र कई बार चर्चा कर चुके थे। इसलिए कृष्णदास भाई को भी इसमें दिलचस्पी थी।

इसी साल कृष्णदास भाई के मन्त्री पद की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वे उससे मुक्त हो चुके थे और भाई अण्णासाहब सहस्रबूद्धे ने उनका पद सभाल लिया था। मैंने उनसे कहा कि “अब तो समग्र विद्यालय तुम दफ्तर की जिम्मेदारी से मुक्त हो। हम दोनों की कल्पना मिलकर इस विद्यालय का सगठन करे। मैं गप चलाऊंगा और तुम उद्योग चलाना। इस तरह से हम दोनों एक-दूसरे के पूरक बनेंगे।” १९४५ में बापू ने भी चरखा-सघ के नव-स्स्करण के साथ-साथ श्रद्धेय नरहरि पारीख को आचार्य बनाकर खादी विद्यालय को बदलकर समग्र ग्राम सेवा विद्यालय की स्थापना की थी। चरखा-सघ में नव-स्स्करण का कार्यक्रम न चलने से स्वभावतः वह विद्यालय भी ढूट गया था। हम दोनों ने उसके बारे में भी चर्चा की और वही तय रहा कि हम लोग उसी चौज को फिर से पनपाये और खादी विद्यालय के स्थान पर समग्र विद्यालय खोलें।

कृष्णदास भाई से मैंने कहा कि वे तुरन्त चरखा-सघ की शिक्षा-समिति की बैठक बुलाये। शिक्षा समिति की बैठक बुलायी गयी। मैंने उसके सामने अपनी कल्पना रखी। विद्यालय का शिक्षा-समिति का स्वरूप क्या होगा, उसका अभ्यास क्रम क्या रखा निर्णय जाय, विद्यार्थियों की योग्यता क्या हो, शिक्षण की अवधि क्या हो, ऐसे अनेक प्रश्न उठे। अन्त में मैंने बताया कि आज देश में क्रान्ति की आवश्यकता है। जमाना क्रान्ति

का आह्वान करता है। इस आह्वान पर सहज रूप से जो लाग आयेगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जायगी और परिस्थिति के अनुकूल अभ्यास बनाया जायगा।

वोत्रेजी ने प्रबन्ध किया कि जो लोग ट्रेनिंग पूरी करेंगे, क्या उन्हें चरखा-सघ के कार्यकर्ता के रूप में वेतन देकर देहात में भेजा जायगा ? इसका भी निश्चित उत्तर देना बठिन था। अन्त में सदस्यों ने कहा कि “इतने व्योरे से क्या मतलब है ? आप और कृष्णदास भाई मिलकर जो कुछ करेंगे, वह ठीक होगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है !” यह कहकर समिति ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

बैठक खुलाने में कुछ समय निकल गया था। इस बीच मैंने कृष्णदास भाई तथा नन्दलाल भाई से चर्चा करके यह तय किया था कि सेवाग्राम का खादी विद्यालय मूल (चौटा जिला का केन्द्र, जहाँ शुरू में चरखा-सघ का विद्यालय था) या वारदोली स्थानान्तरित करके सेवाग्राम का स्थान खाली किया जाय और उसीमें समग्र विद्यालय खोला जाय।

पहले ऐसा तय हुआ था कि अक्तूबर-नवम्बर में दक्षिण भारत का दौरा करूँगा, परन्तु अब समग्र विद्यालय शुरू करने के लिए मैंने दक्षिण भारत का कार्यक्रम रद कर दिया और मैं विद्यालय की चिन्ता में लग गया।

शिक्षा-समिति की बैठक समाप्त होने के बाद भी वोत्रेजी दो चार दिन के लिए रुके रहे। शायद अण्णासाहब भी थे। हम लोग अक्सर नये

विद्यालय की चर्चा करते रहते थे। चरखा सघ के नव-साथियों से स्कूल के विचार को अमल देने में हम क्यों असफल विचार-विनिमय रहे, समग्र विद्यालय क्यों बन्द करना पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि इसका भी यही हाल हो ? ऐसी बातों की चर्चा होती थी। एक दिन धोत्रेजी ने कहा। “धीरेन्द्र भाई, जिस विचार और दृष्टि से आप खुद बैठकर विद्यालय को चलाना चाहते हैं, उसके लिए सेवाग्राम और वर्धा का बातावरण अनुकूल नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं दूसरी जगह नये सिरे से काम शुरू कीजिये।”

मैंने कहा कि “यहों कुछ सुविधाएँ हैं। यहों नयी तालीम, ग्रामो-योग, खादी, कृषि, गो-पालन आदि हरएक विषयों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। उनका लाभ मुझे हमेशा मिलता रहेगा।”

धोत्रेजी इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि “जिसे आप सुविधा मानते हैं, वही असुविधा का कारण होनेवाला है।”

मैंने कहा कि “अगर हमें क्रान्ति की दृष्टि से अपना सारा काम मोड़ना है, तो यहों के वातावरण को भी तो अनुकूल बनाना चाहिए।”

धोत्रेजी ने कहा : “आप इसमें क्या सुधार करेंगे ? जहों विनोबा असफल होते हैं, वहों पर आप सफल होगे क्या ? बल्कि इस चेष्टा में आप ही टूट जायेंगे। अच्छा यही होगा कि आप कहीं पर नये सिरे से नया निर्माण कीजिये।”

ये सब बाते होती रही और मैं सोचता रहा। धीरे-धीरे मेरे मन पर इन मित्रों की सलाह का असर होता रहा और मैं भी सोचने लगा कि कहीं दूसरी जगह जाकर काम करना चाहिए।

फिर भी मेरे मन में परिस्थिति की तीक्ष्णता की बात रह-रहकर घूम रही थी। विनोबाजी की यात्रा के दिन ही मैंने करण भाई को एक पत्र

लिख दिया था कि विनोबा की यह यात्रा सामान्य करण भाई को पत्र घटना नहीं है। इससे देश में एक नयी क्रान्ति होनेवाली है। उस पत्र में मैंने उन्हे यह भी लिखा था कि इस क्रान्ति-काल में बहुत से नौजवान इस ओर आकर्षित होंगे, उनके शिक्षण के लिए मैं किसी स्थान पर बैठने की बात सोच रहा हूँ। मेरी कल्पना थी कि दिल्ली के बाद विनोबा आगे बढ़नेवाले हैं। इसलिए करण भाई को लिखा कि तुम कोशिश करो कि विनोबा उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ जायें और तुम सब काम छोड़कर उनके साथ हो जाओ। करण भाई उस समय असेम्बली के चुनाव में खड़े होनेवाले थे। वे उसमें न खड़े हो, ऐसी इच्छा भी मैंने जाहिर की थी। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि वे सब काम छोड़कर विनोबाजी के साथ चले,

ताकि विनोदाजी की प्रेरणा से जो नौजवान इस ओर छुके, उन्हें वे पहचान सके और आवश्यकता जान पड़े, तो उन्हे मेरे पास भेज सकें।

अत. बाहर किसी उपयुक्त स्थान का इन्तजार किये विना खादी विद्यालय में ही समग्र विद्यालय खोलने का मैने निश्चय किया और २५

टिसम्बर को अद्वेय जाजूजी का आशीर्वाद लेकर समग्र विद्यालय समग्र विद्यालय का उद्घाटन कर दिया। उस समय का उद्घाटन मेरे पास केवल ५-६ विद्यार्थी थे, जिनमें से तीन—
रुद्रभान भाई, पारस भाई तथा सरस्वती वहन मेरे साथ खादीग्राम आये।

० ० ०

श्रमभारती, खादीग्राम

६-७-३५८

मैं वता चुका हूँ कि जिन दिनों अपने साथियों से मैं विद्यालय के सम्बन्ध में चर्चा कर रहा था और सोच रहा था कि विद्यालय का नये सिरे से नव-निर्माण करना ही ठीक होगा, उसी समय एक दूसरा विचार भी मेरे मन में चल रहा था। और वह यह कि अगर सेवाग्राम की सारी सुविधाएँ छोड़नी हैं, तो विद्यालय चलाने के लिए पुराने कार्यकर्ता भी साथ नहीं लेने चाहिए। अगर स्थाओं की पूर्वपरम्परा आगे जाने में वाधक है, तो पुराने कार्यकर्ताओं में भी तो पूर्व सस्कार हैं। तो क्या वे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगा, तो विचार आया कि स्था और व्यक्ति एक नहीं। संस्था जड़ होती है, व्यक्ति चेतन। स्था अपनी परम्परा नहीं छोड़ सकती, तो यह जल्दी नहीं है कि व्यक्ति भी क्रान्ति के विचार से उद्घोषित होकर अपने पूर्व सस्कार को काट न सके। इसलिए यद्यपि मेरा विचार क्रान्ति के सदर्भ में नये जवानों को लेकर ही केन्द्र स्थापित करने का था, फिर भी मैंने तय किया कि पुराने साथियों में से जो आना चाहते हैं, उन्हे अवश्य साथ लेंगा। लेकिन इसके लिए तीन विद्यार्थियों को छोड़कर और किसीकी तैयारी नहीं थी।

सन् १९३८ से ही भाई राममूर्ति से मेरा परिचय था। उस समय वे लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर थे। राममूर्तिजी का उन्हीं दिनों उनका आकर्षण वापू के विचारों की ओर आक्राहन हुआ। रणीवों की प्रवृत्तियों की ओर भी वे आकर्षित थे। उन दिनों वे काशी के क्वीस कालेज में अव्यापक थे। उनसे मेरा घनिष्ठ सम्पर्क हो गया। वे मेरे विचारों से प्रभाव-

वित थे। कॉलेज में रहते हुए भी वे गाधीजी के क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करते रहते थे। अपने छात्रों तथा साथियों को लेकर उन्होंने एक विचार-गोष्ठी भी बनायी थी। समय-समय पर अपने छात्रों को भी वे हमारे काम में लगाने की कोशिश करते थे।

नये सिरे से नये स्थान पर बैठना है, तो मैं किसे अपने साथ लौँ, यह चिन्ता मुझे सता रही थी। तभी एक दिन सहज ही खयाल में आया कि अगर राममूर्ति भाई अपना काम छोड़कर हमारे साथ आ जायें, तो सुविधा होगी। वह तो मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि बापू की क्रान्ति का बाहन नयी तालीम ही हो सकती है। दूसरा कोई साधन इसके लिए ही नहीं। इसलिए नया केन्द्र नयी तालीम की बुनियाद पर समर्थित करना होगा, इसमें मुझे सन्देह नहीं था। भाई राममूर्ति काफी दिनों तक शिक्षा का काम कर चुके थे। उनके विचार में स्पष्टता थी आर वे मेरे विचारों के अनुकूल थे। इन तमाम कारणों से मुझे ऐसा लगा कि वे भाई साथ द, तो अच्छा होगा। तदनुसार मैंने उन्हे अपने इरादे के बारे में लिखा। मैंने पूछा कि क्या वे मेरे साथ निकल सकते हैं? सम्भवतः मेरे पत्र से मेरी बात स्पष्ट नहीं हुई। अतः उन्होंने अपने एक छात्र के, जो तालीमी सब में प्रगिणण पा रहे थे, लिखा कि वे मुझसे मिलकर मेरे विचारों को ठीक से समझ ले।

भाई राममूर्ति के छात्र श्री चन्द्रभूपण ने मुझसे मिलकर काफी देर तक चर्चा की। मैंने उन्हे अपनी सारी कल्पना बतायी और कहा कि मैं क्रान्ति की प्रक्रिया तथा उत्तर-क्रान्ति के सगठन की तैयारी दोनों साथ-साथ चलाना चाहता हूँ। सम्भवतः यह बात भाई राममूर्ति को कुछ अटपटी लगे, ऐसा लगना स्वाभाविक भी था। वे इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने क्रान्ति के इतिहास का बारीकी से अध्ययन किया है। इतिहास में क्रान्ति की जैसी बातें लिखी हुई हैं, वेसी बात यहाँ नहीं पायी जाती। इसलिए मैंने भाई चन्द्रभूपण को सारी बातें समझायीं और कहा कि इस बार जब मैं बनारस आऊँगा, तब विस्तार से बात कहूँगा।

देश में वेकारी की समस्या दिन-दिन जटिल होती जा रही थी। सरकार की समझ मे नहीं आ रहा था कि उसका निराकरण कैसे हो। सरकार मे

बहुत से लोग गाधीजी के साथी रह चुके थे, इसलिए विहार में बैठने का खादी और ग्रामोद्योग की बात सोचना उनके लिए

निश्चय स्वाभाविक था। फलस्वरूप उन्होंने सरकार की ओर

से इस काम को चलाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया और चरखा-सघ से मॉग की कि वह सदस्यों के नामों की सिफारिश करे। इन प्रस्तुतों पर निर्णय करने के लिए नवम्बर या दिसम्बर मे चरखा-सघ की विशेष बैठक बुलायी गयी। बैठक कई दिनों तक चलती रही। बीच बीच मे मेरी नयी योजना पर भी चर्चा होती रही। यह तो पहले ही निर्णय हो चुका था कि नया विद्यालय कहीं दूसरी जगह शुरू किया जाय। कहाँ शुरू किया जाय, किस प्रान्त मे सहूलियत है, इन विषयों पर विचार होता रहा। लक्ष्मीबाबू और ध्वजाबाबू ने कहा कि विहार अनुकूल क्षेत्र है तथा पूर्वी क्षेत्र मे ऐसा कोई केन्द्र बनना चाहिए। आज खादीग्राम जिस भूमि पर प्रतिष्ठित है, वह जमीन विहार चरखा-सघ ने कई साल पहले ले ली थी और उसी तरह से पड़ी हुई थी। उसकी भी चर्चा आयी। विहार के प्रति मेरा सहज आकर्षण था, इसलिए मैं विहार मे बैठने को राजी हो गया।

फरवरी के द्वितीय सप्ताह मे मै आसाम सर्वोदय-सम्मेलन मे जानेवाला था। लक्ष्मीबाबू तथा ध्वजाबाबू से कहा कि आसाम जाते समय वह जमीन देख जाऊँगा। इस निर्णय से उन लोगों को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि वे फरवरी मे मुझे जमीन दिखला देंगे।

फरवरी के पहले सप्ताह मे मैने व्यजाब्राबू को लिखा कि ८ फरवरी को जमीन देखने आ रहा हूँ। भाई राममूर्ति को भी लिख दिया कि

फरवरी के पहले सप्ताह मे सेवापुरी मे उनसे तथा जमीन का उनके उन साथियों से मिलूँगा, जिन्हे मेरे साथ बैठने निरीक्षण में दिलचस्पी है।

आसाम के रास्ते में सेवापुरी पहुंचा। भाई राममूर्ति और उनके साथी वहाँ पहुंच गये थे। उनमें चर्चा हुई। विनोवा की यात्रा की परिणति के बारे में मेरे जो विचार थे, मैंने उनके सामने रखे। आगे क्या करना है, वह भी बताया। विनोवाजी की यात्रा की प्रगति देखकर वे भी प्रभावित थे। मुख्य बात तो यह थी कि मेरे प्रति उनकी आस्था थी। कुल मिलाकर उन्हे विचार जॉच गया और उन्होंने मेरे साथ रहने का बादा किया। उनमें भाई राममूर्ति और रवीन्द्र भाई मेरे पूर्व-परिचित थे। दो नये नौजवान थे गिवकुमार भाई तथा इन्द्रदेव भाई। इनसे बातचीत करके मैं विहार की ओर चल पड़ा।

पटना से बजाभाई को साथ लेकर आम को जमुई स्टेशन पर पहुंचा। हम लोग टमटम पर सवार होकर अँवेरे में जगल की ओर रवाना हो गये। उन दिनों इधर काफी जगल था, इसलिए बजाभाई भी स्थान को ठीक से पहचान न सके और आगे बढ़ गये। फिर इवर-उधर पूछ पाछकर रात को साढे सात बजे हम लोग अपने स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर विहार खादी समिति का एक छोटा सा केन्द्र चलता था। वहाँ पर हमने रात बितायी। दूसरे दिन हम लोग दिनभर जमीन पर धूम-धूम-कर देखते रहे। जमीन पत्थरों से भरी हुई थी और पहाड़ और जगल से धिरी हुई। ऐसा लगता था कि ऐसी जमीन में आदमी कभी नहीं बस सकता। लेकिन आसपास का प्राकृतिक सौदर्य ऐसा था कि मैं उस पर मुग्ध हो गया और घ्वजाभाई से मैंने कह दिया कि मैं यहाँ पर बैठूँगा। मैंने सेवाग्राम को भी लिख दिया कि लोग तैयारी रखें, ताकि वापस पहुंचते ही मैं रवाना हो सकूँ।

आसाम से लौटकर उत्तर प्रदेश होते हुए सेवाग्राम पहुंचा और एक साल के लिए चरखा-सघ के पुराने कार्यकर्ता चदन भाई को लेकर

२६ फरवरी १९५२ को खादीग्राम की जमीन पर खादीग्राम में प्रवेश पहुंच गया। रास्ते में बनारस से इन्द्रदेव भाई तथा गिवकुमार भाई साथ हो गये।

गाँव में नये प्रकार का शिविर

: १५ :

श्रमभारती, खादीग्राम

७-७-३५८

सन् १९५० के बिहार के दौरे के बारे में पहले लिख चुका हूँ। बिहार की जनता की सहृदयता तथा गांधीजी के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा का दर्जन मधुबनी क्षेत्र की पदयात्रा में मिल चुका था। लक्ष्मीबाबू, ध्वजाबाबू तथा दूसरे साथियों की वैचारिक सदर्भ से बुछ करने की तैयारी भी मैंने देखी थी। भडार के अनेक कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई थी, जिनमें कार्यक्षमता भले ही कम रही हो, पर श्रद्धा की पूँजी पर्याप्त थी। इन तमाम कारणों से मुझे ऐसा लगा कि एक बार बिहार के कार्यकर्ताओं को खादी के क्रान्तिकारी विचार समझाने का प्रयास करें। तुम कहोगी कि एक बार गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं में ऐसा प्रयास किया था, उतना काफी नहीं था? किसी भी क्रान्तिकारी के लिए उतना काफी नहीं कहा जा सकता। उसे तो बार-बार धक्का देना होगा, भले ही जीवन के अन्तिम क्षण तक उसके लिए दरखाजा बन्द ही रहे।

ऐसा सोचकर मैंने लक्ष्मीबाबू से कहा कि खादी समिति के मुख्य कार्यकर्ताओं का तीन-चार दिन का शिविर लीजिये, क्योंकि

कार्यकर्ता यदि विचार नहीं समझेंगे तो ठीक न होगा।

कार्यकर्ताओं का केवल ऊपर के लोगों के समझने से काम नहीं चलेगा।

शिविर तदनुसार रॉची के पास तिरील में बिहार समिति के पचास कार्यकर्ताओं का एक शिविर हुआ।

शिविर की समाप्ति के समय कार्यकर्ताओं में पर्याप्त उत्साह दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा: “खादी-काम के पीछे इतनी बातें हैं, यह तो हम जानते ही नहीं थे!” सब लोगों ने सही दृष्टि से काम करने की कोशिश

करने का बादा किया। उसी शिविर के अन्तिम दिन सबने मिल-चहिकार का भी सकलप किया।

चर्चा के दौरान में विहार के कुछ साथियों ने कहा कि खादी की यह नयी दृष्टि सभी कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए और बारी बारी से खादी समितियों के चार सौ कार्यकर्ताओं का शिविर होना चाहिए। कुछ साथियों ने यह भी कहा कि केवल खादी समिति के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, उन खादी प्रेमियों को भी ये बातें बतानी चाहिए, जो इस काम में विशेष दिलचस्पी लेते हैं। मैंने इसके लिए कभी-कभी समय निकलने का बादा किया।

जिन दिनों से चरखा-सघ की ओर से कताई मछलों का सगठन कर रहा था, उन दिनों में यह महसूस कर रहा था कि केवल सार्वजनिक

सभा में, विद्यारथियों में या दूसरे लोगों में भाषण करने आम-शिविर की से काम नहीं चलेगा, उसके बजाय गाधीजी की कल्पना विचार-धारा को समझाने के लिए शिविरों का आयोजन करना होगा। सस्थाओं में शिविर बुलाने से कुछ

निष्पत्ति नहीं निकलती है, यह पहले ही मैं देख चुका था। देहातों के एक दो शिविर चलाकर भी समाधान नहीं हुआ था। शिविराथियों के भोजन के लिए चदा बटोरने और खाने-खिलाने में ही व्यवस्थापकों की सारी शक्ति लगे और उनका समय जाय, यह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। देहात के लोगों पर भी अनुष्ठानों का सह-भोज का ही असर होता था। बहुत सोचने के बाद मुझे यह उपाय सूझा कि देहातों में विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन के आधार पर सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना का विचार फैलाया जाय और जो गाँव आमन्त्रित करे, वहाँ शिविर का सगठन किया जाय। चदा बटोरा जाय और एक बहुत बड़ा रसोईघर बनाया जाय—यह पद्धति छोड़ दी जाय और उसके बजाय एक-एक घर में एक, दो दो शिविरार्थी अतिथि हो जायें। वे लोग वहीं पर रहें, भोजन करे, परिवार के लोगों के साथ उनके ही घर के आसपास

सफाई करे, प्रार्थना और चर्चा के समय परिवार के सभी लोग एक जगह एकत्र हो। इस प्रकार के शिविरों में मुझे सफलता मिल चुकी थी। मैंने लक्ष्मीवाबू से इस पद्धति के बारे में बात की। उन्होंने कोशिश करने को कहा।

पहला शिविर मुँगेर जिले के गोविन्दपुर खादी भडार के तत्त्वावधान में उसी गाँव में करने का विचार हुआ। भाई रामविलास सिंह उन दिनों विहार के कताई मडल के सगठक थे। उन्होंने लक्ष्मीवाबू के साथ गाँव में जाकर यह पद्धति समझायी। गाँववालों को यह विचार कुछ अटपटा-सा लगा। उन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं। उनका कहना था कि वे खुद ही अनाज जुटाकर सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है।

भाई रामविलास शर्मा का पत्र आया कि गाँव के लोग मान नहीं रहे हैं और उन्हींके सुझाव के अनुसार शिविर हो, यही अच्छा है। मुझे

यह विचार पसन्द नहीं आया। विकेन्द्रित समाज-
गोविन्दपुर में नीति को यदि बढ़ाना है, तो इस विचार को गाँव-
प्रयोग गाँव में फैलाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे घर-घर में प्रवेश
भी कराना होगा। अहिंसक क्रान्ति का विचार किसी

पर लादा नहीं जा सकता। उसे तो लोगों के दिल में प्रविष्ट कराना होगा। बिना आत्मीयता साधे क्या यह सम्भव होगा? मैं इस तरह सोचने लगा। फिर मैंने यह निर्णय किया कि मैं ही दो दिन पहले गाँव में पहुँच जाऊँ और खुद गाँववालों को समझाऊँ। पहले ही शिविर में हम असफल रहे, तो विहार के कार्यकर्ताओं में इस प्रथा की व्यावहारिकता पर सन्देह हो जायगा। यह सोचकर मैं दो दिन पहले गोविन्दपुर पहुँच गया। पहुँचते ही श्री रामविलास शर्मा ने मुझे सूचित किया कि गाँववाले अब कुछ कुछ समझ रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि शिविरार्थी किस-किस घर में ठहरेंगे।

मैंने करण भाई की पत्नी सुशीला वहन को अपने पास लुला लिया

था, जिससे वहनों से सम्पर्क हो सके। सुशीला वहन को वहनों में चर्चा करने के लिए भेजकर मैंने शाम को गाँव के लोगों की एक बैठक बुलायी। उन्हें मैंने विकेन्द्रित समाज का विचार बताया और वह भी बताया कि क्यों घर-घर हम टिकना चाहते हैं। तब तो उन्होंने पहले ही कर लिया था, लेकिन मुझसे चर्चा करके उन्हें पर्यास समाधान तथा सन्तोष हुआ। वे उत्साह से इसकी व्यवस्था करने में लग गये। बीच में एक दिन का समय था। मैं, सुशीला वहन तथा रामविलास शर्मा जिनके घर में अतिथि बननेवाले थे, उनके यहाँ जाकर समझाने लगे कि क्या करना है। प्राय सभी घरों में वैज्ञानिक पेगावधर बनवा दिये, जिससे पेगाव का उपयोग खाद में हो सके।

दूसरे दिन से शिविर प्रारम्भ हुआ। गाँववालों तथा कार्यकर्ताओं के लिए यह एक अभिनव प्रयोग था। इसकी चर्चा दूर-दूर तक फैली हुई थी। इसलिए दूर दूर के गाँवों से भी शाम की चर्चा गोष्ठी में प्रतिदिन दो-तीन सौ लोग शामिल होते थे।

शिविर की प्रसिद्धि इस कारण और भी बढ़ी कि मैं और लक्ष्मीवावृ हरिजनों के घर ठहरे हुए थे। उन दिनों मैंने हरिजनों के घर ठहरने का नियम बना रखा था। लक्ष्मीवावृ भी उसी नियम के अनुसार भगी के घर ठहरे थे। इस घरना से चारों ओर तहलका मचा हुआ था और लोग मुझसे इसका रहस्य पूछने आते थे। मैं पहले भी इस इलाके में दौरा कर चुका था और मेरा 'हुजूर' और 'मजूर' वाला विवेचन डधर काफी फैला हुआ था। मैंने उनसे कहा : "आप मानते ही हैं कि किसी गाँव में किसी गोल की मेहमानी हो, तो उसमें से मुख्य व्यक्ति गाँव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में ही मेहमान बनता है। शोषणहीन तथा स्वावलम्बी समाज में अनुत्पादक वर्ग से उत्पादक वर्ग ही अधिक प्रतिष्ठित है, ऐसी मान्यता चलेगी। मैं इनके घरों में ठहरकर 'मजूर-प्रतिष्ठा' का विचार फैलाना चाहता हूँ।" मेरी वातों से कुछ लोगों को सन्तोष हुआ,

तो कुछ लोग काफी नाराज भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर उस क्षेत्र के लोगों पर तथा शिविराथियों पर अच्छा असर पड़ा।

लोग जिन घरों में ठहरे हुए थे, उनके साथ वे सफाई करते थे, बच्चों को प्यार करते थे और भोजन करने के समय कुछ बहनों से भी

चर्चा का मौका मिल जाता था। दोपहर के भोजन के बर-बर में चर्चा-वाद तथा रात को सोने से पहले जितने घरों में मेहमान

गोष्ठी टिके हुए थे, वे सब-के-सब एक एक चर्चा-गोष्ठी बन गये थे। वहाँ आसपास के दस-वारह नौजवान मुख्य चर्चा

के सदर्भ में शिविरार्थी भाइयों के साथ और अधिक चर्चा करते थे। इस प्रक्रिया से गॉव में शिविर का संगठन न करके गॉव को ही शिविर बनाने का कार्यक्रम सफल हुआ। आजकल मैं नयी तालीम का विचार समझाते हुए कहता हूँ कि शिक्षा का समाजीकरण करना होगा। गॉव में विद्यालय न खोलकर गॉव को ही विद्यालय बनाना होगा और उसके लिए सारे गॉव के बच्चे, जवान तथा बूढ़ों को विद्यालय का विद्यार्थी बनाना होगा।

शायद यह प्रयास इसी विचार का पूर्वभास था। घर-घर में चर्चा-गोष्ठी चलना, सुशीला का घर-घर धूमकर बहनों से चर्चा करना, करण भाई की छोटी बच्ची माया का बच्चों को बटोरकर खेल-कूद सिखाना—इन सब बातों ने सारे गॉव को शिविरार्थी बना दिया था।

गोविन्दपुर के शिविर की सफलता ने लक्ष्मीबाबू तथा खादी समिति के साथियों को अत्यधिक उत्साहित किया। सस्थाओं के सामने

जब कभी शिविरों का प्रश्न उपस्थित होता था, तो प्रयोग की सफलता सबसे जटिल प्रश्न खचें का होता था। दूसरों कठिनाई

से ग्रेरण व्यवस्था की थी। दोनों कठिनाइयों को हल करते हुए जन जीवन की इतनी गहराई में प्रवेश करके शिविरों का संगठन हो सकता है, इसके दर्जन से वे प्रफुल्लित हुए और आगे इसी प्रकार के शिविर चलाने का उन्होंने निर्णय किया।

उसके बाद मैं बीच बीच में विहार के कार्यकर्ताओं के शिविर में जाया करता था और खादी के नये काम समझाया करता था। जिस समय मैं खादीग्राम पहुँचा, उस समय तक यह प्रक्रिया जारी थी। खादी-ग्राम आने के बाद भी छपरा में आखिरी शिविर का सगठन हुआ था।

खादीग्राम मेरे आ जाने से तथा विहारभर के शिविरों का सगठन करने से विहार के रचनात्मक कार्य की दुनिया में पर्याप्त जाग्रति हो गयी थी। १९५२ में सेवापुरी के सर्वोदय सम्मेलन में उस जाग्रति का लाभ सुझे किस तरह मिला, उसकी कहानी फिर कभी लिखूँगा। ० ० ०

सेवापुरी-सम्मेलन

: १६ :

श्रमभारती, सादीग्राम

८७-५८

अप्रैल १९५१ से ही विनोबाजी ने तेलगाना में भूदान-यज्ञ शुरू कर दिया था। यद्यपि उनका यह काम एक बड़ी सामाजिक क्रान्ति की गणोत्ती जैसा था, फिर भी वह था विनोबाजी का ही आन्दोलन। किसी संस्था की ओर से वह काम नहीं चल रहा था। सेवाग्राम में सर्व-सेवा-सघ की बैठक में कुछ चर्चा अवश्य हुई थी, पर उस समय तक सघ ने उसे अपनाया नहीं था। फिर जब उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, उस समय भी विनोबाजी का आन्दोलन जन-आधारित होकर ही चलता था। पदयात्रा का खर्च यात्रा के क्षेत्र के लोग ही चलाते थे और काम करनेवाले भी व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हो लेते थे। आज हम तन्त्र-मुक्ति और निधि-मुक्ति की बात करते हैं, शुरू में आन्दोलन का स्वरूप वही था। अगर वैसा ही रहने दिया जाता, तो आयद आज तन्त्र-मुक्ति और निधि-मुक्ति को लेकर हमें इतनी व्याकुलता न रहती। मेरी राय तो पहले से ही ऐसी रही, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी।

आसाम के सर्वोदय-सम्मेलन में मैं गया हुआ था। शाहजहाँपुर से करण भाई का तार आया कि आगामी सम्मेलन के निर्णय करने की

चर्चा में शामिल होने के लिए मैं वहाँ पहुँच जाऊँ।

सेवापुरी का १२ फरवरी को तार पहुँचा कि १४ को बैठक है।

सम्मेलन सयोग से तुरन्त कलकत्ता का विमान मिल गया और

मैं १४ की रात को शाहजहाँपुर पहुँच गया। वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि सेवापुरी में सम्मेलन होने का निर्णय हुआ है और यह भी तय हुआ कि मैं ही सम्मेलन की जिम्मेदारी उठाऊँ।

उस समय मे कई कामों का सकल्प कर चुका था, विहार के शिविरों के लिए समय दिया था और उस महीने के अन्त तक खादीग्राम मे पहुँचने का भी निश्चय कर लिया था। मैंने गांधी आश्रम के जिम्मेदार लोगों से कहा कि इसकी जिम्मेदारी वे ही उठायें। लेकिन विचित्र भाई और दूसरे साथियों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। वे कोई अच्छा साथी भी देने को तैयार नहीं हुए। उस समय मेरे स्वास्थ्य की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। उस विगड़ी हुई हालत मे एकदम अकेले कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से भाई देवकरण सिंह मेरी सहायता के लिए मिले। पिछले चुनाव के सिलसिले मे वे उन दिनों गांजीपुर मे थे। निश्चय हुआ कि वे मेरी सहायता मे सेवापुरी आ जायेंगे। मैंने इतने से ही सतोष कर लिया और वहाँ से सेवाग्राम चला गया। १७-१८ फरवरी के करीब सेवाग्राम पहुँचा और जल्दी से जमुई पहुँचकर मैंने वहाँ पर अपना आसन जमा दिया।

८-१० दिन अथक परिश्रम करके हम लोगों ने रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली तथा यहाँ के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। यहाँ का काम करते-करते पिछले निश्चय के अनुसार विहार के दो शिविरों का भी काम समाप्त किया। साथ ही साथ सेवापुरी के सम्मेलन की व्यवस्था के लिए वहाँ भी जाता रहा। स्वास्थ्य पहले से ही विगड़ा हुआ था, अत्यधिक परिश्रम के कारण और भी टूट गया और कमर के दर्द से चारपाई पर पड़ रहा। ऐसी बुरी हालत मे ही मैं सेवापुरी पहुँचा। उस समय सम्मेलन के लिए मुश्किल से १५-२० दिन रह गये थे।

सम्मेलन के खर्च के लिए कुछ चदा बटोरना था। शाहजहाँपुर से सेवाग्राम जाने के पहले ही लखनऊ मे मित्रों की एक बैठक बुला ली थी। उसके अनुसार देवकरण भाई ने कोशिश भी की थी। विभिन्न जिलों मे काम करने के लिए मित्रों ने जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन जब मैं सेवापुरी पहुँचा, तो कुछ विशेष परिणाम देखने मे नहीं आया। योड़ी सी आशा थी, लेकिन बहुत गुजाड़ नहीं थी। तो मैंने बनारस तथा आसपास के इलाके

मेरे गल्ला मॉगना शुरू किया। उसमे भी कुछ आशा दिखाई दी, लेकिन कुछ प्राप्ति होने मेरे समय लगता, निवास-शुल्क मिलने मेरी भी देरी ही होती, तो सवाल था कि तात्कालिक काम कैसे शुरू किया जाय? गांधी आश्रम से एक हजार रुपया कर्ज मॉगा, लेकिन वह भी नहीं मिला। इस पर मैं सोचने लगा कि गांधी आश्रम जैसी ये स्थाएँ आखिर किसलिए हैं? बापू ने क्या सोचकर इन स्थाओं को खड़ा किया था? फिर मन मेरा आता था कि जब मैं मानता हूँ कि पुरानी स्थाएँ क्रान्ति की वाहक नहीं हो सकती हैं, तो ऐसी अपेक्षा ही क्यों रखता हूँ? ऐसे नाना प्रकार के विचार मन मेरे आने लगे। अन्त मेरे यह सोचा कि जो हो, सम्मेलन तो करना ही है। मैंने इधर-उधर नजर ढौढ़ायी, तो एकमात्र विहार ही नजर आया। मैंने लक्ष्मीबाबू को लिखा कि वे मुझे ५००) नकद कर्ज दे दे और हिसाब किताब मेरे पक्के तीन-चार अच्छे कार्यकर्ता भी मेरे पास भेज दे। लक्ष्मीबाबू ने प्रधान कार्यालय के हिसाबनवीस और दो मुख्य कार्यकर्ता तथा ५००) मेरे पास भेज दिये। यह रुपया मैंने व्यक्तिगत कर्ज के रूप मेरे लिया। इस तरह सर्वोदय-सम्मेलन के कार्य का श्रीगणेश हुआ। धीरे-धीरे विहार से ५०-६० कार्यकर्ता आ गये और वे सम्मेलन के काम मेरे लिए गये।

कमर के दर्द के बावजूद मैं सम्मेलन के काम मेरे जुटा था और प्रतिकूल परिस्थिति से लोहा ले रहा था। मानसिक बोझ तो था ही। इन-

सबने मुझे एकदम चारपाई पर ढाल दिया। तब से स्वास्थ्य पर सब दो साल तक मैं चारपाई पर ही पड़ा रहा।
बुरा असर सम्मेलन के बाद भी कमर के दर्द के कारण मैं रेल-यात्रा नहीं कर सका और खादीग्राम नहीं जा सका।

मैं बनारस मेरी पड़ा रहा और पड़े-पड़े वैद्यजी का इलाज कराता रहा।

खादीग्राम का केन्द्र वृषभमूलक होगा, इसमे तो कोई सन्देह था नहीं, इसलिए मेरी गैरहाजिरी मेरी भाई अण्णासाहब और दादाभाई नाईक, जो रचनात्मक कार्य की दुनिया मेरी कृषि के विशेषज्ञ हैं, वहाँ की

सम्भावनाएँ देखने के लिए वहाँ पहुँचे । अण्णासाहब और दादाभाई ने लौटकर मुझसे कहा कि वहाँ न तो पानी है, और न जमीन । छोटा मोटा केन्द्र बनाकर बैठिये और इस जमीन में जगल की योजना बना लीजिये । मैं उस समय विस्तर पर पड़ा था, क्या कहता ।

कितने ही दिन बीत गये । डलाज से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो मेरे लेटे-लेटे ही स्वादीश्राम चला आया । सोचा, वहाँ पड़ा भी रहेगा, तो भी कुछ मार्ग-दर्शन कर सकेंगा । हमारे साथी कुओं बनाने और थोड़ी-बहुत खेती करने की व्यवस्था में जुट गये । मेरे पड़ा-पड़ा मार्ग दर्शन करता रहा ।

स्वादीश्राम का कार्यक्रम बनाते समय मैंने सोचा था कि दिन में तो मैं केन्द्र पर रहेगा और रात को किसी गाँव में । यो आसपास के गाँवों में नया विचार फैलाने में सुविधा होगी, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी । मेरी कमर का दर्द इतना बढ़ गया कि रात में गाँव में रहने का विचार पूरा न हो सका ।

केन्द्र बनाते समय यह प्रश्न उठा था कि ग्राम-सम्पर्क कैसे हो ? हमारे साथी कहते थे कि यदि हम गाँव की सेवा नहीं करते हैं, तो वहाँ रहने से

क्या लाभ है ? मैं उन्हें समझाता था कि जब तक पत्थर तोड़ने की आसन नहीं जमा लोगे, तब तक गाँव में कुछ काम नहीं हो सका । आसपास के जो लोग मिलने आते थे, उन्हें मैं अपना विचार और योजना बताता था । पड़े रहने के कारण मेरे कहीं जा नहीं सकता था । इसलिए बहुत जगहों के कार्यकर्ता मुझसे मिलने आते थे । वे बैठे-बैठे पत्थर तोड़ने की क्रिया देखकर परेशान होते थे । उनकी समझ में नहीं आता था कि इस तरह से कुछ जमीन और तालाब बनाने से क्या परिणाम निकलनेवाला है । मैं उनसे बैर्य रखने की बात करता था ।

बाहर से भी बहुत से लोग आते थे । वे कहते थे कि विहार में आपको अच्छी जमीन मिल सकती है । वहाँ बैठेंगे, तो शीघ्र ही स्वावलम्बी

हो सकते हैं। मैंने कहा कि समस्या अच्छी जमीन की नहीं है, ककड़-पत्थर की है। यदि देश की समस्या हल करनी है, तो ककड़-पत्थर की समस्या हल करनी होगी। पर वह किस तरह हल होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा विश्वास है कि उसकी कोशिश में ही हल निकलेगा। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। हम देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेगे, तो दिशा सूझेगी ही।

इन तमाम विचारों के कारण घर के और बाहर के और सभी मित्रों के निरुत्साह के बाबजूद मैं खादीग्राम में ही डटा रहा और निरन्तर इस इलाके की भूमि-समस्या के चिन्तन में लगा रहा। ● ● ●

अमभारती, खादीग्राम

८-७-१५८

यद्यपि मे कमर की दर्द से पीड़ित था, फिर भी लोगों ने मुझे विल्कुल छुट्टी नहीं दी। आसपास के इलाके में भी मै कभी-कभी जाता था। वाहर बैठकों में भी कभी-कभी जाना पड़ता था। धीरे-धीरे मुझे इस इलाके की जानकारी होने लगी। जैसे-जैसे मेरी जानकारी बढ़ी, यहाँ की परिस्थिति मुझे अजीव मालूम पड़ने लगी। इस इलाके मे जर्मांदारी-अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। लोग भयभीत थे, डर से कोई वात ही नहीं करता था।

मैं पहले-पहल जब यहाँ आया था और स्टेशन से नूमर के लिए बस पर बैठा, तो मुझे एक अत्यन्त आश्वर्यजनक घटना देखने को मिली। बस

थोड़ी दूर जाकर रुकी। सामने की बैच विल्कुल भरी जर्मांदारों का हुई थी, पीछे भी सवारियों भरी थीं। सड़क पर दो-अत्याचार तीन सवारियों खड़ी थी। कण्डकटर ने तीन-चार

सवारियों से उत्तरने के लिए कहा, पर वे उत्तरना नहीं चाहती थीं, वह देखकर चढ़नेवाले सवारियों ने उन्हे डॉटा। उस डॉट का प्रतिवाद किये बिना ही वे लोग उत्तर गये। मैं हधर नया थाया था, इसलिए कुछ वात समझ मे नहीं आयी, इसलिए मैं चुप रहा। बाद को पता चला कि नयी सवारियों यहाँ के एक जर्मांदार के घर की थीं।

हम जब खादीग्राम मे बैठे, तो हम लोग भी इनकी दृष्टि से ओझल नहीं रह सके। यहाँ पर हमारा बैठना यहाँ के बाबुओं को बहुत नागवार लगा। वे नहीं चाहते थे कि हम लोग यहाँ जम पाये। इसलिए वे नाना प्रकार से हमारी मुखालफत करने लगे। उनकी मुखालफत व्यक्तिगत रूप मे मुझसे

नहीं थी, बल्कि मेरे विचार से थी। वे साफ-साफ कहते थे कि धीरेन भाई तो अच्छे आदमी है, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन गांधीवाद की जो परिभाषा करते हैं, अगर वही गांधीवाद है, तो हम लोगों का अस्तित्व ही खतरे में है। वे यह बात भी भलीभौति समझते थे कि अभी तो वे कुछ करते नहीं हैं, लेकिन इनका असर अगर फैल गया, तो उनका एकच्छब्द अत्याचार नहीं चलेगा।

दिक्कत इसलिए और भी थी कि वे काग्रेस-जन थे। और उनके कारण जिले की काग्रेस मेरे और खादीग्राम के सख्त खिलाफ हो गयी। इसलिए यहाँ के काग्रेस-जनों से हमें कोई सहायता तो मिली नहीं, उल्टे निरतर विरोध मिलता रहा। विहार के दूसरे जिलों के काग्रेस जन आकर मुझसे मिलते थे और कहते थे : “आप भी ऐसी जगह आकर बैठे। हमारे जिले मे आते, तो हम सब कितनी मदद करते।” मैं मुस्कराता था, कहता था कि अपनी थोड़ी सी मदद यहाँ ही भेज दीजिये। यहाँ के साथियों को समझाइये कि मैं कोई खतरनाक आदमी नहीं हूँ।

काग्रेस के विरोध के कारण दिक्कत अवश्य थी, लेकिन इससे हमारा कुछ लाभ ही हुआ। जन-मानस में खादीग्राम का स्वतन्त्र अस्तित्व कायम हुआ। कुछ ही दिनों मे लोग हमारे प्रति आकृष्ट होने लगे, लेकिन दर के कारण वे मदद नहीं कर सकते थे। स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में हम ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके थे, इसलिए हमें इन बातों की चिन्ता नहीं थी और हम निश्चन्तता से अपने काम मे लगे रहे।

काशी के कवीन्स कॉलेज के प्राध्यापक भाई राममूर्ति सिंह का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। उन्होंने छोड़ने का निर्णय तो कर लिया था, लेकिन

उन्हे जल्दी छुट्टी नहीं मिली। मैंने उन्हे तुरन्त इस्तीफा आम-सम्पर्क का देने के लिए मना किया था। देश मे कान्ति का कोई

श्रीगणेश वातावरण नहीं था। कौन जाने, आगे की परिस्थिति

कैसी हो। यदि किसी प्रकार से असमाधान हो, तो फिर वापस कहाँ स्थान मिलेगा। तीस साल के सर्वजनिक जीवन मे मैंने

ऐसे सैकड़ों नौजवानों को देखा, जो बढ़ी गम्भीरता से आन्दोलन की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़कर आये, पर आन्दोलन की परिस्थिति या कार्यक्रम से उन्हे समाधान नहीं मिला और इससे उनके जीवन में निराशा आ गयी। इस अनुभव के कारण मैंने उन्हे सलाह दी कि वे पहले एक साल की छुट्टी लेकर आयें और सालभर रहकर देख लें। फिर इस्तोफा दें। विभाग के लोग उन्हे छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए छुट्टी जल्दी नहीं मिली। गर्मी की छुट्टी होते ही वे खादीग्राम आ गये। छुट्टीभर रहकर बनारस चले गये। फिर अक्तूबर में लॉट आये।

भाई राममूर्ति के लौटते ही ग्राम-सम्पर्क का काम शुरू करने की वात सोची। अक्तूबर का महीना था, चरखा-जयन्ती के अवसर पर २ अक्तूबर से एक पखवारे के लिए राममूर्ति भाई के नेतृत्व में अपने साथियों को पदयात्रा पर भेज दिया। इस पदयात्रा से इस वात का पूरा पता चला कि यहाँ के लोग कितने अधिक पीड़ित हैं और वे कितना ज्यादा ढरते हैं। वे हमसे प्रेम तो करते थे, लेकिन डर के मारे पास नहीं आते ये कि कहीं कोई देख न ले। वे हमें घर पर ठहराने में भी ढरते थे। इस अनुभव ने हमारे साथियों को बहुत लाभ पहुँचाया। प्रतिकूल परिस्थिति में वैर्य के साथ कैसे सेवा करनी चाहिए, इसका बोध ढिलाया। रवीन्द्र भाई तो कभी-कभी धैर्य खो देते थे। वे मुझसे आकर झगड़ते और कहते थे कि इस अत्याचार का निवारण होना चाहिए। वे पूछते थे कि इस गरीब जनता के लिए हमारे पास क्या कार्यक्रम है? मैं उन्हे धैर्य धारण करने के लिए कहता था और समझाता था कि विनोदा का भूदान किस प्रकार इस समस्या का हल करनेवाला है। पर मेरी दलीलों से साथियों को समाधान हो रहा है, ऐसा लगता नहीं था। लेकिन मेरे प्रति उनकी श्रद्धा थी, इसलिए वे अपना वैर्य बनाये रखते थे।

इस प्रकार ग्राम-सम्पर्क की शुरुआत हो गयी। इसके बाद से हम लोगों ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में छह दिन सम्प्यानिर्माण का काम करेंगे और एक दिन गाँव में रहकर ग्राम सम्पर्क

सप्ताह मे एक करेगे । तदनुसार यहों के साथी शुक्रवार को काम दिन गाँव में बन्द कर गाँव से चले जाते थे और शनिवार को लैट आते थे । वे जब हमसे कार्यक्रम माँगते थे, तो मै उनसे कहता था कि कार्यक्रम अपने-आप निकलेगा । अभी आप सिर्फ गप चलाइये ।

इस तरह छः दिन स्थान-निर्माण और एक दिन जन-सम्पर्क का कार्यक्रम चलाते हुए मार्च १९५३ का चाडिल का सर्वोदय-सम्मेलन आ गया और हम लोग सम्मेलन मे पहुँचे ।

● ● ●

चरखा-संघ का विलीनीकरण

: १६ :

श्रमभारती, खादीग्राम
९-७-१५८

१९४८ में सर्व-सेवा-संघ बना। उसका स्वरूप गांधीजी द्वारा प्रदर्शित सभी अखिल भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के संघ का था। यद्यपि सर्व-सेवा-संघ बना, वह प्रभावकारी संघ नहीं बना, केवल एक समिति के रूप में ही रह गया। विभिन्न संस्थाएँ अपनी-अपनी दिशा में काम करती रहीं। उनकी दिशा भिन्न रही और सर्व-सेवा-संघ के जरिये पारस्परिक सम्पर्क भी नहीं रहा। फलस्वरूप जिस उद्देश्य से सर्व-सेवा-संघ की कल्पना की गयी थी, वह सफल नहीं हो सका।

विनोदाजी इस स्थिति को देख रहे थे। सर्व-सेवा-संघ की हालत से वे चिन्तित रहते थे। आखिर उन्होंने यह सुझाव दिया कि जुड़ी हुई संस्थाएँ अलग न रहकर सर्व-सेवा-संघ में विलीन हो जायें और सब मिल-कर एक संस्था बन जायें, ताकि सब एकरस होकर समग्रता का दर्शन तथा प्रदर्शन कर सकें। सबसे पहले विनोदाजी का सुझाव गो-सेवा-संघ ने मान लिया और वह अपने प्रस्ताव द्वारा संघ में मिल गया। फिर कुमारपाली ग्रामोद्योग-संघ को सर्व-सेवा-संघ में विलीन करने का प्रस्ताव लाये।

गो-सेवा-संघ के विलीन हुए कुछ महीने बीत गये थे, लेकिन उसका काम करने का ढग ऐसा नहीं था कि ऐसा लगे कि निष्क्रिय सर्व-सेवा-संघ से एकाकार हो गया है। सर्व-सेवा-संघ विलीनीकरण और गो-सेवा-संघ दोनों अलग-अलग ही दीखते थे, प्रस्ताव में भले ही दोनों एक हो गये थे। मुझे यह चीज कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे डर था कि यदि यहीं ढग जारी रहा,

तो ग्रामोद्योग-संघ विलीन हो जायगा, लेकिन वह भी उसी तरह से अपना अस्तित्व बनाये रखेगा। तो जिस तरह से जुड़ाव समिति के रूप में सर्व-सेवा-संघ का उद्देश्य विफल हो रहा था, उसी तरह इस प्रकार के विलीनी-करण से कुछ निधनत्ति नहीं निकलेगी। अतः ग्रामोद्योग-संघ की वैठक में मैंने विलीनीकरण के खिलाफ राय दी। मेरी इस राय से साथियों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि १९४५ में जब से गांधीजी ने नव-सस्करण की बात उठायी और चरखा-संघ द्वारा समग्र सेवा की चर्चा हो रही थी, उसी समय से मैं यह राय प्रकट करता रहा था कि सब स्थाओं को एक में लाकर समग्र सेवा संघ बने। लेकिन गो-सेवा-संघ के ढग को देखकर मैंने समझा कि विलीनीकरण की प्रक्रिया अस्वाभाविक होगी। लेकिन श्रद्धेय कुमारप्पाजी तथा अन्य साथियों के आग्रह से ग्रामोद्योग-संघ सर्व-सेवा-संघ में विलीन हो गया।

विलीनीकरण के बाद ग्रामोद्योग-संघ की भी वही स्थिति रही, जो गो-सेवा-संघ की थी। वह भी पूर्ववत् अलग से और अपने ढग से चलता रहा। कागज पर गो-सेवा-विभाग और ग्रामोद्योग-विभाग लिखा जाता था, लेकिन ऊपर से नीचे तक के कार्यकर्ता गो-सेवा संघ और ग्रामोद्योग-संघ ही कहा करते थे। सर्व-सेवा-संघ पूर्ववत् समिति जैसा ही बना रहा। विलीनीकरण के बाद श्री कुमारप्पाजी वर्धा के निकट सेल्डो नामक गाँव में समतुलित कृषि के प्रयोग करने चले गये और श्री जी० रामचन्द्रन् ने वर्धा में ग्रामोद्योग-विभाग के मन्त्री के रूप में मगनबाड़ी का काम समाला। उन दिनों एक बार मैंने रामचन्द्रन्‌जी से पूछा कि उनकी राय में विलीनीकरण से क्या फर्क पड़ा, तो उन्होंने मुस्कराकर कहा—“We have changed the letter-head only.” (हम लोगों ने केवल पत्र-व्यवहार में स्थान का नाम बदला है।)

सर्वोदय का द्वितीय सम्मेलन उडीसा के अगुल में होने का निश्चय हुआ। विनोदाजी के नेतृत्व में गो-सेवा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघ के सर्व-सेवा-संघ में विलीन होने की चर्चा फैली हुई थी। चरखा-संघ के

मित्रों के सामने भी यह सबाल उपस्थित हुआ। जाजूली, कृष्णदास भाई तथा अन्य मित्रों के मन में आया कि चरखा-सघ का भी विलीनीकरण होना चाहिए। वे सोचने लगे कि अगुल-सम्मेलन में चरखा-सघ के विलीनीकरण की घोषणा हो।

मैं उन दिनों बीमार होकर उरुली काचन में इलाज करा रहा था, इसलिए मित्रों की चर्चा में शामिल नहीं रह सका था। इसलिए मुझसे चर्चा करने के लिए कृष्णदास भाई, लेलेजी, दादा-सेरा विरोध भाई नाईक तथा खादी विद्यालय के आचार्य ल० रा० पण्डितजी उरुली काचन पहुँचे और उन्होंने विलीनीकरण का प्रस्ताव रखा। मैंने उनसे कहा कि अभी चरखा सघ के विलीनीकरण से कुछ निधत्ति नहीं निकलनेवाली है। चरखा-सघ विलीन हो जायगा, साड़न बोर्ड बदल जायगा, लेकिन हम सब अलग ही अलग सोचते और काम करते रहेंगे। सामृहिक चिन्तन, सामृहिक कार्यक्रम तथा सघको सेभालने योग्य नेतृत्व के बिना विलीनीकरण से अलग-अलग जो काम हो रहा है, वह भी नहीं हो सकेगा। बिनोवा के सिवा दूसरा कोई सभिलित कार्यक्रम का नेतृत्व नहीं ले सकता है। देग में सामृहिक कार्यक्रम की कोई गुजाइश नहीं दिखाई पड़ती है। गाधीजी के नव-स्तरण में बताये हुए कार्यक्रम भी नहीं चल सके। इन तमाम कारणों से मैं चरखा सघ के विलीनीकरण की सम्मति नहीं दे सका। मित्रों ने काफी देर तक चर्चा की, लेकिन मुझे विलीनीकरण के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं मिल रही थी।

ये लोग चर्चा बरके चले गये। चलने से पहले कृष्णदास भाई ने कहा। “आप इस बार के सम्मेलन में उपस्थित नहीं रह सकेंगे, लेकिन सम्मेलन के अवसर पर जो खादी-सम्मेलन होगा, उसके लिए अपना बक्तव्य लिख दीजिये।” बक्तव्य लेने के लिए वे एक दिन रुक गये और मैंने अगुल सम्मेलन के लिए अपना बक्तव्य भेज दिया। सभी को उसका

पता है। चरखा-सघ ने उस वक्तव्य को ‘चरखा-आदोलन की वट्ठि और योजना’ के नाम से प्रकाशित भी किया था।

उहली काचन मे कुछ स्वास्थ्यलाभ कर मैं वर्धा पहुँचा। जब मैं मगनवाडी के मित्रों से मिलने गया, तो मिलते ही भाई रामचन्द्रन्‌जी ने मुझसे कहा : “You alone will be held responsible for the failure of Sarva Seva Sangh.” (सर्व-सेवा-सघ की असफलता के लिए केवल आप ही जिम्मेदार ठहराये जायेंगे।) मैंने उन्हे समझाया कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि “कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है, तो क्या काम नहीं चलेगा ? आप ही नेतृत्व लीजिये और सब मिलकर सोचें।” सामूहिक कार्यक्रम के बारे मे उन्होंने कहा कि “सामूहिक कार्यक्रम रहता नहीं है, बनाया जाता है।” मैंने उनसे कहा कि “उसे बनाया नहीं जाता, उसके लिए सबके मन मे स्वाभाविक प्रेरणा होनी चाहिए। और प्रेरणा परिस्थिति तथा नेतृत्व से मिलती है। वह गोष्ठी करके पैदा नहीं की जाती।” इस प्रकार उनसे काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन मैं उनके असन्तोष का निराकरण नहीं कर सका।

अद्वेय कुमारपाजी को विलीनीकरण के विचार पर आस्था थी, उसके लिए वे व्याकुल थे। विलीनीकरण की प्रक्रिया मे चरखा-सघ के शामिल न होने से उनको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कई बार अपना दुःख प्रकट किया, लेकिन उनकी बात मेरी समझ मे नहीं आती थी, इसलिए मैं उसे मान नहीं सका। बाद को वे तालीमी सघ मे विलीनीकरण का प्रस्ताव लाये, लेकिन वहाँ किसीको मान्य न होने से तालीमी सघ भी विलीन नहीं हुआ।

इस तरह सर्व-सेवा-सघ तथा जुड़ी हुई संस्थाओं का काम पूर्खवत् चलता रहा तथा साथ-साथ विलीनीकरण की भी चर्चा चलती रही। ऐसी ही परिस्थिति मे विनोदाजी ने तेलगाना में भूदान-आदोलन का विगुल बजा दिया।

विनोदाजी की पदयात्रा से देश मे एक नयी जाग्रति हुई तथा एक

नये आदोलन का जन्म हुआ। पर यह आन्दोलन विनोदा का अपना था और उन लोगों का था, जिन्हे उनसे प्रेरणा मिलती विनोदा का थी। यह अवश्य है कि सत्याएँ मढ़द करती थीं। भूदान-आन्दोलन उत्तर प्रदेश की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय वहाँ के गांधी आश्रम को था। लेकिन आदोलन किसी सत्या का नहीं था। किसी सत्या ने उसे चलाने की जिम्मेवारी भी नहीं ली थी, फिर भी वह दिन-दिन व्यापक बनता गया।

ऐसी परिस्थिति में सेवापुरी में सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। लगभग दस हजार व्यक्ति उसमें शामिल हुए। देश के बड़े-बड़े नेताओं तथा राज्याधिकारियों ने साधारण जन-समुदाय के बीच बैठकर सर्व-सेवा-संघ ने चर्चा की। इन सब कारणों से भूदान-आदोलन ने सारे जिम्मेदारी ली देश की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर ली। सरकार तथा जनता, दोनों पर इस सम्मेलन का गहरा असर पड़ा। लोग वह महसूस करने लगे कि यह एक बड़ा आदोलन होने जा रहा है।

सत्याएँ इस आन्दोलन की ओर तेजी से खिच रही थीं। सर्व-सेवा-संघ भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सका, बल्कि वह तो सबसे ज्यादा इस ओर झुका। गांधीजी के विचारों के अनुसार सगठित सर्वोदय-समाज की सत्या के रूप में इसका सगठन हुआ था। इसलिए आदोलन की जिम्मेदारी सहज ही इसके ऊपर आ गयी और सर्व-सेवा-संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा इस जिम्मेदारी को सँभाल लिया।

उन दिनों श्री शकरराव देव संघ के मन्त्री थे। उन्होंने सालभर अथक परिश्रम कर, देशभर दौरा करके हर प्रदेश में भूदान का काम चलाने के लिए ऐसी समिति बनायी, जिसमें विभिन्न पक्षों के लोग सदस्यता के नाते एक साथ मिलकर चर्चा तथा चिन्तन करते थे। पक्षगत प्रतिद्वन्द्विता के बीच यह एक बहुत बड़ी बात थी। जनता महसूस करने लगी कि यह आन्दोलन रेगिस्तान में एक नखलिस्तान है।

सेवापुरी-सम्मेलन के अवसर पर जब अखिल भारतीय सर्व-सेवा-सघ ने आदोलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो पहले प्रस्ताव से ही उसने

एक बहुत बड़ा सकल्प कर डाला कि अगले दो साल २५ लाख एकड़ में २५ लाख एकड़ जमीन भूदान में लेनी है। इस सूदान का निश्चय प्रस्ताव ने सारे देश की दिलचस्पी बढ़ा दी। यह

जानकर कि सर्व-सेवा-सघ ने २५ लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने का सकल्प किया है, लोग आश्र्यचकित हो गये, क्योंकि उन दिनों २५ लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने की बात बरनेवाला गगनविहारी ही माना जाता था। इस आकर्षण के कारण सर्व सेवा-सघ को हर प्रान्त में हर पक्ष का सहयोग मिला।

सेवापुरी-सम्मेलन ने सर्वोदय-विचार-क्राति में एक अन्य निश्चित कदम उठाया। अपने प्रस्ताव में उसने कहा कि चूंकि सच्चा लोकतन्त्र

विकेन्द्रित अर्थनीति तथा राजनीति से ही सम्भव है, केन्द्रित उद्योगों इसलिए सघ ने अपने सदस्यों और जनता का आहान का वहिष्कार किया कि वे कम-से-कम अनन्-वस्त्र की सामग्री के

लिए केन्द्रित उद्योगों का वहिष्कार करें। पिछले तीन सालों से जिस बात के लिए मैं निरन्तर प्रचार करता रहा, उसे सर्व-सेवा-संघ के प्रस्ताव में स्वीकृत कर लिया, यह देखकर मुझे कितना आनन्द हुआ, इसका अनदाज तुम्हे आसानी से हो सकेगा।

सेवापुरी-सम्मेलन के फलस्वरूप देश में वैचारिक आदोलन का जो नेतृत्व निर्माण हुआ, उससे मुझे अत्यन्त सतोष हुआ। जिन अभावों के कारण मैंने मित्रों के आग्रह के खिलाफ चरखा-सघ को सर्व सेवा सघ में विलीन नहीं होने दिया, उन अभावों का निराकरण हो गया। वापू के विचार के अनुसार जो रचनात्मक कार्यक्रम चलता था, उसका नेतृत्व विनोदा ने आदोलन के जरिये अपने हाथ में ले लिया। देश का आकर्षण उस नेतृत्व पर केन्द्रित हुआ। एक संस्था की हैसियत से सर्व-सेवा-सघ ने भी विनोदा के मार्ग-दर्शन में अपने कन्धों पर नेतृत्व उठा लिया। अतः

सहज ही मेरे मन मे आया कि अब समय आ गया है, जब चरखा-सघ सर्व सेवा-सघ मे विलीन होना चाहिए। एक नेता तथा स्थाय के नीचे बापू के सारे रचनात्मक कामों का सचालन हो, ताकि इसमें से कुछ वास्तविक शक्ति का निर्माण हो सके।

कमर का तीव्र दर्द लेकर मे खादीग्राम वापस आकर खाट पर लेट गया। मित्रों ने मान लिया कि अब मैंने वाकी जिन्दगीभर के लिए खाट पकड़ ली, क्योंकि देश के तमाम डॉक्टर मित्रों ने सभी आधुनिक औजारों से परीक्षा कर और सारे ज्ञान-विज्ञान का इस्तेमाल कर यह फैसला दे दिया था कि रीढ़ की हड्डी बढ़ने के कारण यह रोग इलाज के बाहर हो गया है। यह कभी ठीक होगा नहीं। दो, सवा दो साल खाट पर पड़े रहकर किस तरह मे स्वम्य हुआ, यह बात सबको मालूम है। अत इसका वर्णन करना व्यर्थ है।

खादीग्राम मे पड़े-पड़े चरखा-सघ के विलीनीकरण के प्रश्न पर मैं सोचता रहा। सब के जो मित्र मुझसे मिलने आते थे, उनसे चर्चा भी करता रहा।

अन्त मे एक बार जब भाई राधाकृष्ण वजाज मुझसे चरखा-संघ का मिलने आये, तो मैंने उन्हे अपना निर्णय सुना दिया

ग्रन्थ और कहा कि चरखा-सघ के सब मित्र तैयार हो, तो

अगले सम्मेलन के अवसर पर ही चरखा सघ विलीन हो जाय, ऐसी मेरी इच्छा है। भाई राधाकृष्ण वजाज ने कहा कि “आप ही विरोध मे थे और आपकी ही ओर से प्रस्ताव हुआ, तो चरखा सघ के लोग सहमत हो जायेगे, ऐसा मेरा विश्वास है।” फिर क्या था, राधाकृष्ण वजाजजी ने विनोदा से लेकर देशभर के सभी मित्रों के कानों मे मेरे ये विचार ढाल दिये।

मार्च '५३ मे चांडिल मे सम्मेलन हुआ। वहाँ पर मैंने चरखा-सघ के मित्रों के मामने अपना प्रस्ताव रखा। दो दिन तक खूब चर्चा चली। आखिर उसमे सबकी सहमति रही। चर्चा के दौरान मे अब तक के विलीनी-करण से सघ का जो स्वरूप चल रहा था, उस पर मैंने अपने विचार प्रकट

श्रमभारती, खादीग्राम

११-७-५८]

चौमासा विताने के लिए विनोबा बनारस ठहरे हुए थे। आदोलन के भविष्य के बारे में सारे कार्यकर्ता वहीं जुटते थे तथा अनेक प्रकार की चर्चा होती थी। मैं कमर के दर्द के कारण वहाँ नहीं जा सकता था। इसलिए करण भाई खादीग्राम आकर चर्चाओं का सार मुझे सुनाते थे। उसी चर्चा के दौरान मे उन्होंने मुझसे कहा कि आदोलन के व्यापक प्रसार के लिए खर्च की आवश्यकता है और खुशी की बात है कि गांधी-निधि उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है।

यह बात मुझे कुछ अटपटी-सी लगी। गांधी-निधि के खर्च से आदोलन चलेगा, तो यह चरखा-संघ जैसी सर्व-सेवा-संघ की एक प्रवृत्ति हो जायगी। जन-आनंदोलन, जन-क्रान्ति आदि जो गांधी-निधि की भाषा प्रयोग में आती है, वह व्यर्थ सिद्ध होगी।

मदद करण भाई मे मैंने कहा कि ऐसा करना विलकुल गलत होगा। क्राति इस तरह नहीं हुआ करती। मैंने आजादी की लड़ाई के दिनों की मिसाल पेश की और कहा कि “उत्तर प्रदेश मे आदोलन का विशिष्ट प्रसार हुआ और वह तब हुआ, जब सभी सार्वजनिक कार्यकर्ता किसी न किसी दल की ओर से आम चुनाव मे मशगूल थे। इसे किस केन्द्रीय कोष ने चलाया?”

करण भाई मुझसे सहमत नहीं हो सके। उन्होंने कहा : “आपको मालम नहीं है कि उत्तर प्रदेश मे यात्रा के लिए धन बटोरने में कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी हैं, सो मैं ही जानता हूँ।” मैंने कहा कि “यह ठीक है कि उसमें तरटुद उठाना पड़ा, लेकिन आदोलन के बल चला ही नहीं,

वह भी गया कि आज गांधी-निधि, सरकार तथा दूसरी सारी संस्थाएँ इस ओर छुक रही हैं। कोई भी क्राति विना तरदूद के तो चल ही नहीं सकती है। यही तरदूद आदोलनों को जन-हृदय में प्रवेश कराता है। जब आदोलन साधारण जनता के लिए अश्वात था, तब तो तुम लोगों ने उसे जनता के आधार पर चलाया और अब जब उसने जन-मानस को इस प्रकार से आकर्षित कर लिया है, तब जनता के भरोसे उसे चलाने से हिम्मत हारते हो, यह कैसी बात है!”

करण भाई का मेरा साथ तब से है, जब १९३५ में मैं रणीवों गया था। तब से आज तक वे मेरे अनुज जैसे ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने विना

समझे कभी कोई चीज मानी नहीं। आदेश पर वे निर्णय का विरोध समर्पण बुद्धि से काम कर लेते हैं, लेकिन मतभेदों को

प्रकट किये विना मानते नहीं। मौका आने पर वे मुझसे गर्मागर्म बहस करते हैं। इस बार भी वे गर्म हुए और बोले कि “आप सिर्फ सिद्धान्त की ही बात करते हैं और यह नहीं देखते कि सम्बव क्या है!” मैंने कहा : “कुछ भी कहो, यह निर्णय आन्दोलन के लिए हानि-कारक होगा, ऐसी मेरी मान्यता है।”

उत्तर प्रदेश से निकलकर विनोदाजी सीधे विहार आनेवाले थे। विहार के मित्रों ने चार लाख एकड़ जमीन एकत्र करने का सकल्प किया। विनोदाजी उतने में ही विहार आने के लिए राजी हो गये। ज्यो-ज्यो विहार आने का दिन निकट आता गया, त्यों-त्यों विहार के मित्रों की बैचैनी बढ़ती गयी। नया काम था। क्या काग्रेस जन, क्या रचनात्मक कार्यकर्ता, सभी लोग स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जन-सम्पर्क से दूर हो गये थे। इसलिए उनके सामने प्रश्न था कि काम कैसे चलेगा, स्वर्च कहाँ से आयेगा आदि। ऐसे अवसर पर उन्हें यह ठीक लगा कि गांधी निधि खर्च का बोझ उठाये।

लक्ष्मीबाबू प्रायः मुझसे मिलते रहते थे। उन्होंने भी गांधी-निधि की चर्चा की। मैंने उनसे भी वही कहा, जो करण भाई से कहा था।

उन्होने कहा कि “आपका सिद्धान्त बिलकुल सही है, लेकिन जनता मेरे द्वासने के लिए शुरू मेरे कुछ सहारा ऊपर से लेना होगा।” मैंने कहा :

“फिर आप फँस जायेगे। कार्यकर्ताओं की हिम्मत विनोबा की टूटेगी और नये कार्यकर्ता विशेष त्यागवृत्ति लेकर आन्दोलन मेरे प्रबोच नहीं करेंगे।” करण भाई ने जो

जवाब दिया था, वही दूसरी भाषा तथा दूसरे शब्दों मेरे लक्ष्मीबाबू ने दिया। अन्त मेरे यह मामला विनोबाजी के पास गया और उन्होने गाधी-निधि की मदद के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी।

विनोबाजी की स्वीकृति के बाबजूद यह बात मेरी समझ मे नहीं आयी। लेकिन आन्दोलन विनोबाजी ने चलाया है, वे द्रष्टा पुरुष हैं, हो सकता है, इसमे उन्होने कुछ देखा हो—यह सब सोचकर मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे मन मेरे समाधान नहीं हुआ।

बाद मेरे एक बार सघन क्षेत्र जाने को मिला था, वहाँ के खर्च का ढग तथा काम के तौर तरीके देखकर गाधी-निधि से मदद लेने के बारे मेरा विचार और छढ़ हुआ। लेकिन इतने बड़े तपस्वी के नेतृत्व मेरे आन्दोलन चल रहा था, इसलिए उसकी मुझे विशेष चिन्ता नहीं हुई।

इन बातों के बाबजूद विहार मेरे आन्दोलन जोर पर था। लोगों मेरे बड़ा उत्साह था। जयप्रकाश बाबू इसमे पूरा समय दे रहे थे, इसलिए

नये नौजवान इसमे आ रहे थे। दूसरे साल चाप्डिल-आन्दोलन में सम्मेलन की हवा देखकर ऐसा लगता था, मानो हम

तेजी १९३० के ही आन्दोलन मेरे चल रहे हो। इसी तरह जोश के साथ आन्दोलन बढ़ता रहा। आन्दोलन की

इस बाद मेरी चिन्ता गाधी निधि की सहायता के पहलू पर से हट गयी। उस समय मैं खाट पर पड़ा था, इसलिए कर भी क्या सकता था? चरखा-सघ को सर्व-सेवा-सघ मेरे विलीन करने के बाद अव्यक्त पद से मुक्ति पाने से मुझ पर कोई विशिष्ट जिम्मेदारी भी नहीं रही थी। मैं खादीग्राम की योजना मेरे मार्गरूप हो गया।

मुँगेर जिले के काग्रेस-जन खादीग्राम में मेरे बैठने के लिलाफ थे, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। लेकिन वह मुख्यालक्ष्य कितनी गहरी

थी, वह बात बाट में मालूम पढ़ी। विनोवा ने जब

मुँगेर जिले के पहली बार विहारभर के काग्रेस जनों को आमन्त्रित काम की जिम्मे- किया था, तो इस जिले से कोई नहीं गया था। बाट

दारी में पटना की बैठक में वे गये तो अवश्य, लेकिन भूदान समिति आदि बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया।

उनका कहना था कि काग्रेस ही एकमात्र ऐसी सत्था है, जो कुछ कर सकेगी। समिति आदि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन तब से लेकर चाण्डिल-सम्मेलन तक कोई काम नहीं हुआ। इस कारण विनोवाजी चिन्तित थे। अकस्मात् उनका पत्र आया कि मुँगेर के लिए मुझे चिन्ता करनी है। आदेश हुआ और मैंने जिम्मेदारी महसूस की। अजीव स्थिति थी। इवर मेरी कमर में ढर्ट, उधर साथियों का इस जिले में किसीसे कोई परिचय नहीं।

चाण्डिल-सम्मेलन में जयप्रकाश बाबू ने अपील की कि विद्वार्थी एक साल अपनी पटाई छोड़कर भूदान में काम करे। साधारण स्कूल-कॉलेजों से तो बहुत कम छात्र आये, लेकिन तालीमी छात्रों का सघ में जो लोग ग्राम-निर्माण, नयी तालीम का गिरण ले रहे थे, उनमें से बारह तेरह भाई-बहन इसके लिए आगे बढ़े। अण्णासाहब ने उन्हे एक माह की ट्रेनिंग के बाट काम पर लगाने के लिए मेरे पास भेज दिया। उनसे बात करने से पता चला कि मेरे मार्ग दर्शन में इसी जिले में काम करने की उनकी तैयारी है।

इन बारह-तेरह नौजवानों को मैंने विभिन्न थानों में भेज दिया। उनसे मैंने कहा कि तुम यहाँ के लोगों से परिचय बढ़ाओ, उन्हे मित्र बनाओ और अपने विचार का प्रचार करो। एक महीने के प्रशिक्षण-काल के

दौरान में मैं उनका रोज दो-तीन घटका वर्ग लेता था। चार घंटा श्रम करवाता था। इसलिए एक माह की अवधि मे ही उन्हे पर्याप्त वैचारिक

पूँजी मिल गयी थी। उन्होने भी जिले के काम में इस दुवकों का प्रशंस- पूँजी का अच्छी तरह इस्तेमाल किया और थोड़े दिनों

नीय कार्य मे अपना अच्छा असर बना लिया। समाजवादी या

साम्यवादी विचारवाले लोगों के साथ चर्चा करके वे अपने विचार का प्रतिपादन भी कर लेते थे। इन जवानों के घूमने से स्वादीग्राम का स्वतन्त्र परिचय हुआ। साथ साथ इधर आकर्षण भी बढ़ा। ये विद्यार्थी सर्वोदय के विचार जिस ढग से पेश करते थे, उसका परिचय जनता को नहीं था। वापू के विचार के पीछे एक सुव्यवस्थित समाज-क्रान्ति की विचारधारा है, इसका बोध अच्छे नेताओं को भी नहीं था। वे गांधीवाद का मतलब इतना ही मानते थे कि मनुष्य झूठ न बोले, नैतिक चरित्र ठीक रखे और जीवन मे आध्यात्मिक विकास हो, भले ही आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रश्नों पर वह रुठ विचारों को ही मानता रहे। अतः यहाँ के जवानों ने जब गांधीजी के विचारों का स्पष्टीकरण करना शुरू किया, तो उन्हे एक नयी रोशनी मिली और साथ-साथ नयी आशा भी बैंधी।

यह सब होता रहा, लेकिन जिले के काम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मुझे कोई ऐसा सहायक चाहिए था, जिसका जिले के सार्वजनिक

कार्यकर्ताओं से परिचय हो। मैंने भाई रामविलास रामविलास शर्मा शर्मा को मॉगा और लक्ष्मीबाबू ने उन्हे मुँगेर जिले

का दौरा की जिम्मेदारी देकर भेज दिया। भाई रामविलास

शर्मा ने जिलेभर का दौरा करके सभी पक्ष के लोगों से सम्पर्क किया। यद्यपि काग्रेस के उच्चाधिकारी खिलाफ थे, फिर भी थाने के बहुत से कार्यकर्ताओं ने मदद करने का वचन दिया। समाजवादी दल के भी अधिकाश कार्यकर्ताओं ने मदद देने की बात कही। शर्माजी ने सब जगह घूमकर ऐसा महसूस किया कि जिलेभर के कार्यकर्ताओं का एक

शिविर मेरे सामने खादीग्राम में हो, जिससे भूदान की वैचारिक भूमिका लोगों की समझ में आ जाय। तदनुसार मर्ह-जन मे लगभग पचास कार्यकर्ताओं का शिविर खादीग्राम में बुलाया। शिविर में कायेस-जन थे, प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्ता थे और कुछ ऐसे भी थे, जो किसी दल में नहीं थे, लेकिन सर्वोदय-विचार से प्रभावित थे। शिविर में जितने लोग आये थे, उनकी मौग थी कि मैं एक बार जिले का दौरा करूँ। कम-से-कम प्रत्येक थाने मे एक सार्वजनिक सभा करके मैं भूदान-प्राप्ति का विचार समझाऊँ। उनका कहना था कि भूदान एक सामाजिक क्राति है, इसकी धारणा जब उन्हें ही नहीं है, तो जनता को कहों से होगी। वे मानते थे कि एक सत आ रहा है, वह जमीन मौगता है, तो प्राचीन परम्परा के अनुसार उन्हें कुछ दान देना ही है। इतना ही भूदान का अर्थ है। उनमें से केवल दो-चार ही ऐसे थे, जिन्हे क्रान्ति का कुछ बोध था।

मैं उस समय कमर के दर्द से पड़ा हुआ था। यात्रा कर नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे मुझे लेटाकर ले जाने की व्यवस्था करेगे।

भाई रामविलास ने भी जोर लगाया और मेरी राजी लेटे-लेटे दौरा हो गया। तदनुसार जिले मे एक महीने का दौरा किया। भाई रामविलास खुद पहले जाकर कार्यक्रम बनवाते थे और मैं पीछे आता था। मित्रों ने मुझे कभी मोटर पर लिटाकर, कभी बैलगाड़ी पर चारपाई बॉधकर और कभी पालकी से—इस प्रकार एक माह की यात्रा पूरी कर ली। लेटकर चलना, लेटकर लोगों से चर्चा करना और सार्वजनिक सभाओं मे लेटकर ही भाषण करना—यह भी एक नया अनुभव था। तुम लोग होती, तो बटा मजा आता।

मेरी यात्रा का कार्यक्रम जिलेभर में फैला। समूचे विहार का दौरा मैं पहले कर चुका था। प्रदेश के नोजवान तथा वहों की जनता मुझे पहचानती थी। मैं अत्यन्त क्रान्तिकारी विचारक के नाम से परिचित हो गया था। इसलिए कम प्रचार होने पर भी यात्रा के बारे में लोग न्यून

जान गये थे। जिले के काग्रेस अधिकारियों को यह नागवार मालूम हुआ। उन्होंने थाने के सभी कार्यकर्ताओं को मना कर दिया कि वे इस यात्रा में सहयोग न करें। इस मनाही की बात भी जिलेभर में जिले में जोरदार फैल गयी। उससे लोगों का आकर्षण और अधिक प्रचार बढ़ा। हर सभा में तीन हजार से सात हजार तक की भीड़ होती थी। बहुत से थानों के काग्रेस-जन मनाही के बाबजूद मेरा स्वागत करते थे और सार्वजनिक सभा की व्यवस्था करते थे। इस कारण वे अपने अधिकारियों के कोपभाजन बनते थे, लेकिन उनका दिल आनंदोलन के अनुकूल था, इसलिए वे सहयोग करते थे।

मेरी यात्रा से जिले में एक हवा बनी, खादीग्राम की शोहरत हुई और जनता में वैचारिक प्रचार हुआ। भूदान-क्रान्ति के बारे में मुँगेर जिले की जनता की काफी स्पष्ट धारणा बनी। शायद उस समय इस जिले में जितनी व्यापक वैचारिक स्पष्टता थी, उतनी बहुत कम स्थानों में थी।

इस प्रकार जिले में प्रचार करने के सिलसिले में सारे जिले से खादी-ग्राम का समर्पक हो गया। तबसे विभिन्न थानों से सार्वजनिक कार्यकर्ता वीच-वीच में खादीग्राम आने लगे और हम लोगों से चर्चा करने लगे। हम भी उनकी चर्चा में काफी दिलचस्पी लेते थे और उनसे समर्पक बढ़ाते थे। इस तरह चाडिल-सम्मेलन से सन् '५४ के गया-सम्मेलन तक का समय खादीग्राम ने मुँगेर जिले में भू-क्रान्ति के विचार फैलाने में ही विताया।

● ● ●

श्रमभारती, खादीग्राम

२६-८-५८

गया-सम्मेलन के अवसर तक देश में भूदान-आन्दोलन के प्रति काफी विद्वास फैल गया था। दो साल पहले सेवापुरी में सर्व-सेवा-सघ ने २५ लाख एकड़ भूमि एकत्र करने का जो संकल्प किया था, वह पूरा हो चुका था। इस संकल्प ने देश के सभी पक्ष के लोगों की दृष्टि आकृष्ट की। सम्मेलन में राष्ट्रपति वावू राजेन्द्रप्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, पडित जवाहरलालजी तथा अन्य वडे कांग्रेस-नेता उपस्थित हुए थे। आचार्य कृपालानी तथा अन्य दलों के चोटी के नेता भी पधारे थे। यह घटना अपने-आपमें ही बहुत बड़ा महत्व रखती थी। इसी सम्मेलन के अवसर पर जयप्रकाश वावू ने राजनीति से तटस्थ रहकर क्रान्ति के लिए अपने जीवन दान की घोषणा की। इस घोषणा ने सारे सम्मेलन में विजली-सी दौड़ा दी, खास करके तब, जब जयप्रकाशजी की अपील के फलस्वरूप पहला दान स्वयं विनोदा का आया। मैंने भी अत्यन्त घवराहट के साथ अपना जीवन अपिंत किया। इस जीवन-दान के आह्वान पर सम्मेलन के अवसर पर ही सैकड़ों नौजवानों ने अपने जीवन की आहुति दी। यह घटना इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी।

उन्हीं दिनों महाराष्ट्र में सयुक्त महाराष्ट्र का आन्दोलन चल रहा था। सीमा कमीशन के सामने केस रखने की तैयारी हो रही थी। श्री शक्तररावजी देव उस समय आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सर्व-सेवा-सघ के मन्त्री पद से इस्तीफा दे दिया। शक्तररावजी के मन्त्री पद स्वीकार करने के पहले विनोदाजी चाहते थे कि मैं सर्व-सेवा-सघ के मन्त्री का काम करूँ। उन्होंने इसके लिए मुझे समझाया भी। लेकिन उस समय मैं चरखा-सघ के अव्यक्ष की जिम्मेदारी लिये हुआ था।

तुम जानती हो कि मैं एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारियों नहीं चला सकता।

विना एकाग्र चिन्तन के मैंकोई काम नहीं कर सर्व-सेवा-संघ की सकता। मैंने विनोबाजी से कहा था कि चरखा-संघ अध्यक्षता स्वीकार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मैं यह भार ले सकता हूँ। लेकिन चरखा-संघ के मित्रों ने मुझे मुक्त नहीं किया था। जब वहाँ से मुक्ति मिली, तो इसके लिए लोग मुझ पर फिर जोर डालने लगे। लेकिन इस बार मेरी दूसरी मजबूरी थी। बीमार हालत में मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था, लेकिन साथी जोर दे रहे थे। आखिर मेरे जाजूझी ने ताईद की। उन्होंने कहा कि इनका कहना सही है, किसी समर्थ व्यक्ति को ही यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हाँ, अगर आप इन्हे कुछ काम देना ही चाहते हैं, तो अध्यक्ष का काम दीजिये, जिससे रोजमर्रा की व्यवस्था की चिन्ता न करनी पड़े। इस पर सब लोग राजी हुए। फलतः अण्णासाहब को मन्त्री पद का भार सौंपा गया और मुझे अव्यक्ष का। मैंने भी सोचा कि अध्यक्ष का विशेष काम नहीं है, स्वादीग्राम मेरे पांडे रहने से भी चल जायगा, इसलिए उसे स्वीकार कर लिया।

गया-सम्मेलन के बाद अकेले विहार में ही ५००-६०० नौजवानों ने जीवन-दान-पत्र भरकर भेजे। जयप्रकाशजी ने जीवनदानियों से सम्पर्क साधने के लिए मुझ पर ही बोझ डाला था। जहाँ तक होता था, मैं पत्रों द्वारा सम्पर्क स्थापित करता था। जगह-जगह कुछ मित्रों को भी मैंने जिम्मेदारी दे दी थी कि वे अपने प्रदेश मेरे सम्पर्क साधे।

विहार मेरे जीवनदानियों की सख्ता सबसे अधिक थी। विनोबाजी उन दिनों विहार में ही पदयात्रा कर रहे थे, इसलिए यह सोचा गया कि मुजफ्फरपुर मेरे विहार के जीवनदानियों का शिविर विनोबाजी के समझ किया जाय।

मुजफ्फरपुर पहुँचा। करीब ५०० जीवनदानियों का जमाव था। देश के विभिन्न स्थानों से सर्वोदय-नेता लोग भी एकत्रित हुए थे,

क्योंकि इसी अवसर पर सर्वे-सेवा-सब की बैठक भी बुलायी गयी थी। वातावरण में काफी चहल-पहल थी, उत्साह भी खूब जीवनदानियों था। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने वहाँ पहुँचते ही का शिविर गिरिधारियों से गप-गप शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगा कि अधिकांश जीवनदानियों ने विना समझे ही जीवन-दान-पत्र भरा है। शाहावाद जिले से तो मानो पलटन ही भरती हुई थी। सबसे अधिक सख्त वर्ही की थी। वहाँ की भूदान समिति ने जीवनदानी का विलाल लगाया था। आयट यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि शाहावाद जिला विशेष रूप से पलटन भरती का ही जिला है। इसलिए चाहे जिस चीज की भरती की सूचना निकले, भरतीवालों की कमी नहीं रहती। मैंने देखा कि केवल विना समझे हुए ही भरती नहीं हुए थे, बल्कि काफी लोग उल्टा मतलब समझकर भरती हुए थे। स्वराज्य होने पर भारत की राष्ट्रीय सरकार ने अपने को जन-कल्याण सरकार घोषित किया। स्वभावत वापू की प्रेरणा से वनी रचनात्मक संस्थाएं सरकार के लिए कल्याण-कार्य का जरिया बन गयी थी। फल-स्वरूप सरकारी मदद से इन संस्थाओं का क्लेवर काफी बढ़ गया। खादी-कार्य के लिए जिस प्रात में ४००-५०० कार्यकर्ता थे, उस प्रात में आज २५००-३००० कार्यकर्ता हो गये थे। इसलिए रचनात्मक संस्थाओं में खूब भरती होती थी। शिक्षित मध्यम-वर्ग की बेकारी भी बहुत थी। इसलिए बहुत लोगों ने ऐसा माना कि जीवनदान कर देने से इस प्रकार का कोई काम अवश्य ही मिल जायगा। गाधी-निधि की सहायता से भूदान समितियों भी जेव खर्च के नाम से १०), १५), २५), ३०) मासिक तो दे ही देती थीं। विहार के देहाती क्षेत्रों के मध्यमवर्गीय नवयुवकों की बेकारी की स्थिति ऐसी थी कि ये दस, बीस वर्षे भी उनके लिए कम आकर्षण नहीं था। मैंने देखा कि पांच सौ के इस छुड़ में ऐसे लोग भी थे, जो वैचारिक भावना से ग्रेरित होकर जीवन में कुछ त्याग करने की तैयारी से आये थे। कुछ लोग ऐसे भी थे, जो स्वतंत्रता के आदोलन के समय से

देहातों मे सार्वजनिक काम करते थे, लेकिन वर्तमान पक्षगत राजनीति मे चुनाव के अलावा कोई सक्रिय कार्यक्रम न रहने के कारण सार्वजनिक सेवा का कोई अवसर न रहने पर एक प्रकार से निष्क्रिय हो गये थे। उन्हे जीवनदान के आहान से प्रेरणा मिली थी। ऐसे कुछ लोग भी इसमे शामिल थे। कुल मिलाकर मुझ पर यह असर पड़ा कि काफी गहराई से अध्ययन करके अपने क्राति-कार्य के लिए योग्य सेवक चुनने की आवश्यकता है। अपने पर इसकी जिम्मेदारी होने के कारण मुझे इसकी चिंता भी हुई।

दूसरे दिन सुबह विनोबाजी मुजफ्फरपुर पहुँचे। मैंने उनसे मिलकर कहा कि इतने कार्यकर्ताओं मे से योग्य सेवक चुनने की जरूरत है।

लेकिन विनोबाजी ने तुरन्त कहा : “तो क्या हम परीक्षा का परीक्षा लेने बैठेंगे ? परीक्षा लेनेवाले हम होते कौन प्रश्न है ? वह तो भगवान् ही लेगा !” वहाँपर अपने होन-हार जवान साथी भाई नारायण देसाई भी मौजूद थे।

मेरी बातों से वे नाराज होकर कहने लगे : “यह आप लोगों का अहकार ही है। जो लोग श्रद्धा से आये हैं, उनसे काम लीजिये, चुनने की जरूरत क्या ?” यद्यपि मेरी समझ मे यह बात नहीं आयी, फिर भी निश्चिन्तता आयी, क्योंकि अब तक चुनाव की जिम्मेदारी के बोझ से मै दबा जा रहा था, अब उससे मुक्त हो गया। उसी समय से विनोबाजी के इस विचार पर चिन्तन चलता रहा। लेकिन काफी सोचने के बाबजूद यह बात मेरी समझ मे नहीं आयी।

योडी देर के बाद सम्मेलन का उद्घाटन विनोबाजी ने किया।

उद्घाटन भाषण मे उन्होने मुझसे हुई चर्चा का जिक्र सभा परलोक में होगा ! किया। उन्होने कहा कि “धीरेन भाई ने ऐसा सवाल

जीवनदान के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उन्होने कहा : “कोई जीवनदानी है कि नहीं, यह तो मरने के बाद ही पता

चलेगा । अत. जीवनदान के सदर्भ म किसीके बारे मे कहना होगा, तो मृत्यु के बाद कौन जीवनदानी ये, इतना ही कहना होगा ।” साथ ही साथ उन्होंने एक मजेदार बात और कही “जीवनदानियों की सभा इस लोक मे नहीं हो सकती । वह सभा परलोक मे होगी ।” यह सब सुन-सुनकर मुझे बड़ा मजा आता था और मैं मुस्कराता था । सोचता था कि विनोबाजी ने मसला आसानी से हल कर दिया, क्योंकि जो सच्चे जीवनदानी नहीं होगे, वे परलोक मे पहुँच ही नहीं सकेंगे । वे तो प्रेत-लोक मे ही घूमते रहेंगे । फिर उस सभा मे कौन सच्चा जीवनदानी है, कौन नहीं, इसका चुनाव करने की झज्जट नहीं रही ।

उद्घाटन-भाषण के बाद विनोबाजी अपने कमरे मे चले गये । सम्मेलन-सचालन का भार मुझ पर ही आ पड़ा । दूसरा भाषण मुझे ही करना पड़ा । मैंने कहा : “आप लोगो ने मन्त्र सुन मन्त्र और तन्त्र लिया, अब तन्त्र की बात मुझसे सुनिये । मन्त्रवाला मन्त्र देकर गया, तो तन्त्रवाला तन्त्र की ही बात न कहेगा । विना मन्त्र के तन्त्र चल ही नहीं सकता । अगर चला भी, तो वह शुष्क मन्त्र बन जायगा ।” इतनी भूमिका के बाद मैंने कहा कि “यद्यपि यह सही है कि हममें से किसीको जीवनदानियों की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब कमजोर इसान हैं, फिर भी यदि कोई जीवनदानी मेरे कन्धे पर बैठने के लिए कहेगा, तो मैं उसे अवश्य तौलूँगा । उसका गुरुत्व देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने कन्धे की समर्थता देखने के लिए ।” फिर कुछ विस्तार से मैंने अपना यह आशय समझाया भी ।

सभा के बाद शिविराथियों के बीच मेरे भाषण की जोरदार चर्चा छिड़ी । कुछ लोग काफी असन्तुष्ट होकर कहते थे कि विनोबाजी एक बात कहते हैं, धीरेनभाई दूसरी बात । कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि काम न देने का यह एक बहाना मात्र है ।

मुजफ्फरपुर का बातावरण तथा चर्चा का स्तर देखकर मुझे फिर एक बार १९५२ मे करण भाई तथा लक्ष्मीवालू के साथ हुई चर्चा याद

आयी। मुझे ऐसा लगा कि अगर गांधी-निधि का आधार न लेकर हम छोटे रूप में ही रहते और जनता के प्रत्यक्ष आधार पर अपना काम चलाते, तो जीवनदान का इतिहास कुछ दूसरा ही होता।

मैं अपनी ओर भी देख रहा था। सर्व-सेवा-सघ की ओर मेरी दृष्टि जाती थी। सोचता था कि क्या हम सर्व-सेवा-सघवाले विनोबा की क्रान्ति के सफल वाहक हो सकते हैं? विचार क्रान्तिकारी, सस्कार पुराने। विचार और सस्कार के सधर्ष में अधिकाश बार सस्कार ही विजयी होता है, यह तुम जानती ही हो। सोचता था कि हमसे से कितने लोग ऐसे हैं, जिनकी विचार-निष्ठा पुराने सस्कार को पराजित कर सकती है। इस प्रकार के स्फुट विचार मेरे मन को आलोड़ित करते रहे।

शाम को प्रार्थना के बाद हमेशा की तरह विनोबा ही बोलनेवाले थे। विनोबाजी ने उस दिन कहा कि “आज कोई दूसरा बोले, मैं आखिर मे

कुछ कह दूँगा।” मित्रों ने मुझे ही पकड़ा। मैंने अपने नये विचार, भाग्ण में वे ही बाते कहीं, जिनसे मैं दो दिन तक पुराने संस्कार आलोड़ित रहा था। मैंने कहा कि “इस क्रान्ति के सदर्भ में हमारी वही जमात है, जो स्वतन्त्रता-आनंदोलन के समय ‘माडरेटो’ के नाम से थी। आज हमारा विचार बतमान अर्थनीति, राजनीति तथा समाजनीति को समाप्त करने का है, लेकिन हमारा सस्कार तथा आचार वर्तमान नीतियों के अनुसार सस्थाओं की सेवा करने का है। ‘माडरेट’ लोग इतिहास की एक आवश्यक कड़ी थे, लेकिन वे आजादी नहीं हासिल कर सकते थे। उसी तरह हम लोग क्रान्ति के इतिहास की एक आवश्यक कड़ी अवश्य हैं, लेकिन हम क्रान्ति हासिल नहीं कर सकते। नौजवानों को चाहिए कि वे आगे बढ़े और क्रान्ति का झड़ा हमारे हाथ से लेकर तीव्र गति से आगे बढ़े।” मैं समझता था कि विनोबाजी उस दिन ऐसा प्रवचन करेगे, जिससे लोगों को गहरी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उपस्थित जनता को प्रणाम करके वे चल दिये।

उस बार सर्व-सेवा-सघ की बैठक में आटोलन के भकरना होगा, के बारे में गहराई से चर्चा हुई तथा कार्यकर्ता थोड़ी सी प्रेरणा, एक ही गये। आटोलन की प्रगति के बारे में अपनी कहानी फिलहाल यहीं समाप्त करता हूँ। अगले पत्र में खादीग्राम पहुँचने के बाद क्या-क्या अनुभव हुआ, उसका विवरण लिखने की कोशिश करूँगा।

ॐ ॐ ॐ

आयी

छोटे

अम-साधना का श्रीगणेश

श्रमभारती, लाइनर्स

२७-८-३५८

खादीग्राम आने की प्रेरणा तथा जमाने की प्रक्रिया पर पिछले पत्रों में कुछ लिख चुका हूँ। किस प्रतिकूल परिस्थिति से मित्रों की मनाही के बावजूद मैं यहाँ आकर वैठा, यह तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन जहाँ प्रतिकूलता थी, वहाँ एक बहुत बड़ी अनुकूलता भी थी और वह यह कि प्रदेश के सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सहयोग तथा उनकी शुभ कामना मेरे साथ थी। लक्ष्मीवावू, ध्वजावावू, रामदेव वावू आदि मित्रों ने इस केन्द्र को जमाना अपना काम समझ लिया था। वस्तुतः लक्ष्मीवावू के कारण ही मैं इस स्थान पर वैठा था।

इस तरह अनुकूलता-प्रतिकूलता के बीच हम दो-तीन साथी इस घोर जगली और पथरीले प्रदेश मे आकर बस गये। शुरू मे जब आये, तो

एक-डेढ़ माह तक कमर की बीमारी नहीं हुई थी, उस पत्थर फोड़ने समय मैं दिनभर इस जमीन की परिक्रमा किया करता का काम था। चारों ओर जगल तथा पहाड़ों के प्राकृतिक सौर्य से मैं प्रभावित रहता था। दो-तीन एकड़ जमीन (जहाँ पर पहले विहार चरखा-सघ ने खेती की थी) के अलावा सारा स्थान ऊँचा-नीचा और ककड़-पत्थर से भरा हुआ था। सदियों से पहाड़ों का पानी वहते रहने के कारण जमीन पर मिट्टी नहीं दिखाई देती थी। कहीं-कहीं एकआध जगह मिट्टी का अश्व था, लेकिन हर साल वरसाती कटाव के कारण उस पर धास भी नहीं उगती थी। इस प्रकार ऊँचाड़-खावड़ पथरीली जमीन पर एक बड़ी शिक्षण-स्थाय कायम करने के लिए निरन्तर चितन करते रहना पड़ता था। कृषिमूलक केन्द्र बनाना है, तो

इस स्थान को खेती लायक करने के लिए महान् पराक्रम करना होगा, यह निश्चय था। इसलिए हमने अपने साथियों से कहा कि अभी एक ही काम है—गैता, कुटाल से पत्थर फोड़ना।

कृपि के लिए पहली आवश्यकता पानी की होती है। खाद के बिना जोताई बढ़ाकर, हरी खाद उगाकर अनेक प्रकार से खेती का काम किया जा सकता है लेकिन पानी बिना खेती का काम नहीं हो सकता है—यह देग के बूढ़े-बच्चे सभी जानते हैं। दुर्भाग्य से खादीग्राम में इस पानी का ही अभाव था। जमीन पर विहार चरखा-सघ ने एक छोटा-सा कुँआ खोदा था। किसी तरह पानी पीने का तथा नहाने का काम चलता था। अग्रेल के मध्य भाग में वह भी सूख गया। खेती करने की बात तो दरकिनार, पीने का पानी सड़क पार छह फर्लॉग दूरी पर से लाना पड़ता था और वहाँ जाकर नहाना भी पड़ता था।

अखिल भारत चरखा-सघ के अध्यक्ष कृषिमूलक ग्रामसेवक विद्यालय के सगठन के लिए नूमर में बैठ गये हैं, यह चर्चा विहारभर में फैल गयी। ध्वजाभाई एक दिन प्रदेश के कृपि तथा सिचाई-विभाग के अफसरों को लेकर खादीग्राम आये। मैं उस समय बीमार पड़ा रहता था, इसलिए ध्वजाभाई ने उन्हे पहले तो पूरा अहाता दिखाया, फिर वे उन्हे मेरे पास लाये। मैं जब उन्हे योजना समझा रहा था, तो वे मुस्करा रहे थे। बाद को बोले : “आपको यह क्या सूझा है कि जान-बूझकर प्रकृति के साथ विफल सघर्ष करने के लिए यहाँ आकर बैठे है ?”

मैंने हँसकर कहा : “सघर्ष अवश्य है, लेकिन आप जैसे विजेपन भी अगर इसे ‘विफल सघर्ष’ कहते हैं, तो आधुनिक विज्ञान की क्या दुर्दशा होगी। अगर इजराइल की मरुभूमि हरी-भरी हो सकती है, तो क्या आपका विज्ञान इस पत्थर पर हरियाली नहीं उगा सकता है ?” मैंने उनसे कहा कि “उर्वरा भूमि पर किसान जाता ही है, हम भी उसी तरह उर्वरा भूमि लेकर बैठ जायें, तो उससे भारत की भूमि-समस्या हल नहीं होगी।” इस प्रकार काफी देर चर्चा हुई, जिसके बीच मैंने यह भी

कहा कि “हम लोग क्रान्तिकारी भी हैं। हमें सधर्ष में हो मजा आता है। अहिसक क्रान्तिकारी के नाते हम जाति, दल, राष्ट्र या उसी प्रकार आदमियों के गिरोह के सधर्ष नहीं करते हैं, तो प्रकृति देवी के साथ ही सधर्ष करने की बात सुझ रही है।” “ठीक है, सधर्ष कीजिये।” कहकर हँसते हुए वे विदा हुए।

हम लोग इसी सधर्ष में लग गये। सबसे पहले पानी की ही चिन्ता सवार हुई। अपनी जमीन के उत्तरी छोर पर पानी का एक पुराना सोता था, ऐसा लोग बताते थे। लोग कहते हैं, पुराने जमाने पानी की चिन्ता में जगल के राही उसी सोते पर सत्तु खाते थे। लेकिन काफी अरसे से वह बन्द हो गया। स्थानीय लोगों की राय थी कि वही पर एक कुँआ बनाया जाय। अतः १६ फुट के व्यास का एक कुँआ खोदने में हाथ लगा दिया।

कुँआ खोदने का काम भी मानो युद्ध की एक तैयारी था। वह स्थान भालू तथा लकड़बधे का था, कभी-कभी चीता भी अतिथि रूप से उस पहाड़ी पर आया करता था। खूब तड़के काम शुरू करने के लिए भाला आदि लेकर, मचान बौधकर हम लोग वहाँ रहते थे।

तीन साल लगातार अनावृष्टि के कारण उन दिनों इस इलाके में घोर अकाल चल रहा था। हमने जब कुँआ खोदने का काम शुरू किया, तो आसपास के लोगों को इससे राहत मिलने लगी। नजदीक कुँआ खोदने का सधर्ष के गाँव में कुँआ न रहने के कारण गाँववालों की भी उसमें बड़ी दिलचस्पी हुई और लोग उत्साहपूर्वक कुँआ खोदने लगे। मोरुम की जमीन, एक कण से दूसरे कण

का कोई लगाव नहीं, बीच-बीच में दरार फटती जाती थी, फिर भी हम लोग कुँआ खोदते जाते थे। चारों तरफ के लोग देखने आते थे, कुछ लोगों को आश्र्वय होता था और कुछ को परेगानी। परेगानी इसलिए कि लोग घबराते थे कि कोई न कोई इसमें दबकर मरेगा। आसपास के सथाल लोग इसलिए भी डरते थे कि जगल के सवा लाख देवताओं पर

पूजा चढ़ाये बिना हम लोगों ने कुँआ खोदना शुरू कर दिया है। अन्त में सबका भय सही निकला। एक दिन रात को कुँआ एक तरफ से धूँसकर गिर गया। रात को गिरा इसलिए कोई दवा नहीं।

हम लोग कुँए को फिर खोदने लगे। सख्त मोर्सम था, गैता धूँसता नहीं था, चड़ान होती, तो छेनी से भी काटा जाता, लेकिन हिम्मत बिना हारे हमारे साथियों तथा पास के ललमटिया गाँव के मजदूर उसे काटते ही चले। एक ओर गैता और मोर्सम की टक्कर से आग का निकलना और दूसरी ओर से कुँए के धूँसे हुए किनारे के बीच लोग काम करते रहे। मन में सोचा, चलो, यह भी एक सधर्प है। तीन बार कुँए का किनारा कटकर गिरा, तीन बार सफाई हुई। अन्त में तो सारा कुँआ ही बीच में धूँसकर बैठ गया। खटिया पर लिटाकर लोग मुझे बहों ले गये। कुँआ धूँसने की खबर घटेभर में विजली की तरह चारों ओर फैल गयी और लोग देखने आने लगे। मैं पहुँचा, तो लोग कहने लगे कि अब इसे छोड़ ही दीजिये, लेकिन हमने तो पीछे हटना सीखा नहीं था। मैंने कहा कि उसी पर कुँआ बौधा जाय तथा पटी हुई मिट्टी खोदकर उसी पर गलाया जाय। वही किया गया और कुँआ तैयार हो गया।

कुँआ बनने की घटना ने खादीग्राम का नाम जितना प्रचारित किया, उतना शायद चौगुना खर्च करके भी हम नहीं कर पाते। लोगों ने देख लिया कि ये लोग हिम्मतवाले हैं और इस बात ने यहाँ की अत्याचार-पीड़ित जनता को बड़ी तसल्ली दी। लोग हमारे प्रति आकर्षित हुए और हमसे चर्चा करने के लिए आने लगे। यो हमे बैठे-बैठे सर्वोदय-विचार-प्रचार तथा अपनी योजना को समझाने का मौका मिला। इस प्रकार खादीग्राम में सालभर तक एकाग्रता के साथ कुँआ बनाने, पत्थर खोदकर जमीन निकालने, एक बौध बौधने और तालाब खोदने में लगे रहे। हमारे साथी श्रम-साधना का प्रयास करते रहे।

सन् १९४५ में जब मैं जेल से लैटकर आया, तो मैंने 'हुजूर-मजूर' का दर्शन समझाना शुरू किया था। अकवरपुर आश्रम की जिम्मेदारी

लेकर मैंने पढ़े-लिखे नौजवानों को कुन्दी के काम में भरती किया।

उन्हे आधे समय कुन्दी का काम दिया और आधे श्रम-साधना का समय हिसाब का। दुर्भाग्य से वहाँ पर साथियों

प्रयास का सहयोग न मिलने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका था। चरखा-सघ में भी शरीर-श्रम के

अभ्यास की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी लोगों ने साथ नहीं दिया। यहाँ आकर नये सिरे से काम शुरू करने के कारण मैंने शुरू से ही यह गर्त रख दी थी। चूँकि हम ऐसा एक वर्गहीन समाज कायम करना चाहते हैं, जिसमें न आज का हुजूर रखना है और न आज का मजूर। शिक्षित तथा वैज्ञानिक श्रमजीवी मानव बनाना है। इसलिए मैंने साथियों से कहा कि “आप लोग आधे समय उत्पादक श्रम करें तथा आधे समय व्यवस्था तथा अध्ययन आदि का काम करें।” इस नियम से मैंने बहनों तथा बच्चों को भी छुट्टी नहीं दी। सौभाग्य से जो दो-चार साथी आये थे, उन सबने अत्यन्त निष्ठापूर्वक मेरे इस विचार में साथ दिया। चार ही घटे नहीं, शुरू में तीसे बे छह से लेकर आठ घटे तक काम करने लगे।

यह तो तुम्हे मालूम ही है कि यह जमीन दस साल पहले विहार चरखा-सघ ने ली थी और उस समय चरखा-सघ तथा काग्रेस वस्तुतः एक ही थे।

इसलिए आसपास की जनता इस स्थान को काग्रेस गांधी के असली का कहती थी और हम लोग भी ‘काग्रेसी’ के नाम से चेला परिचित हुए। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद काग्रेस किस

ओर जा रही थी, यह सबको स्पष्ट हो चुका था, उसकी शिकायत भी होने लगी थी। ऐसे समय में नूमर में काग्रेस के अच्छे पढ़े-लिखे लोग गैता और बुद्धाल लेकर प्रतिदिन चार-छह घटे पत्थर खोदते हैं, यह देखकर लोग हैरान होते थे और दूर-दूर से देखने आते थे। इस श्रम-कार्य ने हमें इस इक्काके में खूब लोकप्रिय बना दिया। फिर जब काग्रेसवाले हमारा विरोध करने लगे, तो लोगों के मन में सदैह होने लगा कि ये

काप्रेस-जन है या कोई दूसरे लोग। इस ज़का ने उन्हें गाधीवाद के सही विचार की ओर आकर्षित किया। उनमें से बहुत-से लोग कहने लगे कि ये काप्रेस से भिन्न कोई दूसरे लोग हैं। ये कौन लोग हैं, यह तो वे नहीं समझते थे, लेकिन इतना वे समझते थे कि ये न तो काप्रेसी हैं, न समाज-वादी। सार्वजनिक थेट्र में इन दो प्रकार के अलावा तीसरा प्रकार भी है, इसकी जानकारी उनको नहीं थी, क्योंकि वे काप्रेस को ही एक मान गाधीवादी संस्था के नाम से जानते थे। सर्वोदय का नाम तब तक उन्होंने सुना ही नहीं था। कुछ दिन में वे कहने लगे कि ये लोग गाधीजी के असली चेला हैं। यो हम लोग 'असली चेला' के नाम से मशहूर हुए।

मैं वीमार पड़ा रहता था, इसलिए मेरे मित्र वीच-वीच मेरे पास आते रहते थे। ये सब लोग मुझसे पूछते थे कि इस प्रकार पत्थर खोदने से क्या निष्पत्ति निकलेगी। वे यह भी पूछते थे कि गॉव का हम क्या काम करते हैं? मैं उनसे कहता था कि "यहाँ गॉव का काम करने की पूर्व तैयारी हो रही है।" लेकिन मेरी यह वात उनकी समझ में नहीं आती थी।

मैंने केन्द्र का नाम 'समग्र ग्राम सेवा विद्यालय' रखा था। यह नाम भी मित्रों को खटकता था। वे पूछते थे कि विद्यालय के विद्यार्थी कहाँ

हैं? जवाब में मैं कहता था कि विद्यार्थी हम लोग समग्र ग्रामन्मेवा हैं और शिक्षक हमारा उद्योग, प्रकृति और सामाजिक विद्यालय परिस्थिति है। किसी-किसीको मैं यह भी जवाब देता था कि मैं शिक्षक और वे नौजवान विद्यार्थी हैं। लेकिन इससे मित्रों को समाधान नहीं होता था। अण्णासाहब के सिवा चरखा-सघ के वाकी साथी भी परेशान होते थे।

एक और तो श्रम का अभ्यास चलता था, दूसरी ओर अपने साथियों से मैं निरन्तर वर्ग-परिवर्तन के विचारों की चर्चा किया करता था। हुजूर को मजूर बनना है, यह दृष्टि उन्हें अच्छी तरह से मिल गयी थी। लेकिन यहाँ का ढाँचा वही था, जो चरखा-सघ का था। लोगों को वेतन मिलता था और वे वेतन के आधार पर अपना गुजारा करते थे। एक-

दो साथी ऐसा भी महसूस करते थे कि हम जिन विचारों का प्रतिपादन करते हैं, उसके साथ वैतनिक पद्धति विशेष मेल नहीं खाती थी। लेकिन कोई समाधानकारक विकल्प सूझता नहीं था। एक-दो भाई वैतन छोड़कर मेस मे भोजन और परिवारो मे जितने लोग हैं, उनके हिसाब से कुछ फुटकर खर्च ले लेते थे। लेकिन इन तरीको मे से वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं निकलती थी। वर्ग परिवर्तन तो स्वावलम्बन को बुनियाद पर ही हो सकता है। साल-डेढ़ साल की जो साधना थी, वह केवल श्रम की साधना थी। उसमे स्वावलम्बन की साधना का कुछ अश नहीं था। स्वावलम्बन के बिना भी साम्य की साधना की जा सकती है। उस समय उसके प्रति भी हमारी कोई सयोजित चेष्टा नहीं थी। यह स्पष्ट है कि स्वावलम्बन नथा साम्य के बिना श्रम-साधना प्राणवान् नहीं हो सकती।

यह कैसे होगा, इसकी चिन्ता निरन्तर बनी रहती थी। एक दिन हमारे एक साथी भगवती भाई मेरे पास आये। वे कहने लगे : “आप

हमेशा कहते हैं कि ‘हुजूर’ को ‘भजूर’ बनना चाहिए मजूर बनने का और अब उस दिशा मे श्रम भी कराते हैं, लेकिन हम प्रयोग जो श्रम करते हैं, वह एक रुटीन (दैनिक कार्यक्रम) है।

इससे हमको मजदूर-वर्ग के जीवन का अनुभव नहीं होता। उसका अनुभव लेने के लिए हमें कोई कदम उठाना चाहिए।” मैने उनसे कहा कि “यही चिन्ता तो मुझे भी रहती है, लेकिन कौनसा कदम उठाये, यह समझ मे नहीं आता। मैं तो खुद एक तरह से पगु ही हो गया हूँ, इसलिए कुछ करके देखने की भी गुजाइश नहीं है। कदम भी ऐसा ही होना चाहिए, जिस पर तुम लोग चल सको, क्योंकि कोरा आदर्श मूर्तिमान् नहीं होता। आदर्श निराकार होता है। वह साकार व्यक्तियो के मारफत ही मूर्तिमान् होता है। और चूँकि वह मनुष्य के मारफत मूर्तिमान् होता है, इसलिए वह उस मनुष्य की मर्यादा के अनुसार मर्यादित भी हो जाता है। शुद्ध रूप क्या होगा, यह तो मैं

बताता ही रहता हूँ, लेकिन उसका मर्गादित रूप यानी साकार रूप क्या होगा, वही तो समझ मे नहीं आता ।”

भगवती भाई ने कहा : “मैंने इसका प्रयोग करने के लिए मोचा है । आप पुरुष मजदूरों को सवा रूपया रोज देते हैं और मजदूरिनों को बारह आना । तो मैं और रामदुलारी मजदूरों के साथ काम करेंगे और मजदूर जैसी मजदूरी लेंगे, ऐसा निर्णय किया है ।” भाई भगवती के इस प्रत्ताच से मानो मुझे एक नया रास्ता मिल गया । मैंने उन्हे अपनी शुभकामना के साथ प्रयोग करने की इजाजत दे दी । मन मे जहर ऐसा लगा कि इससे काम चलेगा नहीं, लेकिन उसमें से कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा मानकर मैंने उन्हे प्रोत्साहित किया ।

पॉच-छह रोज दोनों पति-पत्नी ने अत्यन्त उत्साह से काम किया । उन दिनों मैं अत्यन्त एकाग्रता के साथ उनके कार्य का निरीक्षण किया करता था । पॉच छह रोज के बाद मैंने भगवती भाई को दुलाकर कहा कि “तुमने हिम्मत जस्तर की और सौभाग्य से दुलारी ने तुम्हारा पूरा साथ दिया । लेकिन तुम्हे एकदम अन्तिम प्रयोग नहीं करना चाहिए । फिर मेरी कल्पना का श्रमजीवी समाज आज के श्रमजीवी समाज जैसा नहीं है । आज का श्रमजीवी तो मानव के स्तर पर ही नहीं है । उसे उठाना है । उसका वौद्धिक, सास्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना है । उसे पूरे दिन शरीर-श्रम नहीं करना है । जब वर्गीकृत समाज स्थापित होगा, तो वर्गीकृत मनुष्य श्रमजीवी अवश्य बनेगा । लेकिन साथ-साथ उसका वौद्धिक तथा सास्कृतिक स्तर बहुत ऊँचा रहेगा । यही कारण है कि मैंने यहों के कार्यक्रम मे चार घटा शरीर-श्रम तथा चार घटा व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यक्रम रखा है । तुम्हे भी वही करना होगा । तुम चार घटे शरीर श्रम करो और चार घटे पहले की तरह गिरण का काम करो । दुलारी भी वैसा ही करे । अन्तर इतना ही रहे कि वौद्धिक और शरीर श्रम का मूल्य एक ही रहे । इसकी स्थापना करो । अर्थात् दोनों प्रकार के काम की

मजदूरी मे सबा रुपया और बारह आना के हिसाब से लो ।” भगवती भाई इसे समझ गये और ऐसा ही करने लगे ।

भूगवती भाई के इस कदम से खादीग्राम-परिवार मे नयी चर्चा का खोत खुला । सब लोग इस पहले पर गम्भीरता से विचार करते थे तथा रात को आपस मे चर्चा करते थे । मैं भी उन दिनों साम्ययोग पर श्रम और साम्य के पहले पर खूब विचार करता था ।

विचार अब तक हमने श्रम की जो साधना की, उसमे श्रम और स्वावलम्बन नहीं था । अब मेरे मन मे यह विचार आया कि उसमे एक चरण और जोड़ना चाहिए । मैंने सोचा कि श्रम के साथ स्वावलम्बन भले ही न जुड़े, साम्य जोड़ने की तो अवश्य ही कोशिश करनी चाहिए । स्वावलम्बन के लिए उस समय सोचना भी सम्भव नहीं था, क्योंकि उसका मूलाधार जमीन ही नहीं थी, पानी तो था ही नहीं । चार घटे पत्थर खोदने से स्वावलम्बन क्या होता । इसलिए मैं स्वावलम्बन की चिन्ता ही नहीं करता था ।

साथियों मे इस सम्बन्ध मे जोरदार चर्चा चलती रहती थी । मैं भी कभी-कभी उनके बीच जाकर बैठ जाता था और चर्चा मे शामिल हो जाता था । मैंने देखा कि दो-एक साथी भगवती भाई का अनुसरण करने की वात गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं । मैंने उनसे कहा कि आपकी साधना का ढग ऐसा होना चाहिए, जिसमे आप सब लोग शामिल हो सकें, क्योंकि ऐसा हुए विना हमारी साधना समाज-परिवर्तन का साधन नहीं बन सकती ।

अतः हमारे साथी साम्ययोग की साधना के लिए मध्यम मार्ग हॉटने लगे । इसी बीच मुँगेर जिले मैं विनोवाजी की पद-यात्रा शुल्क हुई । उन्होने

खादीग्राम से चार दिन का पडाव डाला और सभी विनोवा से चर्चा प्रादेशिक भूदान समितियों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया । उसी सम्मेलन के बीच मैंने विनोवाजी से इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए अलग से कुछ समय मौंगा । तुम लोगों को

मालूम ही है कि विनोवाली ने पवनार में काफी दिन तक साम्ययोग की साधना की थी। इसलिए उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी था। मेरी उनसे आध घटे तक चर्चा चली। सारे विचारों से सहमति जानकर मुझे अत्यन्त खुशी हुई। मैंने सोचा कि मैं तो साधियों के साथ निरन्तर चर्चा करता ही रहता हूँ, लेकिन वे प्रत्यक्ष विनोवाजी से चर्चा करें, तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे खादीग्राम परिवार को भी कुछ समय दे। उन्होंने उसे स्वीकार किया और दूसरे दिन सभी साधियों ने उनसे मिलकर चर्चा की। सभी को इस चर्चा से बड़ी प्रेरणा मिली। विनोवा ने कहा कि “अभ्यास मुख्य वस्तु नहीं, विचार मुख्य वस्तु है। अगर लोगों में विचार पक्का है, तो वह किसी न किसी तरह से अभ्यास द्वारा गत्ति बना ही लेता है।” स्वयं किस प्रकार साधना की है, उसका हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्य किस प्रकार थोड़े-थोड़े अभ्यास द्वारा कहाँ तक पहुँच सकता है।

विनोवाजी के चले जाने पर खादीग्राम-परिवार में साम्ययोग-चर्चा ने खूब जोर पकड़ा। अनेक प्रकार के विकल्प सोचे गये। आखिर मैंने साधियों को सलाह दी कि शुरू में वे दो चीजें करें। पहली तो यह कि सबकी मजदूरी समान रहे और दूसरी यह कि शरीर-श्रम और बोद्धिक श्रम का मूल्य समान हो। फिर प्रश्न उठा कि मजदूरी किस आवार पर तय की जाय। काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि हिन्दुस्तान में खेतिहार मजदूरों की जो सबसे ज्यादा मजदूरी है, वह मजदूरी हम लोग ले। आँकड़ों को देखने से मालूम हुआ कि पुरुषों के लिए दो सूपया और स्त्रियों के लिए डेढ़ सूपया रोज सर्वोच्च मजदूरी है। हम लोगों ने भी क्रमशः चार आना तथा तीन आना बटा मजदूरी निश्चिन की। फिर सवाल आया कि जिन मजदूरों से हम काम लेते हैं, उनकी मजदूरी क्या हो? साथ ही जो स्थानीय लोग दफ्तर और गिक्षण में काम करते हैं, उनकी मजदूरी क्या हो? चर्चा होकर यह तय हुआ कि शरीर-श्रम और दूसरे तरह के श्रम में कोई अन्तर न रहे। स्थानीय मजदूर जो अपने घर से

रोज आकर काम करते हैं और जो घर से दूर खादीग्राम में आकर बसते हैं, उनमें कुछ फर्क किया गया। दूरवालों को दो रूपया और डेढ़ रूपया तथा स्थानीय लोगों को डेढ़ रूपया तथा एक रूपया निर्धारित किया गया। यह दर स्थायी काम करनेवालों की थी, अस्थायी रूप में किसीसे काम लेने पर स्थानीय रिवाज के अनुसार मजदूरी देने का निश्चय हुआ।

इस प्रकार साम्ययोग के प्रथम चरण का श्रीगणेश हुआ और लोग उसीसे अपना निर्वाह करने की कोशिश करने लगे। इस व्यवस्था से

एक विशेष लाभ यह हुआ कि परिवार की स्त्रियों में महिलाओं का आत्मसम्मान का भाव जगा। काम तो वे पहले भी आत्मसम्मान बढ़ा करती थीं, लेकिन अब उन्हें अपने काम में उत्साह होने लगा। नियमित रूप से काम पर आने, पूरे समय काम में रहने, व्यवस्था तथा शिक्षण के काम के लिए अपने को तैयार रखने आदि में वे अधिक-से-अधिक दिलचस्पी लेने लगी।

साम्ययोग की पद्धति में नये कार्यकर्ताओं के लिए कुछ काम रखा गया था। शुरू में उन्हे प्रशिक्षण-वर्ग में, उसके बाद उम्मीदवार-वर्ग में और अन्त में स्वतंत्र जिम्मेदारी उठा लेने पर कार्यकर्ता-वर्ग में शामिल करते थे। इसके लिए क्रमः दो आना, तीन आना, चार आना मजदूरी निश्चित की गयी थी। आरोग्य के लिए कुछ कार्यकर्ता अपनी मजदूरी में से कटाते थे और कुछ अश स्था देती थी। इस तरह आरोग्य सामूहिक था।

शुरू-शुरू में बच्चे परिवार के साथ रहते थे। माता-पिता दोनों का आठ घटा सार्वजनिक काम करना और माताओं में पुराने रुद्धिगत विचारों

का होना बच्चों के विकास के लिए बाधक होता था, बालवाड़ी और इसलिए सब लोगों ने यह तय किया कि आठ साल के

छात्रावास बच्चों के लिए छात्रावास बनाया जाय और उस छात्रावास में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए अलग से कार्यकर्ता हो। इस प्रकार एक बालवाड़ी और दो छात्रावास,—एक लड़कों के

लिए, दूमरा लड़कियों के लिए—बनाया गया। जल्दी ही गोट के बच्चों की समस्या आयी। उसकी जिम्मेदारी भाईं राममूर्ति सिंह की पक्की ने ली। गोट के बच्चों के लिए एक गिरु-विहार खोला गया। पास के गाँव की एक सथाल लड़की, जिसका स्वभाव अत्यन्त मधुर था, पार्वती वहन की सहायता में दी गयी। इस तरह अपने बच्चों की समस्या को लेकर बाकायदा बुनियादी विद्यालय खोला गया। १९५२ में भी यह समस्या आयी थी, लेकिन एक साल तक अपनी ही कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें तुम्हारे पास सेवाग्राम भेज दिया गया था।

बच्चों की व्यवस्था से खादीग्राम में एक नयी प्रवृत्ति बढ़ी और वह थी नयी तालीम की प्रवृत्ति। धीरे-धीरे लोग खर्च देकर बच्चे भी भेजने लगे। १९५५ से उसने पूरी बुनियादी शाला का रूप ले लिया।

१९५४ में जब से मे सर्व-सेवा-सघ का अध्यक्ष बना और देश में जीवनदान का सिलसिला चला, तब से खादीग्राम इस आनंदोलन के

कार्यकर्ताओं के शिक्षण का एक मुख्य केन्द्र बन गया।

खादीग्राम का सारे देश की दृष्टि को उसने आकर्पित किया। वैसे तो आकर्पण खादीग्राम की ओर जनता का आकर्पण १९५३ के सितम्बर से, जब विनोवा के सामने विभिन्न प्रटेंशों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, तभी से हो गया था। लेकिन एक शिक्षण-केन्द्र के रूप में इसका आकर्पण सन् १९५४ के अन्त से ही हुआ।

श्रमभारती, खादीग्राम

३०-८-५८

सन् '५४ तक खादीग्राम ने एक शिक्षण-संस्था का रूप ले लिया। यह सब कैसे हुआ और उसका स्वरूप कैसा था, इसका विवरण मैं दे चुका हूँ। इसी बीच भाईं राममूर्ति सिंह स्थायी रूप से खादीग्राम आ गये। उनके आने से साथियों में काफी उत्साह आया और नयी दिशा में चिन्तन चलने लगा। अब मुझे लगा कि आसपास के गाँवों के साथ गहरा सम्पर्क करने का समय आ गया है। इस इलाके में विनोबाजी की पद्धति के दिनों में हम लोगों ने जमीन माँगने का जो प्रयास किया था, उसके कारण आसपास में काफी दूर तक हमारा सम्पर्क हो गया था। इस सम्पर्क को बनाये रखने की बात हमने सोची। शुक्रवार को गोंव में जाकर रात में टिकने का सिलसिला कुछ ढीला हो गया था, उसे नियमित किया गया और एक-दो भाइयों के जिम्मे के बल ग्राम-सम्पर्क का ही काम रख दिया गया।

इस सम्पर्क से इधर के देहातों की असली परिस्थिति मालूम हुई। जमीदारों के अत्याचार का हाल तो पहले ही मालूम हो चुका था, अब यह भी मालूम हुआ कि यहाँ गरीबी की स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय है। इलाके में पानी के खजाने का कोई सिलसिला न होने से बरसात के भरोसे खेती होती थी। लगातार दो साल तक अनावृष्टि के कारण लोग अत्यन्त परेशान थे। पिछड़ा हुए इलाका होने के कारण जगल से लकड़ी काटने के अलावा दूसरा कोई धधा नहीं था। एक गोंव को छोड़कर और कहीं चरखा नहीं चलता था। जगल की लकड़ी काटने और पत्तल बनाने के काम में यहाँ की खियों लगी रहती थीं। उन्हें इसकी आदत पड़ गयी थी,

इसलिए नये सिरे से चरखा सीखने का वैर्य उनमें नहीं था, क्योंकि सीखने के लिए बैठना सम्भव नहीं था। इसलिए किस मार्ग से उनकी मदद की जा सकेगी, यही हम लोगों के लिए चिन्ता का विषय बन गया था।

बहुत सोच-विचार के बाद वह बात ध्यान में आयी कि इस इलाके की आर्थिक स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी, जब तक पानी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होगी। आर्थिक स्थिति बिना सुधारे पानी की समस्या सास्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल सकता। पहले सरकारी

विकास-योजना से मदद लेने की कोशिश की गयी, नीचे के स्तर के कर्मचारियों से लेकर पट्टना तक दौड़-धूप करने से भी कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार तथा काग्रेस की मुख्यालफत के कारण गाँवों में मदद देने में स्थानीय कर्मचारी हिचकते थे। कटान्चित् कोई हिम्मती कर्मचारी मदद कर भी देता था, तो उसकी फजीहत हो जाती थी। इन तमाम कारणों से विकास-योजना के सहारे कुछ करने की गुजाइश नहीं थी। सरकारी असहयोग ने शायद हमारे काम में मदद पहुँचायी। कौन जाने इसके पीछे भगवान् का हाथ रहा हो? हमने स्वतंत्र जन-शक्ति को सगठित करने की बात सोची।

हमने सोची तो बुनियादी बात और सर्वोदय-विचार के अनुसार ही, लेकिन थोड़े दिन की जिन्दगी में अपने में इतनी शक्ति नहीं थी कि सारी

जनता को सगठित कर लेते। स्वराज्य के बाट देश के पानी-सम्मेलन नेताओं ने भी जनता में पुरुषार्थ जाग्रत करने की कोई कोशिश नहीं की। बल्कि सब मिलाकर 'सरकार माई-वाप' के विचार को छढ़ करते रहे। ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे छोटे मनुष्य का एक छोटा-सा गिरोह कर ही क्या सकता था? फिर भी नतीजा निकले या न निकले, पुरुषार्थ करना चाहिए, इस विचार से गाँव-गाँव में अपने भरोसे बॉध बॉधने के विचार-प्रचार में हम लग गये। दिसम्बर १९५४ में आचार्य कृपालानीजी के सभापतिल्ब में खादीग्राम का वार्षिकोत्सव किया गया। उस समारोह का विशेष कार्यक्रम था—इस

इलाके के लोगों का पानी-सम्मेलन। जनता अपनी श्रम-शक्ति द्वारा पानी की व्यवस्था कैसे करे, इस बात का विचार इस सम्मेलन में किया गया।

स्वराज्य-आनंदोलन से लेकर अब तक नाना प्रकार के सम्मेलन हुए हैं, लेकिन पानी-सम्मेलन का कभी किसीने नाम नहीं दुना था। इसलिए आसपास की जनता को इस नये किस्म के सम्मेलन के प्रति बड़ी उत्सुकता पैदा हुई। दो साल के सख्ता के कारण जनता में हाहाकार था, इसलिए पानी-सम्मेलन के प्रति और अधिक आकर्षण हुआ। फलस्वरूप सम्मेलन में अपार भीड़ हुई। इस जगली प्रदेश में भी पन्द्रह हजार लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन की सफलता से हम लोगों को बड़ा उत्साह मिला।

हम देहातों में बौध बौधने का कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश करने लगे। जनता में पुरुषार्थ कर्तव्य नहीं रह गया था। इसलिए उस दिना में

विशेष सफलता नहीं मिल रही थी। प्रायः लोगों को बौध बौधने का यही आशा थी कि कोशिश करके सरकार से पानी का कार्यक्रम इन्तजाम करा देंगे। आखिर में खादीग्राम से सटे

ललमटिया गाँव के लोग तैयार हुए कि सताह में आधा दिन श्रम करके बौध बौधेंगे। आश्रम से एक कार्यकर्ता वहाँ चला जाता था और श्रम किया जाता था। इस तरह वरसात से पहले ही उन्होंने थोड़ा सा पानी जमा करने के लिए बौध बना ही लिया। ललमटिया के बौध की सफलता से मुझे काफी प्रोत्साहन मिला। सोचा कि इस तरह से देखादेखी आनंदोलन बढ़ेगा। लेकिन मैंने यह भी सोचा कि ऐसी अत्यन्त अभावग्रस्त जनता द्वारा कितना काम होगा। सरकार इन लोगों से टैक्स लेती है, तो इनके स्वतंत्र पुरुषार्थ के साथ-साथ सरकारी मदद भी होनी चाहिए।

देश के नेता जनता से अपील करते हैं कि सरकारी योजना में वह सहयोग करे। लोकशाही की भाषा में यह अत्यन्त आदर्शर्यजनक है। काम सरकार का, सहयोग जनता का, क्या यह लोकशाही की भाषा है?

काम जनता का, मदद सरकार करे—यह बात समझ में आती है। इसलिए मैंने सोचा कि जब हमने जनता के भीतर अत्यमात्रा में ही सही, वह होग पैदा कर दिया है, अब सरकार से यह कहने का समय आ गया है कि वह जनता के इस पुरुषपार्थ में साथ दे और सिचाई के लिए पानी की व्यवस्था करे। यह सोचकर मैं पठना चला गया और उस समय के कृषिमत्री अनुग्रह वावू से मिला। अनुग्रह वावू अर्थमत्री भी ये ओर विहार के चोटी के नेता भी थे। उनसे मिलने से काम बनेगा, ऐसा मैंने सोचा।

माल्म हुआ कि अनुग्रह वावू वीमार है और इन दिनों वे किसीसे मिलते नहीं हैं। वे रचनात्मक कार्य में दिलचस्पी रखनेवाले व्यक्ति ये,

कुछ दिन के लिए विहार चरखा-सघ के मन्त्री भी रह
अनुग्रह वावू से चुके थे। वे रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं में
चर्चा वडी दिलचस्पी भी रखते थे। अतः उन्हें जब यह
माल्म हुआ कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने

मुझे बुला भेजा। जब मैं उनसे मिलने गया, तो देखा कि वे खाट पर पढ़े हुए हैं। अत्यन्त प्रेम से वे मिले और उन्होंने खादीग्राम के कार्यक्रम के बारे में व्योरे से सारी बातें पूछीं। मैंने मुस्कराते हुए उनसे कहा कि “आप लोग सरकारी योजना में जनता का सहयोग माँगते हैं और मैं जनता की योजना में आपका सहयोग माँगने आया हूँ।” उन्होंने भी विनाद-पूर्वक उत्तर दिया : “चूंकि हम सरकार के आदमी हैं और आप जनता के आदमी हैं।” मैंने कहा कि “सरकार के आदमी तो जनता के ही आदमी न होते हैं।” खैर, मैंने उन्हें बताया कि क्या-क्या सरकारी मदद मिल सकती है। उन्होंने हर प्रकार से मदद देने का वचन दिया और कहा कि “अच्छा होने पर मैं खुद इस इलाके में आने की कोशिश करूँगा।”

बात नीति के दौरान मैं उन्होंने ऐसी बात कही, जो लोकतन्त्र के सन्दर्भ में अत्यन्त खतरनाक थी। उन्होंने कहा “देखिये धीरेन भाई, राजनीति ऐसी चीज़ है, जो देख मैं रचनात्मक काम नहीं होने देती है। मैं एक पार्टी का हूँ, दूसरा दूसरी पार्टी का है। हम दूसरी पार्टी के रचनात्मक

काम मे सदृढ़ नहीं देते है। केवल अलग-अलग पार्टी है ऐसा नहीं, एक ही पार्टी मे कई ग्रूप (group) है। काश्येस में मेरे पार्टीवन्दी का नाम से एक पार्टी चलती है, तो दूसरे के नाम से दूसरी पार्टी चलती है। जिले के स्तर पर भी पार्टी-भेद चलता है। इस प्रकार पार्टी-दर-पार्टी की समस्या हम लोगों के दिमाग को इस तरह उलझाये रहती है कि हम सही मदद नहीं कर पाते।”

मैंने जब कहा कि “हम लोग तो किसी पार्टी मे नहीं है”, तो उन्होंने कहा कि “इससे क्या? आप हमारी पार्टी मे तो नहीं हैं—इतना काफी है।” मैंने देखा कि यह बात कहते समय वे अत्यन्त दुःखी थे। दुःख की बात भी थी, लेकिन पार्टी के अन्दर होने के कारण वे भी अत्यन्त मजबूर थे।

वस्तुतः मनुष्य व्यक्तिगत रूप से चाहे जैसा हो, अधिकाग समय वह परिस्थिति के घेरे मे पड़ जाता है। आज देश मे रचनात्मक कार्यकर्ता भी काफी है, चोटी के नेताओं मे देश को ऊपर उठाने की उमस भी काफी है, धन भी बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन राष्ट्र-विकास की गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, इसकी सूचना अनुग्रह वाकू की इन बातों मे मिलती है। आज विनोदाजी पक्षहीन राजनीति की जो बात कर रहे हैं, अनुग्रह वाकू की उक्ति भी उसीकी पुष्टि करती है। हो सकता है कि पक्षगत राजनीति ने एक समय इग्लैण्ड तथा दूसरे देशों को आगे बढ़ाया हो, लेकिन हर रस्म रिवाज की तरह सामाजिक तथा राजनैतिक पद्धति की भी काल-मर्यादा होती है। देश, काल और पात्र-भेद से रस्म-रिवाज-भेद की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए हर चिन्ताजील व्यक्ति को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि आधुनिक युग में और भारतीय परिस्थिति मे दलगत राजनीति से लाभ है या हानि?

अनुग्रह वाकू के आश्वासन से हम लोग खूब प्रोत्साहित हुए और अपने काम मे और जोर से लग गये। ललमटिया के बौध बैध जाने से

इस इलाके के लोगों को भी प्रेरणा मिली, लेकिन शुरू शुल्क में दूसरी जगह पर निश्चित कार्यक्रम नहीं बन सका।

इसी वीच जनसेवा का एक नया अवसर मिला। खादीग्राम के पास में ही पंगही नाम का एक छोटा सा गाँव है। एक दिन उस गाँव से कुछ मुसहर खादीग्राम में दोडे हुए आये और कहने लगे कि वेदखली की मल्लेपुर के बाबू हमें वेदखल कर रहे हैं। हमने अपने समस्या साथियों को उस गाँव में तहकीकात करने के लिए भेज दिया और कहा कि देखो, वे लोग वेदखल न हों,

क्योंकि विहार के कानून से कोई भी मालिक बटाईदार को वेदखल नहीं कर सकता। मालिक फसल रोक रहा था। हमने सलाह दी कि वे अपने खेत में फसल काटे और मालिक का हिस्सा अपने मालिक के यहाँ पहुँचा द। यह सब शुल्क हुआ ही था कि हम लोग पुरी के सर्वोदय-सम्मेलन के लिए रवाना हो गये।

मेरी गैंगशाजिरी में इस मामले ने जोर पकड़ा। जमीन मालिक, पुलिस, अधिकारी, सार्वजनिक नेता—सब गरीब मुसहरों के खिलाफ हो गये। उसी ढग से सारा मामला बनाया जाने लगा। गिरफ्तारियाँ शुरू यहाँ तक कि ऐसे कागजात बनाने की कोशिश होने

लगी कि हम लोग—खादीग्रामवाले—इस इलाके में अशान्ति और विद्रोह फैलाने में लगे हुए हैं। यह सब होता रहा, लेकिन हम लोगों ने इन मजदूरों को टटे रहने की ही सलाह दी। पर मामला ऐसा बनाया गया कि उस जमीन पर मुसहर कभी बटाई करते ही नहीं थे और इन लोगों ने खादीग्रामवालों की प्रेरणा से जगरदस्ती मालिक की फसल काट ली। फौजदारी मुकदमा चलाकर हमारे एक साथी तथा ग्यारह मुसहरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई रवीन्द्र ने पुरी-सम्मेलन के पते पर तार ढारा यह सब सूचित किया और राममूर्ति भाई ने पूरे मामले की रिपोर्ट लिखकर वहाँ भेज दी।

विनोदाजी की उपस्थिति में सर्व-सेवा-सघ के सभी कार्यकर्ता मौजूद

ये । वेदखली के प्रश्न पर सर्व-सेवा-संघ की क्या नीति हो और इस मामले में हम क्या नीति बरतें, इस मामले पर चर्चा होती रही । विनोवाजी ने विहार के दौरे के अवधार पर इस प्रश्न पर काफी कहा था ।

इस सम्बन्ध में सर्व-सेवा-संघ की कोई अधिकृत नीति हो, ऐसा कार्य-कर्त्ताओं ने महसूस किया । तदनुसार चर्चा होकर संघ का प्रस्ताव सर्व-सेवा संघ ने मार्च १९५५ में पुरी में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :

“वेदखली के विरोध में काम करते हुए खादीग्राम के कई कार्य-कर्त्ताओं पर पुलिस की ओर से वैस दाखिल किये गये हैं । ऐसे मामलों के बारे में हमारी नीति क्या हो ? क्या हम बचाव की पैरवी (फिफेन्स) करें या जैसे स्वराज्य आन्दोलन में करते थे वैसा केवल घटना का सही स्टेटमेण्ट (व्यापार) देकर समाधान मानें । इस बारे में भिन्न-भिन्न पहलुओं से चर्चा हुई, आखिर में आम राय रही कि :

आज कोर्ट के विष्ण्वाकार का आन्दोलन हमें नहीं करना है, न तो लम्बी-चौड़ी बानूनी कार्रवाई में फँसना है । हरएक केस के बारे में उसके स्वरूप (Merit) को देखकर निर्णय लेना होगा ।”

मैंने इस मामले को देवर भाई तथा कायेस के अन्य नेताओं तथा जवाहरलालजी तक पहुँचा दिया । पहिले जवाहरलालजी ने वेदखली के खिलाफ कड़ा चक्कत्व दिया । फलस्वरूप हम लोगों ने नेहरूजी का वक्तव्य इस इलाके में वेदखली के खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया ।

पेगही के मामले में जो गिरफ्तारी हुई, उस विषय में विनोबा के सामने विनोबाजी की राय कार्यकर्त्ताओं ने चर्चा की । कार्यकर्त्ताओं ने और स्वयं विनोबाजी ने यही राय दी कि सुकदमा लड़ा न जाय, व्यापार देकर सब लेल चले जायें । विनोबाजी ने कहा कि सुकदमा लड़ने में कार्यकर्ता कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगा, उसमें

फैस जायगा । केवल एक ही कार्यकर्ता नहीं फैसेगा, हम भव लोग फैस जायेगे ।

मुझे यह नीति सही मालूम हुई । हमारा उद्देश्य नैतिक भर पर समाज को खड़ा करना है, टण्ड अक्षि के आधार पर नहीं । हमने अच्छी तरह से तहकीकात करके क्या न्याय है, यह समझ लिया है और उस द्विसाव से सलाह भी दी है । सरकारी अविकारी मानते हैं कि हमने ज्यादती बी है, तो वे हमें सजा दें । इसके बिना समाज में नैतिक अक्षि जाग्रत नहीं हो सकती है । लोग यह दलील दे सकते हैं कि “ठीक है आपने पूरी तहकीकात करके निश्चित राय कायम बी है, लेकिन आप अपनी सफाई नहीं देंगे, तो अविकारी को मालूम कैसे होगा कि आप न्यायपक्ष में है ।” यह ठीक है कि जब उनके पास मुकदमा जाता है तो उनको असलियत मालूम नहीं होती, लेकिन जैसे हमारे पास जॉच करके समझ लेने का जरिया है, वैसे ही सरकार के पास भी होना चाहिए । वह समझ ले और उसके अनुसार फैसला करे । मेरा अनुभव यह है कि मोके पर पहुँचने से मामले की जानकारी अवश्य हो जाती है । दलील तो हर चीज की होती है । मुझे जॉच गया कि बिनोवाजी की सलाह व्यावहारिक दृष्टि से तो ठीक ही है, लेकिन नैतिक दृष्टि से भी आवश्यक है ।

हम लोग पुरी से लैट आये, लेकिन पुरी से हमारी हिदायत पहुँचने से पहले ही वहाँ के साथी जमानत पर छूट चुके थे । अगर सफाई नहीं

देनी है, तो जमानत पर भी नहीं छूटना चाहिए ।

जमानत पर रिहाई फिर भी हम लोगों ने वही तर किया कि गॉव के

मुसहर चाहे तो उनके लिए बकील किया जाय और मुकदमा लड़ा जाय, पर अपने कार्यकर्ता व्यान देकर जेल चले जायें ।

पुरी-भम्मेलन से लैटब्र पटना में जयप्रकाश वावृ, वैजनाथ वावृ आदि नेताओं ने यह तर किया कि इस बक्त पेगही के मामले में सफाई

दी जाय। उनका ख्याल था कि आनंदोलन की आज की स्थिति मे सफाई न देकर सबका जेल चला जाना राष्ट्रीय सरकार को परेशानी मे डालना सफाई देने का विचार होगा। खादीग्राम के साथी को यह निर्णय पसंद नहीं आया, लेकिन अनुग्रासन के नाते वे इसे मान गये और मुँगेर मे वे बकीलों से बुद्धि-दान मौगने गये। जिले के अत्यन्त प्रभावशाली बकील श्री अखिलेश्वर बाबू ने इस मामले को हाथ मे लिया।

मुकदमा चलने लगा। जैसा हर मुकदमे का हाल होता है, वैसा ही इसका भी होने लगा। अधिकारी तारीख पर तारीख डालने लगे। इस प्रक्रिया मे जमीदार के मुकाबले मे गरीब मजदूर मजदूरी छोड़कर कच्छहरी दौड़ते-दौड़ते थक जाते हैं और आखिर मे हारकर जमीदार की वात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन मुसहरो मे आपसी सगठन बन गया था। वे सब सत्ताह मे एक दिन की मजदूरी जमा करते थे और मुकदमा लड़ते थे।

अग्रेजी शासन-काल मे फैजावाद जिले मे हम लोगो ने किस तरह वेदखली का मामला उठाया था, उसका विवरण आगरा जेल से लिखकर तुम्हे भेजा था। स्वतन्त्रता-संग्राम मे लगे हुए काग्रेस-स्थिति मे जनो को मालूम है कि उस समय पुलिस और जमीदार परिवर्तन किस प्रकार मिले रहते थे और किस प्रकार हाकिम जमीदार से सहानुभूति रखते थे। लेकिन गरीबो के हक मे उन दिनों दो बड़ी परिस्थितियाँ अनुकूल थी। एक तो यह कि उन दिनों काग्रेस जैसी शक्तिशाली स्थाना इन गरीबो के साथ थी और दूसरी यह कि अगर बकील किसी तरह से मौके पर मजिस्ट्रेट की जाँच मजूर करा लेते थे, तो न्याय की पूरी सम्भावना हो जाती थी।

दुर्भाग्य से स्वराज्य हो जाने पर ये अनुकूलताएँ नहीं रह गयी। आज गरीबो के प्रति होनेवाले अन्याय का प्रतिकार करनेवाली कोई शक्तिशाली स्थाना देश मे मौजूद नहीं है। काग्रेस अब राष्ट्रीय स्थान रहकर

शासनारूढ़ दल बन गयी है। विरोधी पाठियों एकाग्रता से ऐसे कामों में न लगकर चुनाव की आवश्यकता के अनुसार बहुवन्वी हो गयी है। मजिस्ट्रेट की जॉच भी पहले जैसी नहीं होती है। मोंके पर जाकर जो रिपोर्ट देते हैं, वह प्रतिकूल ही हो जाती है। यहाँ तक कि स्थायी घर की जगह पर लिख देते हैं कि यहाँ कोई घर-द्वार नहीं था इत्यादि। इन तमाम बारणों से स्वराज्य प्राप्ति के बाद गरीब जनता अधिक निर्दलित, गोषित तथा भयभीत हो गयी है। गाधीजी ने अपने आन्दोलन के मार-फत देश की जनता में जो निर्भयता निर्माण की थी, वह स्वराज्य प्राप्ति के साथ काफूर हो गयी। बल्कि आम तौर से आज गरीब जनता उन दिनों से अधिक भयभीत दिखाई पड़ती है। पेगही के मामले तथा उसमें फैसलों को देखकर मेरे दिल में यह भावना पैदा हुई कि आज की शासन-पद्धति में गरीबों को न्याय मिलना असम्भव है। वेवल पेगही का मामला नहीं, खादीग्राम के बगल में लमेद गोव में भी एक मामले की वही दुर्दशा हुई, जो पगही के मामले की हुई।

वेदखली के प्रश्न को लेकर उन दिनों मैं विद्वार में कई जिलों में गया। सर्व-सेवा-सघ के प्रस्ताव को देशभर की भृदान समितियों को भेजकर उनसे कहा कि वे अपने इलाके में वेदखली निवारण की कोणिग करें। प्रायः सभी जगह से वही अनुभव आने लगा, जो हमें यहाँ हुआ।

इन तमाम अनुभवों के फलस्वरूप मैं सोचता रहा कि हम जब शासन मुक्त समाज की बात करते हैं, तब लोग घबरा जाते हैं कि इससे

गरीब पिस जायेगे। यह विल्कुल उलटी बात है।

गरीबों की इस प्रकार सगठित सैन्य और पुलिस-वल से बोधकर कम्बल-परेड गरीबों को पीसने के बजाय अगर गरीबों को स्वतन्त्र

रूप से मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाय, तो वे अधिक मुकाबला कर सकते हैं। रह रहकर गाधीजी की पुरानी बात मुझे याद आने लगी। गाधीजी ने जब अग्रेजों को भारत छोड़ने की बात कही, तो अच्छे अच्छे अग्रेज पूछते थे कि अग्रेज भारत को किसके हाथ में

छोड़कर जायेंगे ? क्या भारत मे ऐसी कोई सगठित शक्ति है, जिसके हाथ मे अग्रेज देश की बागडोर छोड सकते हैं ? जवाब मे बापू कहते थे कि अगर कोई योग्य व्यक्ति या संस्था नहीं मिलती है, तो वेहतर यही है कि वे अराजकता के हाथ मे छोड जायें, क्योंकि सगठित लूट असगठित लूट से अधिक भयानक होती है। ग्रासन-व्यवस्था की ओर से इस प्रकार छुलेआम अन्याय तथा निर्दलन को देखकर मेरे मन मे यही विचार उठता रहता है कि आज की परिस्थिति से अराजकता की परिस्थिति बुरी नहीं क्योंकि अराजकता की स्थिति मैं कम-से कम जगह-जगह जनता सगठित होकर अन्यायी तथा अत्याचारी का मुकाबला तो कर सकती है। हम लोग जब जेल मे थे, तो वहाँ एक शब्द प्रचलित था, वह था 'कम्बल-परेड'। कैदी को कई कम्बलों के अन्दर लपेटकर पीटा जाता था, ताकि चिल्लाये, तो किसीको पता न चले और बाद मे गवाही के लिए शरीर पर कोई दाग न रहे। आज की परिस्थिति मानो गरीब जनता की 'कम्बल-परेड' की परिस्थिति है। अन्याय-अत्याचार से पीड़ित जनता की वही सुनवाई नहीं है। पता नहीं, भगवान् के दरवार मे सुनवाई है या नहीं।

लेकिन हम कर ही क्या सकते थे ? समाज और ससार उसी वर्ग के हाथ मे है, जो आज गोषण तथा निर्दलन मे लगे हुए है। उत्पादक

श्रमिक-वर्ग को कौन पूछता है ? जिस वर्ग के लोग वेदखली और अन्याय तथा अत्याचार करते है, उसीके भाई-बन्धु अधिकारी जनता के प्रतिनिधि होते है, पुलिस और मजिस्ट्रेट होते है। एक जिले के जो मजिस्ट्रेट है, वे किसी दूसरे जिले

के जमीदार है और अपनी जमीन से लोगों को वेदखल करते है, फिर वे दूसरे स्थान के मजिस्ट्रेट की हैसियत से किस तरह वेदखली के खिलाफ फैसला दे सकते है ? उनके अन्तर मे निहित स्वार्थ उनसे कहेगा कि "अरे, अगर वेदखली प्रथा समाप्त होगी, तो तू कहाँ रहेगा ?"

इसी तरह जनता के प्रतिनिधि ग्रासकगण भी उसी वर्ग के है। वे

भी क्या बरे ? परिस्थिति की मजबूरी उनके लिए भी है। कभी-कभी मेरे मन में यह भी अका उठती है कि क्या हम जन-सेवक कहलानेवाले भी इस अन्याय का प्रतिकार करने के लायक हैं। आखिर हम भी तो उसी वर्ग के हैं। हमारे सामने भी जब सम्पत्ति-विसर्जन और श्रम-आधारित जीवन की बात आती है, तो हम भी घबरा जाते हैं और बगले झौकने लगते हैं।

अतएव जो लोग शासन मुक्त तथा शोपण-मुक्त समाज की दिशा में सोचते हैं, उन्हें अत्यन्त गम्भीर विचार करना होगा। उन्हें अपने को तौलकर देखना होगा कि क्या वे इस क्राति के बाह्य बनने की पात्रता रखते हैं ? क्या वे उत्तादक-वर्ग में अपने को विलीन करने का हैसला रखते हैं ? क्या वे 'करो या मरो' का मत्र जपते हुए वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया में अपने को डालने को प्रस्तुत हैं ? अगर नहीं, तो क्या वे भी जन-सेवक के रूप में शोपण-चक्र की एक कड़ी मात्र नहीं हैं ? मैं जब इन बातों को सोचता हूँ, तो कभी-कभी दिक्‌हारा हो जाता हूँ और मेरे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मानव की मानवता पर आस्था के कारण जल्दी ही निश्चिन्त हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि ऐसी परिस्थिति है, तभी तो गाधी का जन्म हुआ। इसलिए हम सबको इन बातों से परेशान न होकर परिस्थिति की जड़ काटने में एकाग्र होना चाहिए।

ऐगही के वेदखली के प्रबन्ध को लेकर हमने जो आन्दोलन किया, उसका असर अच्छा हुआ। यद्यपि पहले बताये हुए कारणों से हम असफल रहे, फिर भी इस इलाके में वेदखली का जोर आन्दोलन का कम हो गया। अधिकारी वर्ग जमीदारों का साथ देता असर था, इसलिए 'गरीब मजदूर' कानून से हार जल्द जाता था, लेकिन हमारे आन्दोलन के कारण जमीनवालों को कानून का सहारा लेकर मुकदमा जीतने में कम परेशानी और खर्च नहीं उठाना पड़ता था। उन दिनों विहारके बहुत से जिले में

भूदान-कार्यकर्ताओं द्वारा वेदखली के खिलाफ आन्दोलन चलाया गया। यद्यपि सभी जगह करीब-करीब वैसा ही अनुभव आया, जैसा हमें यहाँ आया था, फिर भी वेदखली के खिलाफ जन-जाग्रत्ति हुई। एक बार मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक में मेरी उपस्थिति में वेदखली की चर्चा चली। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक-दो मामलों में हम सफल होते हैं, लेकिन अधिकाश में हम असफल होते हैं। मैंने पूछा कि वेदखली के कितने प्रतिशत मामले आप लोग अपने हाथ में ले पाते हैं? तो लोगों ने अन्दाज किया कि हजार में एक भी नहीं।

मैंने कहा कि “पुराने जमाने से किसानों का परम्परा से यह हक है कि वे जब चाहे जमीन दे और जब चाहे वापस ले ले, तो क्या आपके आन्दोलन के फलस्वरूप बटाईदारों में यह चेतना नहीं आयी है कि यद्यपि मजबूरी के कारण वे वेदखली को रोक नहीं सकते हैं, फिर भी यह अन्याय है?” तो उन्होंने कहा : “हौं, जनता में यह बोध निश्चित रूप से आ रहा है।” मैंने कहा : “फिर आप चिन्ता न करें। आप काम जारी रखें। अगर आप अपनी जनता में यह बोध पैदा कर दें कि वेदखल करना अन्याय है, तो आपका काम हो गया। यह अन्याय-बोध ही इस प्रथा का अन्त कर देगा। तिलक महाराज स्वराज्य हासिल करके मरे थे क्या? उन्होंने भारतीय जनता के दिल में ‘स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है’, यह बोध पैदा कर दिया था। इस बोध ने ही देश को आजाद किया है।

खादीग्राम ने इस प्रश्न को उठाया, इसलिए मुँगेर जिले की गरीब जनता इस केन्द्र के प्रति आकर्षित हुई। समाजवादी जनता की तथा साम्यवादी लोग भी प्रभावित हुए। तब से दिलचस्पी सभी पक्षों के लोग हमसे सहयोग करने लगे। जिले में तथा आसपास के गाँवों में समर्पक करने के लिए यह घटना बहुत महत्त्व की साबित हुई।

आसपास के हर तरफ के लोग हमारे पास आने लगे। वे अपनी

समस्याएँ हमारे सामने रखते थे और हम लोग उनके गाँवों में जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। साल-टेट साल से हम लोग हर शुक्रवार को गाँव में जाते थे, लेकिन वहाँ गपचप के अलावा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं रहता था। लेकिन अब हम कुछ निश्चित कार्यक्रम लेकर वहाँ जाने लगे। इससे ग्रामीण जनता को हमसे ढिलचस्पी पैदा हुई। साथ ही साथ हमारी घनिष्ठता भी बढ़ी।

यों १९५५ से खादीग्राम के जीवन का दृसरा अव्याय आरम्भ हुआ। पहला अव्याय भीतरी सगठन तथा अपने पारिवारिक जीवन में श्रम और साम्य की सावना का था, दूसरा अव्याय जन-सम्पर्क साधना का हुआ। इसका अनुभव फिर कभी लिखूँगा।

श्रमभारती, स्वादीग्राम

२-९-१५८

सन् १९५४ में बीमारी की हालत में ही मुझे सर्व-सेवा-सघ के अध्यक्ष-पद की जिम्मेवारी लेनी पड़ी। मई में जिम्मेवारी लेते ही जीवन-दान का सिलसिला शुरू हुआ। उसी साल जुलाई में मुजफ्फरपुर में शिविर हुआ इसी अवसर पर विहार और उत्तर प्रदेश का 'भूदान-यज्ञ' सासाहिक मिलकर एक हो गया और वह सर्व-सेवा-सघ के मुख्यपत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। लिखने-पढ़ने से मेरा सदा से असहयोग रहा है, वह तुम जानती ही हो, किर भी अपने परिवार में इतने विद्वानों के होते हुए भी मुझे ही उसका सम्पादक बनना पड़ा। दादा धर्माधिकारी ने यह पत्र चलाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन सम्पादक बनने को चे तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा : "धर्मेन्द्र भाई का नाम और मेरा काम !"

जुलाई में मुजफ्फरपुर के शिविर के अवसर पर सर्व-सेवा-सघ की बैठक होने के कारण सभी प्रदेशों के भूदान कार्यकर्ता वहों आये थे।

लोग चाहते थे कि अध्यक्ष की हैसियत से मैं विभिन्न उडीसा की यात्रा प्रदेशों का दौरा करूँ, पर कमर के दर्द के कारण मैं मजबूर था। जून में बगाल के शिविर में मैं गया था। पहले भी बीच-बीच में बाहर जाता था। लोग मुझे पालकी पर लेटाकर ले जाया करते थे। इसलिए कर्तव्य इनकार करना सम्भव नहीं था। विहार के बाद विनोबाजी उडीसा जानेवाले थे।

उडीसा में उडीसा के साथी विनोबाजी की पूर्वतैयारी में लगे थे। उडीसा के चयोबृद्ध नेता श्री गोपवन्धु चौधरी ने मुझसे कहा : "आपको उडीसा की यात्रा करनी ही होगी। दर्द की चिन्ता न करें। ऐसे दर्द

से यात्रा होगी कि आपको यही लगेगा कि घर पर ही लेटे हुए हैं।” गोपवाचू के आदेश को अस्वीकार करना सम्भव नहीं था। मैं यात्रा के लिए तैयार हो गया। उस दौरे मैंने ग्रासन-मुक्त समाज का विचार तथा नवी तालीम के ग्रामीकरण की प्रक्रिया विस्तार से समझायी। इससे उडीसा का सारा वौद्धिक वर्ग अत्यन्त प्रभावित हुआ। विश्वविद्यालय के लोग कहते थे कि “हमें इसका अन्दाज ही नहीं था कि इसके पीछे इतनी फिलासफी है।” मैं उनसे कहा करता था: “आप लोग पण्डित लोग हैं, इसीलिए आप प्राचीन ग्रन्थों से बाहर नहीं निकलते। आत्मनिक विचारों का भी कुछ अध्ययन किया कीजिये।”

उडीसा की यात्रा से कार्यकर्ताओं को भी पर्याप्त प्रणा मिली। मैंने देखा कि इस प्रदेश में जितने निश्चावान् कार्यकर्ता हैं, उतने भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं हैं। लेकिन उनका वौद्धिक स्तर ऊँचा नहीं था। अव्ययन का अभ्यास था ही नहीं। शायद चिन्तन भी नहीं करते थे। विभिन्न कॉलेजों के अव्यापक तो शिकायत ही करते थे कि “यहाँ के भूदानबाजे तो हमें अद्यूत ही मानते हैं।” मैंने गोपवाचू, मालती देवी आदि उडीसा के नेताओं से इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि “हमारे यहाँ ऐसा कोड़ कार्यकर्ता नहीं है, जो इनसे सम्पर्क कर सके।” मेरा कहना था कि “आज की दुनिया विचार-मथन की दुनिया है। अगर हमारे कार्यकर्ता वौद्धिक स्तर पर अपने विचार का प्रतिपादन नहीं कर सकेंगे, तो सर्वोदय-क्रान्ति आगे नहीं बढ़ेगी।” काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि मैं खादीग्राम से किसी कार्यकर्ता को भेज दूँ, जो वौद्धिक वर्ग से सम्पर्क करे। उडीसा के साथियों ने यह बादा किया कि वे दो-चार नौजवानों को उनके साथ कर दरो, ताकि छह माह के बाद भी यह काम जारी रहे। खादीग्राम लौटकर मैंने भाई शैलेशचन्द्र वन्द्रोपाध्याय को इस कार्य के लिए उडीसा भेज दिया।

उडीसा की यात्रा के बाद जब मैं खादीग्राम लौटा, तो मेरी कमर का दर्द करीब-करीब ठीक हो गया। उसका तात्कालिक कारण यही

समझा गया कि होमियोपैथी इलाज से ठीक हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि भगवान् ने ही उसे ठीक किया। जिस समय कमर का दर्द भिटा खादीग्राम के साथी मेरा इलाज और मालिश आदि करते थे, तो मैं उनसे कहा करता था कि तुम लोग मेहरबानी करके मेरा इलाज मत करो। ईश्वर की इच्छा है कि मैं चारपाई पर पड़ा रहूँ, तो पड़ा हूँ। जिस दिन उसे मुझसे कुछ दूसरा काम लेना होगा, तो वह मेरी कमर ठीक कर देगा। मैं उनसे कहता था कि लोग कहते हैं कि भगवान् ‘मूक करोति वाचाल पगु लघयते गिरिम्।’ वे मूक को वाचाल बनाते हैं और पगु से पहाड़ पार करते हैं। बिनोद मेरे मैं कहा करता था कि ईश्वर एक विषय मेरे तो पास हो चुके हैं, देखना है दूसरे विषय मेरे पास होते हैं या नहीं? एक विषय के बारे मेरे इसलिए कहता था कि बचपन से मैं वाचाल नहीं था। स्कूल-कॉलेज मेरे कभी किसी बाट-विवाद मेरे भाग नहीं लेता था। घर पर भी मैं बहुत कम बोलता था। और असहयोग-आन्दोलन मेरे ज्ञामिल होकर बोलना तो दूर रहा, बहुत कम मौकों पर जुद्दस या सार्वजनिक सभा मेरे ज्ञामिल होता था। १६ साल मूक ग्राम-सेवा करने के बाद १९३७-३८ मेरे सभाओं मेरे भाषण करने लगा। जो लोग मेरे भाषण सुनते, वे आश्चर्य मेरे पढ़ जाते थे कि मैंने बोलना कब से शुरू कर दिया।

१९४९ मेरे जब पहले-पहल विहार के काग्रेस-शिविर मेरे मैंने भाषण किया, तो ध्वजाभाई, रामदेव भाई, लक्ष्मीबाबू आदि मेरे पुराने मित्र आश्चर्य मेरे पढ़ गये। कहने लगे: “धीरेन्द्र, तुम कब से लेक्चर देने लगे?” मेरे भाई साहब रिटायर होकर कुछ दिन सेवापुरी आकर रहे थे। वे मेरे साथियों से कहा करते थे कि “अरे, इसके पेट पर गोली मारने पर भी मुँह से बोली नहीं निकलती थी। आज यह सारे हिन्दुस्तान मेरे धूम-धूमकर लेक्चर देता फिरता है। वह भी एक अजीब तमाशा है!” इन्हीं कारणों से मैं मानता था कि अगर मेरे जैसे ‘मूक’ को वह अपना काम लेने के लिए ‘वाचाल’ बना सकता है, तो उसे जब आवश्यकता महसूस

होगी, तो मेरी कमर भी ठीक कर देगा। हुआ भी वही, उड़ीसा से लौटने के दो-तीन माह बाद ही मे खादीग्राम के पास की पहाड़ी पर चढ़कर उतर आया।

आज भी मेरा विचास है कि जीवन की जितनी घटनाएँ घटी हैं, वे सब ईश्वरीय योजनाएँ ही हैं। सेवाग्राम से खादीग्राम आना, खादीग्राम आते ही कमर का दर्द होना—आदि सब उसीका विधान था। नहीं तो उस समय के आन्दोलन के प्रवाह मे मुझे कौन बैठने देता ? न बैठता, तो शायद खादीग्राम न बन पाता। फिर जब खादीग्राम जम गया और मुझे अखिल भारतीय जिम्मेदारी उठानी पड़ी, तो एकाएक कमर ठीक हो गयी। नि.सदेह इस समय ईश्वर मुझे देशभर मे धुमाकर विचार-प्रचार कराना चाहता था।

अगस्त १९५४ से अगस्त '५५ तक मे लगातार सारे देश मे प्रवास करता रहा। उस समय मैं जो कुछ बोलता था, प्रनों के जो उत्तर देता था, वह सब 'भूदान-यज्ञ' मे प्रकाशित होता था। तुमने अम-आधारित देखा होगा कि दौरे के सिलसिले मे मैं अम-आधारित जीवन पर जोर जीवन पर अविक जोर देने लगा था। नयी तालीम के महत्व पर भी काफी जोर देता था। नयी तालीम के लिए गया-सम्मेलन के पहले से ही बोलने और लिखने लगा था, क्योंकि मैं देखता था कि बिना नयी तालीम के वह आन्दोलन हवा मे रह जायगा। मैं कहा करता था कि जिस तरह आजादी की लडाई के दिनों मे काग्रेस द्वारा सत्याग्रह, पिकेटिंग आदि के साथ साथ खादी-ग्रामोद्योग आदि का विधायक कार्य चलता था और वे कार्यक्रम एक-दूसरे के सहारे से ही चलते थे, उसी तरह आज की क्रान्ति के सदर्भ मे साहित्य-प्रचार, शिविर, सम्मेलन, पदयात्रा आदि के जरिये आन्दोलन के साथ साथ नयी तालीम का विधायक काम क्रान्ति-प्रक्रिया के अभिन्न अग के रूप मे चलना चाहिए। मैं कहता था कि ये दोनों कार्यक्रम भी एक-दूसरे के सहारे ही चलेंगे। एक के बिना दूसरा पगु रहेगा। क्रान्ति के सदर्भ मे

क्रान्ति तथा नयी तालीम के कार्यक्रम को मैं देवता और वाहन की तुलना देता था। कहता था कि क्रान्तिदेवी नयी तालीम की पीठ पर ही बैठकर आगे चल सकती है और क्रान्तिदेवी को पीठ पर बैठाये बिना नयी तालीम की शालाएँ प्राणहीन जड़ पठार्थ जैसी ही रहेगी। उन दिनों के मेरे लेख और भाषण इसी आशय के हुआ करते थे। मेरे इन विचारों को सर्व-सेवा-सघ ने पुस्तिका के रूप में छपवाया भी था।

सम्मेलन में जब बिनोदाजी ने तालीमी सघ को भी सर्व-सेवा-सघ में बिलीन होने की सलाह दी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे इसकी आशा बनी कि अब सर्व-सेवा-सघ की योजना में आन्दोलन तथा नयी तालीम का काम उसी तरह से अभिन्न रूप से चलेगा, जिसकी कल्पना मैं करता था। दुर्भाग्य से तालीमी सघ सर्व सेवा-सघ में बिलीन नहीं हो सका। इस कारण आन्दोलन और नयी तालीम का काम पूर्ववत् अलग-अलग चलता रहा। मैं मानता हूँ कि इससे आन्दोलन के सघटन और विकास में हानि हुई है। जब तक ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, तब तक आन्दोलन को बल नहीं मिलेगा। बल्कि ग्रामदान के सदर्भ में नयी तालीम के कार्यक्रम को ग्राम स्वराज्य की बुनियाद मानना चाहिए। वस्तुतः पोषण, शिक्षण तथा रक्षण ही ग्राम-स्वराज्य की बुनियाद है। बिना शिक्षण के पोषण का कार्यक्रम आगे नहा बढ़ सकता, क्योंकि उत्पादन की क्रिया वैज्ञानिक न होने पर आज की परिस्थिति में लोग पेट भी ठीक से नहीं भर सकते। दूसरे अगो का पोषण तो दूर की बात है। स्पष्ट है कि ग्राम स्वराज्य में रक्षण अहिंसात्मक रक्षण होगा। अहिंसात्मक रक्षण की सभावना सास्कृतिक विकास की परिणति में ही है। यह तो सभी समझ सकते हैं कि सास्कृतिक विकास भी मूलतः शिक्षण-प्रक्रिया ही है। हमारे आन्दोलन का व्येय ग्राम-स्वराज्य है, तो उसका माध्यम नयी तालीम ही हो सकती है।

नयी तालीम के अलावा कार्यकर्ता के श्रमजीवी बनने पर मैं अत्यधिक जोर देता था और प्रत्येक शिविर, सम्मेलन तथा बैठक में इसे दोहराता

या, क्योंकि मेरी धारणा है कि भू-क्रान्ति के सन्देशवाहक यदि अमज्जीवी वनने की कोशिश में अम-आवारित जीवन नहीं बनायेगे, तो वे क्रान्ति के वाहक वी हसियत में पगु हो जायेगे। मेरे ऐसे भाषणों से क्रितने ही प्रान्तों के कार्यकर्ताओं में खलबली भच जाती थी। कुछ कार्यकर्ता तो इस कारण मुझमे अप्रसन्न भी रहते थे।

इसी साल दिसम्बर या जनवरी में मेरा उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम बना। उत्तर प्रदेश के लोग मुझे अपने प्रदेश का बताते हैं। यहाँ मने अपनी जिन्दगी के सबसे बेहतरीन ३० साल बिताये ह आर विधायक कार्य से जनता की भेवा की है। उमी प्रान्त ने मुझे अनुभव देकर व्यापक काम करने के योग्य बनाया है। अतः उस प्रदेश के भाई मुझ पर अपना विशेष अधिकार मानते हैं। मेरी वहाँ के कार्यकर्ताओं पर अपना विशेष अधिकार मानता हूँ। इसलिए वहाँ के दोरे में मेरे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रकट करने लगा।

मेरे दोरे का लाभ लेकर करण भाई ने उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं तथा मित्रों के दो शिविर रखे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश होने के कारण पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्से के लिए दो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखने पड़। पश्चिमी सम्मेलन आगरा में शिविर रखा गया और पूर्वी सम्मेलन फतेहपुर में। दोनों सम्मेलनों में दादा धर्माधिकारी आर बहन विमला भी शामिल हुईं।

सम्मेलन में और तमाम विचारों के अलावा कार्यकर्ताओं से अम-आवारित जीवन के बारे में आग्रहपूर्वक कहा। उनसे स्पष्ट न्य से कह दिया कि यदि कार्यकर्ता अपने जीवन में वर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, तो वे इस क्राति का सदेश लेकर जनता में जाने की प्रत्यता ही खो देते हैं। मैंने उनसे सीधा सवाल किया। “आप अभी नारा लगा रहे थे ‘जमीन किसकी? जो जोते उसकी?’ तो अगर यह नारा नफल हो जाय, तो आपकी क्या बगा होगी?” मैं उनसे कहता था कि

“आप देहातों में जाकर २५-३० या ४० वीधेवाले जमीदार या किसान से कहते हैं कि आपको जमीन रखने का हक नहीं है। जितनी जमीन आप खुद अपने हाथ से और अपने परिवार की मदद से जोत सकते हैं, उतनी अपने पास रखिये, वाकी जमीन भूमिहीनों को बॉट दीजिये।” अर्थात् आप अपने ही जैसे मव्यम-वर्ग के एक व्यक्ति से कहते हैं कि वे सपरिवार शरीर-श्रम से अपना गुजारा करें। सजदूर खटाकर मुनाफा लेकर उस पर गुजारा न करें। मैं आपसे पूछता हूँ कि “मान लीजिये, वह व्यक्ति आपको चुनौती दे कि अच्छी बात है, आप मेरी जगह पर आइये और बताइये कि शरीर श्रम से उतनी ही जमीन जोतकर कैसे गुजारा किया जाता है ? अपने गुजारे का जरिया आप मुझे दे दीजिये, तो आपमें से कितने नौजवान ऐसे हैं, जो इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं ?”

इस प्रकार दोनों शिविरों से मैंने बड़े आग्रह तथा कडाई के साथ यह यह बात रखी कि क्राति जिस स्तर पर पहुँच चुकी है, उस स्तर पर कार्य-कर्ता यदि श्रम-आधारित जीवन अपनाने का काम न करे, तो इसकी आगे की प्रगति असम्भव है। जब लोग यह सवाल करते थे कि सदियों की आदत तथा स्स्कार एक दिन में कैसे बदल सकता है ? तो मैं कहता था कि यह सही है कि एक दिन में नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जहाँ है, वही से चलना तो शुरू कर सकता है। चलना शुरू करने के बाद यह भी हो सकता है कि तेज रफ्तार के कारण दिल्लीवाला कानपुर-वाले से पहले पहुँच जाय, लेकिन चाहे जो पहले पहुँचे, सबको चलकर ही पहुँचना होगा। ‘कलकत्ता चलो’, ‘कलकत्ता चलो’ का नारा लगाने से कोई नहीं पहुँचेगा, उसी तरह अगर वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया में सबको उत्पादक श्रमिक बनना है, तो श्रमजीवी बनने की साधना में सबको लगना ही होगा। कोई आगे रहेगा, तो कोई पीछे, लेकिन उसको एक ही पथ का पथिक बनना पड़ेगा।

मेरे भाषणों से कार्यकर्ताओं में बड़ी खलबली मची। उनमें असतोष

भी पैदा हुआ। दादा धर्माविकारी, विमला वहन तथा करण भाई तक को बेचैनी हुई। दादा एक दार्शनिक विचारक है। वे साथियों द्वारा तुरन्त विचार की तह तक पहुँच गये थे और निश्चन्त चिरोध हुए। लेकिन वहन विमला तथा करण भाई को उस दिन बेचैनी के कारण नीठ नहीं आयी। करण भाई तो तड़के ३-३॥ वजे ही मेरे पास पहुँचे। कहने लगे . “आपके भाषणों ने हमें परेशानी में ढाल दिया है। कार्यकर्ताओं के बारे में आपका जो विचार है, उसे देखते हुए हम सबको कोई अविकार नहीं है कि हम इन आनंदोलन में रहे। अगर आप लोग इस छग से भाषण करेंगे, तो देश में कार्यकर्ता नहाँ मिलेंगे। फिर यह नाति कहाँ रहेगी ?”

उन्होंने जयप्रकाश वाडू की बातों का भी द्वाल दिया और कहा कि “श्रम जीवन का आपका यह आग्रह जयप्रकाश वाडू को भी पउद नहीं है। वे भी कहते हैं कि ‘वीरेन भाई अगर ऐसा आग्रह रखेंगे, तो अच्छे कार्यकर्ता आनंदोलन में नहीं आयेंगे’।”

हमेशा की तरह करण भाई उस दिन भी मुझसे बृह उलझे। उनकी बातों में व्याकुलता थी। कहने लगे : “इस विचार से देश में कान्ति नहीं होगी। आप या आप जैसे इने-गिने आदमी कहीं बेठकर कुछ साथियों के साथ अम-साधना कर टॉल्स्टॉय फार्म जैसा कुछ केन्द्र भले ही बना ले, लेकिन इससे समाज-क्राति नहीं होगी।” मने पूछा . “क्या तुम मानते हो कि टॉल्स्टॉय फार्म ने क्राति नहीं की ? टॉल्स्टॉय फार्म ने तो गांधी पैदा किया और आज जो हम नाति की बात करते हैं, उसकी गगोत्री तो टॉल्स्टॉय जैसे लोगों की साधना ही थी न ?”

इस प्रकार काफी बहम हुई। अन्त में करण भाई ने कहा कि “आपकी दलील अकाट्य है, लेकिन मन को समाधान नहीं है। आपने ऐसे भाषणों से आनंदोलन को हानि पहुँचेगी।” मैंने उनसे कहा कि “अगर कार्यकर्ता इस दिना में कदम उठा ल, तो नाति हजारगुनी गति से आगे बढ़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमारी क्राति निस्तेज हो-

जायगी।” लेकिन आखिर तक वे कहते रहे कि “आपको ऐसा प्रचार बन्द करना चाहिए।”

‘नवेरा होते ही वहन विमला मेरे पास पहुँचीं। उन्होंने भी अपने स्वभावानुकूल सीठे गव्डो मे अपनी परेशानी बतायी। उन्हे मैंने विस्तार से अपने विचार समझाये। विचार उनकी समझ मे आ गया, लेकिन उमकी व्यावहारिकता पर वे गव्डा करती रहीं। उन्होंने पूछा : “तो क्या मैं दौरा बन्द करके कही बैठकर इस साधना मे लगूँ।” मैंने कहा : “दौरा बन्द करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीच बीच मे थोड़े-थोड़े दिनों के लिए किसी आश्रम मे बैठकर श्रम का अभ्यास करना ही चाहिए।”

उस दिन सारे शिविर मे इन्ही बातो की चर्चा रही। मैंने दादा से पूछा : “आप विचारक हैं, बताइये इसमे कहॉ विचार-दोष है ?” उन्होंने कहा : “आश्रम मे मुझे भी कुछ घबराहट थी, लेकिन मैंने विचार कर लिया और मैं मानता हूँ कि आपका विचार विलकुल सही है। क्रांति का अगला कदम यही है, भले ही हम सब कार्यकर्ता इस कदम के लिए असमर्थ हो जायें।”

जप्तप्रकाश वाबू जैसे अत्यन्त क्रान्तिकारी तथा विचारशील व्यक्ति के मतभेद आर करण भाई जैसे अनन्य साथी के असन्तोष के बावजूद मैं जहाँ कही जाता था, अपने प्रवचन मे इसी विचार पर जोर देता था, क्योंकि मे उसी तरह निश्चयपूर्वक देख रहा था कि श्रम-साधना के बिना हमारी क्रान्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती।

यह सब चर्चा चलती रही आर मेरी यात्रा भी साथ साथ चलती रही। तीन-चार माह के बाद वगाल के बॉकुडा मे विनोदा-पडाव पर

सर्व-सेवा-सघ की बैठक बुलायी गयी। विनोदा जी के विनोदा की पडाव पर सर्व-सेवा-सघ की बैठक होने पर देश के अनुमति करीब सभी प्रमुख कार्यकर्ता मोजूद रहते हैं। वहाँ भी करण भाई ने और साथियों के साथ आग्रहपूर्वक कहा कि “आपको यह प्रचार बन्द करना चाहिए।” मैंने उन लोगों से कहा

कि “मैं हस चीज को न्यष्ट देख रहा हूँ, उसे न कहूँ, वह कैसे होगा ?” फिर मानना न मानना आप लोगों के हाथ में है ।” लेकिन वे कहने लगे कि “आपके इस प्रकार के भाषणों से आन्दोलन को हानि पहुँच रही है । मैंने उनसे कहा कि “यह आन्दोलन विनोदाजी ने चलाया है, वे री इसको आगे बढ़ा सकते हैं । हम सब उनके पीछे चलनेवाले हैं । अगर वे भी समझते हों कि इसने आन्दोलन को बक्सा पहुँचेगा, तो म जन्मर यह कहना बन्द कर दूँगा । लेकिन फिर मेरे पास दूसरा कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जायगा । इसलिए वैसी हालत में मैं अपनी सावना में लग सकूँगा, क्योंकि मेरा विवास है कि इसीमें से क्रान्ति निलगेगी ।”

आखिर करण भाई ने सुने विनोदाजी के पास पंज कर दिया । अण्णासाहव को भी बुला लिया था । करण भाई ने अपनी तथा दूसरे साथियों की बात उनके सामने रखी । विनोदाजी मेरे विचारों से परिचित थे । उन्होंने मुझसे विशेष चर्चा नहीं की । अण्णासाहव की रात पट्टी । अण्णासाहव ने मेरे ही पक्ष में कहा । उन्होंने तो यहाँ तक कहा । “वीरिन्द्र भाई का इस पहलू पर जोर देना आवश्यक है ।” विनोदाजी ने ‘हो या ‘ना’ कोई राय नहीं दी । कहा कि “आप सर्व सेवा रघु के दफ्तर को इस जीवन पर ढालिये ।” मने कहा “हाँ, ऐसा तो करेंगे ही, लेकिन आप साफ साफ बताइये कि मैं अपना विचार कहना जारी रखूँ या बन्द करूँ ?” विनोदाजी मुस्कराये ओर बोले । “आप जस्तर कहिये । लेकिन ऐसे ढग से कहिये, जिससे न कर सकनेवाली पर असर टीक हो ।” मैंने पूछा । “भाषा तो मेरी ही होगी न ?” तो विनोदाजी हँस पड़े ।

इसी प्रकार से १९५५ के अगस्त तक मने श्रम के विचार को अत्यन्त आग्रहपूर्वक दूर प्रात के कार्यकर्ताओं के सामने रखा । राजस्थान और उडीसा के अन्लावा अन्य प्रदेशों में कार्यकर्ताओं में थोड़े समय के लिए बड़ी बेचैनी रही, लेकिन थोड़े ही दिनों में वे महसून करने लगे फिर इस क्रान्ति के लिए श्रम आवारित जीवन का होना आवश्यक है । ०००

श्रमभारती, खादीग्राम

५-९-'५८

सालभर देश के कोने-कोने की यात्रा करके मुझे एक नयी सूर्ति मिली। लम्बी दीमारी के कारण कहीं नहीं जा सका था। अद्वाई वर्ष के बाद विभिन्न प्रदेशों के मित्रों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। भूदान-आन्दोलन के कारण बहुत से नये मित्र मिले। वे सब ‘सर्वोदय’ और ‘भूदान-यज्ञ’ में मेरे विचारों को देखते रहते थे। यात्रा से वे मेरे और निकट आ गये थे। आन्दोलन की गतिविधि के बारे में सबसे चर्चा होती थी।

मित्रों से चर्चाएँ करके और स्थिति का अध्ययन करके मुझे ऐसा लगा कि अब समय आ गया है कि भूदान-आन्दोलन सम्प्राप्ति न रहकर जन-आन्दोलन का रूप ग्रहण करे। मैंने देखा कि प्रान्तों में भूदान समिति के द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे लोग भूदान का कोई काम नहीं करते थे। केवल जहाँ विनोदाजी जाते थे, वहाँ कुछ दूसरे लोगों में चहल-पहल होती थी। मैंने महसूस किया कि आम जनता की यही धारणा है कि भूदान का काम सर्व-सेवा-सघ का या भूदान समिति का काम है और जैसे चरखा-सघ द्वारा खादी का काम चलता था, वैसे ही सर्व-सेवा-सघ की प्रवृत्ति के स्पष्ट में यह काम चल रहा है।

मैंने महसूस किया कि इस तरह से आन्दोलन की प्रगति नहीं हो सकती। सचित निधि तथा तन्त्रशब्द कार्यक्रम की एक निर्दिष्ट मर्यादा होती है। उस मर्यादा पर हम पहुँच गये हैं। अतएव आज यदि आन्दोलन को आगे बढ़ाना है, तो उसे तन्त्र तथा निधि के बाहर निकालना होगा। गांधी-निधि के आधार पर आन्दोलन चलाने के बारे में मेरा विचार तुम्हें

मालूम ही है। इस मदद को मेने च्याकार किया था। इमलिए नहीं कि मुझे उससे समावान था, वहिक इमलिए कि द्रष्टा पुरुष विनोवा ने कहा था।

उत्तर प्रदेश और विहार के दोरे के सिलसिले में वह विचार मुझे सूझा और मई में विहार में जिला समिति के सयोजक तथा मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक में मैंने पहले पहल उसे व्यक्त लक्ष्मीवावू को किया। मैंने उस बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपील की छोड़ने की माँग कि वे तन्त्रमुक्त होकर जनता में घुनने की कोशिश कर। मेरे इस विचार पर काफी चर्चा हुई। साधियों

जो असम्भव-सा मालूम होने लगा। लेकिन काफी विचार विनिमय के बाद उन्हें भी लगा कि मेरी ठीक कह रहा हूँ। उस समय विहार प्रान्तीय भूदान समिति के सयोजक लक्ष्मीवावू थे। उन्होंने अपने-आपसे तन्त्रमुक्त करके सीधे जनता में प्रवेश करने की वात कही। मैंने साधिया से अपील की कि वे लक्ष्मीवावू को छोड़ दें। क्योंकि मैं मानता था कि जब तक कुछ मुख्य कार्यकर्ता तन्त्रमुक्त तथा निधिमुक्त नहीं हो जायगे, तब तक इस विचार को प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन विहार के साधियों को लक्ष्मीवावू को छोड़ना पसन्द नहीं था। वे कुछ वर्म-सकट में पट गये, ज्योंकि मेरे विचार को वे पसन्द कर चुके थे। आखिर मैं उन्होंने वही तय किया कि विनोवाजी से पृछा जाय। वे जेसा कहें, वेसा किया जाय।

वे विनोवाजी से पूछने गये। विनोवाजी ने कहा कि लक्ष्मीवावू तो स्वभाव से ही तन्त्रमुक्त है। उनके लिए तन्त्रमुक्ति की आवश्यकता नहीं है। वे वही काम करें, जो कर रहे हैं। वहिक उन्होंने वह भी कहा कि लक्ष्मीवावू को दफ्तर में बैठ जाना चाहिए। विहार के साधियों ने लौटकर मुझे विनोवाजी की सूचना बतायी। मुझे लगा कि अगर लक्ष्मीवावू को इजाजत मिल जाती, तो उनके नेतृत्व में काफी नोजवान निकल आते, जो जन-आधारित रहकर जनता को प्रेरणा दे सकते थे। वह प्रेरणा वास्तविक जन-गति का विकास करती। लेकिन विनोवाजी ने जप ऐसा कहा, तो मुझे लगा कि उसमें कुछ तन्त्र होगा।

यद्यपि लक्ष्मीवाबू को तन्त्रमुक्ति की इजाजत नहीं मिली और मैंने एक सिपाही के नाते विनोवाजी के पीछे चलने का निश्चय कर रखा था, फिर भी मेरे मन में वतमान परिस्थिति से समाधान तन्त्रमुक्ति का नहीं था। मैं स्पष्ट देख रहा था कि केन्द्रित निष्ठि आवाहन आधारित तथा तन्त्रवद्ध आन्दोलन एक निश्चित चहारदीवारी के भीतर घिरता चला जा रहा है। अतएव मैंने अपने विचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। विहार के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मैं जहाँ भी गया, वहाँ मैंने तन्त्र के बाहर निकलकर जनता में प्रवेश करने के लिए कार्यकर्ताओं का आवाहन किया। मेरा प्रवचन 'भूदान-यज्ञ' में छपता था, इसलिए वह आवाहन देशभर के कार्यकर्ताओं तक पहुँचता रहता था। विहार के छपरा, सहरसा तथा पटना जिलों के कुछ नौजवान भूदान-यज्ञ से बेतन आदि लेना बन्द करके जन-आधारित होकर काम करने लगे। छपरा के कुछ नौजवान सुझसे मार्ग-दर्शन लेने के लिए छपरा से खादीग्राम की ओर पैदल चल पडे। उत्तर प्रदेश के भी एकआध कार्यकर्ता निकले और कुछ निकलना चाहते थे। तन्त्रमुक्ति के विचार ने नौजवान कार्यकर्ताओं में थोड़ी-सी हलचल पैदा कर दी। वह थोड़ी जरूर थी, लेकिन कुछ गहरी थी।

तन्त्रमुक्ति के विचार को व्यक्त करने के कारण कुछ साथियों को काफी परेशानी हुई। करण भाई तो बहुत नाराज हुए, जयप्रकाश बाबू ने भी असन्तोष प्रकट किया। वे कहने लगे कि "अगर आप लोग इस तरह विचार व्यक्त करते रहेगे, तो कार्यकर्ता भटक जायेगे और आन्दोलन विखर जायगा।"

लेकिन मुझे साफ दिखता था कि चाहे कार्यकर्ता भटक जायें और आन्दोलन विखर जाय, परन्तु विना तत्रमुक्ति के क्रान्ति अवश्य ही दब जायगी। इसलिए मैंने अत्यन्त आग्रहपूर्वक अपने विचार व्यक्त करना जारी रखा।

थ्रम-आवारित जीवन पर जोर देने के कारण करण भाई आदि साथियों की नाराजी की बात तुम्हें मालूम ही है, लेकिन तन्त्रमुक्ति के प्रबन्ध

पर जितनी ज्यादा नाराजी थी, उसके मुकाबले वह संघ की बैठक नगण्य थी। थ्रम के विचार को तो लोग स्वीकार में चर्चा करते थे, परन्तु इसे कुछ अन्यावहारिक मानते।

इसलिए मेरे आग्रह से वे कुछ परेशान होते थे। तन्त्रमुक्ति के विचार को लोग खतरनाक मानते थे। वे धबड़ाते थे कि इस विचार के कारण आन्दोलन तितर-वितर हो जायगा। इनलिए लोग मुझसे आकर लड़ते भी थे।

आखिर वर्षा में सर्व-सेवा-सघ की बैठक में लोगों ने वह चर्चा टेंट दी और कहा कि सघ को इसके बारे में नीति तथा बरनी चाहिए। सघ के सदस्यों में दो मत थे। भाई सिद्धराजजी आदि कहते थे कि किसी न किसीको तो आगे के कदम का जिक करना ही होगा। वीरेन्द्र भाई हमेशा क्राति के अगले कदम की बात करते हैं। तो उनके लिए ऐसी बात करना स्वाभाविक है। लेकिन करण भाई आदि दूसरे मित्र इसका घोर विरोध करते थे। अद्वेय जानूजी यह सारी चर्चा सुनते रहे। कहने लगे “आखिर इससे आप लोगों का हर्ज क्या है? अगर कुछ कार्यकर्ता आपसे तत्र में न रहकर तथा आप पर खर्च का बोझ न ढालकर त्वतत्र रूप से आन्दोलन का काम करते हैं, तो उसमें नुकसान क्या है?” करण भाई ने कहा: “नुकसान यह है कि इससे कार्यकर्ताओं से अनुग्रासन भग होता है।” निर्णय तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस वहस से सुवह का करीब-करीब सारा समय चला गया। दोपहर के भोजन के बाद करण भाई ने मुझसे गरमागरम बहस की। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन समझा नहीं सका। अन्त में कहने लगे “आप चाहे जो करिये, लेकिन मेरी समझ से यह बात नहीं आती।”

विहार के पौच्छात कार्यकर्ता अत्यन्त निष्ठा के साथ तन्त्रमुक्त तथा निधिमुक्त जीवन विताते हुए काम करने रहे। नेताओं का उन्हें कोई

प्रोत्साहन नहीं था। वे अत्यन्त कष्ट स्वीकारु करके भी जन-आधारित रहे।

इतिहास उनका नाम नहीं जानेगा, लेकिन ऐसे नौ-कुछ कार्यकर्ताओं जवान ही व्राति की बुनियाद ढालनेवाले होते हैं।

का साहस इन निधिमुक्त कार्यकर्ताओं में पटना के दो भाई धैर्य के साथ डटे रहे। पटना में ८-१० नौजवान प्रान्तीय

राजधानी नजदीक होने के कारण अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति में काम करते थे। यद्यपि वे भूदान-यज्ञ समिति भी चलाते थे, फिर भी वे मेरे विचार की ओर आकृष्ट थे। उन्होंने अपने जिले में मेरा कार्यक्रम रखा। उस बार मैं कार्यकर्ताओं की चर्चा में तथा आम जनता में व्राति के त्वरण तथा उसकी प्रक्रिया पर ही अधिक बोलता था। उस यात्रा में वहाँ के कार्यकर्ता तत्रमुक्ति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते थे। मैं अत्यन्त उत्साह के साथ उन्हे समझाता था। थोड़े ही दिनों में पटना के कार्यकर्ताओं ने केन्द्रित निधि से सुक्त होने का निर्णय किया। उन्होंने विहार भूदान समिति के सामने अपना प्रस्ताव रखा। भूदान समिति के सदस्यों को यह बात ज़ची नहीं। उन्होंने उन्हे काफी समझाया। लेकिन जवानों की सकल्प-निष्ठा देखकर उनका उत्साह भग करना ठीक नहीं समझा और उन्हे ऐसा करने की इजाजत दे दी।

दस-बारह जवानों की टोली पटना की बैठक से लौटकर सीधी मेरे पास आयी। मैंने उन्हे आगे के लिए सलाह दी और सचित निधि के

बाहर जनता पर कैसे आधारित रहा जाय, इस पर 'कटनी पडाव' का चर्चा की। उन्होंने सम्पत्तिदान, अन्नदान आदि

सुभाव साधनों की योजना बनायी थी। मैंने उन्हे एक बात

सुझायी और वह यह कि इस बार फसल कटने के समय तुम लोग दो-दो, तीन-तीन की टोली बनाकर अमदान मॉगो। पदयात्रा करके 'कटनी पडाव' का सघटन करो। पदयात्रा के पडाव के लिए जैसी पूर्वतैयारी करते हो, वैसी ही इस पडाव की भी पूर्वतैयारी करो। तीन दिन का पडाव हो। पडाव के कुछ बडे किसानों से तय कर लो कि

वे तुम लोगों से अपनी फसल कटवाकर मजदूरी दे आर तुम्हारे लिए अमदान भी दे। मैंने उनसे कहा कि इससे 'एक पथ दो काज' होंगे। अम-आधारित जीवन का प्रचार होगा। आन्दोलन की वेचारिक भूमिका बढ़ेगी और साथ-साथ लोगों का तुम्हारे प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जो कुछ अन्न मिलेगा, उने बटती ही मानो। यह योजना उन लोगों को अच्छी लगी और वे इस दिना में सोचने लगे।

जब से मैं निधिमुक्ति और तत्त्रमुक्ति की बात करने लगा था, तभी से कटनी की योजना को कार्यकर्ताओं के समझ एक मुख्य योजना के रूप में रखता था। कहाँ-कहाँ कार्यकर्ताओं ने इनकी सफल आजमाइश भी की। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुरादावाड़ जिले में भाईं पुजारी राय का प्रयोग तथा बनारस जिले के भाईं सरजू गर्मा का प्रयोग उल्लेखनीय है। विहार के मुँगेर तथा पटना जिले के कार्यकर्ताओं में काफी तैयारी थी। लेकिन लगातार बाढ़ और मृत्ता के कारण फसल की वरदादी के चलते वे इस दिना में विशेष प्रयोग नहीं कर सके।

ईंवर अपनी सुषिटि को एक निश्चित दिना तथा गति से ले जाता दे। उसके लिए वह योजना भी बनाता है। हम लोगों के दिमाग में जो

कुछ भी आता है, वह सब उमी योजना का अगत्याक्रम समिति का मात्र है। नहीं तो एक ही समय में प्रिना परस्पर चर्चा करता है कि ये ही विभिन्न व्यक्तियों के मन में एक ही बात क्यों आती है। यद्यपि विनोदाजी ने ल-मीग्रावू को भूदान समिति से मुक्त करने से इनकार किया, फिर भी नित्सदेह वे उसी समय आन्दोलन के सदर्भ में तत्त्रमुक्ति तथा निधिमुक्ति की बात साचते रहे होंगे।

सन् १९५६ में काचीपुरम् समेलन के अवसर पर विनोदाजी ने साथियों से कहा कि "आप लोग आन्दोलन को जनता के हाथ में साप दे और इसे तत्त्रमुक्त और निधिमुक्त कर दे।" उन्होंने कार्यकर्ताओं के समझ प्रस्ताव रखा "अब आप लोग भूदान समितियों को तोड़ दे तथा गार्दी-

निधि से मदद लेना बद कर दे । वास्तविक क्राति होगी या नहीं। इसकी चिन्ता किये विना आप लोग क्राति का एक नाटक ही कर डालिये ।”

विनोबाजी के इस प्रस्ताव से मुझे अत्यत प्रसन्नता हुई, लेकिन उस समय उस पर विशेष चर्चा नहीं हुई । उसी दिन दोपहर बाद कार्यकर्ताओं की बैठक में तत्रमुक्ति की चर्चा छिड़ी । मैं प्रस्ताव के पक्ष से तो था ही, लेकिन मैं स्वयं उसमें भाग न लेकर साथियों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करता रहा । यद्यपि जयप्रकाश वाबू की गिकायत थी कि मैं तत्रमुक्ति के विचार का प्रचार करता हूँ, तथापि उस चर्चा में जयप्रकाश वाबू ही ऐसे व्यक्ति थे, जो उस प्रस्ताव के पक्ष में बोले । उन्होंने साथियों से अपील की कि वे इसका समर्थन करें । परन्तु दूसरे लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया । फलतः विनोबाजी का प्रस्ताव वही रह गया ।

विनोबाजी के प्रस्ताव से मुझे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । सम्मेलन से लौटकर मैं अपने साथियों में और जोर के साथ इस विचार का प्रचार

करने लगा । आखिर वह दिन आ ही गया, जब पलनी का प्रस्ताव पलनी में सर्व सेवा सघ की प्रबन्ध समिति के सदस्यों

तथा प्रातों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने तत्रमुक्ति तथा निधिमुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया । ईश्वर की लीला अनन्त है । वह कब किससे किस रास्ते काम करा लेता है, समझ में नहीं आता ।

बैठक समाप्त होने जा रही थी । आन्दोलन के स्वरूप तथा गतिविधि पर काफी चर्चाएँ हुईं । गाधी-निधि को भेजने के लिए बजट पर भी काफी विचार हुआ और आगे की योजनाओं पर विचार किया गया । आखिरी दिन ५ बजे बैठक समाप्त होने को थी । जयप्रकाश वाबू २ बजे अपना भाषण समाप्त करके चले गये । अन्त में विनोबाजी ने अत्यत मामिक भाषण किया । उन्होंने कार्यकर्ताओं को सबोधन करके कहा कि आन्दोलन को व्यापक करने के लिए यह आवश्यक है कि वह तत्रबद्ध तथा सचित निधि-आधारित न हो । उन्होंने फिर एक बार अपील की

कि लोग हिम्मत करके गांधी-निवि का आवार तथा भूदान समिति का सगठन छोड़ दें और जन-जन में प्रवेश करें।

विनोवाजी के भाषण ने उपस्थित मित्रों को सम्मोहित कर लिया। अच्छक पढ़ पर बैठा हुआ मे सबके चेहरे देखता रहा। मुझे लगा कि साथियों की अन्तनिहित आत्मा विनोवाजी के इस प्रस्ताव की तार्हि द कर रही है। भाई सिद्धराजजी से कहा कि सबको एक दिन के लिए रोक ले। सब लोग इस प्रश्न पर अन्तिम निणय करके जावें। आश्र्वय की बात यह है कि मे अभी आधी ही बात कह रहे हैं, जिसके लिए मे उनसे बह रद्द था। उन्हाँने सब लोगों को विचारार्थ रोक लिया। रात को बैठक हुई और विना विशेष चर्चा के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सबके चेहरों पर अदम्य उत्साह था। प्रस्ताव अमल मे किस तरह लाया जाय, इसी पर चर्चा चलने लगी। लोग इतने जोश में थे कि काफी बुजुगों के रहते हुए भी बैठक पर कोई नियत्रण नहीं था। किसीको धैर्य नहीं था। सब अपनी-अपनी बात कहने को अधीर से दीखते थे। परिभाषा भी भिन्न थी। रात काफी हो चुकी थी। अन्त मे श्री शक्तराव दब ने कहा कि “भाई, इस बहस मे क्या पड़ते हो कि हायी कैसा है। यह हाथीबाले से ही पूछो। अब बैठक समाप्त करो। हम लोगों ने प्रस्ताव को सहर्प स्वीकार किया है। इसका व्यावहारिक स्वरूप कैसा हो, इस पर कल विनोवाजी के साथ ही चर्चा की जाए।”

दूसरे दिन खूब देर तक विनोवाजी के साथ चर्चा बरके लोगों ने एक कामचलाऊ व्यावहारिक चित्र तैयार किया, जिसे लेकर लोग अपने-अपने प्रात को रवाना हो गये। सबको पूरा समाधान था। हम लोग विहार लोटे। विहार के आनंदोलन के सदर्भ मे आगे का कदम क्या हो, इस पर विचार करने के लिए पटना मे तुरन्त बैठक बुलाने का निश्चय पलनी में ही कर लिया था।

पटना मे बैठक हुई। जयप्रकाश वानू ने तत्त्वमुक्ति के विचार को

विस्तृत रूप से समझाया। मैं बहुत नहीं बोला, क्योंकि मैं पहले ही बिहार के मित्रों के सामने काफी कह चुका था। मैंने केवल एक पटना में बैठक विचार उनके सामने रखा। मैंने कहा: “यद्यपि तन्त्र-मुक्ति क्रान्ति की प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है, फिर भी तन्त्रमुक्ति-व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। यह ठीक है कि अगर हम आन्दोलन ही तन्त्रमुक्ति होकर नहीं चला सके, तो आन्दोलन की परिणति से शासन-मुक्ति समाज कैसे चलेगा? लेकिन शासन-मुक्ति समाज में भी विश्रृतलता नहीं रहेगी, सुव्यवस्था रहेगी। अतएव तन्त्रमुक्ति-आन्दोलन के सदर्थ में मैंने कहा कि यद्यपि भूदान समितियों को भग कर हम तन्त्रमुक्ति होते हैं, तथापि हम सब का सघ कायम रहता है। तन्त्रमुक्ति का अर्थ सघमुक्ति नहीं है। हम सब सेवक सघबद्ध हैं, यह बोध हरएक में होना चाहिए। इसके लिए समिति-पद्धति के बढ़ले सम्मेलन-पद्धति अपनानी चाहिए। मेरा सुझाव यह था कि कोई भी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में बुला ले। उसमें वे आगे के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करे तथा आपसी विचार-विनिमय करे। उसी बैठक में दूसरी बैठक का स्थान और समय निर्धारित करे। आगन्तुक सेवक मिल-कर अपने क्षेत्र के सभी सेवकों की सूची तैयार करे तथा अगली बैठक के लिए एक संयोजक निर्धारित कर ले। इसी प्रकार हर बैठक अगली बैठक के बारे में निर्णय करे। ऐसे सम्मेलन बड़े क्षेत्र के भी हो सकते हैं और प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय भी हो सकते हैं।”

कुछ मित्रों ने संस्थाओं की स्थिति के बारे में पूछा। कुछ मित्रों ने सर्व-सेवा-सघ की स्थिति के बारे में भी पूछा। मैंने उनसे कहा कि आन्दोलन के लिए संस्थाओं की आवश्यकता अवश्य होगी। लेकिन संस्था आन्दोलन नहीं चलायेगी। आन्दोलन तो व्यक्ति ही चलायेगा। जिस सेवक को जिस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है, उससे प्रेरणा लेगा, मार्गदर्शन भी लेगा। कोई सीधा विनोद से लेगा, कोई जयप्रकाश बाबू से और कोई मुझसे या लक्ष्मीबाबू से भी लेगा। अधिकाश सेवकों को तो अपने

झेब के अधिक अनुभवी सेवकों से ही मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्य को भेजे रिक्गा या भोटर गाड़ी के साथ तुलना की। वाजार तो आदमी करता है, लेकिन आदमी को वाजार जाने के लिए इन सदारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। मनुष्य आवश्यकता पड़ने पर इन सदारियों का उपयोग कर लेता है। उसी तरह सेवक जनता के भरोसे आन्दोलन को चलायेगा। सस्थाएँ अपनी जगह पर उसी तरह से खटी रहेंगी, जिस तरह रिक्गा अपने स्टैण्ड पर खड़ा रहता है। नेवक आवश्यकता पड़ने पर सस्थाओं का उसी तरह उपयोग करेगा, जिस तरह वाजार जानेवाला रिक्गे का इस्तेमाल करता है।

जिस समय में यह बात कह रहा था, उस समय मेरे मन में एक दूसरा विचार आ गया। इकर कर्ट माल से तम्ण कार्यकर्ताओं की वृक्षि

में एक विशिष्ट भावना का दर्जन हो गहा था। वे चाहते संस्थाएँ और हैं कि सस्थाएँ उन्हे हर तरह से मढ़द करें, लेकिन कार्यकर्ता सस्थाओं का कोई नियम उन पर लागू न हो। मने सोचा कि मेरे ऐसे भाषणों से देश की सस्थाएँ परेगान हो जायेंगी। मेरी बातों को उद्भृत करके वे मनमाने टग से सस्थाओं का इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि सेवकों को सस्थाओं के इस्तेमाल की मर्यादा का भी वोध करा दूँ। मैंने उनसे कहा कि यह सही है कि वाजार करनेवाला रिक्गा का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसे रिक्गा के लिए निर्धारित किराया छुकाना पड़ेगा। बिना टिकट बी यात्रा नियिढ़ है। व्यक्ति चाहे तो पैटल भी वाजार जा सकता है, लेकिन अगर रिक्गा पर बैठना है, तो उसे रिक्गावाले का पूरा किराया देना होगा। यह उदाहरण देकर मैंने उन्हे स्पष्ट रूप से समझा दिया कि वे चाहें, तो सम्या की मढ़द के बिना ही आन्दोलन को चलारे। लेकिन सस्था का इस्तेमाल करना चाहे, तो उन्हे सस्थाओं के नियमों का पादन्त्री करनी होगी।

पठना की बेठक में कार्यकर्ताओं को आपनी चर्चा करके आगे दे

कार्यक्रम के स्वरूप के बारे में चिन्ता करने का अवसर मिला, लेकिन चूँकि वहाँ थोड़े ही प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे, इसलिए वह सोचा गया कि प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन खादीग्राम में बुलाया जाय और दो-तीन दिन बैठकर अधिक व्योरे से इस प्रश्न पर विचार किया जाय।

खादीग्राम की बैठक में भी जयप्रकाश वाबू तथा प्रदेश के अन्य नेताओं ने तत्त्वमुक्ति के हर पहलू पर चर्चा की। मुख्य चर्चा आधिक प्रश्न

पर रही। सम्पत्तिदान पर ही सबने जोर दिया। कुछ खादीग्राम की लोगों ने अननदान तथा सूताजलि की भी चर्चा की।

बैठक मुंगेर के श्री रामनारायण वाबू ने कटनी की योजना रखी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता फसल के समय कटनी करें और अपने साथ अनेक श्रमदानियों को शामिल करे।

मेरे बार्थी तरफ बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे : “धीरेन्द्र भाई का भोपा बोल रहा है !” मैंने जब उनकी तरफ ताका, तो वे हँस पडे। कटनी और श्रमदान का विचार सुनकर अधिकाश कार्यकर्ता हँसे, लेकिन बहुत से साथियों ने इसे पसद किया और इस पर गभीरता से विचार करने लगे। शाम को विभिन्न जिलों के दस-बारह नौजवान कटनी के संगठन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए मेरे पास आये। वे पूछने लगे कि इसका आयोजन कैसे किया जाय ? मैंने उनसे कहा कि आप जिस तरह से सघन पदयात्रा का आयोजन करते हैं, उसी तरह से इसका आयोजन करें। फसल कटने के एक महीना पहले से ही पूर्व-तैयारी कीजिये। इलाके के किसानों से मिलिये। उन्हे वेन्ट्रिट निधिमुक्ति का विचार समझाइये। शासन-मुक्ति के विचार के सदर्भ में तत्त्वमुक्ति की बात समझाइये। उन्हे बताइये कि आप अपने श्रम तथा मित्रों के श्रमदान से ही आन्दोलन चलाना चाहते हैं। उनसे कहिये कि आप फसल पर उनके खेत काटने की मजदूरी करेंगे और वे जिस तरह मजदूरों को मजदूरी का हिस्सा देते हैं, उसी तरह आपको भी दें।

मैंने उन्हे बताया कि मुझे कोई सन्देह नहीं है कि उनमें से वहन से किसान अपना खेत काटने देंगे। वे केवल खेत काटने देंगे, इतना ही नहीं; बल्कि वे आपके विचार तथा कार्य पढ़ति से प्रभावित होंगे और आन्दोलन के मित्र बन जायेंगे। जो किसान अपने खेत कटवाने को तैयार होंगे, उन्हे श्रमदान का भी निमन्त्रण दीजिये। कहिये कि आप भी हमारे साथ खेत काटिये। जितना आप काटेंगे, उसमें से मालिक का हिस्सा आप ले जाइये और मजदूर का हिस्सा श्रमदान में हमें दे जाइये। इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी था कि एक आर तो वे किसानों ने बात करें और दूसरी ओर वे नौजवानों से श्रमदान पत्र भरवाये और कटनी-यात्रा के पडाव पर सबको अपने साथ कटनी करने का निमन्त्रण द।

खादीग्राम के सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को अच्छी प्रेरणा मिली। पलनी-प्रस्ताव ने उन्हे काफी घरराहट में ढाल दिया था, लेकिन सम्मेलन से बापस जाते समय वे प्रसन्न ढीखते थे।

०००

श्रमभारती, ज्ञानीयाम

११-९-१५८

तत्रमुक्ति और निधिमुक्ति के प्रस्ताव से सारे देश में कुछ हलचल पैदा हुई। मुझे कई प्रदेशों में जाना पड़ा। मैं कार्यकर्ताओं तथा जनता में घम घूसकर इस विचार को समझाता रहा। फिर भी मन में रह-रहकर इस बात की परेशानी होती थी कि इस नयी प्रक्रिया का सार्वदर्शन कौन करेगा? हम लोगों ने वापू के नेतृत्व में जनता में घुसकर सेवा की थी। उस सेवा में जनता का आधार तो था, लेकिन उस समय की स्थिति आज से भिन्न थी। देश को आजादी चाहिए, यह विचार समझाने की जरूरत नहीं थी। वह तो मनुष्य की सनातन आकांक्षा है। यह बात दूसरी है कि मजबूरी के कारण कोई गुलाम बना रहे।

इस सदर्भ में जन-आधारित सेवा का अनुभव हम सबको अवश्य है, लेकिन इस भूदान-आन्दोलन का तो सदर्भ ही भिन्न है। यह एक नया विचार है। यह विचार सनातन प्रथा का विरोधी है। जनता और नया व्यक्तिगत सम्पत्तिवाद व्यक्ति के सरक्षण का उपादान विचार है तथा राज्यवाद समाज का रखबाल है। यह विचार शायद सामाजिक इतिहास के आरम्भ से ही रहा है।

हम कहते हैं कि सामूहिक श्रमवाद, सहयोगी उत्पादन तथा समत्ति का सहभोग मानव-सरक्षण का सही और स्थायी उपाय है। हम कहते हैं कि राज्यवाद समाज का रखबाल नहीं है, बल्कि मनुष्य की मौलिक स्वतन्त्रता के अपहरण का एक व्यवस्थित उपादान है। शताव्दियों से एक निश्चित दिशा में विचार करते रहने के कारण यह नया विचार जल्दी समझ में

आता नहीं, उसे स्वीकार करना तो दूर की बात । स्पष्ट है कि जिस विचार को जनता स्वीकार नहीं करती, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए सहायता या सहानुभूति का प्रश्न दी नहीं उठता ।

अतएव जिस समय हम तत्रमुक्ति तथा निधिमुक्ति का निर्णय करते हैं, उस समय हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि अगर सचित निधि का आधार नहीं लेते हैं और जिसे यह विचार मान्य है, उस छोटी-सी जमात का, आपसी सघटन तथा तन्त्र तोड़ देते हैं, तो हम किस आवार पर काम करेंगे ? जब सारी जनता नये विचार को स्वीकार नहीं करती, तो उसके आधार पर जिन्दा रहना कैसे सम्भव होगा ? उसकी क्या प्रक्रिया होगी ? इन सब बातों पर निरन्तर चिन्तन करने लगा । हमारे बड़े-बड़े साथी जब मुझसे यह कहते कि निधिमुक्ति तो समझ में आती है, वह आसान है, लेकिन तन्त्रमुक्ति क्या है, उसकी बात समझ में नहीं आती । मैं इससे उल्टा सोचता था । मैं मानता था कि आज के वेजानिव युग में जिस समय मनुष्य का सास्कृतिक विकास ऊँचे स्तर पर पहुँचा हुआ है, उस समय सम-विचारवाले मनुष्यों का विना तन्त्र बनाये मिल-जुलकर काम करना क्या मुश्किल है ? लेफिन लृष्टिग्रस्त जनता के आधार पर क्रान्ति-आन्दोलन कैसे चले—यह मेरे लिए अधिक कठिन प्रश्न था । मैं मित्रों से यही चर्चा किया करता था ।

अतएव मैं महसूस करता था कि बजाय इसके कि मैं देशभर में घूमकर तत्रमुक्ति तथा निधिमुक्ति का विचार समझाऊँ, मेरे लिए यह अधिक

आवश्यक है कि मैं तत्रमुक्त तथा निधि मुक्त होकर स्वयं प्रयोग के लिए तैयार गोच में चला जाऊँ और नये सदर्भ में आन्दोलन चलाने की प्रक्रिया की खोज करूँ । नहीं तो हम सब पुराने अनुभव के आधार पर आन्दोलन का नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे । उसमें से कोई प्रेरणा नहीं निकलेगी । पुरानी साधना की पूँजी पर हमारा जो व्यक्तित्व बना है, उस कारण हम नौजवानों को आकपित भले ही कर ले लेकिन उन्हें आन्दोलन ने प्रेरित

नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आनंदोलन की गतिविधि तथा प्रक्रिया की कला में हम सब 'Out of date' (पुराने) हो गये हैं।

ऐसा सोचकर मैंने मित्रों से अनुमति माँगी कि वे मुझे जनता के बीच जाकर बैठने और नयी क्रान्ति का मार्ग खोजने का अवसर प्रदान करें।

विनोदा तो हमारे नेता है ही, लेकिन उनके बाद हम साथियों की लोग जयप्रकाश वाबू को अपना नेता माने हुए हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले उन्हींके सामने अपना विचार अस्वीकृति प्रकट किया। पर उन्होंने मेरे इस विचार को पसन्द नहीं किया। वे बोले : "आपका इस तरह से बैठ जाना आनंदोलन के लिए लाभदायक नहीं होगा। वल्कि आपके लिए यह जरूरी होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते रहे।" दूसरे मित्रों ने भी मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तुम्हे मालूम है कि मैं हमेशा अपने स्वतंत्र ढग से सोचता रहता हूँ, परिस्थिति की ओर देखने का मेरा ढग कुछ अलग ही है और उसी ढग से मैं समाधान के बारे में सोचता हूँ, फिर भी मैं अत्यन्त अनुगासन-प्रिय व्यक्ति हूँ। पिछले ३७ वर्षों से हमेशा जहाँ कहीं मैंने काम किया है, वहाँ कुछ साथियों के गोल में ही काम किया है। उनके सामूहिक निर्णय को मैं हमेशा मानता रहा हूँ। इसलिए यद्यपि निधिमुक्ति की खोज के लिए मैं अत्यन्त व्याकुल था, फिर भी जब मैंने देखा कि साथियों की तैयारी केन्द्रीय व्यवस्था से मुझे मुक्त करने की नहीं है, तो मैंने अपनी बात पर विशेष जोर नहीं दिया और पूर्ववत् काम करता रहा। फिर भी निधिमुक्ति के लिए मुझे जो कुछ सूझता था, उसे मैं उन तरुण साथियों के सामने व्यक्त करता था, जो थेव्र में काम करते थे, ताकि वे प्रयोग कर मुझे अपने अनुभव बताये।

एक अन्य समस्या भी मुझे परेशान करती थी। लेकिन उस दिशा में कुछ सूझता ही नहीं था। वह यह कि देश के तमाम कार्यकर्ता यदि केन्द्रित निधि से मुक्त होते हैं और उन्हे जनता के आधार पर छोड़ दिया जाता है और सर्व-सेवा-सघ अपना काम सचित निधि से चलाता

है, तो इसमें एक विरोधाभास है, लेकिन मैं मानता था कि सर्व सेवा-नव
जैसी केन्द्रीय स्थाया आनंदोलन को चाहिए ही। केन्द्रित
विरोधाभास की स्थाया किसी विशेष क्षेत्र की नहीं होती। केन्द्रीय कार्य
समस्या कर्ता या स्थाया जिस क्षेत्र की सेवा करते ह अगर
उनकी सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक तथा
समाधानकारक है, तो वे उनका पोषण आसानी से दे देते ह। लेकिन
केन्द्रीय स्थाया का काम किसी क्षेत्र-विशेष की जनता देखती नहीं है।
हमारा विचार इतना व्यापक नहीं हुआ है, जिससे वे अद्यत्य केन्द्र को भी
पोषण दे सकें।

तुम कहोगी कि “हमारा विचार व्यापक नहीं हो सका ह”, यह
एक निरागावादी दृष्टिकोण है। लेकिन अगर गहराई से विश्लेषण करोगी
तो तुम्हे मालूम होगा कि मेरा दृष्टिकोण वस्तुस्थिति
सर्व-सेवा-संघ के का वर्णनमात्र है। यह सही है कि देश के पर्यात
प्रति आदर के व्यापक क्षेत्र की जनता का आदर हमें प्राप्त है।
कारण विभिन्न पक्षों तथा श्रेणियों के लोग यह भी मानते हैं
कि सर्व-सेवा सब जैसी स्थाया का होना आवश्यक है।
लेकिन यह सब विचार की मान्यता के ही कारण है, ऐसी बात नहीं है।
इसके अनेक कारण है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति का आनंदोलन गांधीजी के साथ ओतप्रोत हो गया
था। देश की जनता इस बात का विश्लेषण करने में असमर्थ थी कि
कांग्रेस का जन्म गांधीजी के सार्वजनिक जीवन के
असली ‘गांधी-आरम्भ के बहुत पहले ही हो चुका था। वह इतना
द्वाले’ नहीं समझ सकती थी कि गांधीजी कांग्रेस स्थाया में
आकर शामिल हुए थे और कांग्रेस ने गांधीजी द्वारा
प्रदर्शित असद्योग तथा सत्याग्रह के मार्ग को पुराने मार्ग से उत्तम समझ-
कर उनके नेतृत्व को स्वीकार किया था। यह स्वीकृति गांधीजी के पूरे
विचार की नहीं थी, वल्कि आजादी हासिल करनेभर के लिए थी।

इतनी बात जनता समझ नहीं सकी थी। वह गांधीजी के त्याग, तपस्या तथा सादगी से प्रभावित थी। वह मानती थी कि गांधीजी ने जनता में त्याग तथा सादगी का जो बातावरण पैदा किया है, वह भारतीय सङ्कृति के विकास का एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जब उसने देखा कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद देश का नेतृत्व गांधीजी के बताये मार्ग को छोड़ता जा रहा है, तो उसे बड़ी निराशा हुई। विनोबा ने भूदान-आन्दोलन के जरिये रचनात्मक कार्यकर्ताओं को जब विशिष्ट दिशा में प्रेरणा दी, तो लोगों के मन में ऐसी आशा बैंधी कि भूदान-आन्दोलन देश के सामने गांधीजी द्वारा प्रवर्तित जीवन-दर्शन का कुछ मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे प्रति जनता के आकर्षण का पहला कारण यही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से निराश जनता समझने लगी कि हम लोग 'असली गांधी-वाले' हैं।

हमारे प्रति जनता के आकर्षण का दूसरा कारण देश की दलगत राजनीति है। स्वराज्य-प्राप्ति से लोगों को बड़ा आनन्द हुआ। लोगों ने

समझा कि अब जनता का राज्य हुआ। अब जनता पक्षों का त्याग जिसे चुनेगी, वे जनता के सेवक होंगे। लेकिन दो आम चुनावों के अनुभव से साधारण जनता को दलगत राजनीति से अनास्था पैदा हो गयी है। ऐसी मनःस्थिति में जब जनता देखती है कि देश में ऐसी एक जमात खड़ी है, जो सत्ता-प्राप्ति की होड़ से अलग रहकर सभी पक्ष के लोगों के प्रति समान प्रेम-भाव सखती हुई लोक-सेवा कर रही है, तो उसके मन में स्वभावतः हमारे प्रति आदर पैदा होता है। इस आदर का कारण हमारे विचार की स्वीकृति उतनी नहीं है, जितनी हमारी वृत्ति और कृति का प्रभाव है।

जनता के आकर्षण का एक कारण और है। राष्ट्रीय सरकार अपनी योजना द्वारा देहातों में ऊचे जीवन-स्तर के लिए सहकार के आधार पर विकास-कार्य करना चाहती थी। वह काम जन-विकास का काम न होकर सरकार की ओर से जनता को कुछ राहत पहुँचाने का कार्यमान बनकर

रह गया। सरकारी क्षेत्र की ओर से वरावर यह शिकायत होती रही है कि विकास कार्य में जनता का सहकार नहीं है। सरकारी ग्रामदान में नेताओं द्वारा निरन्तर इस बात की अपील की जाती है कि जनता इस कार्य को अपना कार्य समझे तथा अपनी ओर से ही इसे चलाये। सरकार के बल उसकी मदद के लिए है। विकास का कार्य सरकारी मदद से जनता स्वतं चलाये, इस सदर्भ को दृष्टि में रखकर विकास के कानून भी बनाये जाते हैं। लेकिन ये तमाम अपीलें और जनाभिक्षम के उद्देश्य के तमाम नियम व्यर्थ हो जाते हैं। यह नव अपना काम है और अपने को ही बरना है, यह बात जनता के हृदय में किसी तरह बुमती ही नहीं। वॉध बनाने का, कुओं खोदने का और इसी तरह विकास कार्यों का नियम वह है कि आवा खर्च जनता उठाये और आधा सरकार दे। लेकिन हम देखते हैं कि वास्तविक क्षेत्र में सरकारी आधी रकम से ही काम पूरा हो जाता है। ब्रिल्क अधिकारी क्षेत्रों में ठेकेदार का मुनाफा तथा कर्मचारियों की सलामी भी सरकारी आधे में से ही हो जाती है। यह सही है कि इस तमाम उदासीनता तथा अप्रामाणिकता के बावजूद देश में कुछ काम हो जाता है। लेकिन उससे सरकार के उद्देश्य की पृति नहीं होती।

सरकारी योजनाओं की इस प्रकार की असफलता को पूँजी बनाकर विरोधी दलों के लोग जनता के दिमाग में भले ही कुछ हलचल पैदा कर ले और इस वास्तविकता का राजनैतिक अवसर के तप में इस्तेमाल कर ले, लेकिन उनके विचारणील नेता भी इस परिस्थिति से चितित रहते ह। वे सब देशभक्त ही हैं और जनता की सम्पत्ति का इस प्रकार का अपव्यय होते देखकर वे व्यथित होते हैं। वे सरकार की शिकायत करते ह, लेकिन दिल में वे भी यह समझते हैं कि आखिर सरकार भी व्या करे। इस उदासीन जनता को प्रेरणा देने के लिए उपाय ही क्या है। वे सरकार की शिकायत भले ही कर ले, लेकिन उन्हे भी जनता को विधायक प्रेरणा देने का कोई मार्ग नहीं ठीखता।

ऐसी परिस्थिति में जब भूदान-आन्दोलन ग्रामदान के स्तर तक पहुँच गया और वह विचार विकसित होने लगा, तो सरकार को राष्ट्र-विकास का एक मार्ग दिखाई दिया। उसे लगा कि जनता मे सहकार वृत्ति तथा विकास-प्रेरणा जगाने का ग्रामदान अच्छा रास्ता है। यही कारण है कि आज सरकार तथा विभिन्न पक्षों के नेता ग्रामदान-आन्दोलन की ताईद करते हैं। ऐलवाल मे देश के करीब-करीब सभी पक्षों के उच्च कोटि के नेताओं ने एकत्रित होकर जब ग्रामदान की सफलता के लिए देशवासियों से सहकार की अपील की, तो जनता ने समझा कि यह बात कुछ महत्व की होगी, नहीं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा दूसरे विरोधी दल के नेता एक स्थान पर बैठकर एक स्वर से इसकी सफलता की कामना क्यों करते ? तो राष्ट्र के बड़े-बड़े नेताओं का प्रमाण-पत्र भी हमारे काम के प्रति आकर्षण का एक बहुत बड़ा कारण है।

मै रुक तो गया, लेकिन मेरे मन मे यह परेशानी निरंतर बनी रही कि परम्परावादी मनुष्य के आधार पर क्राति-पुरुष कैसे आगे बढ़े ?

मार्ग-दर्शन	इसकी प्रक्रिया की खोज की यात्रा वास्कोडिगामा की
का प्रश्न	भारत-यात्रा जैसी ही अनिश्चित है। यदि हम लोग इसकी तलाश मे न निकले, तो कौन निकलेगा ? मार्ग का नेतृत्व हम करे और उसका अन्वेषण अनुभवशूल्य लड़के करे, यह कैसे सम्भव है ?

इसी वीच सन् '५७ की क्राति-यात्रा की चर्चा देशभर मे चल पड़ी।	दिसम्बर '५६ मे कार्यकर्ताओं मे विशेष रूप से हलचल रही। इस माह के अंत मे खादीग्राम मे विभिन्न प्रान्तों के मुख्यकार्यकर्ताओं का शिविर रखा गया। शिविर मे मार्गदर्शनार्थ जयप्रकाश खादीग्राम का वाबू, दादा धर्माधिकारी, नवबृण्ण चौधरी आदि बहुत से नेता पधारे थे। शिविर मे कुछ विद्यार्थी भी थे।
शिविर मे जयप्रकाश वाबू ने अपील की कि देश मे शिश्चण-म्मथाओं को बद करके विद्यार्थी क्राति-विचार फैलाने के लिए	

देशभर में पदयात्रा करें। गिरिर में आये हुए भाई नारायण देसाई तथा अन्य तस्ण कार्यकर्ताओं ने श्रमभारती-परिवार के लोगों से चर्चा आरम की कि उनमें से कुछ लोग यात्रा के लिए तैयार हैं या नहीं। आखिरी दिन नारायण भाई मुझसे झगड़ने आये। कहने ल्ये कि “नाति के लिए आप लोग क्या करेगे ?” मैंने उनसे कहा : “क्या तुम्हाँ लोग क्राति जानते हो, मैं नहीं जानता ? क्या केवल चक्र बाटने से ही क्राति होती है ? क्या अटा फहरानेवाला ही क्रातिकारी है, सीनेवाला नहीं ?”

नारायण भाई को मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन महीनों से मेरा दिमाग निधिमुक्ति की प्रक्रिया की खोज में लगा था। थोड़े ही दिन पहले

खादीग्राम की थाम सभा में मैंने साथियों से कहा था श्रमभारती का कि वे केन्द्रीय कोष का सहारा छोड़कर जन-आधारित निधिमुक्ति का होकर देहातों में फेल जायें। मैंने उनसे यह भी कहा था कि जितने लोग तैयार हों, वे २ अक्टूबर '५७ की निश्चय यहाँ से प्रस्थान कर। इस प्रकार का विचार चल ही रहा था कि जगप्रकाश वाघू की अपील ने विचार को उत्तेजन दिया। दूसरे दिन प्रातः प्रार्थना में मैंने कह दिया कि सन् '५७ भर श्रमभारती के भाई बहन और बच्चे सचित निधि का आधार छोड़कर जिलेभर में पदयात्रा करें। सुशी की बात है कि साथियों में कोई ऐसा नहीं निकला, जो कहता कि उसकी तैयारी नहीं है। आखिर में दो तीन साथियों को आदेश देकर रोक दिया, ताकि खादीग्राम एकदम सूना न पट जाए। बाद को सर्व-सेवा-सब का दफ्तर गया से खादीग्राम ले आया और मैं खुद बैठकर यहाँ से काम चलाता रहा।

सन् '५७ में जग सब साथी यात्रा करने ल्ये, तो दिल को कुछ समाधान हुआ। मैं कम-से-कम इतना तो कह ही सकता था कि सर्व-सेवा-सब चुप नहीं बेठा है।

श्रमभारती, खादीग्राम

१८-९-'५८

पिछले कई पत्रों में भूदान-आन्दोलन की गतिविधि की ही मैं चर्चा करता रहा हूँ। वस्तुतः क्रान्ति के आरोहण में आन्दोलन ही मुख्य चर्चा का विषय है। लेकिन हम लोगों को शायद अधिक दिलचस्पी खादी-ग्राम में चलनेवाले मेरे प्रयोग में हो, इसलिए आज उसीकी चर्चा करूँगा।

खादीग्राम के लोक सम्पर्क के काम का जिक्र मैं कर चुका हूँ। उस सिलसिले में वेदखली-निवारण की चेष्टा का विवरण मैंने लिखा था। पेगही तथा लभेद की वेदखली को लेकर हम लोगों ने जो आन्दोलन खड़ा किया था, उससे खास तौर से मल्लेपुर के बाबू लोग हमसे रुष्ट हो गये थे। इस डलाके में ये लोग सबसे ज्यादा 'गरम ठाकुर' माने जाते हैं। हम लोगों का जनता में घुलना-मिलना और उन्हींकी हित-रक्षा के लिए मार्गदर्शन करना उन्हे सम्भवतः अच्छा नहीं लगता था। अब तक वे गरीब जनता के प्रति जैसा व्यवहार करते थे, उसमें भी वाधा पड़ती थी। अतः वे यदि हम लोगों से रुष्ट हो गये, तो कोई आश्रय की वात नहीं है। इस कारण वे बीच-नीच में खादीग्राम के भाइयों को सताया करते थे। उसके एकाध उदाहरण देखो।

चरखा-जयन्ती पक्ष मनाने के लिए खादीग्राम की विभिन्न टोलियों

२ अक्तूबर से अल्ग-अल्ग दिशाओं में पदयात्रा चान्ना-टोली का के लिए निकलीं। उनमें एक टोली मल्लेपुर के इलाके जपमान के लिए भी थी। जब यह टोली मल्लेपुर पहुँची, तो उसका कोई स्वागत नहीं हुआ। अन्तः किसी स्कूल के वरामदे में उसे रात के लिए शरण लेनी पड़ी। टोली में वहने और

वच्चे भी थे। उन्होंने इधर-उधर से हाँड़ी, चावल आदि बटोरकर रात के लिए खाना बनाया। वज्रों के लिए कुछ दूध भी मिल गया था। मढ़ेपुर के निवासियों को पदवान्नियों के स्वागत से इनकार करने मात्र से सन्तोष नहीं हुआ, वे रात को वहाँ आये और उन्होंने चावल, दूध आदि की हाँड़ी तोड़कर टोली को वहाँ से भगा दिया। विरोध का यह एक अनोखा नमूना था।

खादीग्राम के लोगों को प्रायः मढ़ेपुर के रास्ते बाहर जाना पड़ता था। उस समय वहाँ के नौजवान प्रायः हमारे कार्यकर्ताओं को मारते-पीटते और धमकाते थे। एक दिन उनका यह अन्याय त्यार दीनने की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। यहाँ के एक कार्यकर्ता बटना उत्तरीदाने के लिए अगले स्टेशन गिर्ढ़ार गये हुए थे। वे वहाँ से लैट रहे थे कि हठात् मढ़ेपुर का एक नौजवान उन्हें पकड़कर पीटने लगा। उसने उनके हाथ की फाटल लेकर फाड़ दी और जेव में पटा ३०) निकाल लिया। इन भाई ने जब खादीग्राम में आकर बटना का व्यान किया, तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गयी। हम सोचने लगे कि जब ऐसी बात होने लगी, तो सुरक्षा का क्या ठिकाना है। अधिकारी लोग विरोध में थे, इसलिए उधर से भी राहत पाने की कोई आशा नहीं थी। इस स्थिति के मुकाबले का अहिंसक उपाय व्या हो सकता है, यही हमारे सामने प्रभुत्व समस्या थी।

वस्तुतः वेदखली-आन्दोलन के सिलसिले में ही यह समस्या खड़ी हो गयी थी। गरीब जनता ऑस्स के सामन पिसी जा रही थी। उसकी रक्षा कौन करे? जब रक्षक ही भक्षक हो जाय, तो उपाय क्या है? ऐसे प्रश्न रह रहकर मन में उठते रहते थे। बठाईदार वेदखलि किये जाते हैं। वेदखली के सिलाफ तमाम कानून बने हुए हैं। देश के प्रधानमन्त्री, जन-नायक विनोदा आदि तमाम नेता वेदखली के सिलाफ बोलते हैं। उनके सुर में सुर मिलाकर हम छोटे जनसेवक गरीबों को सलाह देते हैं कि वे अन्याय का मुकाबला करें, उससे दबें न। नेताओं के कहने के अनुसार

और कानून के अनुसार हम उनसे कहते हैं कि वेदखली का हक नहीं है। इसलिए भले ही जान चली जाय, जमीन न छोड़े। हमारे कहने के मुताविक, जब गरीब लोग जमीन पर डटते हैं, तो वे बेरहमी से पीटे जाते हैं। कई मौकों पर मार खाने के बाबजूद वे डटे रहते हैं। परिणाम क्या होता है? पुलिस आती है और उलटे गरीबों के स्थिलाफ फौजदारी का मामला दायर किया जाता है। जमीदार, पुलिस और मजिस्ट्रेट एक ही वर्ग के होने के कारण, वे कैसे और क्यों एक तरफ हो जाते हैं, इसकी चर्चा में कर चुका हूँ। फिर जमीन सरकार द्वारा जम की जाती है, उस पर धारा १४४ और १४५ लगाकर जमीन पर किसका कब्जा है, उसकी कानूनी जॉच करायी जाती है। जॉच के बाद फैसला सुनाया जाता है कि उस जमीन पर गरीब का कब्जा कभी रहा ही नहीं। ऐसी हालत में 'चाहे जान चली जाय, पर जमीन पर डटे रहो'—इस सलाह की कीमत क्या है? इतनी ही न कि इस प्रकार आन्दोलनों द्वारा आम जनता में अन्याय के प्रतिकार की भावना पैदा होती है। इसका असर अन्याय के प्रतिकार के सदर्भ में कब दीख पड़ेगा, कौन जाने? लेकिन तब तक गरीब जनता तो पिसती ही जायगी। मरने मिटने के लिए तैयार होने पर भी उनका हक खुलेआम छिनता ही जायगा। 'जमीन पर डटे रहो,' यह सलाह बड़े-बड़े नेता भी देते हैं और हम लोग भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब तब होता, जब १४४ और १४५ धारा लगाने पर भी हम कह सकते कि 'चाहे जो फैसला हो, आपको सफाई देने की कोई जल्दत नहीं है। आप अपने हक पर डटे रहिये।' लेकिन आज ऐसा होना सम्भव नहीं दीखता। तुम्हे याद होगा कि जब हम कोर्गों ने पेगही के मामले में सफाई न देकर जेल जाने का फैसला किया था, तो नेताओं ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। उन्हें भय था कि ऐसा करने से अपनी सरकार को कठिन परिस्थिति में डालना होगा। शायद यह ठीक भी था। हमने सरकार का विरोध करने का फैसला नहीं किया है। शायद उसके लिए जनता की तैयारी भी नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में समस्या का हल क्या हो सकता है, यह प्रबन्ध हम लोगों को परेशान करता था। उन दिनों खादीग्राम परिवार में प्रायः इन्हीं वातों की चर्चा चला करती थी। ऐसे रामधुन का प्रयोग अन्याय के विरोध में कौन सी ऐसी अहिंसक प्रक्रिया हो सकती है, जिससे आज की जटिल परिस्थिति में भी कुछ समावान निकल सके। एक दिन भाईं राममूर्ति ने मुझसं पृष्ठा . “भाईजी, ऐसा क्यों न किया जाय कि जब कभी अन्याय हो, तो हम अन्याय करनेवालों से ही अपील करें। जितने मित्र यह मानते हैं कि यह अन्याय हो रहा है, उन्हे हम दावत दे और अन्याय करनेवालों के मकान के सामने बैठ जायें। वहों बैठकर रामधुन बरते रहे और जब तक अन्यायी का दिल पिघल न जाय, तब तक रामका नाम लेते रहें।” मैंने पृष्ठा . “अगर वे लाठी मारना शुल्क कर, तो भी सब लोग बैठकर लाठी खाते रहेंगे न ?” उन्होंने कहा . “हाँ, लाठी खाते रहेंगे और रामधुन करते रहेंगे।” मैंने विनोद में कहा : “लोग मित्रों को भारत खाने की दावत देते हैं और तुम लोग मार खाने की दावत दोगे ?”

इस तरह नाना प्रकार के विकल्पों पर चर्चा चलती रहती थी। इसी बीच मेरी गैरदृष्टिजिरी में ही मल्लेपुर में रुपया छीनने की घटना घटी। भाई राममूर्ति तथा खादीग्राम के दूसरे भाई रामधुन के साथ मल्लेपुर पहुँचे और उन भाई के घर के सामने राम-नाम लेते रहे। रवाना होने से पहले राममूर्ति भाई ने स्थानीय एस० टी० ओ० को इसकी सूचना दे दी थी।

खादीग्राम के साथियों की रामधुन की प्रनिया देखकर मल्लेपुर के बहुत से लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गये।

काफी चर्चा तथा अपील के बाद जिस भाई ने रुपया छीन लिया था, उसने रुपया बापस कर दिया और हमारे साथी खादीग्राम लौट आये। मेरे लौटने के बाद उन्होंने सारी कहानी सुनायी। उनकी योजना एक तरह से सफल हुई, लेकिन सवाल था कि अहिंसा के सदर्भ में यह

प्रक्रिया जायज मानी जाय क्या ? गहराई से विचार करने पर यह सही अहिंसक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस भाईं ने जो रुपया वापस किया, उसके पीछे हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं थी। सामाजिक दबाव ही मुख्य रूप से था। एस० डी० ओ० का सागोपाग के साथ आ जाना ही एक बहुत बड़ा दबाव था। फिर गॉव के इतने लोगों के इकट्ठे हो जाने का भी दबाव था। लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह था कि आज की परिस्थिति में हम करे क्या ? कोई भी उपाय करते हैं, तो सरकारी विधिचक्र ऐसा है कि अत्याचारी छूट जाता है और मामला अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति और सरकार के बीच का रह जाता है। ऐसी हालत में न्याय पर डटने का मतलब होता है सरकार से मोर्चा लेना, यानी सरकार से सत्याग्रह करना पड़ता है। रामधुन की प्रक्रिया में भी अन्ततोगत्वा वही स्थिति पैदा हो सकती है। एस० डी० ओ० साहब कुछ स्वतंत्र वृत्ति के मालूम पड़ते थे, नहीं तो वे कह सकते थे कि इस तरह से भीड़ करने से अमन-चैन को खतरा पैदा होता है। यह कहकर वे दफा १४४ लगा सकते थे। ऐसी हालत में या तो हम लोग लौट आते या कानून तोड़कर सरकार से मोर्चा लेते।

रह-रहकर मेरे मन मे निरन्तर यही ख्याल आता था कि आज की परिस्थिति में सरकार से भिड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन

उससे पहले दो बातों पर विचार करना जरूरी था।

नेहरूजी से एक तो यह कि क्या जनता मे आज इतना सगठन मुलाकात है, जिससे वह वैज्ञानिक युग के राज्य से मोर्चा ले सकती है ? मैने देखा था कि स्वयं गांधीजी भी देखते

थे कि जनता मे भक्ति की कमी है, तो वे विदेशी शैतानी राज्य से भी मोर्चा लेना बन्द कर देते थे। दूसरी बात यह है कि क्या आज की सरकार मूलतः इतनी दूषित हो गयी है कि जिसके खिलाफ सत्याग्रह की आवश्यकता है। ऐसा मुझे ज़ंचता नहीं था। इन दोनों कारणों से जनता को अन्त तक डटने की सलाह दे नहीं पाता था। कभी-कभी सोचता था कि

सरकारी नेताओं से कुछ चर्चा कर्वे, पर वह सोचकर रुक जाता था कि आज की दलगत राजनीति के जमाने में ऐसा करना व्यर्थ प्रयास होगा। इस प्रकार गरीबों के प्रति अत्याचार के प्रबन्ध पर, चाहे जिस प्रकार से सोचता था, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाता था। आखिर एक दिन मन में आया कि पण्डित लवाहरलाल नेहरू से मिलें और पूछें कि इसका उपाय क्या है।

आखिर लवाहरलालजी से मिलने के लिए उनसे समय मौगा। उन्होंने तुरन्त समय दिया और मैं उनसे मिलने चला गया। जब उनके सामने पहुँचा, तो मेरी मनस्थिति अजीव थी। तुम्हें मालूम ही हैं कि पिछले ३७ साल से उन्हें हम लोग अपना हृदय-सम्प्राट् बनाये हुए हैं। दादा और जवाहरलालजी ने मेरे जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, फिर भी ९० प्रतिशत प्रबन्धों पर मेरा उनका मतभेद रहा है। लेकिन उनके प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति रही है कि शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो, जब मैंने उनसे वहस की हो। अतएव जब उन्होंने मुझसे कहा “कहो धीरेन्द्र, अच्चानक कैसे आये?” तो मैं विप्रय पर चर्चा नहीं कर सका।

लवाहरलालजी से मेरी आखिरी मुलाकात १९४१ में हुई थी, जब वे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रचार के लिए फैजादाद आये थे। १५ वर्ष के बाद उनसे मुलाकात हुई। मेरा दिल भर आया। सरकार के साथ सत्याग्रह का नाता रखना है या नहीं, उनसे यह प्रबन्ध करना मुश्किल था। मेरा मानस उस समय उसके अनुकूल नहीं था। इसलिए मैं काम की बात न कहकर व्यक्तिगत बातचीत करके लौट आया। मैंने कहा “पन्द्रह साल से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए प्रणाम बरने चला आया।” इधर आते हो, पर मिलते नहीं। दिल्ली आया करो, तो कभी कभी मिल लिया करो।” उन्होंने उसी पुराने रिट्टे के अनुसार प्रेम से बातचीत की।

वाहर आकर मैं सोचने लगा कि यह क्या हुआ? बात बरने गया था वेदखली के प्रबन्ध पर, लेकिन विना चर्चा किये हुए ही लौट आना

ठीक हुआ क्या ? फिर मन मे खयाल आया कि शायद ईश्वर ने ऐसा करने से मुझे रोक दिया । सम्भवतः उससे कोई नतीजा न निकलता और गलतफहमी बढ़ती या शायद इस चर्चा के लिए मेरी पात्रता काफी नहीं है ओर समय भी पका नहीं है ।

कुल मिलाकर परिस्थिति के सन्दर्भ मे रामधुन का तरीका मुझे अच्छा लगा । यह सही है कि इसमे दबाव है, लेकिन साकार विश्व में कोई वस्तु शुद्ध होती है क्या ? इसीलिए तो हमारे देश के ऋषियों ने सारे दृश्य-जगत् को माया कहा है । विनोदाजी भी कहते हैं कि इस ससार मे कोई भी चीज न शुद्ध भ्रम है और न शुद्ध सत्य । कुछ सत्य और कुछ भ्रम मिलाकर ससार बना है । तो अगर रामधुन के तरीके मे दबाव का कुछ अग है, तो शान्ति का अश कुछ कम नहीं है । कम से कम आज गाँवों मे ऐसे मामलो मे बात-बात पर जो लाठी चल जाती है या मुकदमेवाजी शुरू हो जाती है, उसके बदले मे अगर उस प्रकार की प्रक्रियाएं चलें, तो शायद अन्याय के अहिसात्मक प्रतिकार का प्रयोग काफी आगे बढ़े । ऐसा समझकर मैंने साथियों से कहा कि ‘तुमने अच्छा ही किया’ ।

मै लिखने वैठा था खादीग्राम के प्रयोग के बारे में, लेकिन प्रसगवश फिर से आन्दोलन की ही चर्चा चल पड़ी । ठीक ही है, आज हम सबके दिमाग मे युग क्रान्ति की बात इतनी ओतप्रोत हो गयी है कि धूम-फिर-कर वही बात सामने आ जाती है । कल फिर यहाँ के प्रयोग के बारे मे लिखूँगा ।

श्रमभारती, खादीग्राम

२१-९-'५८

आज फिर से खादीग्राम के साम्ययोग के प्रयोग के बारे में लिखूँगा। खादीग्राम में मेरे कुछ साथियों ने जब सपरिवार उस प्रयोग में शामिल होने की बात तय की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। खादीग्राम में पहाड़, जगल होने के कारण प्रयोग की कमी नहीं थी।

छी-पुरुष दोनों ही उत्पादक श्रम कर, इसका नियम पहले से ही रखा गया था। वैसे तो भारत की देहाती ज़ियाँ भले ही मध्यम-वर्ग की ही ज़ियाँ न हो, उत्पादन श्रम करती ही है। कटना पीसना, भोजन तैयार करना तो करीब-करीब सभी ज़ियाँ करती हैं। लेकिन उनके लिए भी खाद होना, मिट्टी काटकर टोकरी में उठाना आदि छोटा काम माना जाता है। पाखाने की सफाई तो त्वारी पुरुष कोई करते ही नहीं। मैंने विशेष रूप से इन्हीं सब कामों पर जोर दिया, जिसे लोग छोटा मानते हैं। वर्ग-परिवर्तन की दिशा में यह पहला कदम था।

भगवती भाई से प्रारम्भ कर जब सभी लोगों ने मजदूरों की तरह ही दैनिक मजदूरी पर कार्य करना स्वीकार किया, तो परिवर्तन की दिशा में

प्रगति ही हुई। मेरे प्राय यही कहता हूँ कि जीवन का मजदूरों के साथ स्तर ऊँचा है या नीचा, इसका उतना महत्व नहीं है,

एकरूपता जितना जीवन के तर्ज का है। पाँच रुपया रोज पर काम करनेवाला व्यक्ति, मजदूर कहलायेगा, लेकिन ४०

मासिक वेतन पर काम करनेवाला 'वावू' कहलाता है। तो यहाँ के ती-पुरुष दूसरे मजदूरों की तरह हाजिरी बनाकर मजदूरी लेने जाते थे। यह देखकर मुझे खुशी होती थी। पूर्वस्त्कार थाँर पूर्वग्रह चाहे जो हो,

लेकिन केवल औपचारिक दृष्टि से ही जब कार्यकर्ता तथा उनको स्थियों और गाँव के मजदूर स्त्री-पुरुषों के साथ मिलकर एक ही भूमिका में मजदूरी लेते थे, तो वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति के सदर्भ में यह छोटी बात नहीं थी। जिस समय कार्यकर्ताओं वहनें हिंसावनवीस की खिड़की से मजदूरी लेती थीं, तो मैं उनके चेहरों को गौर से देखता था। शुल्कुरुत में वे बहुत शर्माती थीं। उन्हे यह अच्छा नहीं लगता था। इसका परिणाम यह हुआ कि खादीग्राम के स्थायी मजदूरों तथा कार्यकर्ताओं में परस्पर व्यवहार का विशेष भेद नहीं रहा। अभी हाल में ही एक भाई यहाँ काग करने आये थे। दो-तीन दिन तक खादीग्राम के बातावरण को देखकर वे अपने एक साथी से कहने लगे। “भाई, यहाँ तो अद्भुत साम्राज्य है, पता ही नहीं लगता कि कौन क्या है?”

कार्यकर्ताओं के शिक्षण की दृष्टि से हम लोगों ने यह माना कि वर्ग-हीन समाज में हरएक मनुष्य का सर्वाङ्गीण विकास होने की आवश्यकता है। इसलिए यह तय किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता उत्पादन, व्यवस्था तथा शिक्षण, तीनों काम करे। उसी सिद्धान्त के अनुसार कार्यकर्ताओं को पत्नियों को भी तैयार करने की कोशिश की गयी।

मैंने पिछले एक पत्र में लिखा था कि खादीग्राम में बौद्धिक श्रम तथा शारीरिक श्रम का वेतन समान माना गया था। साम्ययोग की साधना

में दूसरा ही ही क्या सकता है? वस्तुतः इस युग में बौद्धिक और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य शारीरिक श्रम को उत्पादक श्रम करना चाहिए, ऐसा आग्रह हम जब करते हैं, तो समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बहुत अटपटा लगता है। वे कहते हैं कि प्रकृति ने हर चीज को एकरूप नहीं बनाया है। वे सुष्टि-वैचित्र्य का सिद्धान्त पेश करते हैं। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि प्रकृति ने कुछ लोगों को बौद्धिक शक्ति दी है और कुछ लोगों को केवल शारीरिक शक्ति दी है, तो शरीर-श्रमिक से आपको अधिक वेतन क्यों

मिलना चाहिए ? ऐसा सुनकर वे चुप हो जाते हैं। भले ही वे सम-वेतन के लिए तैयार न हो, वहस के समय तो वे इस दलील को मान ही लेते हैं। अतः खादीग्राम में वौद्धिक श्रम तथा आरीरिक श्रम का सम्मान होना स्वाभाविक ही था ।

शीघ्र ही हमारे इन साधियों ने यह महसूस किया कि केवल समान मजदूरी से ही साम्ययोग की साधना नहीं हो सकती, उससे सम-वेतन मात्र ही होता है। आज के विषमता के युग में किसी सत्या द्वारा समवेतन का मान्य करना साम्य की दिशा में अल्पन्त क्रातिकारी कदम है, फिर भी इसे साम्ययोग की साधना नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि विनोवाजी सहभोग पर अधिक जोर देते हैं। जब भोग के सटर्भ में साधियों ने विचार करना आरम्भ किया, तो उन्होंने देखा कि यद्यपि सबकी मजदूरी बराबर है, फिर भी भिन्न-भिन्न परिवारों में वच्चों की सत्या में भिन्नता के कारण साम्य की सिद्धि नहीं हो रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोई कम बीमार पड़ता था, कोई ज्यादा बीमार पड़ता था। इस कारण भी किसीका खर्च ज्यादा होता था और किसीका कम। इन तमाम स्थितियों को देखकर मित्रों ने यह तय किया कि वच्चे, आरोग्य तथा विवाह के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हो और उन पर जो कुछ खर्च हो, वह सब समान रूप से बॉट ले। सत्या वी ओर से साल में केवल सात दिन की ही छुट्टी मजूर थी, बीमारी की छुट्टी इक्कीस दिन की थी। कार्यकर्ताओं ने इस छुट्टी को भी सामूहिक 'पूलिंग' (एकत्रीकरण) में टम्पोमाल करने का तय किया और तदनुरूप सत्या से भी मजूरी ले ली।

यद्यपि साम्ययोग की साधना में हम अनुभव के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन करते रहे हैं, फिर भी यह मत समझना कि यह सब साम्ययोग है। वस्तुतः हमने साम्ययोग की साधना की शुरुआत ही नहीं की थी। हम जो कुछ करते रहे, वह साम्ययोग की दिशा की ओर मात्र था। हमारा विचार साम्ययोग का था, पर सत्कार शोषणजनित

विषमता का था। विचार के साथ आचार का अनुवन्धन कैसे हो, खादी-ग्राम के लोग इसीकी तलाश करते रहे। वास्तविक समवेतन और साम्ययोग तो तब हो, जब हम दूसरे का शोषण किये बिना ही सब मिलकर उत्पादन करे और मिलकर उसका उपभोग करे। इस तरह साम्ययोग के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि हम स्वावलम्बी बने, इतने से भी साम्ययोग की साधना नहीं होगी। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग उन्नत साधनों आदि के द्वारा अपने श्रम तथा पुरुषार्थ से स्वावलम्बी भी हो जायें और उस गोल के सब लोग समान रूप से उपभोग भी करने लग जायें, तब भी वह साम्ययोग नहीं होगा, यदि उसके आसपास के निवासी यथेष्ट साधनों के अभाव में अत्यन्त निम्न स्तर का जीवन विताते हैं और इस गोलवाले अपने पड़ोसियों की सेवा करके उनका जीवन-स्तर अपने ब्राह्मण करने की कोशिश नहीं करते हैं और कोशिश के दौरान में अपने साधन में से त्याग कर उनके साथ सह-उपभोग करने की कोशिश नहीं करते। तब यह कैसे माना जाय कि ये लोग साम्ययोग की साधना कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा था कि यद्यपि हम अपने को साम्ययोगी परिवार कहते थे, फिर भी हमारी चेष्टा साम्ययोग की नहीं थी, बल्कि दिशा/अन्वेषण की थी।

खादीग्राम में साम्ययोग साधना की शुरुआत तथा उसका क्रम-विकास वस्तुतः चाहे जो हो, वह हम लोगों को आरोहण की प्रक्रिया में एक पड़ाव आगे ले गया। जिस देश के लोग अत्यन्त प्रयोग से प्रसन्नता व्यक्तिवादी सकीर्णता में घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि समान आदर्श के पीछे चलनेवाली संस्था के कार्यकर्ता भी व्यक्तिवाद तथा विषमता के शिकार हैं, वहाँ अगर हम एक कोने में भी साम्ययोग के विचार के अनुसार जीवन-क्रम की तलाश करते रहे, तो भी वह निःसन्देह शान्ति की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जायगा। इसलिए हमारे मित्र थोड़ी सफलता से भी काफी सन्तुष्ट थे और

उत्साह के साथ नित्य नये प्रयोग का विचार करते थे। वाहर से आनेवाले दूसरे साथियों को भी खादीग्राम के जीवन से पर्याप्त प्रेरणा मिलती थी। वे जब देखते थे कि खादीग्राम के छी-पुरुष और बच्चे चार घण्टे उत्साहक शारीर-श्रम करते हैं, मिल करके रहते हैं और मिल करके भास्तुहित रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों निभाते हैं, तो वे बहुत प्रभावित होते थे। किसी त्योहार पर, दग्धहरा या दिवाली पर जब दूनरे मिन्न खादीग्राम में आकर यह देखते थे कि यहाँ के पचीसों बच्चों के कपड़े एक साथ बन रहे हैं और सबकी माताएँ साथ मिलकर सबके कपड़े इकट्ठे सिल रही हैं, तो उन्हें बड़ा अनुशा लगता था। वे अपने-अपने यहाँ जाकर दूसरा से उसकी चर्चा करते थे। कुछ लोग तो पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखते थे। यो धीरे-वीरे खादीग्राम की श्रम तथा साम्य की साधना की ओहरत देशभर के कार्यकर्ताओं में फैल गयी।

इस प्रकार सन् १९५४-५५ का वर्ष श्रम तथा साम्य की साधना का मार्ग ढूँढने में वीता, पर उसके साथ-साथ खादीग्राम को ग्राम-रचना का उपयुक्त गिक्षण-केन्द्र बनाने, नयी तालीम की प्रयोगशाला चलाने आर 'भू' क्रान्ति का सगठन करने का कार्यक्रम तो रहा ही। लेकिन मेरे लिए साथियों से मिलकर बगहीन समाज की स्थापना के लिए, श्रेणी सधर्प का विकल्प ढूँढने की कोशिश करना ही सबसे महत्व का था। मैं यह नहीं कहूँगा कि हमारी कोशिश सफलता की ओर है, लेकिन यह बात नि-सन्देह कही जा सकती है कि खादीग्राम का प्रयोग दिशा-निर्देश में सफल रहा है। कारण, जैसे-जैसे हम प्रयोग करते गए, वेसे-वैसे हमें आगे का मार्ग भी सूझता गया और हम आगे के कार्यक्रम में परिवर्तन करते गये।

साम्ययोग की कोशिश में हम लोगों ने जो कुछ किया, उसमें वास्तविक समाधान क्या था, यह तो मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी दिल-चस्ती के लिए इतना विवरण काफी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे चलकर साम्ययोग की क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हुईं और हमने कैसे कैसे प्रयोग किये उस सम्बन्ध में फिर कभी लिखूँगा।

श्रमभारती, खादीग्राम
१-१०-१५८

१९५४ मे गया-सम्मेलन के अवसर पर क्राति के आरोहण मे जीवन-दान की एक नयी सीढ़ी निकली। उसी सम्मेलन के अवसर पर यह स्पष्ट हुआ कि आज सर्व-सेवा-सघ का एकमात्र मुख्य काम भू-क्राति को सफल बनाने का है—और वह खादीग्रामोद्योग, कृषि-गोपालन या नयी तालीम का जो भी काम करे, वह सारा काम भूदान-मूलक हो, यही अपेक्षित है।

विहार मे २० लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मिल चुकी थी। यो २५ लाख एकड़ का सकल्प लगभग पूरा हुआ। इस सकल्प-पूर्ति से देश-विदेश मे आनंदोलन की ख्याति फैली। विनोदाजी भी आनंदोलन की उन दिनों विहार मे ही पदयात्रा कर रहे थे। इन ख्याति दोनों कारणों से सारे आनंदोलन का आकर्षण विन्दु विहार हो गया था। इसलिए उसी अवसर पर निर्णय हुआ कि सर्व-सेवा-सघ का दफ्तर गया मे रहे। दृसरा निर्णय यह हुआ कि सेवाग्राम मे तालीमी सघ तथा सर्व-सेवा-सघ दोनों के अलग-अलग शिक्षण-कार्यक्रम न चले। वहाँ का सारा काम तालीमी सघ के द्वारा चले। इस निर्णय के अनुसार सर्व-सेवा-सघ ने सेवाग्राम तथा वर्धा का शिक्षण-कार्यक्रम समेट लिया और सेवाग्राम के भकान तथा अन्य सामान तालीमी सघ को सौंप दिया।

आनंदोलन के मुख्य लेत्र तथा प्रधान दफ्तर के कारण देश की हाइ विहार की ओर ही लगी रहती थी। सर्व-सेवा-सघ की ओर से इस समय खादीग्राम ही एक केन्द्र था, जहाँ नयी क्राति के सदर्भ में शिक्षण का कुछ वातावरण बना हुआ था। मैं खादीग्राम मे रहता था, इसलिए भी कार्यकर्ता-

शिक्षण के लिए देश की अपेक्षा खादीग्राम से ही थी। इन कारणों से वह निश्चय हुआ कि भूदान-कार्यकर्ताओं का विक्षण मेरी देखरेख में ही खादीग्राम में हो।

सेवाग्राम का केन्द्र तालीमी सघ को दे देने के बाद सर्व-सेवा-सघ के लिए खादीग्राम ही मुख्य केन्द्र रह गया। प्रवान दफ्तर पास होने के कारण इसे मुख्य विक्षण-केन्द्र बनाने की आवश्यकता बढ़ गयी।

अब तक खादीग्राम छोटा-मा केन्द्र था, थोड़ी जमीन काम लानक थी, वाकी पहाड़ और पथर नहीं था। मैंने सोचा कि अगर इसे ही मुख्य केन्द्र बनाना है, तो इस केन्द्र को ऐसा बढ़ा उठाना न्यादीग्राम केन्द्र होगा, जहाँ मुख्य स्पष्ट से रेती की पर्याप्त सामग्री हो।

का विस्तार समय बढ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सालभर में ही खादीग्राम को बड़े केन्द्र का रूप दिया जाय। इसलिए १९५५ में खादीग्राम का निर्माण-कार्य जोरों से चला। दो-तीन मौ मजदूर स्त्री-पुरुष यहाँ काम करने लगे।

मैं बता चुका हूँ कि १९५४ के बाद से ही मेरी कमर का दर्द अच्छा होने लगा और मैं सालभर देश का दौरा करते रहा। वीच वीच मैं जब खादीग्राम आता, तो इतने मजदूरों को काम करने देखने सुन्हे लगता कि वह सारा वातावरण ठीक सरकारी टग का है। जैसे किसी नरकारी टेकेदार का काम लगा हुआ है।

मैं सोचता कि आज के राष्ट्र-निर्माण के दिना में देशभर की रचनात्मक स्थायों की यही स्थिति होगी। हरएक स्थान में इसी तरह मजदूर

काम करते होंगे और हर स्थान का दृश्य ऐसा ही होता योजना होगा। अगर ऐसा ही है, तो हमारे काम करने के लौट सरकारी टग में और देश में विकास-योजनाओं के काम में योजना फर्क करा है। यह सही है कि खादीग्राम में कुछ फर्क था। यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता बढ़े नहीं हैं। वे भी कुदाल लेकर मजदूरों की तरह ही आने नमम उनके

साथ मिही खोदकर खेत बनाते हैं। लेकिन यह सब वर्ग-परिवर्तन के सदमें में अपनी विकास-योजना ही थी। लेकिन वर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया एक तरफ़ा तो हो नहीं सकती। इस प्रक्रिया में 'हुजूर और मजदूर' दोनों को ही आना है। हुजूरों की श्रम शक्ति के विकास तथा मजदूरों के बौद्धिक तथा सांख्यिक स्तर के उन्नयन से ही तो पूर्ण मानवरूपी एकवर्गीय समाज बनेगा।

जैसा कि पहले बता चुका हूँ, हम लोग श्रम-साधना द्वारा वर्ग-परिवर्तन की दिशा में बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन इन दो-ढाई

सौ मजदूर भाई वहनों को हम ऐसी कोई प्रेरणा नहीं मजदूरों में क्रान्ति देते थे, जिससे वे भी वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया में

कैसे हो ? भाग ले सके। तुम पूछोगी कि क्राति की प्रेरणा कहीं

किसी पर लादी जा सकती है क्या ? उसकी प्रक्रिया तो तब शुरू होगी, जब वर्गविशेष में चेतना हो। तुम्हारा पूछना सही होगा, लेकिन सदियों से शोषित तथा उत्पीड़ित रहने के कारण जिसमें मजदूर-वर्ग की चेतना शक्ति शून्य हो गयी है, उसमें कौन चेतना पैदा करेगा। वही करेगा न, जिसमें चेतना पैदा हो चुकी है। तो अगर हमें वर्ग-परिवर्तन की क्राति को मानते हैं और अगर वह मानते हैं कि हमें इस क्राति की चेतना है, तो क्या मजदूर वर्ग में इस क्राति के लिए चेतना पैदा करना हमारा काम नहीं है। मैं अपने-आपसे पूछता था कि अगर जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारे मातहत जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सचेतन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ?

मैं यह सब सोचता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक

दिन यह विचार आया कि इन सबको पढ़ाना क्यों न पढ़ाई शुरू करने शुरू करें ? यह सोचकर मैंने सभी मजदूर भाई-वहनों

का विचार को बुलाया और उनसे पूछा कि उनमें से कितने लोग

पढ़ना चाहते हैं ? करीब-करीब सभीने हाथ ऊपर उठा दिये। मैंने उनसे कहा कि आज उन्हें ८ घण्टे में जितनी मजदूरी मिलती

है, पढ़नेवालों को ७ घटे में उतनी ही मजदूरी मिलेगी। लेकिन जरूर यह है कि उनकी हाजिरी ८ घटे के बजाय ९ घटे की हो, जिसमें ७ घटे अग्र करें और २ घटे पढ़ें। करीब करीब सभी लोगों ने पटने के लिए अपना नाम लिखाया। दूसरे दिन से खादीग्राम में सफल परिवर्तन हो गया। सात घटे काम करने के बाद सब लोग आम को अपने-अपने वर्ग में पटने चले जाते थे। 'अमरात्मा' अब सही माने में 'अमरात्मा' बन गयी। शाम को मालूम होता था, मानो वाकायदा स्कूल लगा हुआ है। थोड़े ही दिनों में मजदूर भाई वहनों में परिवर्तन आने लगा। पहले जैसे टेकेदारी का बातावरण लगता था, उसके बजाय अब भाईचारे का बातावरण हो गया।

मजदूर वर्ग के लोग जब पढ़ने लगे, तो स्वभावतः वर्ग में उनसे तरह-तरह की चर्चा होने लगी। इससे उनमें भी दिलचस्पी बढ़ी ओर वे अनेक प्रश्नों पर जानकारी लेने की कोशिश करने लगे। मने अपने माथियों से कहा था कि साकरता तो अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अमरात्मा में उसीको मुख्य वस्तु नहीं बनाना चाहिए। यहाँ के शिक्षण में नामाजिक चर्चा खास तोर से होनी चाहिए ओर ऐसा होता रहा। इस प्रक्रिया से मजदूर वर्ग में से कई भाई ऐसे निकले, जो हमारे साधारण कार्यकर्ता जैसे लगते थे। मजदूर हमारे साथ जल्दी और आसानी से इसलिए भी छुल मिल गये कि हम लोग सब भाई-बहन उनके साथ समान तर्ग में मिट्ठी खोटने का और दूसरा अम कार्य करते थे।

मजदूरों की शिक्षा आरम्भ होने से मुझे अत्यधिक सत्तोप था। म उनकी प्रगति को दें व्यान से निरीक्षण करता रहा। बीच-बीच में

उनसे चर्चा भी करता था। इनके समूह म १५-१६ लड़कों की पढ़ने वर्ष के कुछ लड़के लड़कियों भी थीं। मने देखा कि ये में विशेष लड़के दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी दिखाते दिलचस्पी है। इससे मन में ख्याल आया कि इनकी दिलचस्पी का सदुपयोग करना चाहिए। हम हजारों रुपये रच करते हैं और सेकड़ों मजदूरों से काम हेते हैं। केवल खादीग्राम में

ही सौ-दो सौ मजदूर काम करते थे। उन दिनों अपनी यात्रा में मैं जितनी स्थाओं में जाता था, सभी जगह नयी-नयी इमारतें बनते देखता था और मजदूरों को काम करते देखता था। गाधी आश्रम के मेरठ और अकबरपुर केन्द्र तथा विहार खादी समिति के मुजफ्फरपुर और इसी तरह से कई बड़े-बड़े खादी-केन्द्र मैंने देखे, तो मुझे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि केवल इमारत में ही नहीं, सरजाम बनाने में, रंगाई-छपाई में और दूसरे अनेक प्रकार के उत्पत्ति के कामों में भी हजारों की सख्ता में मजदूर काम करते हैं। ऐसी स्थाओं में मजदूरों के काम का दर्शन किसी फैक्ट्री के काम से भिन्न नहीं जान पड़ता। मैंने अदाज किया कि राष्ट्रीय विकास के दिनों में केवल गाधीजी के नाम पर खुली रचनात्मक स्थाओं में ही कम-से-कम ५० हजार मजदूर काम करते होंगे। अगर इन तमाम मजदूरों के स्थान पर हम १२ वर्ष से ३० वर्ष उम्र के लड़कों से काम ले और उन्हे पढ़ायें, तो नयी तालीम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। मन में ऐसी कल्पना आते ही मैं इस प्रश्न पर विचार करने लगा। शुरू-शुरू में ऐसा महसूस हुआ कि शायद नयी तालीम की दिशा में ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि इसमें केवल उद्योग है और दूसरी चीजों का अवसर नहीं। फिर सोचा कि आज की नयी तालीम इससे बहुत भिन्न है क्या?

तुम लोगों को इस बात का अनुभव है ही कि नयी तालीम के जो तीन साध्यम हैं, उनमें से उद्योग के सिवा शेष दो मान्यमां की प्राप्ति बुनियादी शालाओं में नहीं हो पाती है। शाला में सामाजिक बाता-कृष्ण वागवानी तथा थोड़ी-बहुत कर्ताई बुनाई कराकर बरण कैसे? या एकाध अन्य उद्योग चलाकर उद्योग के मारपत शिक्षण की प्रक्रिया चला लेते हैं। लेकिन सामाजिक बाताबरण या प्राकृतिक बाताबरण को हम शाला के अन्दर पैदा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोनों में से एक को भी कृत्रिम रीति से गढ़ा नहीं जा सकता है। परिवार के व्यक्तियों में आपसी नैसर्गिक सम्बन्ध तथा पड़ोसी परिवारों के साथ आपसी सहज ममत्वन्ध शाला में या स्थाओं में निर्माण

नहीं किया जा सकता। शाला में वच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन होते हैं वे ग्राम-भ्राता के, शाला-समाज के नहीं। सस्थाओं में जो रहते हैं, वह उनका अमली घर नहीं है। उनके जीवन-मरण की समस्या एक-दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। सम विचार या सम योजना के आधार पर एकत्र लोगों का सघ बन सकता है, परिवार नहीं। परिवार तो स्नेह-सम्बन्ध से ही बन सकता है। इस सम्बन्ध को बनाया नहीं जा सकता, वह बनता है। उसके लिए परम्परा चाहिए। यही कारण है कि आज हमारी सस्थाओं के कार्यकर्ताओं में परस्पर उतना भी पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है, जितना कि आपस में ब्रगडनेवाले देहाती परिवारों के बीच देखा जाता है। माना कि छोटे छोटे स्वाथों को लेकर वे आपस में ब्रगडते हैं, फिर भी उनकी अन्तरात्मा वह जानती है कि वे जीवन-मरण के लिए एक-दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए तुम लोगों की बुनियादी शाला औं में नयी तालीम सस्थाओं के विकास के लिए सही सामाजिक बातावरण नहीं मिलता।

वही स्थिति नेसर्गिक बातावरण की भी है। देशभर में हम नयी तालीम की जितनी शालाएँ या सस्थाएँ चलाते हैं, उनमें शब्द ही एकाध सस्था ऐसी होगी, जिसे विशेष रूप से नेसर्गिक बातावरण प्राप्त हो। देहाती में फिर भी कुछ मिल जाता है, बहरों में तो उसका नितान्त अभाव है। फिर भी हम इसी परिस्थिति में से नयी तालीम निकालने की कोशिश तो करते ही हैं। तो इतना बड़ा अवसर किसलिए छोड़ दिया जाय ?

इसलिए जब मैंने देखा कि हमारी सस्थाओं में विभिन्न उन्नीसों के सिलसिले में करीब पचास हजार मजदूर काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यह क्षेत्र नयी तालीम के लिए एक व्यापक क्षेत्र है।

जैसा कि मेरा स्वभाव है, नयी तालीम के उस पहलू पर विचार करते हुए मेरा चिन्तन बहुत दूर तक चला गया। यहाँ तक कि तुम लोग मुझे शैखचिल्ही के नाम से पुकारने लगोगी। मैंने हिमाच जोड़ा कि मेरे यहाँ जितने मजदूर हैं, उसके बदले में अगर टस-ग्यारह ने लेकर पन्डित सोलह

वर्प के लड़के रखूँ, तो सख्त्या कम-से-कम ड्योढ़ी हो जायगी और अगर काम के घण्टे ८ के बजाय ५-६ रखे जायें, तो यह राष्ट्रव्यापी शिक्षण- सख्त्या दूनी से कम न होगी । इसका मतलब यह हुआ योजना कि संस्थाओं में ही एक लाख के करीब शिक्षार्थी मिल जायेगे । ये शिक्षार्थी ऐसे होंगे, जो कभी भी चालू-बुनियादी या गैरबुनियादी शालाओं में भरती होनेवाले नहीं हैं । फिर आगे सोचने लगा कि सरकार राष्ट्रनिर्माण का काम कर रही है । उसकी एक पञ्चवर्षीय योजना बनी है, जिसके अनुसार गॉव-गॉव में कुओं, तालाब, सड़क, नहर आदि में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं । अगर इन मजदूरों के चौथाई भी मजदूर शिक्षण-प्रक्रिया से आ जायें, तो यह सख्त्या कई लाख तक पहुँच जायगी । अगर देश के नेता इधर ध्यान दें, तो राष्ट्र-निर्माण की कोई अलग योजना न बनकर शिक्षण-योजना के फलस्वरूप राष्ट्र-निर्माण की लक्ष्य-पूर्ति हो सकती है ।

आखिर नयी तालीम का लक्ष्य तथा उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? उसका लक्ष्य देश का नागरिक बनाना है न ? स्वराज्य में नागरिक कौन है ? गांधीजी ने एक बार स्वराज्य की परिभाषा बताते हुए कहा था कि “नागरिक वे होंगे, जिन्होंने शरीर-श्रम से राष्ट्र की सेवा की है ।” यानी शरीर-श्रमिक ही बोट का अधिकारी होगा । तो शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहले बोट देनेवालों की ही शिक्षा है न ? फिर नयी तालीम की प्रक्रिया उत्पादक श्रम के माध्यम से ही तालीम देने की है न ? जरा सोचो तो कि यदि ये दोनों बातें सही हैं, तो तुम्हारी नयी तालीमशाला कहाँ होगी ? शिक्षण का क्षेत्र किसे कहोगी ? क्या विद्यालय का अलग से भवन बनाकर उसमें कुछ जमीन और उद्योग जोड़कर उसीमें उत्पादक श्रम का अवसर निर्माण कर सारे श्रमिकों के बच्चों को वहाँ लाकर शिक्षण देना है या आज वे जहाँ कहाँ भी उत्पादक श्रम करते हैं, शिक्षण को ही उसी जगह ले जाना होगा ? अगर तुम शाला में सबको बुलाकर शिक्षण देना चाहती हो, तो क्या यह शक्य होगा ?

वस्तुतः राष्ट्र-निर्माण का मतलब ही है राष्ट्र के नागरिक का निर्माण। समस्त विकास-योजना इस नागरिक निर्माण की प्रक्रिया का माध्यम होनी चाहिए। अतएव अगर नयी तालीम को व्यापक और प्रगतिशील बनाना है, तो राष्ट्रीय विकास-योजना के सिलसिले में जो कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, उसीको गिराव का माध्यम बनाना होगा। आखिर नयी तालीम-शाला में उन कार्यक्रमों से अधिक क्या करती हो। खेती की तरफ़ी, ग्रामोद्योग का प्रसार, गृह-निर्माण, मार्ग-निर्माण, सिंचार्ड व्यवस्था का कार्यक्रम आदि के अलावा नयी तालीम की सहायाओं में अधिक कुछ होता है क्या? अगर ठीक से निरीक्षण किया जाय, तो मालूम होगा कि अधिक तो होता ही नहीं, बल्कि उतना भी नहीं होता, जितना विकास-योजना के सिलसिले में होता है। कल ही म एक बुनियादी शाला में गया था। मैंने लड़कों से पूछा कि आज देश में सरसे उत्पादा सकट किस बात का है। लड़कों ने तुरत जवाब दिया कि “अन्न का सकट आज मुख्य सकट है!” मैंने जव फूँठा कि “यह सकट दूर कैसे हो”, तो उन्होंने कहा कि “अब उत्पादन में वृद्धि करने पर होगा।” “कैसे वृद्धि हो?” पूछने पर जवाब मिला : “सब लोग जमीन पर मेहनत करें।”

आगे की प्रश्नोत्तरी से स्पष्ट हुआ कि जो लड़के शाला में गिराव पाते हैं, वे गाँव के खेत में काम करने नहीं जाते हैं और जो काम करते हैं, वे शाला में पढ़ने नहीं आते।

चर्चा के दोरान मेरे एक लड़के ने कहा कि हम लोग भी खेती करते हैं और अपने अहाते के कोने में एक खेत दियला दिया। मैंने पूछा कि कितना खेत है, तो उन्होंने कहा . ‘दो कट्टा।’ शिक्षार्थियों की सख्ता ७८ बतायी। मैंने जव फूँठा कि दो कट्टा जमीन पर ७८ लटके रखे हो जाने पर धान रोपने के लिए कितनी जमीन बच जाती है, तो बच्चे हँसने लगे।

इसलिए नयी तालीम के प्रश्न पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास-योजना के सन्दर्भ मे ही विचार करना होगा। बुनियादी

शालाओं के उपलब्ध साधन से उत्पादक श्रम करना तो दूर की बात है, श्रम का नाटक भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने प्रयोग करने का सोचा कि खादीग्राम में जो निर्माण-काम हो रहा निश्चय है, उसी काम को केन्द्र बनाकर यदि कुछ प्रयोग कर लूँ, तो इस विचार को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत मदद मिलेगी।

अपना यह विचार मैं अपने साथियों के सामने बराबर रखता रहा हूँ। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब मजदूरों की जगह छोटे लड़कों को रखना शुरू कर दो और उनके शिक्षण की एक योजना बना डालो। योजना का स्वरूप क्या हो, इस पर काफी चर्चा होती रही। चर्चा होकर तय हुआ कि फिलहाल छह घण्टा काम करे। उनकी श्रम शक्ति को देखकर मजदूरी तय की जाय और उन्हे दो घण्टे पढ़ाया जाय। इसके अलावा उन्हे सामाजिक शिक्षा देने के लिए मन्त्रिमण्डल बनाकर उन्हींके काम के अलग-अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी जाय।

इस शाला का नाम श्रम-शाला रखा गया। अक्टूबर १९५५ में इसका श्रीगणेश किया गया। जनवरी से ही बुनियादी शाला चल रही थी। उसे इसके साथ मिलाया नहीं गया, बल्कि एक स्वतन्त्र शाला के रूप में इसका काम शुरू किया गया। शुरू में ऐसा सोचा था कि श्रम-शाला के बच्चों को भी बुनियादी शाला के विभिन्न वर्गों में बैठाया जाय, क्योंकि बुनियादी शाला में भी दो ही बटे की पढाई थी, लेकिन गोव के बच्चे बड़ी उम्र तक पढ़े हुए नहीं थे। इसलिए उम्र में तथा सामाजिक होश की विप्रमता के कारण श्रमशाला के बच्चे बुनियादी शाला के विभिन्न वर्गों के बच्चों के साथ मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए दोनों को एक में मिलाने का विचार छोड़ दिया गया और दोनों को अलग अलग चलाने का ही निश्चय किया गया।

इस प्रकार खादीग्राम में बुनियादी शाला के आठ वर्ग तथा श्रम-शाला के पाँच वर्ग मिलाकर तेरह वर्ग चलने लगे। तेरह वर्ग में तेरह

अच्छे शिक्षकों की समन्या खड़ी हुई, लेकिन साथियों में से उनकर वह समस्या हल की गयी। इस हल में वहनों ने भी साथ दिया। शिक्षकों में तीन-चार वहनें भी थीं।

अमशाला बड़ी धूम से चली। आसपास के गाँवों के मजदूर और गरीब किसानों में काफी उत्साह दिखाई दिया। वच्चे भी उत्साही थे।

वीरे-धीरे वच्चे जब शिक्षा की महत्ता को समझने लगे,
अमशाला की तो समय-विभाजन में कुछ परिवर्तन किया गया।

धूम पहले पॉच घटे, बाद में चार घण्टे कमाई का काम तथा दो घटे कताई और दो घटे पटाई का कार्यक्रम रखा गया। ऐसा कार्यक्रम रखने पर वच्चों की कमाई में बहुत अन्तर नहीं आया, क्योंकि उत्साह तथा दिलचस्पी के साथ काम करने के कारण उनमें अम-शक्ति की वृद्धि होने लगी। पहले वे एक दिन में जितना काम करते थे, उससे अधिक काम करने लगे। उसे देखकर मने मजदूरी पढ़ाने की बात सोची।

इन्हीं दिनों अण्णासाहब गया में आये हुए थे। म भी वहाँ गया हुआ था। अण्णासाहब हमेशा से ऐसे कामों में दिलचस्पी लेते रहे। मैंने उनसे इसकी चर्चा की और कई बातों में उनकी सलाह ली। सर्व-शक्ति की बात सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा : “आप मजदूरी बढ़ाने की जो बात सोच रहे हैं, वह पैसे में न देकर अप के रूप में दीजिये। तो बढ़ती हुई अम शक्ति कायम रहेगी, नहीं तो उत्साह के कारण आज जो अधिक मेहनत कर रहे हैं, वह अधिक दिन टिकेगी नहीं। वल्कि इसके फलस्वरूप उनकी जीवन-शक्ति का हास होगा।” अण्णासाहब की यह बात मुझे ज़ौच गयी। मैंने वहाँ से लॉटकर अपने साथियों से कहा कि काम खूब कसकर करो और जो मजदूरी दे रहे हो, इसके अलावा नाश्ता दो। नाश्ता देने से उनके उत्साह तथा स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि होने लगी। छठ घटे के बदले चार घटे श्रम और नाश्ता

इन दोनों बातों से उनकी जीवनी शक्ति काफी बढ़ गयी। थोड़े में ही उनकी शक्ति बदल गयी।

श्रमशाला के प्रयोग ने नयी तालीम की दिशा में नया विचार तथा नयी रोशनी प्रकट की। बच्चे पढाई के मामले में इतनी तेजी से प्रगति करने लगे कि हमारे सभी शिक्षक हैरान हो छात्रों की आश्चर्य-गये। बुनियादी शाला के बच्चों से वे हर बात में जनक प्रगति आगे बढ़ गये। वे पॉच घण्टे मिट्टी खोदने और काटने का काम करते थे, दो घण्टे कताई करते थे और दो घण्टे पढ़ते थे। इस तरह इनका कार्यक्रम नौ घण्टे का था। बुनियादी शाला के बच्चों का कार्यक्रम आठ घण्टे का ही था। फिर भी खाना खाने के बाद ये बच्चे पेड़ के नीचे कबड्डी खेलते थे और अत्यन्त प्रसन्न रहते थे, लेकिन बुनियादी शाला के बच्चे, जो उन लोगों से अच्छा भोजन पाते थे, दूध पीते थे और उनसे कहीं हल्का श्रम करते थे, दिन में डेट घण्टे सोते थे और हर काम में सुस्ती करते थे। उनके चेहरों पर श्रमशाला के बच्चों से उत्साह तथा स्फूर्ति भी कहीं कम थी। यद्यपि शुरू में ये लोग पढाई में बहुत पिछड़े हुए थे, फिर भी थोड़े ही दिनों में इनकी प्रगति बुनियादी शाला के बच्चों से कहीं अधिक थी। हिसाब में तो उनकी गति आश्चर्यजनक थी। मैं कभी-कभी सोचता था कि हम जगह-जगह छात्रावास खोलकर मध्यम वर्ग के बच्चों को लेकर बुनियादी तालीम का जो चित्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वह कहीं निष्फल चेष्टा तो नहीं है? लेकिन फिर यह भी विचार आता था कि नयी तालीम का क्षेत्र जब सर्वव्यापी है, तो हर श्रेणी के लिए तालीम की प्रक्रिया ढूँढ़नी ही होगी। इसलिए निष्ठापूर्वक दोनों शालाएँ चलाता रहा।

खादीग्राम की समस्या अत्यन्त कठिन थी। साम्ययोग के आधार पर नौजवानों को आकर्षित करना, उन्हे टिकाना और साथ सख्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन समस्या थी। आन्दोलन की जिम्मेदारी, आसपास की विकास-योजना, श्रमभारती का निर्माण,

दफ्तर हिसाब आदि व्यवस्था का सचालन आदि वो था ही, उसके अलावा तेरह वर्ग चलाने की समस्या अत्यन्त कठिन हो रही थी। भाईं राममूर्ति, रुद्रभानु भाई, अमरनाथ भाई आदि साथी हमेशा परेशान रहते थे। गिरक जुटाने की समस्या उनके लिए अत्यन्त कठिन थी।

एक ओर शिक्षकों के प्रबन्ध पर साथियों की परेशानी थी, सरी और नयी तालीम की सही प्रक्रिया क्या हो, इस प्रबन्ध पर नयी दिशा में

मेरा चिन्तन चलता था। यह हमें एक नये प्रयोग अमशाला और की ओर ले गया। जनवरी १९५६ से हमने हिमत बुनियादी शाला करके बुनियादी शाला तथा श्रमशाला को एक साथ का संगम मिला दिया। दोनों को मिलाने में एक सामाजिक कारण ने भी बहुत हट तक काम किया। वह कारण या श्रेणी-विप्रमत्ता। मैंने देखा कि श्रमशाला के बच्चे श्रम शक्ति में, सामान्य वृद्धि में, पढ़ाई में, प्रगति में, जीवन के आनन्दोपभोग में तथा जिम्मेदारी महसूस करने में बुनियादी शाला के बच्चों से जँचे थे, फिर भी बुनियादी शाला के बच्चे उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। वे अपने को 'मालिक लोग', 'शावू लोग' मानते थे और श्रमशाला के बच्चों को मजदूर। मैंने पहले ही कहा था कि खादीग्राम में मेरी चेष्टा हुजरों की श्रम-शक्ति में वृद्धि तथा मजदूरों में सास्कृतिक प्रगति से दोनों को एक में विलीन करने की ही रही है। बुनियादी शाला के बच्चों की मानसिक वृत्ति इस चेष्टा को विफल कर रही थी। इसलिए भी आवश्यक हो गया कि दोनों को एक में मिला दिया जाय। इस प्रकार श्रमशाला और बुनियादी शाला को मिलाने में तीन वातों ने काम किया

१. श्रेणीहीन समाज कायम करने की आवश्यकता।

२. श्रमशाला के बच्चों का वौद्धिक विकास तीव्र गति से होना।

३. शिक्षकों की सख्त्या में कमी होना।

बुनियादी शाला और श्रमशाला को एक में मिलाने में एक-आध वर्ग के दो विभाग करने पड़े। एक ही वर्ग में कई उम्र के बच्चे होने

से सामाजिक विकास के हिसाब से दो विभाग किये गये। इस तरह तेरह वर्गों के स्थान पर आठ वर्ग न होकर दस हो गये। खेत में और भूमि-सुधार में काम के घण्टे श्रमशाला के बच्चों के लिए बुनियादी शाल के बच्चों की ही तरह चार घण्टे रखे गये। यद्यपि चार घण्टे की कमाई के कारण श्रमशाला के बच्चों की आमदनी कुछ कम हो गयी, फिर भी बच्चे छोड़कर नहीं गये, क्योंकि अब तक उनसे शिक्षा की भूख पैदा हो गयी थी।

बुनियादी शाला और श्रमशाला को मिला देने से बच्चों में आशा के अनुरूप ही प्रतिक्रिया हुई। बुनियादी शाला के बच्चों ने सगड़ित विरोध

किया। उन्होंने मजदूरों के बच्चों के साथ एक आसन आशा के अनुरूप पर बैठकर शिक्षा लेना नापसन्द किया और रुद्रभानु प्रतिक्रिया भाई से अपनी नापसन्दर्शी जाहिर की। इस मनो-

भावना को मिटाने में तीन-चार महीने का समय चला गया, इसलिए व्यवस्थित शिक्षा-क्रम में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। धीरे-धीरे बच्चों में मानसिक व्यवधान समाप्त होने लगा, फिर उन्होंने रुचि से साथ-साथ काम करना, साथ खेलना और साथ पढ़ना शुरू किया।

कार्यकर्ताओं की कमी थी, इसलिए प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण के काम के अलावा व्यवस्था का काम भी देखना पड़ता था। विभागों की

जिम्मेदारी तथा शिक्षण की जिम्मेदारी के कारण शिक्षकों के स्वास्थ्य शिक्षण-कला का अव्ययन, अभ्यास-क्रम तैयार करना पर बुरा असर आदि काम रात को ही हो सकता था। चार घटे पर्याली जमीन पर कठिन शरीर-अग्र, दो घटे मौखिक

शिक्षण वर्ग, दो-तीन घटे अपने-अपने विभागों की जिम्मेदारी, काम के साथ-साथ रात को दस-न्यारह बजे तक समवाय पाठ तैयार करना और साथ-साथ अपना भी अध्ययन जारी रखना आदि कामों के कारण सादी-ग्राम के साथियों पर बहुत अधिक बोझ पड़ गया। इसीसे करीब-करीब सभी लोगों का स्वास्थ्य विल्कुल विगड़ गया। भाई राममूर्ति का स्वास्थ्य

एकदम गिर गया। वे जब से आये, तभी से अस्वस्थ ये, लेकिन सबसे साथ समान परिश्रम के साथ साथ उन्हें गिरकों की तैयारी भी करनी पड़ती थी, इससे उन पर और अधिक बोझ पड़ा, लेकिन उन्माह अविक था, इसलिए सब लोग एकाग्रता से आगे बढ़ते रहे।

जनवरी १९५६ में खादीग्राम में जयप्रकाश वाबू, अप्पासाहब आदि सर्वोदय के प्रायः सभी प्रमुख व्यक्ति सर्वोदय-योजना पर चर्चा आदि सर्वोदय के प्रायः सभी प्रमुख व्यक्ति सर्वोदय-योजना पर चर्चा

करने के लिए एकत्रित हुए थे। वे सब अपनी चर्चा खादीग्राम में के साथ साथ श्रमगाला की योजना को भी गार से चर्चा देखते रहे और हम लोगों से इस बारे में चर्चा भी करते रहे। श्रमगाला की योजना जयप्रकाश वाबू को बहुत पसन्द आयी। अमिक वर्गों की गिरका की एक नयी प्रक्रिया से उन्हें बहुत सुशी हुई। वे सबसे अधिक प्रभावित इस बात से हुए कि श्रमगाला के कारण हमें आसपास के देहातों में पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित करना आसान हो गया था।

यह सम्पर्क तब और भी गहरा हुआ, जब उस बर्पे आसपास के देहातों में जापानी धान रेती का आनंदोलन चला। पिछले साल खादी-

ग्राम की पथरीली जमीन पर जब हमने एक एकट में पचोसी गाँवों पर ५६ मन धान पैदा किया तथा ३७॥ मन प्रति एकट

असर औसत पैदावार हुई, तो आसपास के किसान आश्र्वय से चकित हुए। जब हम आये थे, वे हमसे कहते थे,

कि “इस जमीन पर भौंग भी पैदा नहीं हो सकती है, आप इस पर रेती करना चाहते हैं” अतएव जब उन्होंने देखा कि हमने उसी जमीन पर एकट पर ५६ मन धान पैदा किया, तो हमारी रेती करने की वुद्धि पर उनकी श्रद्धा हुई। पहले वे हँसते थे। कहते थे, “ये वाबू लोग क्या रेती करेंगे?” अब वे हमसे सलाह लेने के लिए आने लगे। हमारी श्रमगाला के बच्चे जापानी धान रेती की कला अच्छी तरह सीख गये थे, इसलिए उनके घरों से जापानी धान रेती की प्रमिया शुरू करना आसान हो

गया। धीरे-धीरे दूसरे किसान भी हमारे पास आने लगे और अपनी जमीन पर जापानी पद्धति से धान रोपने की कला बताने का। अनुरोध करने लगे। इस प्रकार श्रमशाला के बच्चों की आवश्यकता देहाती क्षेत्र में भरपूर साक्षित हुई। कहीं से मॉग आती थी, तो वे जाकर यह काम करा देते थे। इस प्रकार श्रमशाला तथा बुनियादी शाला के समिक्षण से जिस नयी तालीम के प्रकार का विकास हो रहा था, वह काफी समाधानकारक मालूम हुआ। केवल हमें ही ऐसा लगता था, सो नहीं; बल्कि छात्रावास के मध्यवर्गीय बच्चों तथा देहात के श्रमिकवर्गीय बच्चों दोनों को समाधान था। इतना ही नहीं, बल्कि विहार के मित्र-मित्र क्षेत्रों के जो भी मित्र खादीग्राम में आते थे, उनको भी यहाँ की शिक्षा ने काफी प्रभावित और आकर्षित किया। फलस्वरूप मासिक २५], ३०] खर्च देकर भी लोग हमारे पास बच्चे भेजने लगे।

यह सब हुआ, पर मेरे मन मे पूर्ण समाधान नहीं था। मैं अक्सर कहा करता था कि यह श्रमशाला बीच की चीज़ है, नयी तालीम का

वास्तविक स्वरूप तो ग्रामशाला के रूप मे ही प्रकट श्रमशाला की हो सकता है। मैं लिख चुका हूँ कि सस्थाओं मे और कल्पना देश मे निर्माण-कार्य के सिलसिले में लाखों बालकों तथा किशोरों का श्रम शाला की प्रक्रिया से शिक्षण

हो सकता है। यद्यपि यह प्रक्रिया मुख्यतः उद्योग द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया न होकर उद्योग के साथ शिक्षण की प्रक्रिया है, फिर भी आज देश मे जो बुनियादी शिक्षा चल रही है, उससे यह अधिक वास्तविक होगी। क्योंकि इसमे बच्चे जो काम करते हैं, उसमे उनकी दिलचस्पी होती है और उन्हे अधिक जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। लेकिन सस्था के अन्तर्गत कृत्रिम उपाय से औद्योगिक संयोजना तथा सामाजिक परिकल्पना से नयी तालीम के लिए सही पृष्ठभूमि नहीं बन पाती है, इसलिए मैं काफी तेजी से ग्रामशाला के विचार का चिन्तन करने लगा।

इस बीच हम खादीग्राम के सभी भाई-बहन दो-तीन दिन के लिए

भाईं जयप्रकाशनी के सोखोदेवरा आश्रम गये हुए थे। जयप्रकाश वावृ जब जनवरी में खादीग्राम आये थे, तो ऐसा सोचा-सोखोदेवरा में था कि सर्वोदय की विभिन्न सम्प्राणों के लोग वाच-चर्चा वीच में इकट्ठे होकर सहवास, सहचिन्तन तथा सह-सम्बाद में समय विताये, तो विचार की पुष्टि, व्यार्थ-क्रम की स्पष्टता तथा परिवार-भावना के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने इस मामले में पहल बरने के लिए खादीग्राम के पूरे परिवार को सोखोदेवरा आने का निमन्त्रण दिया। हम लोगों ने उनका निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार किया और वहाँ पहुँचे। जयप्रकाश वावृ ने तीन दिन की चर्चा का विषय ही अमगाला और ग्रामगाला रखा था, ताकि वहाँ के मित्रों को हमारे प्रयोगों से लाभ मिले। हम लोग भी अपने प्रयोग की व्योरेवार रिपोर्ट वहाँ ले गये थे। सोखोदेवरा के मित्रों के प्रश्नों के उत्तर देने में मेरे मन में भी जो वातं साफ नहीं था, वे साफ हुईं, उनकी ग्रकार्यों में ऐसे कई पहलू थे, जिन पर मैंने पहले विचार नहीं किया था, विशेषतः आन्दोलन के सदर्भ में 'ग्रामगालाओं का क्या स्थान है' इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हुई। वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया में अमगाला तथा ग्रामगाला विशेष महत्व का स्थान रखती है, इसका विवेचन मैंने काफी विस्तार से किया। इस प्रकार सोखोदेवरा की तीन दिन की चर्चा ने मुझे बहुत मटठ ढी और इस सम्बन्ध में मैं अधिक गहराई से सोचने लगा।

धीरे-धीरे मेरे मन में यह विचार पद्धा होता गया कि ग्रामगाला ही सर्वोदय-आन्दोलन की एक मात्र व्युनियाद हो सकती है। वस्तुत आज जो आन्दोलन चल रहा है, वह सिर्फ विचार गत्तार है, व्युनियादी कार्यक्रम नहीं है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आज हम लोग जो आन्दोलन चला रहे हैं, वह क्रान्ति की पूर्व तैयारी मात्र है।

इस प्रकार सोचत-सोचते मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अगर खादी-ग्राम के लोग आन्दोलन के बाहक बनना चाहते हैं, तो वे खादीग्राम की

चहारदीवारी के अन्दर रहकर नहीं बन सकते। उन्हे गॉव-गॉव में फैलना होगा और जनता में विलीन होकर उनके आधार गॉव-गॉव में फैलने से तथा उनके जरिये आनंदोलन चलाना होगा और का विचार इसका रचनात्मक स्वरूप ग्राम-शाला ही होगी। ऐसा सोचकर मैंने अपने साधियों में यह विचार प्रकट करना शुरू किया और अन्त में यह बात भी कह दी कि एक दिन निश्चित कर उन्हे गॉव-गॉव में फैलना है।

० ० ०

श्रमयाना के पढाव से

१४-१२-'५८

नवम्बर '५८ में सणोसरा में नयी तालीम का जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता मैंने तुम्हारे आग्रह के कारण ही स्वीकार की थी। वहाँ के अध्यक्षीय भाषण में मैंने नयी तालीम के बारे में अपने विचार तथा परिकल्पना व्यक्त की। तुम्हे याद होगा कि उस भाषण की चर्चा देशभर में हुई और नयी तालीम के कार्यकर्ताओं ने उससे नयी प्रेरणा पारी। कुछ मित्रों में नयी जबाएँ भी उत्पन्न हुईं। उत्तादक ग्रीर श्रम की अनिवार्यता की बात स्वभावत् पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग के गले में उत्तरती नहीं, अतएव इस पहलू पर जो जोर था, उससे कुछ मित्रों को परेशानी थी। इस युग में सत्था की चहारदीवारी तालीम का उपादान बनाने के लिए असमर्थ है। सारे समाज के समस्त कार्यकर्ताओं को तालीम का माव्यम बनाकर पूरे गमाज को ही तालीम सत्था बनाने की जो कल्पना थी, उसका आकर्षण मित्रों में था, परन्तु उसकी सम्भावना में गला थी। यह सब था, लेकिन देशभर में इन विचारों का खूब ही मन्थन चला। सणोसरा में तो इस पर निरन्तर चर्चा चलती ही रहती थी। आखिर में मनुभाई और उनके साथियों के आग्रह से अधिक चर्चा के लिए सम्मेलन के बाद भी एक दिन मुझे रुकना पटा। काफी गहराई से चर्चा हुई। यद्यपि किसीको यह विचार ग्राह्य नहीं हो सका कि प्रचेक को श्रम-आधारित जीवन व्यतीत करना ही चाहिए, फिर भी वोडिक श्रम तथा ग्रीर-श्रम का मूल्य बराबर हो, इस बात पर सब लोग एकमत थे। फिर मैंने मनुभाई से कहा कि “आप लोग कुल बुनियादी तालीम की सत्थाओं में इतना कर लें कि ग्रीर-श्रम और वोडिक श्रम का मृत्यु बराबर हे, तो

फिर फिलहाल मुझे सन्तोष होगा ।” क्योंकि मैं मानता था कि अगर समाज इस समानता को स्वीकार कर ले, तो हर मनुष्य के जीवन के तौर-तरीके में साम्य आ जायगा और परिणामतः शरीर-श्रम की अनिवार्यता का दर्गन स्वयमेव हो जायगा ।

सणोसरा-सम्मेलन के बाद से मेरा चिन्तन आन्दोलन और नयी तालीम की अभिन्नता की ओर तेजी से बढ़ने लगा । उस चिन्तन के फलस्वरूप १९५५ के पूरे वर्ष में खादीग्राम के निर्माण-आन्दोलन और कार्य के सम्बन्ध में किस तरह मजदूरों की पढाई शुरू नयी तालीम हुई और आखिरी अक्टूबर १९५५ में किस तरह श्रमशाला का जन्म हुआ, उसका विवरण तथा उसके सिलसिले में वर्षभर के चिन्तन के प्रवाह का व्योरा पिछले पत्र में लिख चुका हूँ ।

अखिल भारत सर्व-सेवा-सघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सँभालने के बाद देशभर में दौरा कर आन्दोलन की परिस्थिति का दर्गन किया था, उससे मेरे मन पर यह असर पड़ा कि विनोबा के कारण यद्यपि इस आन्दोलन का विचार-प्रचार जोरो से हो रहा है, तथापि आन्दोलन का स्वरूप जन-आन्दोलन के बजाय स्थागत प्रवृत्ति का रूप धारण कर रहा है । जिस प्रकार खादी का काम चरखा-सघ की एक प्रवृत्ति के रूप में चल रहा था, उसी तरह यह आन्दोलन भी सर्व-सेवा-सघ की एक प्रवृत्ति के रूप में चल रहा है । यह अनुभूति मेरे मन पर बोझरूप बनी रही ।

आन्दोलन गांधी-स्मारक-निधि के खर्चे से सर्व-सेवा-सघ द्वारा सख्त-पित, भूदान समिति द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं की मार्फत अत्यन्त सीमित दायरे में चल रहा था । जनता उसे अपने काम के रूप में लेती ही नहीं थी, समझती भी नहीं थी । मैंने महसूस किया कि जब तक आन्दोलन गांधी-निधि के सहारे तथा तत्रबद्ध कार्यकर्ताओं के जरिये ही चलता रहेगा, तब तक यह प्रवृत्ति का ही रूप बना रहेगा, आन्दोलन का रूप नहीं लेगा । विनोबाजी के उत्तर प्रदेश में रहते ही जिस समय गांधी-निधि के खर्चे से

आनंदोलन चले, ऐसा प्रस्ताव हुआ था, मने उमझा किस तरह विरोध किया था, यह बात पिछले किसी पत्र में लिख चुका है। लेकिन अब मेरे मन में इद्द प्रत्यय हो गया कि केवल केन्द्रित निधि-मुक्ति काफी नहीं है, वल्कि कार्यकर्ता तन्त्रमुक्त होकर जन-आधारित बने, जन-जन में फैल जायें, तभी आनंदोलन जन-आनंदोलन बनेगा और तभी इसमें तेज आ सकेगा। तन्त्र-मुक्ति के इस विचार के बारे में भी पिछले कई पत्रों में मे विस्तार से लिख चुका हूँ। इस समय खादीग्राम की आरोहण-प्रक्रिया ऐ सन्दर्भ में इसे व्यवहार में किस तरह लाया जाय, यही विचार सुने हर समय घेरे रहता था।

आखिर मैंने निश्चय ही कर लिया कि खादीग्राम को विकेन्द्रित कर अपने साधियों को जगह-जगह देहातों में भेज दूँ, ताकि वे जन आधारित

जीवन विताकर अपने को जनता में विलीन कर सकें विकेन्द्रित करने और नवी तालीम को केन्द्र मानकर आनंदोलन को का निश्चय आगे बढ़ा सके। मैंने इसके लिए एक व्यवस्थित नम भी बना लिया और पूरी योजना निर्धारित करके एक दिन सभी साधियों को बुलाकर इसकी घोषणा कर दी।

तारीख ७ जनवरी १९५६ को सुबह प्रार्थना के बाद साधियों को सम्बोधित करके मैंने कहा : “सन् ’५७ की मलिल क्या है, उसके लिए ’५७ की २८ जनवरी तक हमारी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए और १५ अगस्त १९५७ तक ग्रामराज के लिए व्यापक आनंदोलन शुरू हो जाना चाहिए। उस दिन स्वराज मिटे १० बर्पं हो जायेंगे। दस बर्पं बहुत काफी हैं। अतः वह टिन हमारे दूच करने का होगा। उस दिन खादीग्राम का क्या होगा, कह नहीं सकता। मिल विद्युकार, अम्बर चरखा, नवी तालीम आदि सब काम ग्रामराज के साथ ही चलते रहेंगे।

इस दृष्टि से हमें उत्तादक-वर्ग के अन्दर बाहोदर नेतृत्व पैदा करना है और उसी दृष्टि से हमें अपना जीवन ढालना होगा। उत्तादक वर्ग में चेतना आये और अनुत्पादक-वर्ग की वर्ग निराकरण की तैयारी हो।

जब तक यह विलीनीकरण की प्रक्रिया दोनों तरफ से नहीं होगी, तब तक यह वर्ग-स्वर्ध नहीं टल सकेगा ।

अभी १९५५ तक अपनी भूमिका निर्माण कर रहे थे । पहले अपनी भूमिका बनायी, फिर जनता मे गये । अब जनसाधारण ने जान लिया है कि ये लोग कुछ दूसरे प्रकार के सेवक हैं । दूसरी बात यह हुई है कि हम लोगों ने अपने जीवन की भी कुछ तैयारी कर ली है । साम्ययोग आदि की भूमिका बनी है । हम यहाँ तक पहुँच गये हैं कि अब हमसे यह विश्वास पैदा हो रहा है कि हमे क्रान्ति का सिपाही बनना है, अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना कार्यक्रम बनाना है ।”

कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, उसके प्रारम्भिक स्वरूप के बारे मे भी मैंने कुछ बताया । इस पर भाई राममूर्ति की ढायरी मे जो नोट है, वह इस प्रकार है :

“१. इस थाने मे और जिलेभर मे जिला समिति के द्वारा ग्रामराज-सम्मेलन हो ।”

२. गाँव-गाँव मे ग्रामोदय समितियाँ बने ।

जिन गाँवों मे अधिक विषमता हो, उन्हे अभी छोड दे । ऐसा गाँव ले, जहाँ सभी खेती आदि करते हो । विषमता के गाँवों मे अभी केवल प्रचार हो । हमारा अधिक काम सभवतः आदिवासी क्षेत्र में होगा ।

ग्रामोदय समिति का विचार फैलाये । कम-से-कम गाँव मे तीन आदमी निकले, जो ग्रामोदय के लिए उद्यत हों ।

गाँव उत्पादन के प्रति मन मे एक सेर अनाज दे । इतना होने पर ग्रामोदय समिति को मान्यता मिलेगी ।

ग्रामोदय समिति के सदस्यों को खादीग्राम मे एक महीने की ट्रेनिंग दी जाय । खर्च गाँव से मिले । कोशिश हो कि सदस्यों मे दो पढ़े-लिखे हो, ताकि शिक्षक का काम कर सके ।

कार्यक्रम—शोषण-निराकरण का काम (भूमि, वस्त्र, शिक्षा और न्याय) ।

नीति—चुनाव में नहीं लड़गे, लेकिन सर्वसम्मति से चुने जायें, तो आम करें।

चुनाव में पार्टी को नहीं, सज्जन को बोट दें। गॉवभर मिलकर तय कर ले कि बोट किसे दना है। पार्टी को गॉव में अखाटा न बनाने दे। चुनाव की बाते हम तभी कहेंगे, जब हमसे पृष्ठा जाय ।। अपनी तरफ से प्रचार नहीं करें। जो कार्यकर्ता गॉव में जायगा, वह अपनी जीविता के लिए अनुत्पादक-वर्ग से खलिहान नहीं लेगा, श्रमजाला, वर्मगोला आदि के लिए भले ही ले ले। हमें टिक्कना भी उत्पादक-वर्ग के ही घर में चाहिए। कार्यकर्ता उसी गॉव में निवास करेगा, जहाँ की ग्रामोदय समिति आग्रह करके उसे बुलायेगी, स्थायी बन्द्र का विचार अभी नहीं है।

एक धेत्र लेकर कार्यकर्ता उसमें फेले रहे। कभी-कभी मिलते रहे। इस तरह सत्या का स्वरूप तो हो, पर सीमा न हो। गॉव की जनता ही सत्या का सदस्य बने। हम अपना व्यान अभी दक्षिण सुगेर पर ढे। एक साथ बँधा क्षेन होना चाहिए। धेत्र व्यक्ति का न होकर विचार और आदोलन का हो।

सासाहिक श्रम का कार्यक्रम, आम प्रचार—खुनाथ भाई, रवीन्द्र मार्डु, कोई आर। हम वारी-वारी से अनुकूल धेत्र में रहें—कहीं देटे या

पदयात्रा करें साल में तीन महीने। अभ्यास में अफेले वात्कालिक कार्यक्रम जाना है, सपरिवार नहीं। वहने तेयार हो जा सकती हैं। एक महीना बाहर रहने पर कार्यकर्ता कुछ पायेगा नहीं, वह गॉव पर निर्भर रहेगा। उसकी अनुपस्थिति में बच्चे का पूरा सर्व ‘पूल’ होगा। पढ़ी के पास ३०) छोटकर वाकी सब ‘पूल’ में रख दिया जायगा। अगर ती चाहेगी, तो आज वी तरह ही रह सकेगी।

सन् १९५७ के पहले भी जो स्थायी रूप से जाना चाहेगा, जा सकेगा। उसका परिवार यहाँ रह जायगा। कोई अनुकूल धेत्र मिल जायगा और कार्यकर्ता की जल्लरत मालूम देगी, तो उसे यहाँ से छोटा जा सकेगा, भले

ही यहाँ के काम का कुछ नुकसान हो। स्त्री चाहे, तो वह भी जा सकेगी। बच्चे यहाँ 'पूल' मे रह जायेंगे।"

उन दिनों खादीग्राम के मित्रों को भी ऐसी अनुभूति हो रही थी, मानो उनकी प्रगति रुक रही है। वैसे तो प्रगति रुकी नहीं थी, श्रमशाला तथा उसके जरिये आसपास के देहातों मे व्यापक कार्यक्रम दिन-प्रति-दिन आगे ही बढ़ रहा था और उसके जरिये ग्राम-निर्माण कार्य के सिलसिले मे देहातों मे सामुदायिक जीवन भी धीरे-धीरे बन रहा था, फिर भी उन्हे लगता था कि आरोहण के पथ पर जैसे आगे की कड़ी दिखाई ही नहीं दे रही है। अतएव मैंने जब ऊपर की घोषणा की, तो खादीग्राम में अत्यन्त उत्साहवर्ढक वातावरण बन गया। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मानने लगा कि शायद ईश्वर खादीग्राम के साथियों से कुछ काम कराना चाहता है।

वैसे तो सन् १९५६ की शुरुआत ही खादीग्राम के लिए अत्यन्त उत्साहवर्ढक थी। सन् १९५४ मे चारों तरफ के विरोध एक तरह से समाप्त हो गये थे। १९५५ मे श्रम-भारती परिवार के आन्तरिक जीवन की साधना मे भी कुछ सफलता दिखाई दी। कृषि, गोपालन आदि सभी विभागों मे उत्साहवर्ढक प्रगति दिखाई दी। वेदखली आदि स्थानिक अन्याय के प्रतिकार के कार्यक्रम से जनता तथा नेताओं मे लोकप्रियता बढ़ी। फलस्वरूप दिसम्बर १९५५ मे खादीग्राम के वार्षिकोत्सव को विशिष्ट सफलता मिली।

१९५५ का सितम्बर मास मैंने कलकत्ता शहर के लिए दिया था। उस समय कलकत्ता के कॉलेजों मे तथा विभिन्न मुहल्लों मे मैंने सर्वोदय के

विचार का विवेचन किया था। तब विभिन्न दलों के छेवर भाई से नोजवान मेरे सम्पर्क मे आये थे। इससे बगाल मे अनुरोध विचार का काफी प्रचार हुआ। निरन्तर अखबारों मे रिपोर्ट डूपने के कारण विहार के विभिन्न पक्षों मे भी उसका असर हुआ। उन्हीं दिनों छेवर भाई कलकत्ता गये हुए थे।

‘मैं मोटर से गिर पड़ा’, यह सुनकर वे मुझे देखने आये। मैंने सहज ही उनसे पूछा कि क्या वे दिसम्बर में हमारे वापिकोत्सव की अव्यक्ता करने के लिए आ सकते हैं? मैंने उनसे इसलिए भी आग्रह किया कि मैं चाहता था कि खादीग्राम के उत्सवों में विभिन्न पक्षों के लोग सम्मिलित हो। सन् १९५४ का उत्सव दादा (आचार्य कृपालानी) की अध्यक्षता में हुआ था, तो मैं सोचता था कि इस बार ढेवर भाई अव्यक्ष हो, तो अच्छा रहेगा। ढेवर भाई तुरन्त मान गये और मैंने खादीग्राम लाटकर यह बात साथियों को बतायी।

अक्तूबर, नवम्बर का मेरा समय बाहर ही बीत गया। नवम्बर के अन्त में लोटकर मैंने सोचा कि इस बार का सम्मेलन आन्दोलन के अगले चरण के सन्दर्भ में ही आयोजित किया जाय। १९५४ में भूदान का विचार पुष्ट हुआ, १९५५ में उडीसा में जाकर ग्रामदान का दर्शन हुआ। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि ग्रामदान के कार्यक्रम के साथ साथ अगर हम अगले कदम का दर्शन नहीं करायेंगे, तो दुनिया हमारे काम का सही चित्र नहीं देख सकेगी—यह सोचकर मैंने वापिकोत्सव के अवसर पर ग्राम-स्वराज्य के विचार-प्रचार का श्रीगणेश वर्ष की बात सोची। पिछले साल खादीग्राम के आसपास पानी के सकट के कारण उस समन्वय के समाधान में जन शक्ति के उद्घोषन के लिए वापिकोत्सव को पानी-सम्मेलन का रूप दिया था। उसी प्रकार इस वर्ष अपने वापिकोत्सव को ग्रामराज-सम्मेलन का रूप देने का निर्णय किया। मैं चाहता था कि १९५६ में हम ग्रामराज या ग्राम स्वराज्य के विचार प्रचार पर ही अपनी शक्ति को केन्द्रित करें।

विहार का सारा काग्रेस समाज मेरा और खादीग्राम का कैसा विरोधी सभी दलों को निम्नांगना रहा, उसकी कहानी तुम लोगों को मालूम ही है। खादीग्राम के ग्रामराज-सम्मेलन के अवसर पर ढेवर भाई का अध्यक्ष होना मानो खादीग्राम के लिए आशीर्वाद ही था। मैंने इसे काग्रेस के मित्रों के विरोध को घटाने का

एक अवसर ही माना। इसलिए मैंने विहार के सभी मन्त्रियों तथा कांग्रेस अधिकारियों को स्वयं जाकर आमन्त्रित किया। दूसरे सभी पक्षों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को भी मैंने आमन्त्रित किया। सौभाग्य से सभी लोगों ने मेरा निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार किया।

काल अपना काम करता है। हर चीज का अपना अवसर तथा समय होता है। खादीग्राम की आन्तरिक साधना तथा आसपास की जनता की सेवा इतनी अधिक नहीं थी, जिसके द्वारा विहार के सभी पक्षों के नेताओं का स्नेह प्राप्त करने की योग्यता हासिल हो सकती। फिर भी यदि सब लोगों ने प्रेमपूर्वक हमारा आमन्त्रण स्वीकार किया, तो इसे काल की महिमा या जमने का चमत्कार ही कहा जायगा।

सम्मेलन मे फेवर भाई के साथ मुख्य मन्त्री श्रीवाच्च, अनुग्रह बाबू और सात अन्य मन्त्री, विहार-कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अनेक मुख्य

कार्यकर्ता, पी० एस० पी० के नेता, वहन सुचेता तथा हृदयस्पर्शी हृष्य प्रान्त के दूसरे नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भाई कार्यानन्द शर्मा तथा उनके अनेक मुख्य कार्यकर्ता जिस समय एक साथ एक ही प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे, तो वह एक अद्भुत ही दृश्य बन गया था। सामने तीस-चालीस हजार जनता उस दृश्य को निहार रही थी और उनमे से काफी लोग ऑसू भी वहाँ रहे थे। स्वतन्त्रता-आन्दोलन मे कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़नेवाले मित्र, जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् पृथक्-पृथक् हो गये थे, वे जब एक साथ एक प्लेटफार्म से जनता की भलाई के एक कार्यक्रम के समर्थन पर बोलते थे, तो सामने बैठे विजाल जन समुदाय का हृदय गद्दद हो उठता था।

आन्दोलन की लोकप्रियता से खादीग्राम के मित्र काफी उत्साहित थे। फेवर भाई, श्रीवाच्च तथा दूसरे सभी मित्र खादीग्राम के साम्ययोग-प्रयोग, वहाँ की खेती और गोपालन आदि कार्यों की सफलता को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए। फेवर भाई ने कहा : “जब धीरेन्द्र भाई ने मुझे खादीग्राम के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित होने का निमन्त्रण दिया,

तो मे समझता था कि वहाँ एक छोटा-सा आश्रम होगा, एक दुनियादी शाला होगी और आसपास के देहातों मे चरखा आदि के द्वारा कुछ ग्राम-सेवा होती होगी, लेकिन यहाँ आकर यहाँ के सामाजिक प्रयोग तथा इस पथर पर की गयी भातिक सफलता को देखकर मुझे अन्यत्त प्रसन्नता हुई।”

सम्मेलन के बाट जब मे श्रीवाच्च से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा : “धीरेन्द्र भाई, मैं यहाँ के बारे मे इधर उधर मे कई बातें सुनता था, लेकिन आपने यहाँ इतना काम कर लिया है, इसकी कलाना ही नहीं कर सकता था। आपने तो गजन का काम किया है।” मने मुझ्हे राते हुए उन्हे जवाब दिया कि “यह सब आप जैसे दुजुरों के आशीर्वाद से ही हुआ है।” इस प्रकार बाहर से जितने मित्र आये हुए थे, सभी ने यहाँ के काम की प्रशंसा की।

इस प्रकार खादीग्राम की १९७६ की जिन्दगी व्यापक शुभायामना तथा स्नेहाशीप से ही प्रारम्भ हुई थी। फिर उसी वर्ष जनवरी तथा फरवरी के महीने मैं मैंने जिलेभर मे ग्रामराज सम्मेलन का आयोजन कराकर बड़ी-बड़ी सभाओं मे उन विचार का प्रचार शुरू किया। इससे जिले मैं भी आनंदोलन के लिए अनुकूल बातावरण पेदा हुआ।

लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं मे कुछ जड़ता आने लगा। वे निल के कार्यक्रम के बेरे मैं कुछ गायूनी सी महसूस करते थे। मेरी समझ मे नहीं

आता था कि ऐसा क्यों है? क्या इस देश जा यह नेज़वानों मैं विशिष्ट चरित्र है? सुनियोजित, सर्वनात्मक क्रान्ति के निराशा आरोहण के लिए तो वर्षों की साधना की आवश्यकता है। दुनिया मैं क्रान्ति के इतिहास मे प्रान्तिकारी दे जिन चरित्रों का दिग्दर्शन हुआ है, इस देश मे उसका अभाव क्यों महसूस होता है? क्रान्तिकारी का धर्य तो मंडक के धर्य जैसा होता है। जाटे मे जन परिस्थिति अनुकूल नहीं होती, तो वह धर्य के माथ मरीजों गढ़ों मे बैठा रहता है, गर्मी मैं जब अनुकूल बातावरण मिलता है, तो लम्बी ढालोंने

भरकर आगे बढ़ता है। पर हमारे आन्दोलन में जब लगातार एकाग्रता के साथ रचनात्मक काम करने का अवसर आता है, तब इस देश के नौजवान धैर्य खो देते हैं। देश के तस्णी में जीवन-शक्ति और जीवन-तत्त्व का ऐसा अभाव देखकर मैं परेशान होता था। जोशीले कार्यक्रमवाले आक्सीजन का इन्जेक्शन देकर यदि क्रान्तिकारी की जान बचाये रखने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे वाहन पर सवार होकर क्रान्ति देवी कहों तक पहुँचेगी? मैं भारत के युवकों का यह हाल देखकर परेशान तो होता था, पर धैर्य नहीं खोता था। सोचता था कि देश में जो कुछ सामग्री है, उसीको लेकर तो हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे लिए खादीग्राम में आरोहण के लिए पर्याप्त सामग्री थी, फिर भी साथियों की भावनाओं के लिए कुछ खुराक खोजता था, वह सहज ही उपलब्ध भी हो गयी।

जिस दिन मैंने साथियों का आहान करके अपनी घोषणा सुनायी थी, उस समय की उनकी प्रसन्नता को देखकर मुझे हर्ष अवश्य हुआ

था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि ऐसा ही कार्यक्रम आहान का प्रसन्नता के लिए आवश्यक होता है, यह देखकर मुझे स्वागत कुछ चिन्ता भी अवश्य हुई। लेकिन हमारा राष्ट्रीय चरित्र ही ऐसा है, इसलिए अनुभव से इसमें भी सुधार होगा, ऐसा सोचकर निश्चिन्त हो गया ओर खादीग्राम के आन्तरिक प्रयोगों में एकाग्रता के साथ लग गया।

उन्हीं दिनों राष्ट्रीय शिक्षा के सन्दर्भ में मेरा जो विचार है, उसकी कुछ ऐतिहासिक कड़ी भी दिखाई देने लगी। मैं सोचता रहता था कि

“क्या ग्राम शाला का विचार अकस्मात् सूझा हुआ राष्ट्रीय शिक्षा का विचार है या मानव-प्रगति की आवश्यकता की एक क्रमविकास कड़ी मात्र है?”

मनुष्य की राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के साथ-साथ शिक्षा-पद्धति के प्रकार में भी परिवर्तन होता रहा है। केवल गुणात्मक

प्रगति की आवश्यकता-पृति के लिए ही नहीं, अपितु आकारात्मक आवश्यकता की पृति के लिए भी शिक्षा-संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। म सोचता रहता था कि अति प्राचीनकाल में भारत में, पश्चिमी एशिया में तथा यूरोप और अन्य देशों में शिक्षा-सम्प्ति का एक ही प्रकार गानी गुरुकुल का प्रकार चलता था। चाहे वह मानेस्ट्री हो, मक्तव हो और गुरुकुल या कृपिमुल हो—पद्धति सबकी समान होती थी। कोई गुम होता था, गृहस्थों के बच्चे वहाँ जाकर उसके साथ रहते थे और गुम-परिवार बनता था। एक परिवार के बच्चे होने के नाते वे सब आपस में एक-दूसरे को गुरु-भाई मानते थे। इस तरह दुनिया में अनेक गुरुकुल थे, जहाँ शिष्य दीर्घकाल तक रहकर स्नातक बनते थे पार किर गार्हस्थ्य-जीवन में प्रवेश करने के लिए जाते थे। ग्राम में समाज के बहुत योड़े लोगों को विद्याभ्यास की आवश्यकता थी, इसलिए गुरुकुलों के आकार ढोटे होते थे। धीरे-धीरे शिक्षा की चाह बढ़ने लगी और ऐसे गुरुकुलों का कलेवर भी बढ़ने लगा। एक नालन्दा में ही दस हजार विद्यार्थी छात्रावास में रहकर जानार्जन करते थे।

लेकिन धीरे-धीरे दुनिया से राजतंत्र का लोप होता गया, लोकतंत्र का युग आता गया, तो शिक्षा की मौग अत्यविक व्यापक होती गई।

फिर दस हजार शिष्योंवाले गुरुकुल भी निरापत्ति सार्वजनिक नाकाफी मावित होने लगे। ऐसी हालत में शिक्षा-पाठशाला-पद्धति संस्थाओं के स्वरूप में भी परिवर्तन होना आवश्यक था। फिर यह सुम्भव नहीं था कि तमाम बच्चे घर से अलग होकर गुरुकुलों में जाकर रहे। यह भी प्रब्लेम था कि इतने बच्चों के लिए आखिर कितने गुरुकुल खोले जायें। अत शिक्षा की व्यापक मौग ने सार्वजनिक पाठशाला-पद्धति का आविष्कार किया।

फिर जमाना बदला। समाजवाद का विचार फैला। प्रत्येक मनुष्य के लिए समान अवसर की मौग हुई और वह मौग दिन दिन बढ़ती गयी। समान अवसर की मौग तो हुई, लेकिन लोगों ने उसमा अर्थ

नहीं समझा। विचार भावना-उद्दीपक था, इसलिए मनुष्य का इस ओर आकर्षण होना स्वाभाविक था। लेकिन उसके लिए मनुष्य को जो कीमत देने की जरूरत है, उसके लिए वह तैयार नहीं। समाजशास्त्रियों ने समझा कि बालिग मताधिकार से समान अवसर प्राप्त हो जायगा। पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को बौद्धिक, सास्कृतिक, आर्थिक और नैतिक विकास के लिए समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक अवसर प्रदान की बात मौखिक सांव छोड़ी, बास्तविक नहीं। इसलिए यदि सासार मे प्रत्येक को समान अवसर देना है, तो शिक्षा-पद्धति के प्रकार तथा शिक्षा-स्थाओं के स्वरूप में ऐसा परिवर्तन करना होगा, जिससे प्रत्येक मनुष्य को उच्चतम विकास के लिए समान अवसर मिल सके। आखिर मानव का विकास शिक्षण-प्रक्रिया का ही विकास है न?

आज सारे सासार मे अनिवार्य शिक्षण की बात चलती है। अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि एक हद तक सबको शिक्षा दी जाय और उच्च शिक्षा की व्यवस्था कुछ लोगों के लिए ही की जाय। अनिवार्य शिक्षण दूसरे उन्नत देशों मे क्या होता है, मुझे मालूम नहीं। की ओर विटेंजों मे कही गया नहीं। पुस्तके पढ़ने का व्यसन नहीं, विभिन्न मित्रों से विभिन्न रिपोर्टें सुनने को मिलती है, पर वे कभी-कभी परस्पर-विरोधी भी होती हैं। इसलिए स्वभावतः मेरा चिन्तन भारत की भूमि पर ही होता है। इस देश मे सबको केवल प्राइमरी शिक्षा मिलने की व्यवस्था हो जाय, तो उसीको यहाँ के समाजशास्त्री समान अवसर मान लेगे। लेकिन यदि गहराई से देखा जाय, तो क्या आज की पाठशाला-पद्धति से इतना थोड़ा भी होना शक्य है? पहली बात यह है कि प्राइमरी पाठशालाओं मे पहुँचेगा कौन? जिसका बच्चा घर के काम-काज से तथा घर की अर्थ-योजना से सुक्त होगा, वही न? जिस देश मे स्त्री-पुरुष और बच्चों के मिलकर मेहनत करने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलता है, उस देश के बच्चों को दिनभर बैठाकर पढ़ाया कैसे जा सकता है? अतः आज के स्कूलों मे

पढ़ने के लिए उन्होंको अवसर मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो वन्धु को घर से खाली कर सकती है।

मैं बता चुका हूँ कि समान अवसर का अर्थ है, उच्चतम प्रगति लिए समान अवसर। शोडी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाए

कि भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि युग की आकांक्षा प्रत्येक वन्धु को घर से खाली किया जा सकता है, फिर

भी यह प्रश्न आयेगा कि किस उम्र तक उसे खाली किया जा सकता है? उच्चतम श्रेणी तक पहुँचने की योग्यता रखनेवाले सभी वन्धु के लिए क्या अल्प से शिक्षण-सम्भार सम्भव होगा? इन तमाम प्रश्नों पर मैं गहराई से विचार करता रहा, तो मैंने देखा कि समाजवाद के इस युग में, समान अवसर की भावना के दूसरे युग में 'सर्वजन हिताय' और 'सर्वजन सुखाय' की आकांक्षा के इस युग में वर्तमान सम्भाल गत शिक्षण पद्धति भी पुरानी हो गयी है। आज की मार्वजनिर्णय शिक्षण-पद्धति भी इस युग की आकांक्षा तथा आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हो रही है।

वस्तुतः आज से अफेला ही इस दिशा में सोचता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इधर कुछ वर्षों से ग्राम-विश्वविद्यालय की चर्चा काफी जोरों से हो

वर्तमान शिक्षा- रही है। आज देश की वर्तमान शिक्षा-पद्धति जिस

पद्धति तरह से देश के जवानों को निल्टेज तथा पुरुषार्थीन

बना रही है, उससे सभी वर्गों के नेता लोग चिन्तित हैं।

अप्रेज लोग विटिंग नौकरआही को मजबूत बनाय रखने के लिए इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे जिसकी शक्ति देशी हो, लेकिन दिल और दिमाग अंग्रेजी हो। इस

लक्ष्य की पृति के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की शिक्षा-पद्धति चलायी। स्पष्ट है कि अत्यन्त सफलता के साथ वे अपने लक्ष्य तक पहुँच गये। उनकी सफलता इतनी पूर्ण थी कि उनके चले जाने के दूसरा वर्ष साल बाद आज भी देश का शिक्षित वर्ग उसी प्रकार ने जन-जीवन में

अलिस, नौकरशाहीवाली मनोवृत्ति का ही बना हुआ है। इसीसे देश के राष्ट्रीय नेता शिक्षित वर्ग द्वारा सगठित सरकारी तथा की मार्फत राष्ट्र-विकास की चेष्टा में असफल हो रहे हैं, क्योंकि देश की जनता से समरस हुए बिना इस देहाती राष्ट्र की लोक-चेतना को जगाना ऐसे वर्ग के लिए सम्भव नहीं।

अतएव राष्ट्रीय नेता इस विषय शिक्षा-पद्धति के बढ़ले में ऐसी शिक्षा-पद्धति की खोज में है, जिसके फलस्वरूप देश के जवान सतेज और प्राणवान् बन सके। ऐसी शिक्षा-पद्धति की खोज के लिए वे समय-समय पर शिक्षा-कमीशनों की नियुक्ति करते रहते हैं। इन कमीशनों के सदस्य देश के अनेक विद्वान् तथा शिक्षा-विशारद देश की परिस्थिति का अध्ययन कर एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं। प्रायः सभी यह बात कहते हैं कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप चाहे जो हो, ग्रामीण जीवन से उसका ओतप्रोत रहना अनिवार्य है। कारण भारत सुख्यतः ग्रामीण राष्ट्र है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा हो कि स प्रकार १ गहराई से विचार करने पर अनिवार्य रूप से हर विचारक बापू की नयी तालीम की ओर आकर्षित होता है।

तर्क से विचार पुष्ट होता है, लेकिन आचार निखरता नहीं। आचार का स्रोत सस्कार है। जब बुद्धि और सस्कार का परस्पर विरोध होता है,

तो मनुष्य का व्यक्तित्व विभाजित हो जाता है। बुद्धि शिक्षा के विकल्प उसे तर्कशुद्ध परिणाम की ओर आकर्षित करती है की खोज और सस्कार उसे पुरातन रुढ़ि में फँसाये रखता है। फलस्वरूप जहाँ वह बुद्धि से कुछ आगे बढ़ता है, वहाँ सस्कार उसे पीछे घसीटता रहता है। परिणाम यह होता है कि वह एक ही स्थान पर स्थिर रह जाता है।

दुर्भाग्य से वर्तमान शिक्षा के विकल्प की खोज ऐसे ही विद्वान् करते हैं, जो इसी विषय शिक्षा की उपज है। ग्रामीण जीवन से वे केवल अलिस ही नहीं, सुदूर भी हैं। यही कारण है कि वे बुद्धि से बापू की

नयी तालीम की प्रशंसा करते हैं, उसके विचार को मानते हैं, उसके ग्रामीय पहलुओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब उसे अपनाने लगते हैं, तो प्रकार में आमल परिवर्तन कर दाते हैं। बाटविल में लिखा है कि भगवान् ने मनुष्य को अपनी ही शक्ति में बनाया, क्योंकि उसकी आकृति अपनी सृष्टि को अपने ही अनुरूप बनाने की रहती है। अब ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया है, तो नि मन्देह मनुष्य की आकृति ईश्वर की आकृति से भिन्न नहीं होगी। अतएव यह स्वाभाविक है कि मनुष्य भी अपनी सन्तान को अपने ही अनुरूप बनाये। इसलिए वर्तमान शिक्षा-पद्धति की उपज विद्वान् स्वभावत जब नयी तालीम के माध्यम से अपनी सन्तान के जीवन को बनाना चाहते हैं, तो वे उसे अपने ही अनुरूप देखना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आवश्यकता के मध्यम में विचार करने पर जब वे नयी तालीम को मान्य कर उसे अपनाते हैं, तो उसके प्रकार में इतना फर्क कर देते हैं, जिसमें इस तालीम को उपज सन्तान भी उनके अनुरूप बन सके।

यही कारण है कि राष्ट्रीय सरकार और नेता नयी तालीम और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रकार तो मानते हैं, पर उस तालीम से उन्हें मन्तोप नहीं होता। रह-रहकर वे यह मानने लगते हैं कि नयी

शिक्षा भी तालीम से पुरानी तालीम ही अच्छी है, क्योंकि नयी नशंकित स्थिति तालीम के नाम से वे जिस तालीम को अपनाते हैं, उसकी उपज को वे पुरानी तालीम जी उपज से घटिया देखते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। वह घटिया होगा ही, क्योंकि लोग नयी तालीम से निकले ल्यातों को पुरानी तालीम में न्यातों के समान ही देखना चाहते हैं आर आयोजनपूर्वक नयी तालीम में त्यक्ति को उसके अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। फलत्वन्प वे बापु की नयी तालीम का स्वधर्म छोड़ देते हैं और पुरानी तालीम के स्वधर्म की पृष्ठभूमि पर नयी तालीम को खड़ा करना चाहते हैं। उसका परिणाम ऐसा होगा ही।

इस प्रकार देश के शिक्षागास्त्रियों तथा नेताओं को आज पुरानी तालीम के नतीजों से बेचैनी है, लेकिन नयी तालीम से भी समाधान नहीं है। ऐसी सशक्ति स्थिति में आज की शिक्षा पड़ी हुई है। स्वभावतः जब लोग वह देखते हैं कि शिक्षित वर्ग को ग्राम्य-जीवन से ओत-प्रोत किये बिना राष्ट्र की प्रगति असम्भव है, तो उनके दिल में ग्राम-विश्वविद्यालय की कल्पना का आविर्भाव होना स्वाभाविक ही है।

ग्राम-विश्वविद्यालय की चाह बढ़ रही है, लेकिन वह हो कैसे? अपनी सन्तान को अपने जैसा ही बनाने की सनातन आकाश शिक्षित

जनों के स्वस्कार में बद्धमूल है। ग्राम-विश्वविद्यालय की ग्राम-विश्वविद्या-रूपरेखा सोचने में भी वे वही भूल करते हैं, जो भूल लय की ओर वे बापू की नयी तालीम के विचार के अनुसार बुनियादी शिक्षा को चलाने में करते हैं। नतीजा यह

होता है कि ग्राम-विश्वविद्यालय बनने के बाद वह ग्राम-विश्वविद्यालय न होकर गाँव में एक विश्वविद्यालय का रूप ले लेता है और ग्रामीण भूमि में पुरानी मनोवृत्ति का ही निर्माण हो जाता है। इसे देखकर भी विकल्प के अन्वेषकों को समाधान नहीं होता है। समाधान चाहे न हो, फिर भी आज देश का चिन्तन उसी दिशा में है, जिस दिशा में सणोसरा-सम्मेलन के बाद मैं जोरों से विचार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि ग्रामशाला या ग्राम-भारती का विचार कोई मेरे अकेले का नहीं है। देश के सभी विचारशील व्यक्ति इस बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे चिन्तन की दृष्टि और दिशा उनकी दृष्टि और दिशा से सम्पूर्ण भिन्न है, यह तो तुम देख ही सकती हो।

इस प्रकार अपने साधियों को गाँव के सहारे गाँव के ही नागरिक बनकर उनमें विलीन होने की जो घोषणा की, उसके पीछे केवल आन्दोलन के अगले चरण का ही विचार नहीं था, नयी तालीम का भविष्य-चिन्तन भी था। वस्तुतः मेरे दिमाग में आन्दोलन की प्रगति और नयी तालीम का विस्तार कभी दो चीज नहीं रहे हैं। इसलिए अगर मैं कहूँ कि साधियों को

गॉव-गॉव में विलीन करने की घोषणा कुछ मेरे दिमाग की उपज नहीं थी, त्रिलिङ्ग आन्दोलन की सहज कटी मात्र थी, तो गलत नहीं होगा। ऐसे यह कठम दस साल पहले ही उठाना चाहिए था, जब वापु ने चरखा-सघ के सामने नया विचार रखा थार कहा था कि सध को सात लाख गॉवों में विभक्त हो जाना हे और कार्यकर्ताओं को स्वावलम्बी बनकर जन-जन में विलीन हो जाना है।

००७

क्रान्ति-यात्रा का निर्णय

: ३० :

श्रमभारती, खादीग्राम

१८-१२-५८

एक ओर से इन वातों पर विचार चल रहा था कि हम सब गोव में फैल जायें, ग्राम स्वराज्य के विचार जनता में फैलायें, इसके लिए रचनात्मक पुरुषार्थ की प्रेरणा जगायें और जहाँ तक सभव हो, गठनमूलक कार्यक्रमों का सगठन किया जाय और दूसरी ओर से ऐसा प्रयत्न चल रहा था कि श्रमशाला के माध्यम से आसपास के देहातों में प्रवेश कर उनमें श्रमदान तथा ग्राम-स्वराज्य का विचार जगाया जाय। उनमें सामुदायिक पुरुषार्थ जगाने के लिए बौध बौधने के कार्यक्रम चलाने का विवरण पहले लिख चुका हूँ। किस तरह बच्चों की मार्फत किसानों की खेती-बारी में सुधार करने की योजना बनाने की कोशिश कर रहा था, वह भी लिख चुका हूँ। अब शनैः-ग्रनैः आसपास ग्रामशाला का कार्यक्रम कैसे शुरू किया जाय, इसकी चर्चा चली। कौन शुरू करे, कहाँ से शुरू हो, बालबाढ़ी के बाद शिशु-विहार या बुनियादी शाला हो इत्यादि प्रश्नों पर प्रायः चर्चा होती रहती थी। इसी बीच १९५६ के अन्त में सभी प्रान्तों के प्रमुख कार्यकर्ताओं का खादीग्राम में एक गिविर आयोजित किया गया था। उसमें कार्यकर्ताओं के अलावा सर्वोदय-विचार का आकर्षण रखनेवाले कुछ नये तरुणों को भी आमन्त्रित किया गया था। चर्चा का विषय यह था कि १९५७ में क्रान्ति की तीव्रता कैसे पैदा की जाय। चर्चा का सार यह रहा कि सन् १९५७ में सर्वोदय-विचार के अनुसार रचनात्मक कार्यकर्ता अपने सामान्य काम को कुछ स्थगित करके देशभर में पद-यात्रा करे। विनोबाजी ने तो आज की परिस्थिति में क्रान्ति यात्रा को ही नयी तालीम के लिए तात्कालिक प्रक्रिया माना है।

इस गिविर में जयप्रकाश बाबू ने तर्फों का आहान करते हुए कहा था कि कम-से-कम सालभर के लिए वे अपनी पढ़ाई त्यगित करके क्रान्ति के लिए आगे बढ़ें।

हमारे तरुण साथी भाई नारायण देसाई और विमला वहन आदि तो दो तीन दिन लगातार खादीग्राम के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों को इस बात के लिए उकसाते रहे कि वे अवश्य ही क्रान्ति-यात्रा में आमिल हों। उन्हें भय था कि सत्य के अन्तर्गत होने के कारण वे शायद इस दिग्गज में सोच न सकें।

गिविर समिति के बाद नारायण भाई, नवबाबू, दादा धर्माविनारी, विमला वहन और दो एक नोजवान एक दिन के लिए खादीग्राम मरुक गये थे। उस दिन भी उन्होंने यहाँ के साथियों क्रान्तिकारी कौन? को उकसाने की कोशिश की। ग्राम को भाई नारायण मुझसे पृछने आये कि वाप लोग मरुता म बढ़े रहेंगे? क्रान्ति में आमिल नहीं होगे? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी यह धारणा गलत है कि सत्य में बैठकर काम बरने से क्राति नहीं होती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या झण्डा फहरानेवाला ही नाति करता है, झण्डा सीनेवाला नहीं? मुझे याद था कि त्वतन्त्रता नग्राम के दिनों में झण्डा सीनेवालों की भी गिरफ्तारी होती थी। गालम नहीं कि नारायणभाई को इसकी जानकारी थी या नहीं। फिर मैंने विनोद में कहा कि “पुराने जमाने में लोग मानते थे कि सिर काटने से ही नाति होती है। इस गाधी युग में लोगों ने दृतना तो समझ लिया है कि यिन सिर काटे भी क्राति हो सकती है। लेकिन गाधी-युग में भी दिनोंवा वी बदौलत अप तुम लोग दूसरी बात मानने लगे हो, वह यह कि गिर काटने से तो नहीं, लेकिन चक्कर काटने से ही क्राति होती है।” मैंने जोर से कहा कि “यह सब तुम लोगों का बहम है। हम लोग खादीग्राम में बैठकर बहुत बड़ी क्राति कर रहे हैं।” काफी देर तक यह चर्चा चलती रही।

मैं नारायण भाई से तो इस प्रकार की बाते कर रहा था, लेकिन मेरे मन से कुछ दूसरी ही चीज चल रही थी। जिस समय जयप्रकाश बाबू ने शिक्षण-संस्थाओं को आहान किया था कि वे अपना विचार-मन्थन कार्यक्रम स्थगित करके क्राति-यात्रा में जामिल हो, उसी समय मेरे मन में यह विचार उठा कि अगर जयप्रकाश बाबू ने आहान किया, तो सर्व-सेवा-सघ की ओर से ही यह आहान है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसी हालत में सर्व-सेवा-सघ की शिक्षण-संस्था, अपना नियमित कार्यक्रम चलाती रहे और बाहर के लोगों का आहान करती रहे, यह शोभनीय नहीं है। इसलिए सबसे पहला कदम श्रम-भारती को ही उठाना चाहिए, नहीं तो जयप्रकाशजी की वाणी में तेज नहीं आयेगा। ऐसा विचार कर सोचने लगा था कि इसका स्वरूप कैसा हो? शिक्षक और बड़े बच्चे निकल सकते हैं और शायद कुछ कार्यकर्ता भी निकल सकेंगे। लेकिन उतने मात्र से क्या ऐसा कोई असर हो सकेगा, जिसमें आन्दोलन को बेग मिले। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कुछ हो सकेगा। एकाएक एक विचार आया। मैंने सोचा कि २ अक्टूबर १९५७ से साथियों को बाहर निकलना है, ऐसी बात कह ही चुका हूँ, तो वह तारीख अगर पहली जनवरी ही हो जाय, तो क्या अन्तर पड़नेवाला है? बल्कि पहले के निश्चय के अनुसार केवल श्रम-भारती के ही लोग निकलें, तो वे देश में अकेले पड़ जायेंगे। इस समय आन्दोलन की ओर से पूरे देश का आहान है, तो हमारे साथियों को भी विशेष प्रेरणा मिलेगी और बड़े निर्णय का अग होने के नाते उन्हें वल भी मिलेगा। आन्दोलन के मान्य नेताओं के आहान पर यह कदम उठाने के कारण इसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा।

इतना सोचकर मैंने करीब करीब निश्चय ही कर लिया था कि साथियों से कहूँ कि वे सब सपरिवार सालभर तक जिलेभर की पद्यात्रा करें। लेकिन हमेशा की आदत के कारण मैं जल्दवाजी में नहीं था। उसके लिए हर पहलू पर विचार कर रहा था। सब निकल जायेंगे, तो

खादीग्राम का क्या होगा ? कुछ पहरेदारों का प्रवन्ध करके बन्द रखा जाय, तो गाय वैलों का क्या होगा, जो लोग वाहर साइमर पड़यात्रा जायेंगे, उनके परिवार आयद पूरे साल तक नहीं घम का विचार सकेंगे, तो उनका क्या प्रवन्ध होगा उत्थादि वातों पर विचार करता रहा । अन्त में उही निष्चय किया कि घोपणा कर ही दी जाय, क्रान्ति के थारोहण में कभी-कभी ऐसा भी समय आता है, जब उतनी वातों पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता ।

वस्तुत नारायण भाई से ढलील करने के पूर्व ही म करीब-करीब निर्णय कर चुका था । इसलिए उनकी वहस के आखिर में मने कहा कि “यह सही है कि तुम लोग तरुण हो और क्रान्तिकारी हो, लेकिन इतना निश्चित रूप से जान लेना कि मे तुम लोगों से कम क्रान्तिकारी नहीं हूँ और आयद तुम लोग मेरे कटम से कदम भी नहीं मिला सकोगे ।” यह सब वातें मैं विनोद में ही कर रहा था । दूसरे दिन सबेरे प्रार्थना के बाद ही मने अपनी वात कह सुनायी ।

प्रार्थना-प्रवचन के समय नारायण भाई आदि भी उपस्थित थे । आयद वे यहाँ भी कुछ प्रश्न पूछनेवाले थे, लेकिन मेरी घोपणा सुनने की आयद किसीकी तैयारी नहीं थी, इसलिए फिर प्रार्थना-प्रवचन में कोई प्रश्न नहीं उठा । वे वैसे ही काफी उत्थाहित हो गये घोपणा थे । दादा और विमला वहन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, बाद में बोले कि “आपने यह ठीक नहीं किया ।”

विनोवा या जयप्रकाश बाबू जिन मस्थाओं के लोगों को निकालने के लिए कहते हैं, उनकी भृमिका सादीग्राम की भृमिका मे थलग है । यहाँ आप लोग जिस तरह के सहकारा का निर्माण कर रहे हैं, वे इस आन्दोलन के लिए आवश्यक प्रेरणादायी तथा पथ-प्रदर्शक हैं । उन्होंने आर भी कहा कि इस तरह आपका यह बना-बनाया Base (आधार) विवर जापगा, फिर आप इसको पुन समर्पित नहीं कर सकेंगे । लेकिन मने वहा कि आन्दोलन के लिए तो यह आवश्यक ही है । दादा को ही नहीं, आर

भी कई लोगों को ऐसा लगता था कि यह कदम ठीक नहीं हुआ। लेकिन भाई सिद्धराज और सर्व-सेवा-सघ के अन्य काफी लोग काफी उत्साहित थे।

सुबह मैंने अपने साथियों से कहा कि “उन्होंने जयप्रकाश बाबू का आहान सुना है। आन्दोलन की गतिविधि को बराबर ध्यान में रखा है। विनोबाजी के भाषण भी सुने हैं। देश में सन् १९५७ एक विशेष स्थान रखता है, इसलिए जनता भी '५७ की विशेष आवाजा रखती है। श्रम-भारती-परिवार ने सर्वोदय-ससार में कुछ विशिष्ट आवाजों का निर्माण किया है। गिरते-पड़ते भी उन्होंने श्रम और समय का कुछ नमूना पेश किया है। अभी दो-एक दिन से नारायण भाई, विमला वहन आदि आप लोगों से इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपसे उनकी कुछ अपेक्षाएँ हैं। विनोबाजी ने सन् '५७ का साल प्रचार के लिए विशिष्ट साल माना है। आज कार्यकर्ताओं में आशा और उत्साह है। ऐसे समय में श्रम-भारती-परिवार के सब लोग सालभर तक क्रान्ति-यात्रा करे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सब भाई लोग जायें, वहने भी उनके साथ जायें और सम्भव हो, तो बच्चों को भी साथ रखे। वहनों और बच्चों में से जो साथ नहीं जा सकेंगे, वे सब मेरे पास रहेंगे। वैसे तो मैं पहले ही कह चुका था कि आप लोगों को २ अक्तूबर से गाँव में जाकर बसना है, लेकिन उस समय की योजना में और आज के निकलने में अन्तर है। वह योजना खादीग्राम के कार्यक्रम को गाँव-गाँव में विलीन करने की योजना थी, लेकिन यह यात्रा जिलेभर में फैलकर क्रान्ति की प्रेरणा देने की यात्रा होगी।”

मैंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक देखा कि श्रमभारती-परिवार के सभी भाई-बहनों ने मेरे निर्णय को उत्साह के साथ स्वीकार किया। बड़े बच्चे

भी उत्साहित थे, लेकिन प्रश्न यह था कि पद-यात्रा साथियों को का सगठन किस तरह किया जाय, उसकी पूर्व तैयारी निर्णय स्वीकार कैसे हो? हमने वही तय किया था कि मुँगेर जिले के अन्तर्गत ही सघन-यात्रा की जाय। पूर्व तैयारी के लिए दो महीने का समय रखा, जिससे छब्बीस वर्ष का वार्षिकोत्सव २६

जनवरी के दिन यात्रा के प्रथम पडाव पर ही मनाया जाय। यह योजना सोचकर भाईं पचदेव तिवारी के साथ दो-एक कार्यक्रम तथा उत्तर-नुनियादी के छात्रों को पूर्व तैयारी के लिए भेज दिया गया। विचार पर या कि पूर्व तैयारी के सिलसिले में किधर से यात्रा का प्रारम्भ किया जाय, जिसमें स्थानीय लोगों को अधिक-से-अधिक मायले सके, इसकी भी जॉच कर ले। पूर्व तैयारी की टोली को रखाना करके मैंने मुंगेर जिले के निवेदक भाईं रामनारायणजी को बुलाया। रामनारायण वावू तथा जमुना वावू खादीग्राम के मित्र ही नहीं, वल्कि जिले में हमारा एक बहुत बड़ा सहारा है। यह खबर सुनकर वे अत्यन्त उत्साह के साथ खादी-ग्राम पहुँचे और मुझसे आकर उन्होंने पहली बात यही पूछी कि “आपने अचानक यह क्या निर्णय कर लिया?” मैंने उन्हें आन्दोलन की स्थिति समझायी और कहा कि आन्दोलन के भविष्य के लिए यह आवश्यक है।

रामनारायण वावू के साथ हम लोगों ने काफी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत क्रान्तिकारी तथा आन्दोलन को आगे ले जानेवाला तो अवश्य है, परन्तु खादीग्राम भी बन्द न होकर इसी-न-किसी रूप में चलता रहना चाहिए, क्योंकि इसका भी देश पर बड़ा असर है। वैसे तो खादीग्राम की गिरधर-प्रवृत्ति के अतिरिक्त सारे काम किसी-न-किसी रूप में चलाने के लिए तीन-चार साथियों की नहीं जाना है, यह मैंने पहले ही दिन कह दिया था, लेकिन इतने से ऐसा नहीं ठिकाई देता कि खादीग्राम चल रहा है। फिर भी उतने पैमाने पर अगर चलता रहता है, तो पट-यात्रा के लिए यह एक छोटा आधार जल्द बनता है। मैंने रामनारायण वावू को यही बताया, इससे उन्हें सन्तोष हुआ।

इवर कई महीनों से सर्व-सेवा-सघ के मुख्य दफ्तर नी हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। अण्णासाहव को कोरापुट में बैठाना पड़ा। भाईं सिद्धराज वीमारी तथा प्रान्तों में टोरो के कारण दफ्तर में रह नहीं पाते थे, वल्लभस्वामी को भी दक्षिण में विनोदाजी की मदद के लिए भेजना पड़ा था। केवल दफ्तर मन्त्री भाईं कृष्णराज वहाँ रह गये थे। दफ्तर

के कार्यकर्ताओं में विचार-निष्ठा कम थी। जीवन में भी कोई अनुशासन नहीं था। कृष्णराज भाई को भी कभी-कभी गैरहाजिर सुख्य दफ्तर रहना पड़ता था, क्योंकि विनोबाजी ने उन्हे बिहार के खादीग्राम में काम में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस तरह कुल मिलाकर दफ्तर बड़ी ही शोचनीय दशा में था।

विचार-निष्ठा की कमी से कार्यकर्ताओं में गाम्भीर्य का अभाव था। भाईचारे का विचार जब आदर्श से अलग होता है, तो उसका सहज परिणाम जो होना चाहिए, वह हुआ—यानी दफ्तर के बातावरण में अनुशासन-हीनता का आधिक्य रहा। इस स्थिति को देखकर मैं चिन्तित रहता था। सर्व-सेवा-सघ की साधारण सभाओं तथा प्रबन्ध समिति की बैठकों में हर बार यह कहता था कि अगर आन्दोलन को ठीक से चलाना है, तो यह आवश्यक है कि प्रान्तों के मुख्य कार्यकर्ता प्रान्त का कार्य-भार दूसरों को सौंपकर अखिल भारतीय केन्द्र को मजबूत करें। लेकिन विनोबाजी और जयप्रकाश बाबू से लेकर सभी साथी इसे ठीक नहीं मानते थे। इसलिए मैं इस विचार में अकेला ही पड़ जाता था। आज भी मेरी दृष्टि वही है कि प्रान्तों के मुख्य कार्यकर्ताओं को यह नहीं समझना चाहिए कि उनके दूसरे साथी कार्यभार को ठीक से नहीं चला सकेंगे और यदि कुछ खतरा मालूम होता हो, तब भी उन पर ही काम छोड़कर अखिल भारतीय टीम बनानी चाहिए। विशेषतः तन्त्र-मुक्ति के सम्बन्ध में यह अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो केन्द्र की ओर से जोरदार प्रेरणा के अभाव में नीचे के कार्यकर्ताओं में निराग फैलेंगी। साथ साथ दूसरे नये तरुण कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ेंगे। नतीजा यह होगा कि कार्यकर्ताओं का प्रवाह रुक जाने से आन्दोलन का प्रवाह भी कुठित हो जायगा। अभी पिछले सप्ताह सोखोदेवरा में जयप्रकाशजी के साथ देश के सभी मुख्य कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर चर्चा की थी। वहाँ भी मैंने इसी बात पर जोर दिया था। यद्यपि सभी लोग यह मानते थे कि अगर लोग बीच-बीच में मिलते रहे, तो काफी होगा, फिर भी मेरा विचार भिन्न था। मैं

इसी बात पर जोर देता था कि सब लोग एक साथ रहे। इवर-उधर के प्रयोग हम लोग, जो कुछ पुराने हो गये हैं, करते रहे और दूसरी आयु के लोग साथ मिलकर एक परिवार या टीम बनाये। टीम बनाने के लिए सह-चिन्तन और सह सम्बाद मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके लिए दीर्घ सहवास की आवश्यकता है, इस बात पर भी मैं जोर देता रहा।

इस प्रकार का विचार निरन्तर प्रकट करते रहने के बावजूद मायद अन्त तक अकेला ही रहा। इसी कारण प्रधान केन्द्र की दुर्दशा को देखकर भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था।

अम भारती-परिवार के बाहर निकलने से खादीग्राम के बहुत से 'निवास' खाली हो गये थे। मने सोचा कि अगर दफ्तर खादीग्राम में लाऊँ और अपनी ही देखरेख में चलाऊँ, तो सम्भवत बातावरण कुछ सुधर जाय। खादीग्राम की प्रवृत्तियाँ के साथ जुटे रहने से दफ्तर के कार्यकर्ताओं की दृष्टि व्यापक होगी आर विचार में पुष्टि आयेगी, ऐसी सम्भावना थी। अम और साम्य के बातावरण से भी उनको लाभ होगा, यह भी व्यान में आया। यह समझकर मने साधियों को बाहर भेजने से पहले ही दफ्तर को गया से खादीग्राम छुला लिया। खादीग्राम में दफ्तर लाने से उनके कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ। कार्यक्रम में अम दायित हुआ और देहाती बातावरण के प्रभाव से उनके मानस का भी कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ। लेकिन यहाँ का जीवन उनमें से बहुतों को पसन्द नहीं था, इसलिए चार-पाँच साधियों को छोड़कर शेष सभी चले गये। फिर उतने ही कार्यकर्ताओं को लेकर तथा खादीग्राम के बचे हुए साधियों को लेकर मैंने किसी तरह दफ्तर का काम जारी रखा।

इस प्रकार खादीग्राम के इतिहास का प्रथम अन्याय रामात् हुआ।

ठितीय अध्याय

ललसटिया का ग्रामदान

: १ :

श्रमभारती, रादीग्राम
१०-३०-३०८

प्रिय आज्ञा वहन,

श्रम-गाला के माव्यम से आसपास के देहातों से जो मर्यकं बढ़ा था उसका उड्डेख में कर चुका हूँ। गाँव में छोटे-मोटे वॉव में ही सही, जन सामूहिक पुरुषार्थ का श्रीगणेश हुआ, तो उन्हें आत्म-प्रत्यय जो कुछ भान होने लगा। वच्चों की मार्फत उनके परिवारों में परन्पर सद्योग की भावना भी बढ़ने लगी। लकड़ा गाँव में एक लड़के का गेत घर पर आत्मशक्ति के अभाव के कारण कई साल से आवाद नहीं हो सका था, लेकिन इस साल सब वच्चों ने मिलकर उसका रेत आवाद कर दिया। वज्ञा के साथ द्विक्षक भी आमिल थे। इन तमाम कारणों से लोगों में अच्छी जाग्रत्ति हुई। अब तक यद्यपि हमारा व्यवहार वहाँ के मजदूरों के साथ भाईचारे का था, फिर भी उन्हें यह प्रत्यय नहीं या कि हम लोग उनकी वानविक सेवा के लिए आये हुए हैं। आम तोर पर जो वटी-चटी गिरण-खत्यार्द बनती हैं, हमारी सस्था भी कुछ वेसी ही सस्था है, ऐसा वे मानते थे। लेकिन इस प्रकार गाँव के लोगों के साथ मुल मिलकर उनके ही काम में साथ देने से उनकी भावनाओं में कुछ परिवर्तन होने लगा। कई गाँवों में गाँवभर के लोग रात को बेटक करने लगे आर गाँव की उम्रति जी बातें सोचने लगे। इन बेटकों में वे हम लोगों ने भी न्योता देने लगे। चच्चाँ के दांसान में ग्रामदान की चर्चा भी होती थी।

रादीग्राम से चार मील की दूरी पर वेला पहाड़ की तराई पर जगले के बीच सथानों की कई बत्तियाँ हैं। उनमें बदरांठ नामका एक छोटा-सा गाँव है। उस गाँव के लड़के और लड़कियाँ याकी तादाट में

श्रमशाला में पढ़ने आते थे। इस कारण खादीग्राम के भाई-बहनों का बदरौठ में आना-जाना काफी रहता था। बदरौठ में बदरौठ का पानी जमा करने की अच्छी गुजाइश थी, लेकिन बॉध ग्रामदान के अभाव के कारण वे लोग लाचार रहते थे। हम लोगों ने वहाँ सामूहिक श्रम से बॉध बॉधने की योजना बनायी। खादीग्राम के नियमित कार्यक्रम के अनुसार हर शुक्रवार को हम स्त्री, पुरुष और बच्चे नियमपूर्वक उसे बॉधते थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे बॉध ऊँचा होता गया, वैसे-वैसे गाँव के निवासियों का उल्लास बढ़ता गया तथा सामूहिक शक्ति का भान होता गया। सथाल होने के कारण उनकी श्रम-शक्ति अद्भुत है। आधुनिक सभ्यता के आक्रमण के बावजूद उनमें सहकार-वृत्ति मौजूद है। इसलिए हम लोगों के चले आने के बाद भी वे मिलकर बॉध बॉधा करते थे। यहाँ के भाई-बहन कभी कभी रात को भी टिक जाते थे और उन लोगों से चर्चा किया करते थे। मिलकर काम करने पर उनकी तरक्की हो सकती है, इसका दर्शन भी उन्हे मिल चुका था। इन तमाम भावनाओं के साथ हम लोग ग्रामदान का विचार भी बनाया करते थे। आखिर हमारे साथियों ने उनसे ग्रामदान-पत्र भरवा ही लिया।

ग्रामदान-पत्र भरने के दूसरे दिन वे मेरे पास आये और बड़ी खुशी के साथ ग्रामदान होने की खबर मुझे सुनायी। ग्रामदान की खबर सुन-कर मुझे खुशी हुई। लेकिन मैंने कहा कि “तुम लोगों ने जल्दी की, विचार खूब पक जाता, तब दान पत्र भरवाते, तो ठीक होता।” लेकिन साथियों में उमग थी, इसलिए मैंने उन्हे रोका नहीं। कारण, वे कहने लगे थे कि “हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है, वे अत्यन्त दृढ़ हैं।”

बदरौठ के ग्रामदान की खबर विजली के समान चारों ओर फैल गयी। यह स्थान अत्यन्त प्रतिक्रियावादी इलाका है। इन लोगों ने खादीग्राम में हमे जमने न देने के लिए जो सगठित चेष्टा की थी, उसका

विवरण में तुम्हे लिख ही चुका हूँ। बदरौट के ग्रामदान वी स्वप्न में आमपास के बड़े भूमिवान, महालन और सरकारी प्रतिक्रियावादियों कर्मचारी—सबके कान चढ़े टो गये। वे समाजे नगे की चेष्टा कि यदि आदिवासियों में ग्रामदान की हवा वह गयी तो आज तक जिस तरह उनका शोषण हो रहा है, वह सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए चारों तरफ से सब लोग इसी नीतिग्रन्थ में लगे कि वे ग्रामदान वापस ले ले। उन्हें बदकाने के लिए उन्होंने अग्ने अनुग्रहीत आदिवासियों को ही इस्तेमाल करना शुरू किया। वे वहाँ जाते थे और उनसे नाना प्रकार की गप करते थे। कुछ फुरलाते थे, कुछ घमकाते थे। कहते थे कि तुमने विनोद के नाम दान-पत्र लिखकर अपनी डॅगली कटा ली। अब सादीग्रामवाले तुम्हारी सब जमीन पर अपना दखल कर लगे। कोई उनसे कहता था कि सादीग्रामवाले तुम लोगों को ईसाई बना देंगे। सादीग्राम में अन्तर्जातीय और अन्तर्प्रान्तीय विवाह होते हैं, उसकी भी चर्चा इस धेन में काफी थी। उस चर्चा से मेल मिलाकर लोग उनसे यह भी कहते थे कि सादीग्रामवाले तुम्हारी लटकियों को ले जायेंगे और आदी कर देंगे। कुछ लोग यह भी कहते थे कि तुम्हारे गोंव में जो वॉध वॉध रहा है, उसके लिए इन्हे सरकार से बहुत-सा रुपया मिला है, लेकिन वे तुमसे मुफ्त में काम करा लेते हैं। ग्रामदान ठहर न सके, इसके लिए सरकारी कर्मचारी भी भरपूर नीतिग्रन्थ करते थे। सास तोर से विकास-प्रोजेक्शन के लोग। बदराठवाले यह तप कर चुके थे कि श्रम दान से कुँआ सोडेंगे, उन्होंने सोटना शुरू भी कर दिया था। श्रम शाला के छात्रों को डैट पायना भी भित्ताना गया थोर ने कुँआ वॉधने के लिए वहाँ से बाल टोकर ले जाते थे आर वपने गाँव में ईंट पाथरते थे। हमारे पास भू-दान समिति जा जोयला रखा हुआ था, उसमें से कोयला देने की भी वात कही गयी थी। लोगों ने उन्हें समझाया कि वे बैकार मेहनत कर रहे हैं। बगाल डेवलपमेंट अफसर वैसे ही कुँआ बनवा देगा। एकाव कुएं की नींवति भी ढे दी गयी।

लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद बदरौठवाले काफी दृढ़ रहे। आखिर मेरे सबने मिलकर विरादरीवालों पर जोर डाला कि वे ग्रामदान वापस कर लें। अन्त में वे सफल हो गये। हम लोगों ने भी उनके कहने पर दान-पत्र वापस कर दिया।

बदरौठ का ग्रामदान-पत्र तो वापस हुआ, लेकिन उस ग्रामदान को लेकर इस इलाके में इतनी चर्चा हुई कि क्षेत्र-भर में ग्रामदान का विचार काफी आगे बढ़ा। अब तक हम लोग थोड़ी-बहुत विरोध का सुफल चर्चा कर लेते थे, लेकिन बदरौठ के ग्रामदान के विरोध में जो आनंदोलन खड़ा हुआ, उससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ी और वे अधिक दिलचस्पी के साथ इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ करने लगे। अब वे समझने लगे थे कि ग्राम-दान बैबल हवाई बात नहीं है, वह साकार भी हो सकती है। इस दृष्टि से देखा जाय, तो विरोधियों का विरोध आनंदोलन के लिए वरदान ही सावित हुआ। शायद क्रान्ति का यह स्वर्धमां भी है कि विरोध से उसकी वृद्धि होती है।

विहार से विनोवाजी के चले जाने के बाद विहार की भूदान समितियों ने भूमि-वितरण के काम में अपना ध्यान लगाया और सन्

'५५-'५६ में काफी जमीन वितरित हुई। हम लोगों ने पाड़ा गाँव में भी लक्ष्मीपुर थाना और आसपास के इलाकों में मिली भूमि की आबादी भूमि का वितरण किया। बदरौठ जाने के रास्ते में तीन मील तक 'परती' जमीन पड़ी हुई है। उसीमें से करीब डेढ़ सौ एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त हुई थी। उसे हम लोगों ने पहोस के गाँव पाड़ा के २५ मुसहर-परिवारों में बॉट दिया था। बॉट तो दिया था, लेकिन वे अब तक जमीन पर नहीं गये थे। सालभर से ऊपर हो जाने पर भी उन्होंने उसे आबाद करने की कोशिश नहीं की। बदरौठ के कारण जब भू-दान की चर्चा फिर से चली, तो हम लोगों ने पाड़ा के मुसहरों से भी कहा कि अगर वे जमीन नहीं जोतेगे, तो उसे हम दूसरों को

दे देंगे। हवा में चचा थी ही, इसलिए हमारी बात पर वे विचार करने लगे। इसका एक दूसरा कारण भी रहा होगा।

इस दलाके में भूमिहीन नेतिहर मजदूर मुख्यत मुस्तहर ही है। सालभर से विहारभर में भूमि-वितरण के फलस्वल्प कई जगहों के मुसहरे ने अच्छी सेती कर ली थी। इन जातियों में विरादरी की स्थिर बहुत जल्दी पहुँच जाती है। इसलिए प्रान्त के मुसहरा को उसकी न्यूनता मिल ही गयी थी। शुन-शुरु में जब उन्हें जमीन दी जाती थी, तो वे प्रमाण पत्र तो ले लेते थे, पर मन में आवृत्त नहीं होते ये कि जमीन उन्होंको मिल गयी, क्योंकि हजारों वर्षों से शोषित और निर्दलित रहने के कारण वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते ये कि उनकी भी कुछ हेसियत हो सकती है। जब उन्हें मालूम हुआ कि विनोदा की बदाँलत उन्हें जो जमीन मिल रही है, वह काल्यनिक नहीं, वास्तविक है, तो प्रात जमीन को आवाद करने में उन्हें दिलचस्पी हुई। उसी बीच हम लोग भी पहुँचे, तो उनको ध्यान होश आया और उन्होंने जमीन तोड़ने की बात सोची। वे जब जमीन तोड़ते थे, तब हम लोग भी उनके गाथ जाकर ग्राम में मदद करते थे।

डेढ़ सौ एकड़ जमीन में से साँ एकड़ पाठों के मुसहरों का दी गयी थी, जाकी भूमि जमीन से सटे हुए आदिवासी गॉव खिरियावालों को दी गयी। खिरिया गॉव बदराट से यथा हुआ ही है।

खिरिया के खिरियावाले मुसहरों के समान नहीं थे, उन्होंने उसी प्रार्थियों पर अपने वर्ष कुछ जमीन तोड़ने आवाद कर ली थी। बन्नुत खिरियावालों द्वारा जमीन को आवाद होते देखदर भी पाठों के मुसहरों का कुछ हासला बढ़ा था।

मुसहरों को आवाद करने के साथ साथ हम लोगों ने खिरिया की आर घ्यान दिया और वहाँवालों वो सामूहिक पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। यह तो तुम्हे मालूम ही है कि मगाली जाति बड़ी साहसी और परिश्रमी होती है। उभीलिए ने लोग चूँके मेन्तत करके

जमीन तोड़ते थे। अगर दो साल अकाल न पड़ा होता, तो वे काफी जमीन तोड़ लेते। वे जमीन तोड़ तो लेते थे, लेकिन पानी के अभाव में पैदावार का बहुत भरोसा नहीं होता था। वदरौठ के समान यहाँ भी पानी की आमद बहुत है और रोकने पर चाहे जितना खजाना रखा जा सकता है। मैंने देखा कि इनके बीच किसी कार्यकर्ता को रहना चाहिए, ताकि वह उनका उचित मार्ग-दर्शन कर सके। खादीश्रम के रामेश्वर भाई को गांधी-निधि की ग्राम-सेवक टोली में शामिल करके इधर के गाँवों से काम करने को लगा दिया। उनसे कह दिया कि शुरू में वे जमीन को आबाद कराने में ही अपनी शक्ति केन्द्रित करे। खिरिया और दूसरे आदिवासी गाँवों से धर्म-गोला की योजना भी बनायी गयी।

यह एक सूखा इलाका है। यहाँ प्रायः अकाल पड़ता है। इसलिए हमारी यह कोशिश चल रही थी कि खिरियावाले भी पानी के लिए कोई बौध बौधे। एक दिन रामेश्वर भाई ने सुझासे कहा कि “खिरिया के लोग बौध बौधने को तैयार हैं। आप चलकर जगह बता दीजिये!” मैं वहाँ गया, मैंने जगह टेली और रात को भी उसी गाँव से ठिक गया।

दूसरे दिन सुबह गाँववालों के साथ फिर धूमा और कई जगह देखी। गाँववालों ने जो प्रस्ताव रखा, उससे पानी का खजाना कम होता था। अन्त में मुझे एक जगह पसन्द आयी, लेकिन उसे बौधना एक विशद् काम था, जिसे पूरा करना गाँववालों के बग्र का नहीं था।

वदरौठ और खिरिया के बीच एक बहुत बड़ा नाला बहता है। व्रसात में वह नाला एक छोटी नदी का रूप धारण कर लेता है। मैंने

उन लोगों से कहा कि वे उसीको बौधे। रामेश्वर नाले पर बौध भाई और गाँववाले कुछ घबड़ाये। मैंने उनसे कहा कि “भगवान् रामचन्द्र के साथ बन्दरों ने समुद्र

बौध डाला और तुम लोग गांधी के साथ एक छोटा-सा नाला नहीं बौध सकोगे!” मैंने उनसे यह भी कहा कि गाँव के सब लोग सुबह जलखाई (नाश्ता) के बक्त तक बौध बौधे, उसके बाट जगल

में पत्ते, लकड़ी आदि का काम करने के लिए निकले। उताह में एवं दिन दिनभर काम करने के बजाय यह प्रस्ताव उन्हें प्यादा पसन्द था तो और दूसरे ती दिन वे तड़के ही उठकर वे बाँध बाँधने के काम में लग गये।

खिरियावाला ने मेरे कहने से हिम्मत तो बहुत की, तेकिन आम पूरा होगा, इसका पूरा भरोसा नहीं था। वहाँ के निवासियों ने इतना बढ़ा नाला बाँधने का काम शुरू किया है, वह सुनकर आसपास ऐसे लोग उन्हे देखने आते थे। जो देखते थे, वे हँसने ये और कहते थे कि टिण्ठी चली है समुद्र उलीचने। न्यादीग्राम में जो कार्यकर्ता आते थे, वे भी कभी-कभी यही कहा करते थे कि धीरेन्द्र भाई को हमेशा उलटी ही बाँध सूझती है। मैंने रामेश्वर भाई से अनुरोध किया कि वे एक नारी के साथ उसी गाँव में टिक जावें और प्रतिदिन नप्रको बटोरकर उनके साथ मेहनत करें।

काम चलता रहा, कुछ प्रगति भी हुई। हम लोग भी शुक्रवार वा श्रवण उसी बाँध पर करने लगे। देखते-देखते कुछ दिनों में दाफी ऊँचा बाँध बन गया। फिर आसपास के लोगों के दिमाग में ऐसा भान होने लगा कि शायद वे लोग बाँध बाँध ही लेंगे।

मैंने जब देखा कि अब गाँववालों का कुछ विद्यान होने लगा वा और उनमें नियमित रूप से कुछ सामृहिक पुरुषार्थी भी चाल हो गए

हैं, तो उनके नामने पह प्रनाव रखा कि लोग तेवार सामृहिक पुरुषार्थ हैं, तो म वाहर ने पैसा लाजर आठ आना चाहा

(२०० चर्गफीट) की दर से भोजन का कुछ इत्तजाग कर रखता हूँ, बगतें कि वे रोज दिनभर काम जरने को तंशार हैं। (यो सो फुट मिट्री काटने की स्थानीय मजदूरी सबा रुपया थी और टूर्नार्ड लेफ्ट टेढ़ रुपया हाती थी।) पानी की परेशानी थी, सामृहिक पुरुष जगा हुआ था दोग अपने ऊपर कुछ विद्यास पैदा हो गया था, इन्हिं

उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। बीस-पचीस दिनों के भीतर ही उन्होंने नाले का पेटा भर दिया।

उन दिनों स्थानीय एन० ई० एस० ब्लाक के ब्लाक डेवेलपमेण्ट अफसर बदल गये थे। नये सज्जन हमारे काम के साथ सहानुभूति रखते थे। पडोस के ललमटिया गाँव में एक बॉध की मजूरी सरकारी सहायता भी दी थी। उनके कान पर भी खिसिया बॉध की कहानी पहुँच चुकी थी। एक दिन अपने साथियों के साथ वे उसे देखने को चले गये। जितना काम हो चुका था, उसे देख-कर वे बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे कि उनके पास साधन हैं। हम लोगों को उस साधन का लाभ उठाना चाहिए था। रामेश्वर भाई ने विनोद मे कहा कि “पहले तो आप लोग इस नाले को बॉधने की सम्भावना ही नहीं मानते और दूसरी बात यह है कि आपकी मजूरी के लिए जितना दौड़ना पड़ता, उससे कम शक्ति मे हम इसे समर्थित कर लेते हैं।” वे बाते तो विनोद मे हुई, लेकिन रामेश्वर भाई ने उन्हे ग्राम-विकास का मूलतन्त्र समझाया। उन्होंने कहा कि जब तक गाँववाले मे अपने विकास के लिए स्वयंप्रेरणा नहीं निर्माण की जायगी और उसकी सिद्धि के लिए सामूहिक पुरुषार्थ नहीं जगाया जायगा, तब तक ऊपर से मजूरी देकर इनका विकास हो नहीं सकता है। इतने दिन सरकारी काम करने के बीच बी० डी० ओ० साहब को शायद ऐसा अनुभव कभी नहीं मिला था। सार्वजनिक कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं, कुओं, बॉध और तालाब आदि बनवाने के लिए अनुरोध करते हैं, फिर मजूरी होने पर टेकेटार ठीक कर देते हैं। उन्हे कुछ ऐसा ही अनुभव था, लेकिन रामेश्वर भाई तथा रवीन्द्र भाई (जो यहों के ग्राम निर्माण-विभाग के सचालक है) से बात करके वे अत्यन्त प्रभावित हुए और तब से आज तक वे हमारे काम के एक मुख्य सहायक बने हुए हैं। उन्होंने स्वयं बॉध पूरा करने का एस्टीमेट (अनुमान) बनवाया और उसे मजूर किया।

सरकार की ग्राम-विकास-योजना का भी उद्देश्य यही है कि गाँववाले

अपना काम स्वयं करें, काम के लिए पुरुषार्थ करें और सरकार उनकी मदद करें। लेकिन सिद्धान्त सही होने पर भी उसका अमल समझ नहीं हो पाता है। सरकार एक तन्त्र है। तन्त्र का स्वर्वर्म यन्त्रवत् चलने का होता है, उसमें मानवीय सम्बन्धों की गुजाऱग कम रहती है। सामान्यत हर तन्त्र की रक्षान् यन्त्र बनने की होती है, लेकिन उसका आकार जितना बड़ा होता है और वह जितने अधिक व्यापक रूप से फैला होता है, उतना ही उसका यन्त्रस्वरूप प्रखर होता जाता है और चेतनस्वरूप यानी मानवीय स्वस्त्रप कम होता जाता है। वह प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते जर सरकारी तन्त्र तक पहुँचती है, तो वह सम्पूर्ण चेतनग्रहीन लोहयन्त्र का रूप ले लेता है।

न्यौकि तन्त्र का वह तत्त्व केवल सरकारी सत्थाओं के लिए लाग होता है, ऐसी बात नहीं है। किसी भी तन्त्र का स्वर्वर्म ऐसा ही होता है। किसी भी गहरे और ऊँचे मन्त्र को जब रूप देना होता है, तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार का तन्त्र सड़ा करना ही पड़ता है। ‘चरसा अहिंसा का प्रतीक है’ वह एक मन्त्र है, लेकिन इसे अमली रूप देने के लिए चरसा का सगठन आवश्यक था। ‘सबै भूमि गोपाल की’ यानी समाज की, यह एक मन्त्र है, यत्यपि विनोदा स्वयं अकेले ही इसको रूप देने निकले ये, फिर भी कुछ दिनों में सर्व-सेवा-सघ के तत्र का आश्रय लेना पड़ा। इसलिए जैसे आत्मा को रूप लेने के लिए शरीर का सहारा आवश्यक है और वह रूप शरीर वारण करते ही शरीर की मर्यादाएँ उस पर लागू हो जाती हैं, उसी तरह मन्त्र चाहे जितनी उच्चकोटि का हो, अगर उसे कोई रूप वारण करना है, तो उसे किसी-न-किसी तत्र का सहारा लेना ही होगा और जैसे ही वह किसी तत्र के राथ जुटेगा, वेसे ही उसे उस तत्र की मर्यादाओं को स्वीकार करना होगा। यानी उसके वात्रिक स्वरूप को वह छोड़ नहीं सकता।

गांधीजी ने स्वराज्य की मॉग की। उन्होंने बताया कि स्वराज्य का लक्ष्य है—अहिंसक समाज। उनका कहना था कि आज नगर

के किसी भी देश में स्वराज्य नहीं है, क्योंकि आज सारे सासार का सचालन दण्ड शक्ति से होता है। दण्ड सचालित् अहिंसक समाज समाज चाहे जितने आदर्श लोक-न्तंत्र के नाम से परिचित हो, उसे अहिंसक समाज नहीं कहा जा सकेगा। यही कारण है कि गाधीजी का कहना था कि अहिंसक समाज से राज्य-संस्था का लोप होना चाहिए। आज विनोवा वापू के इस सूत्र के भाष्य में शासनसुक्त समाज का विवेचन कर रहे हैं

यह सही है कि पूर्ण स्वराज्य का अर्थ पूर्ण शासनसुक्त समाज है, लेकिन सासार में किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप आज दिखाई नहीं देता। चिन्तन करते-करते मनुष्य पूर्ण रूप की खोज में जिस किसी वस्तु की कल्पना कर डालता है, उसका अन्त 'नेति' 'नेति' में ही उसे करना पड़ता है। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान् के एक रूप का आविष्कार किया, जिसे 'पूर्ण' कहा जाता। लेकिन उसके भी रूप वर्णन की चेष्टा में निराश होकर निराकार रूप की सज्जा देनी पड़ती है। यही कारण है कि वापू कहते थे कि पूर्ण स्वावलम्बन रेखा गणित की सख्या के विन्दु की तरह है। यद्यपि उसका अस्तित्व है, फिर भी वह कभी दिखाई नहीं देगा। अतएव मानव की पूर्ण स्वराज्य की चेष्टा उसके निकटतम तक पहुँचने के लिए ही होगी।

इसलिए पूर्ण स्वराज्य के मन्त्र को यदि इहलोक में फलीभूत करना है, तो उसे जिस तन्त्र में बोधना होगा, उसका सूक्ष्मतम या सौम्यतम स्वरूप क्या हो—इसकी तलाज ही स्वराज्य साधना की रूपरेखा होगी।

आज जब विनोवाजी अपने आन्दोलन के लिए सचित् निधि-सुक्ति तथा तत्र-सुक्ति की बात करते हैं, तत्र-सुक्ति की प्रक्रिया में वीच-वीच में निवेदक और दूसरे ऐसे ही प्रतिष्ठानों का गठन करते हैं

मन्त्र और तंत्र और जब कहते हैं कि सर्व-सेवा-सघ सर्व-जन-आधारित हो जाय तथा वह जन-जन में इतने व्यापक रूप से विलीन हो जाय कि अन्ततोगत्वा सघ का लोप होकर केवल सर्व-सेवा

ही रह जाय, तो समझना चाहिए कि वह स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग जोड़ नहीं है। आखिर भूदान, ग्रामदान, सम्पत्तिदान या ग्राम-निर्माण आदि जितने कार्यक्रम हैं, वे सब अपने धारपंक्ति कोई लक्ष्य नहीं हैं। लक्ष्य तो स्वराज्य है। बस्तुतः गांधीजी तो विदेशी राज्य की समाप्ति को भी स्वराज्य नहीं कहते थे। वे तो निरन्तर यही कहते रहते थे कि विदेशी राज्य को हटाना स्वराज्य का पहला कदम मात्र है। अतएव विदेशी गज्ज्य को हटाने का कार्यक्रम, भूदान, ग्रामदान की प्राप्ति, खादी-ग्रामोद्योग तथा दूसरे ग्राम निर्माण के कार्यक्रम, सब स्वराज्यप्राप्ति के घंटे में मिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकाण्ड मात्र ही हैं।

इसलिए हमें जिस स्वराज्य का निर्माण करना होगा आर अनिवार्य रूप में जिस तत्र का निर्माण करना होगा, उसके टॉचे को ऐसा बनाना होगा, जिसमें मानव-सम्पर्क अविकृतम हो और यात्रिभूता ल्यूनतम हो। मैं खिरिया के बौव के सिलसिले में जब सरकारी तत्र का वर्णन कर रहा था, तो मने वताया था कि सरकार का भीमकाय तत्र किस प्रकार पूर्ण चेतनहीन यत्र नने रहने के कारण अत्यन्त उच्च सिद्धान्त और आर्द्ध के होते हुए भी किस तरह जट हो जाता है। निरालसता जड़ता का अन्तर्निहित तत्व है, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं बता चुका हूँ कि सरकार की विकास योजना का मूल लक्ष्य भी जनता की स्वयंप्रेरणा तथा सामृद्धिक पुरुषार्थ जगाकर ही उसका विकास करना है, फिर भी जड यत्र द्वारा उचालित होने के कारण वह फली-भूत नहीं हो रहा है। इस निरालता के कारणों पर और भी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

भीमकाय सरकारी यत्र की जडता तो मर्वसामान्य है ही, उसके

रारक्षारी यत्र भी अलवा जनता के साथ समरसहोने में शिक्षित वर्ग की अयोग्यता के कारण यह जड तत्व आर कठोर हो जाता है। फलत्वन्य चेतन-हीनता के कारण सरकारी निमाग जनता में प्रेरणा निर्माण नहीं कर सकता। प्रेरणा के अभाव

मेरे सामूहिक पुरुषार्थ कैसे निखर सकेगा ? एतदर्थं राजकीय विभाग, विभागीय नियम से ही जनता मेरे पुरुषार्थ पैदा करना चाहता है, परिणाम यह होता है कि वह पुरुषार्थ निखर नहीं पाता है। मान लीजिये कि एक पोखरा या बॉध के लिए विकास-विभाग से ५,००० रुपया खर्चों की स्वीकृति मिली, नियम से २५००) का काम जनता करेगी और २५००) की मदद सरकार देगी, लेकिन विभाग की ओर से उस काम का ठेका किसी एक ठेकेदार से होगा। स्पष्ट है कि ठेकेदार कुछ लाभ के लिए ही ठेका लेगा। ऐसी हालत में ठेकेदार जनता की मदद की अपेक्षा नहीं कर सकता, फलतः बॉध की असली कीमत २५००) मेरे से ठेकेदार का मुनाफा तथा कठिनाइयों का कमीशन काटकर जितना बचता है, उतनी होगी। कुल मिलाकर स्थिति यह होती है कि ग्रायद बॉध २०००) का बैधा और सरकारी कागजों मेरे ५०००) दर्ज होता है। इस प्रकार पाँच सौ करोड़ रुपया खर्च करने की वास्तविक योजना मेरे अधिक से-अधिक दौ सौ करोड़ का वास्तविक काम होता है।

यह हुआ आर्थिक पहलू। राष्ट्रीय विकास का यह अत्यन्त गौण पहलू होता है। जब तक राष्ट्र के चेतन पुरुष का विकास नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की योजना राष्ट्रीय विकास की योजना नहीं कही जा सकती। आज से १८ वर्ष पहले १९४१ में आगरा सेण्ट्रल जेल से मैंने जो पत्र लिखे थे, उनमे व्योरे से इस बात की चर्चा की थी। मैंने लिखा था कि आवश्यकता है पहले पचों को बनाने की। विना पच बने पचायत नहीं बन सकती और पचायत बनाने के बाद ही पचायतघर बनाने की आवश्यकता होती है। मैंने लिखा था कि गॉव के आदमियों मेरे अगर चेतना नहीं होगी, तो सड़क का पुल हजार बार बनाने पर भी टिकेगा नहीं, क्योंकि वैसी हालत मेरे लोग उस पुल की ईंटें निकालकर ले जायेंगे और घर का चूल्हा बनायेंगे। लेकिन यदि मनुष्य ठान ले, तो वे स्वयं ही पुलिया बना लेंगे। फिर वह पुलिया स्थायी होगी। यही कारण है कि विनोवाजी कहते हैं कि ग्राम-ठान के विना सामूहिक विकास-योजना के

काम सभव नहीं हे। क्योंकि समुदाय के अभाव में सामुदायिक विकास किस तरह संवेगा?

कहाँ से कहाँ भटक गया। मुझे कहना यह था कि खिरिया के विकास के काम में जो सरकारी सहयोग मिला, उससे योजना की गति कुछ तेज हुई।

खिरिया के बॉध ने इस इलाके को काफी प्रभावित किया और कह गाँवों को बॉध बॉवने की प्रेरणा दी। हसी प्रभाव ने पाड़ों के मुसहरों को

भी वहाँ की सो एकड़ जमीन को आवाद करने की बाँध दे प्रेरणा दी। जमीन तोटने का काम तो वे लोग शुरू

कर चुके थे, जिसमें हम लोग भी श्रमदान दरने जाते थे, लेकिन अब वे कुछ अधिक दिलचस्पी से काम करने लगे। सौ फुट के लिए आठ आने मदद देने की बात वहाँ भी की गयी, तो वे काफी तेजी से अपनी जमीन तोटने लगे। २५-२६ वर मुसहरों के बम जाने में उमने एक छोटे-मोटे गाँव का न्यूप ले लिया था। हम लोगों ने सोचा कि इस बस्ती को कोई नाम देना चाहिए और उसका नाम 'भूदानपुरी' रख दिया। बाद में केन्द्रीय सरकार से नयी बस्ती बसाने के लिए कुछ मदद मिलने पर वहाँ के काम की प्रगति न्यू बढ़ी। भूदानपुरी में मुसहरों की प्रगति देखकर फिर एक बार प्रतिक्रियावादी वर्ग जाग उठा। बदरौठ के ग्रामदान को तोटने की योजना में सफल हो जाने के कारण उसका साहस बढ़ गया था, अतएव उसने पाडों के मुसहरों को भी भटकाना शुरू किया। आटिवासियों की अपेक्षा मुसहर अधिक दबी हुई कीम है, इसलिए इनको दबाना आसान था, लेकिन एक सुविधा यह थी कि इस बार विकास-विभाग के लोग उस वर्ग में शामिल नहों थे। दूसरी सुविधा यह थी कि आसपास के लोगों ने देख लिया था कि हम लोग वास्तव में देहातियों को पुनर्निवास कराने के इच्छुक हैं और इस दिग्गज में कुछ कर भी सकते हैं। पर ये मुसहर पुराने मालिङ्गों से बजां आदि ते कारण इस तरह बैधे हुए थे कि उन्हें द्वाग उठाना धार्मना और

फुस्तलना कामयाव हो जाता था। फिर भी रामेश्वर भाई के शान्तिपूर्वक काम करने तथा मुसहरो में दो एक हिम्मतवाले आदमियों के होने के कारण धीरे-धीरे 'भृदानपुरी' में बसने का निर्णय कर ही लिया।

बदरौठ के ग्रामदान ने ग्रामदान की समावना के बारे में काफी चर्चा चला दी थी, यह मैं पहले बता चुका हूँ। इस चर्चा में भाग लेनेवालों में

खादी-ग्राम से सटा हुआ ललमटिया गाँव सबसे आगे ललमटिया का रहा। पिछले दो साल से कुओं और बॉध बनाने के ग्रामदान सिलसिले से इस गाँव में लामूहिक पुरुषार्थ काफी जाग चुका था। खादीग्राम से सटा होने के कारण अमगाला में इस गाँव के काफी लड़के दाखिल हुए थे और यहाँ के स्त्री-पुरुष अधिक सख्त्या में खादीग्राम में काम करते थे। इस कारण हमारा सम्पर्क इन लोगों से अधिक घनिष्ठता का था। अक्तूबर १९५६ से ही ललमटिया के निवासी ग्रामदान के विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों से चर्चा करते थे और बीच-बीच में ग्रामदान कर देने की भी बात करते थे। हम लोग उन्हे रोकते थे, कहते थे कि अच्छी तरह समझ-सोच लो, आपस में सलाह कर लो, तब ग्रामदान की बात करना। आखिर जनवरी में उन्होंने फैसला कर ही लिया। रवीन्द्र भाई ने गाँव की वहनों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि ये लोग इस तरह से ग्रामदान करना चाहते हैं, उनकी क्या राय है? वहनों ने सोत्साह सम्मति प्रकट की। तब उनका दानपत्र भरा गया और ललमटिया के ग्रामदान की घोषणा की गयी।

सन् १९५७ की क्रान्ति-यात्रा का शुभारम्भ अमभारती से लगे हुए गाँव के ग्रामदान से हुआ, यह देखकर खादीग्राम के साथी अत्यन्त उत्साहित हुए। जहाँ लाखों रुपयों की लागत से स्थाया बनती है और आसपास के गाँवों के लोग जहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ से सटे हुए गाँवों के निवासी प्रायः स्थाया के आलोचक और टीकाकार होते हैं। लेकिन जब खादीग्राम के पढ़ोसी गाँव का ग्रामदान हुआ, तो साथियों को इस सफलता से बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अत्यन्त उत्साह के साथ यात्रा की तैयारी करने लगे। ० ० ०

अम्भारती, गादीग्राम
००-१००३०८

सन् १९६ की नान्ति-वाचा में अम्भारती-परिवार के वरीब-करीब सभी लोग शामिल हों, ऐसा ही सोचा गया था, टेलिन ललमटिया के ग्रामदान के कारण गादीग्राम के आसपास के देहातों में जिस दातावरण का निर्माण हुआ, उसे जारी रखने के लिए और ललमटिया गाँव को उचित मार्ग दर्शन देने के लिए, भार्ट रवीन्द्र उपाधाय और रवीन्द्र गिर को रोक लेना पड़ा। उन्हें ग्राम-निर्माण म लगा दिया। आमतौर से ग्रामदान के बारे में लोगों की टीका यह है कि ग्रामदान के बाद भूमि का पुनर्वितरण नहीं होता है। यदि होता भी है, तो यहता के आभार पर नहीं हो पाता। इसलिए मैंने रवीन्द्र भार्ट से कहा कि यहसे पहले जमीन के सभ वितरण की आवश्यकता है।

इस प्रश्न पर स्वयं चर्चा हुई। ग्रामदान के गतर्भ म जमीन के पुनर्वितरण तथा भविष्य में सेती के प्रकार को लेकर देशभर में जारी चला

है। एक विचार यह है कि जमीन को पुनर्वितरित करने भूमि का के बदले गौवभर मिलकर सामूदिक रेती वरे। दूसरा विचार यह है कि गौव के परिवारा म जमीन का नितरण समानता के आधार पर दो, टेकिन सामूदिक रेती न हो। अलग-अलग खेती करने में एक दोप यह रोता है कि यह तक ग्राम-विकास के लिए बोध, कुओं आर तालाब धाड़ की नामूदिक प्रश्निति न लड़ती है, तब तक सो मिल-जुलकर सामुदायिक जीवन बनाये रखने का अवसर मिलता है, लेकिन जैसे ही यह प्रकार दो राष्ट्रजनिज निर्माण का वर्य समाप्त हो जाते हैं, वेसे ही सामुदायिक जीवन को जगम रखने

नये-नये अवसर मिलने बन्ट हो जाते हैं। शुरू-शुरू में गॉब्भर के उत्पादन की योजना तो बनती है, लेकिन धीरे-धीरे व्यक्तिगत स्वेच्छा के आधार पर अलग अलग जीवन-सर्वर्थ के कारण यह सामूहिक योजना बनाने की परिपाठी भी समाप्त हो जाती है। फलतः पुरानी व्यष्टिवादी जिन्दगी लौट आती है और गॉब की नैतिक तथा सास्कृतिक स्थिति पूर्ववत् हो जाती है। अन्तर इतना ही होता है कि पहले लोगों के पास जमीन असमान थी, अब वह बैटकर समान हो चुकी रहती है। दूसरा अन्तर यह पड़ता है कि अब लोग व्यक्तिगत रूप से मालिक नहीं रह जाते हैं, सारी जमीन ग्राम-समाज की मालिकियत में आ जाती है। लेकिन कुछ दिन में यह बात भी कानूनी रह जाती है और बख्तः 'मेरे' 'तेरे' की भावना पुनर्जीवित हो जाती है। इस प्रथा में एक और बात होती है, जिससे जटिलता बढ़ जाती है। वह है परिवार-वृद्धि की समस्या। कोई परिवार ज्यादा बढ़ता है, तो कोई कम। फिर पुनर्वितरण का प्रश्न आता है। 'मेरे' 'तेरे' की भावना के पुनर्जन्म के बाद इस प्रकार बार-बार ला वितरण कठिन समस्या बन जाता है।

गॉब के कुछ लोग विचार समझकर और कुछ लोग भावनावश ग्रामदान कर देते हैं, लेकिन ग्रामदान के सकलप मात्र से गॉब के लोगों का चरित्र नहीं बदल जाता है। पुराना राग-द्वेष किंचित्किंच और पूर्ववत् कायम रहता है। अन्तर यही होता है कि वे किंचिन आगे बढ़ने का सकार करते हैं, अर्थात् वे कुछ अधिक सचेतन हो जाते हैं। ऐसी हालत में तुरन्त सामूहिक सेवी से पारस्परिक सद्भावनाओं के बिगड़ने की अत्यधिक आशका रहती है। कहते हैं कि अग्नि के सारे प्रकारों में से जठराग्नि सबसे प्रखर होती है और खेती इसी अग्नि की खुराक का साधन है। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं, उनका यदि विश्लेषण किया जाय, तो कुछ ही मामलों को छोड़कर सभी भोजन की समस्या को लेकर होते हैं। तुम लोगों ने सस्थायों में तथा सम्मेलनों में देखा है कि सबसे अधिक टीका-टिप्पणी और

असन्तोष भाजन को लेकर ही होता है। जेल में भी उच्च आदर्जा तथा लक्ष्य को लेकर कष्ट सहने के लिए पहुँचनेवाले राजन्यों की भोजन वा समन्या को लेकर निरन्तर अगड़ते रहते हैं। मैं तो अक्सर यपने आविष्यों से विनोद में कहता हूँ कि 'किंचकिंच' का Plural (वहुउच्चन) 'किंचिन' (रसोई) होता है। देहाती भाषा में 'किंचकिंच' जब आविष्य हो जाती है, तो उसे 'किंचाइन' कहते हैं। आपठ उसीमें 'किंचिन' निकला हो।

मैं वहना यह चाहता था कि ग्रामदान होते ही नामृहिंश रहती जा निर्णय खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि प्राग्मम में ही पूर्वचरित्र के जारण

जान्ति से सामृहिकता को आगम रखना चाहिन ॥

सामृहिंश रहती जाता ॥ । दूसरी सरस्या यह २ नि सुटियों ने मज्जूरी

मा प्रदन में ही काम करने के आदी होने दे जारण नम नाग

समान रूप से पुनर्पार्य नहीं रखते। नस्तुत काम यी

प्रेरणा केसे मिले, समाजवाद के सामने यह प्रम्बन एक प्रसूत समन्या ही द।

भारत जैसे उत्तर-गुलामी के देश में तो इस समन्या जा आर अविक्ष होना त्वाभाविक है। फलस्वल्प सारा काम गोप्य दो चार उत्ताई तथा जिम्मेवार व्यक्तियों के कन्दो पर ही पड़ जाता है और कालान्तर में इन्होंने लोगों का वर्ग बन जाता है, जो 'व्यवस्थापक' रहनाना द। नि

'अधिकारवाद' का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार नार्द-जनिंश प्रेरणा के तथा सामृहिक पुरुषार्थ के अभाव दे कारण अविज्ञान जेयो न उन्नादन में कमी आ जाती है।

ग्रामदान के परिमाण में आर्थिक नियति नीचे उत्तरने पर वह ग्रामदान अविक्ष दिन नहीं ठिकेगा, क्योंकि आविष्य अवनति के होते हुए ग्रामाजिक तथा नैतिक भावनाओं को ठिकाना दूर

आदर्जवादी मनुष्यों के लिए सभव है, तेक्षिन आम जनता उत्त पर ठिक नहीं सकती। इसलिए ग्रामदान के सदभ में जेती रेती हो तथा एन-नितरा का ढोचा करा हो, इसका निर्णय करना एक नटिन प्रान है।

हमारे सामने भी यही प्रम्बन उपनियत हुआ। नयोग = न्यूनटिन-

गाँव में बॉध आदि के निर्माण के सिलसिले में सामुदायिक पुरुषार्थ का सरगठन हो चुका था। फिर भी मैंने शुरू में सामूहिक खेती की सलाह नहीं दी। यही परमर्ज दिया कि समानता के आधार पर पुनर्वितरण 'कर दो और कुछ जमीन सबको मिलकर खेती करने के लिए अलग निकाल लो। सलाह देते समय मैंने रवीन्द्र भाई से कहा कि अभी तो अलग-अलग खेती करो, लेकिन मिलकर खेती करने की चर्चा निरन्तर करते रहो। सब लोग मिलकर गाँवभर की खेती की योजना बनाये, इसके लिए भी प्रायः वैठके करते रहो। जब व्यक्तिगत खेती के आधार पर योजना बनाने का प्रयास होगा, तो उन्हे पग-पग पर अडचने दिखाई देगी। जब-जब अडचनों के प्रसग आये, तब-तब सामूहिक खेती के विचार समझाना। इस तरह धीरे-धीरे जब उन्हींमें सामूहिकता की मॉग पैदा हो, तभी सामूहिक खेती की योजना बनानी चाहिए। यही नीति इलाके के सब क्षेत्रों में अपनायी गयी। यह नीति बाद को लभेद गाँव में कैसे कामयाव हुई, उसकी कहानी आगे कहूँगा।

देश के सभी गाँवों में सामान्यतः तीन प्रकार की भूमि होती है, एक पानी के पास की, दूसरी धान की नीची जमीन और तीसरी वह, जो ऊंची है, जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर ललमटिया की ऐसी जमीन को 'टॉण' कहते हैं। ललमटिया की जमीन भूमि का वितरण को भी इन तीन भागों में बॉटा गया। हर किस्म की जमीन हर परिवार को परिवार की सख्त्या के अनुसार पुनर्वितरित कर दी गयी और चार-पाँच एकड़ जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी गयी।

ग्रामदान होते ही गाँव में कुछ चहल-पहल का होना स्वाभाविक था। तब से उस गाँव के लोग प्रतिदिन वैठते और आगे का कार्यक्रम सोचते। सबसे पहले उन्होंने अवर चरखा लाने का तय किया। धीरे-धीरे सभी परिवारों में अवर चरखे पहुँच गये। परन्तु खादीग्राम से निर्माण के काम में मजदूरी मिलने के कारण वह नियमित नहीं चल सका। इलाके

में पानी के अभाव के कारण खेती में ज्यादा दिन लगे नहीं रह सकते। हम लोगों ने पिछले तीस साल से यही प्रचार किया है कि खेती से जो अवकाश मिले, उसे गाँव के लोग ग्रामोद्योग बढ़ाने में लगायें, तो देश में वेकारी नहीं रहेगी। लल्मठिया के ग्रामदान को लेकर इस प्रचार के अनुसार प्रयोग करने का अवसर मिला। जब हम ग्रामोद्योगों की योजना बनाने वैठे, तब हिसाड लगाने पर मालूम हुआ कि प्रेरे गाँव को काम देने लायक उद्योग नहीं है। इसका मुख्य कारण है—मिल-उद्योग ने प्रतिस्पर्धा। हमके लिए मेरे दस-वारह वर्ष से मिल-उद्योग-विहिकार की बात करता आ रहा है। मेरा मानता हूँ कि अगर भारत की वेकारी का अन्त करना है, तो कम-से-कम अन्न-बच्चाडि टैनिक आवश्यकताओं की चीजों के लिए वेन्ड्रित उद्योगों का विहिकार अनिवार्य है। आश्रय की बात यह है कि जो लोग विहिकार की बात नहीं मानते, वे सरकार की टोका करते हैं कि सरकार अमुक-अमुक उद्योगों में मिल को बन्द कर्यों नहीं करती? अगर हम यह मानते हैं कि सरकारी कानून से ही मिल-उद्योगों को बन्द करना जरूरी है, तो भू-समस्या भी सरकारी कानून से ही हल होगी, ऐसा माननेवालों के विचारों में कहाँ गलती है? जिन चीजों को समाज के लिए अवाढ़नीय मानते हैं, उनको हटाने के लिए सरकारी कानून अगर आवश्यक होता है, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम सब उस लक्ष्य की पृति के लिए विधान-सभा में प्रवेश करने की कोशिश करें? वस्तुत वेकारी-निवारण के लिए वेन्ड्रित उद्योग विहिकार के गढ़ीय सकल्य के सिवा दूसरा कोई अहिसक उपाय है ही नहीं। लेकिन मेरा विचार कुछ भी हो, थाज तो वेन्ड्रित उद्योग वेवल चल ही रहा है, बल्कि बढ़ भी रहा है। इसलिए लल्मठिया को बहुत से उद्योग देकर वेकारी-निवारण करने की चेष्टा बहुत आगे नहीं बढ़ी।

इस वीच में खादी-ग्रामोद्योग कमीशन के सघन-क्षेत्र के सचालक झवेर भाई मिले। उनसे मैंने इस समस्या की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपने योजना ठीक से नहीं बनायी है, ग्रामोद्योगों से पूरा ग्राम मिल

सकता है। साथ ही अपने दो-एक केन्द्रों का नाम बताया, जहाँ ऐसा हो चुका है। मैंने ऐसे कुछ केन्द्रों का विवरण देखने की ज़ज़ेर भाई से चर्चा कोशिश की। उसमे दो बातें मालूम हुईं। पहली बात यह कि वहाँ सिचाई का प्रबन्ध भरपूर है और लोग पैसे की खेती करते हैं। इससे वहाँ के लोगों का अधिकाश समय खेती के काम में लग जाता है। फिर ऐसे बहुत-से ग्रामोद्योग वहाँ चल रहे हैं, जिनका प्रत्येक गाँव में प्रचलन करने पर न उतना कच्चा माल मिलेगा, न बाजार ही मिलेगा। जैसे काफी तादाद में साकुन बनाना और धुनाई मशीन से पूनियों बनाकर भड़ारों को सप्लाई करना।

इस तरह विचार करते हुए मुझे यही लगा कि यद्यपि यह ज़रूरी है कि ग्रामोद्योगों के लिए राष्ट्रीय सकल्प अवश्य हो, लेकिन इस देश की

जमीन की जो हालत है, यानी सिचाई व्यवस्था का राष्ट्रीय सकल्प जिस प्रकार अभाव है, उसके रहते केवल ग्रामोद्योग ज़रूरी न तो देश की वेकारी को दूर कर सकता है और न सारी जनता के जीवन-मान को ऊपर उठा सकता है।

वेकारी निवारण तथा जीवन-मान उन्नयन, दोनों के लिए आवश्यक है कि खेती की प्रक्रियाओं में वृद्धि हो और समुचित सिचाई का प्रबन्ध हो। इसलिए हम लोगों ने अपनी सारी शक्ति इन देहातों में पानी का खजाना जमा करने में ही लगायी। दुर्भाग्य से इस इलाके के भूर्गमे में पानी नहीं है। पानी के सर्वे विभागवालों ने भी कहा कि यहाँ स्थूववेल खोदने पर भी पानी नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में एकमात्र उपाय यही था कि इधर की वर्षा का एक वृद्धभर भी पानी नदी में न जाने दिया जाय और जगह-जगह तालाब खोदकर तथा बौध बौधकर उसे जमा किया जाय। इसी बीच एलवाल में देश के करीब-करीब सभी पक्षों के उच्च कोटि के नेताओं ने एकत्र होकर विनोवाजी के आन्दोलन का स्वागत किया और कहा कि जनता तथा सरकार दोनों को इस काम में मदद करनी चाहिए। सरकार ने भी अपनी विकास-योजना के तमाम विभागों को यह हिदायत

कह दी कि वे ग्रामदानी गाँवों के निर्माण में भरपूर मदद करें। वर्तमान ब्लाक डेवलपमेण्ट अफसर पहले से ही अनुकूल थे। सरकारी हिदायतों के कारण वे अविक उत्साह से इस काम में मदद करने लगे।

कुल मिलाकर तीन वॉव और दो कुएँ बने। इनके बनने से सामृहिक पुरुषार्थ का भी निर्माण हुआ। मैं बता चुका हूँ कि सरकारी विकास-योजनाओं का उद्देश्य गाँववालों में सामुदायिक भावनाओं को जगाकर ही ग्राम-विकास का काम करना है। इसलिए वह नियम बनाया गया कि आधा खर्च गाँव के लोग दे। लेकिन किस तरह टेकेटारी के कारण कुल योजना का आधा भी मिल नहीं पाता है, इसकी भी चर्चा कर चुका हूँ। बिनोवाजी जो कहते हैं कि सामुदायिक विकास भी ग्रामदान से ही चरितार्थ हो सकेगा, उसका वर्णन ललमटिया, खिरिया आदि ग्रामदानी गाँवों के कामों से होता है। गाँव के लोगों ने यह निर्णय किया कि वे सप्ताह के छह दिन अपने व्यक्तिगत काम में लगायेंगे और एक दिन गाँव की किसी सामुदायिक योजना के लिए ग्रामदान करेंगे। इस सकल्प के कारण वर्ष-भर के अन्दर विकास-योजनाओं की मठड का ललमटिया ने इस पूर्णता के साथ इस्तेमाल किया कि इन कार्मों का आकार तथा खर्च देखकर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के विकास-विभाग के जितने अफसर आते हैं, सबके सब आश्रय प्रकट करते हैं।

ललमटिया के ग्रामदान से इलाके में ग्रामदान की हवा बनी, वह बात मैं लिख चुका हूँ। ग्रामदान की धोपणा सुनते ही कई गाँवों के लोग

इसके विषय में जानकारी लेने के लिए हमारे पास लग्जेत पर असर आते रहे और योड़े ही दिन बाद पास के लमेत गाँव-

वालों के ४० परिवारों ने ग्रामदान करने की इच्छा प्रकट की। वे चाहते थे कि थ्रमभारती परिवार की क्रान्ति यात्रा की विदाई बेट में अपने ग्रामदान की धोपणा करें। तैयारी होने लगी और यात्रा शुरू होने के दिन २२ फरवरी १९५७ को लमेत के कुछ राजपूतों और कुछ मुन्हरों ने मिलकर ग्रामदान की धोपणा की। यद्यपि ललमटिया

के समान यह ग्रामदान न तो सम्पूर्ण था, और न परिभाषा के अनुसार उसे 'ग्रामदान' ही कहा जा सकता था, फिर भी सुसहर और राजपूत मिलाकर ४० परिवारों का यह सकल्प ग्रामदान आन्दोलन के सदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ललमटिया अपने हाथ से खेती करनेवालों की एक ही जाति के निवासियों का गाँव था, वहाँ आर्थिक विषमता भी विशेष नहीं थी। लेकिंत लभेत मे तो आर्थिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की विषमता भरपूर थी। ऐसी हालत में जब दोनों जाति के लोगों ने साथ मिलकर सकल्प किया, तो हम लोगों को एक नया सदर्भ मिल गया। इससे राजपूत जैसी उच्च जाति और सुसहर जैसी पददलित जाति, दोनों का आपसी सहकार साधने के लिए दिलचस्प प्रयोग का अवसर मिला। भाई रवीन्द्र सिंह का प्रभाव उस गाँव पर था, इसलिए हम लोगों ने उस गाँव के विकास का भार उन्हीं पर डाला।

पिछले दो वर्षों से हम लोग खादीग्राम का वार्षिकोत्सव अत्यन्त धूम-धाम से मनाते आये हैं। वस्तुतः जिला, प्रान्तीय तथा अखिल भारतीय सम्पर्क के लिए इस उत्सव को हम लोगों ने मुख्य साधन माना है। दोनों नाल ताल्कालिक समस्याओं को लेकर विशिष्ट सम्मेलन का आयोजन इसी अवसर पर कर चुके थे। पिछले साल ग्राम राज सम्मेलन किया था, तो इस साल ग्राम-प्रवेश सम्मेलन करने की सूझी। हमने ऐसा माना था कि पद यात्रा के निर्णय से श्रमभारती परिवार की सीमा बढ़ी। कम-से-कम एक जिले को अपने परिवार का अग मानने की कोशिश की जाय, ऐसा हमने सोचा। इस विचार से जिले के किसी केन्द्रीय स्थल पर श्रमभारती के वार्षिकोत्सव का अनुष्ठान करने का निर्णय किया गया।

जिला निवेदक रामनारायण वाबू की व्यवस्था में वरियारपुर का स्थान निश्चित किया गया। इस बार हम लोगों ने उडीसा के भाई नव-कृष्ण चौधरी को पौरोहित्य के लिए बुलाया। हमने नववाबू का नाम इसलिए चुना कि उन्होंने उडीसा में ग्रामदान का जो दर्जन कराया,

वह क्रान्ति के इतिहास में अद्वितीय था। हमारे साथी उन्ने आगामाद में यात्रा का प्रारम्भ करे, यह सबकी आकाशा थी।

२२ फरवरी सन् १९५७, शुक्रवार। वापू के महाप्रयाण का दिन। २२ फरवरी माता कस्तूरवा का भी प्रयाण दिवस है। हमने क्रान्ति-यात्रा के प्रयाण के लिए वही दिन अत्यन्त शुभ माना। अत प्रार्थना-प्रवचन यत्रपि वार्षिकोत्सव २४ फरवरी को होना था, फिर भी खादीग्राम परिवार की विदाई २२ फरवरी को ही ठीक समझी। शुक्रवार के दिन खादीग्राम में सूत्र-यज्ञ और सामूहिक प्रार्थना होती है। मुझे कभी कोई विशेष वात कहनी होती है, तो उस दिन प्रार्थना के पश्चात् थोड़ा प्रवचन कर देता हूँ। यह शुक्रवार तो विशेष वात कहने का था ही।

प्रार्थना के बाद मैंने साथियों को सम्बोधित करते हुए कहा

सन् '५७ का सकल्प पूरा करने के लिए श्रमभारती परिवार के जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनका इस साल के लिए यह अन्तिम शुक्रवार है। शुक्रवार ससार का एक महान् पुण्य-दिवस है। वापू का सकल्प या कि सभी सम्प्रदाय मिल जायें। उनके महाप्रयाण का दिन भी शुक्रवार ही रहा, जो ईसा और मुहम्मद के अनुयायियों के लिए पुण्य-टिवस रहा है। तो आज आपके लिए एक सौभाग्य का दिन है।

व्यान रहे कि आज के दिन इस युग की महान् क्रान्ति में आप लोग एक विशेष कदम उठा रहे हैं। सभी भाई-बहन और बच्चे भी सोचेंगे कि यह क्या है? यह तो आप मन जानते ही हैं कि क्रान्ति-कारियों को महान् गारीरिक कष्ट की ही सोगात मिलती है। यहाँ कुछ भाई बहन पूछते ये कि यात्रा में बच्चों को दूध मिलेगा क्या? मालूम होता है कि आप लोग क्रान्ति का इतिहास पढ़कर भी भूल जाते हैं। पुराने-जमाने में हिसात्मक क्रान्तियाँ हुआ करती थीं। उन दिनों क्रान्ति-कारी को सपरिवार जगलों में भटकना पड़ता था। आप लोग तो गॉव-गॉव फिरेंगे। गॉव के लोग आपका स्वागत करेंगे और अपने घरं में

आपको टिकायेगे। आप जगले में भटकेगे नहीं। फिर भी यदि आपके दिल के एक भी कोने में घबराहट हो, तो आपकी क्रान्तिदेवी का क्या हाल होगा? अगर क्रान्तिकारी के मन में अपने इष्ट के प्रति दुविधा होया वे तकलीफों से घबरायें, तो वे जडवत् होकर हार जायेंगे। मैं अकसर कहा करता हूँ कि मनुष्य को दो मेरे से एक स्थिति को चुनना होगा। या तो वह दिल्ली के बादशाह को सलाम करे या अपने बच्चे के हाथ से घास की रोटी भी बिल्ली को ले जाते हुए देखता रहे। आप दूध के बारे में पूछते हैं। दूध नहीं, गेहूँ की रोटी नहीं, ज्वार, बाजरा और मकई की रोटी भी नहीं। क्रान्ति के दौरान मेरे आपके बच्चों के मुँह से घास की रोटी भी छिनने की नौकरत आ सकती है। इसका व्यान आपको निरन्तर रहे। अगर इन बातों से घबड़ाते हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम सब चलकर दिल्ली के बादशाह को सलाम करे, यानी समाज की पुरानी मान्यताओं को स्वीकार करे। लेकिन हमने सकल्पपूर्वक उस रास्ते को छोड़ दिया है।

आप सबने क्रान्ति की राह पर आगे बढ़ने का सकल्प किया है। क्रान्ति के बारे मेरे आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए। पहले लोग समझते थे कि गर्दन काटने से क्रान्ति होती है। आज भी आम मान्यता यही है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि गर्दन काटने से क्रान्ति नहीं होती। कम्युनिस्ट लोग भी अब धीरे-धीरे इस बात को समझ रहे हैं। बिनोवाजी जी पद्यात्रा के कारण सर्वोदय विचारवाले सेवकों मेरे एक दूसरी बात फैल गयी है कि चक्रर काटने से क्रान्ति होती है। अगर चक्रर काटने से क्रान्ति होती, तो देश मेरे साठ लाख क्रान्तिकारी मौजूद ही हैं। तो हम अधिक क्या करेंगे? चक्रर काटनेवाले यहाँ तक समझ बैठते हैं कि दफ्तर मेरे बैठकर काम करनेवाले या दूसरे रचनात्मक काम करनेवाले क्रान्तिकारी नहीं हैं। दफ्तर तथा दूसरे स्थायी कार्यक्रम चलानेवालों के मन मेरी रह-रहकर यह गलानि होती है कि वे क्रान्ति नहीं कर रहे हैं। बल्कि क्रान्ति किसी कर्मकाण्ड मेरी हुई नहीं है। क्रान्ति तो जीवन दर्जन, मानसिक वृत्ति तथा कार्य-जैली है।

अतएव जो भाई-बहन यात्रा में जा रहे हैं और जो लोग श्रमभारती के अहाते में बैठकर काम करनेवाले हैं उन्हें सोचना होगा कि क्रान्ति आपकी वृत्ति तथा ईली में है। यात्रा करनेवालों की ईली अगर निष्ठाण हो, तो उनकी यात्रा द्वारा क्रान्ति नहीं होगी और दफ्तर में बैठकर काम करनेवालों की वृत्ति तथा कार्यक्रम अगर नान्ति के अनुकूल होगा, तो उनके कामों से भी क्रान्ति हो जायगी। जो लोग देहातों में घृमेंगे, उनके रहन-सहन, रङ्ग-टङ्ग तथा वातचीत से क्रान्ति-दर्ढन निकलेगा, तो जनता को भी आप अपने रग में रंग सकेंगे। आप जनता के घरों में मेहमान होंगे, उसके सुख दुःख में शामिल होंगे वे लोग ओजातभर जो कुछ प्रसाद देंगे उससे आपको सुखी रहना होगा। अपने दूसरे खचों के लिए न सचित निधि से लेना है और न किसीसे माँगना ही है। उसे अपने श्रम से पैदा करना है। काचन मुक्त समाज के लिए क्रान्ति करनेवाला काचन-दान पर आधारित नहीं रह सकता। आपको मेहमान से कमाने के लिए दो रास्ते हैं। साहित्य विक्री का कमीशन तथा किसानों के खेतों की कटनी का, मजदूरी करने का काम। खर्च सामृहिक होगा। मजदूरी करने की कमाई भी सामृद्धिक रहेगी।

दफ्तरवालों को भी सोचना होगा कि सन् ५७ में उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। श्रमभारती के उत्तरे लोग बाहर जा रहे हैं। उनका सारा काम आपको संभालना है। याली उनका ही काम नहीं, देशभर में औरों के घूमने के कारण आपका काम बढ़ेगा। इसलिए आपको दूना काम करना है। चार घण्टे शरीर-श्रम करने के नाद जो बीस घण्टे बचते हैं, वे सब दफ्तर के लिए हैं। हो सकता है कि सोने के लिए कम समय मिले। ऐसे मौके क्रान्ति के इतिहास में बहुत आते हैं। सन् ३० की बात याद आ रही है। गांधी आश्रम मेरठ के अधिकारी कार्यकर्ता जेल चले गये थे। वाकी लोग मस्ती के साथ कुल काम चलाते थे। कई मोके याद आ रहे हैं कि काम करते-करते रात गुजर गयी और प्रार्थना की बटी बज गयी। अगर आपसे नान्ति की

मस्ती है, तो ऐसे मौके पर भी आप मस्त रहेंगे। रामचन्द्र के अनुसरण में लक्ष्मण के दिल में आग थी, तो चौठह वर्ष जागरण पर भी उनकी शक्ति का क्षय नहीं हुआ।

आप बड़े-छोटे सब जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि सत्तावन के अन्त तक आप सब ढटे रहेंगे। ज्यादा छोटे बच्चों को तो मैं बीच में वापस बुला दूँगा, लेकिन आप सब भाई-बहन और बड़े बच्चे निरन्तर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर किसीकी हिम्मत टूटती है, तो धायल सैनिक को जैसे अस्पताल में लाते हैं, वैसे ही आपको वापस लाऊँगा। आपको मालूम है न कि हिसक क्रान्ति में सेना की जब लाश गिरती है, तो उसे मोटर पर उठाकर लाया जाता है। हिसात्मक सिपाही का शरीर मरता है, लेकिन अहिसात्मक सिपाही का दिल मरता है। मैं यही कामना करता रहूँगा कि आपका दिल हमेशा जिन्दा रहे और आगे बढ़ता रहे तथा मुझे किसीकी लाश (दिल) को उठाकर लाना नहीं पड़ेगा। आज के पुण्य-दिन का आशीर्वाद लेकर आप जा रहे हैं। ईश्वर आप सबको शक्ति दे !

दूसरे दिन सुबह श्रमभारती-परिवार लभेत के ग्रामदान-यज्ञ का प्रसाद लेकर वरियारपुर के लिए रवाना हुआ।

लभेत गाँव में कुछ छोटे किसानों और कुछ छोटे मालिकों तथा गैर-मालिकों ने मिलकर ग्रामदान का सकल्प किया था, यह मैं बता चुका हूँ। आज गाँव में इसकी भेट का समारोह था। हम लोग सपरिवार जब लभेत पहुँचे, तब गाँव के सारे लोग स्वागतार्थ उत्सुक खड़े थे। स्वागत के बाद हम सब बैठ गये। यद्यपि थोड़े छोटे किसानों ने ही सकल्प किया था, फिर भी गाँव के सब लोग—ल्ली-पुरुष—अत्यन्त उत्सुकता के साथ सभा में उपस्थित थे। गाँव के मुखिया ने स्वागत में कहा : “हम लोगों में से अधिकाश भाई जो छोटे-छोटे किसान हैं, अपने भूमिहीन भाइयों के साथ अपनी जमीन बॉट लेने को तैयार हैं, यद्यपि हमारी जमीन बहुत कम है।” उनका यह अनुपम उदाहरण देखकर गाँव के अल्पसंख्यक ‘बड़ों’

ने कहा “हम इसके खिलाफ नहीं हैं, पर ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए हमारी हिम्मत नहीं होती। हम यह सारा प्रयोग सहानुभूति से देखेंगे और जब हमें उसकी सफलता पर विश्वास हो जायगा, तब हम भी मुझमें शामिल होगे।” मुखिया ने अन्त में कहा : “छोटे-गड़े, गरीब-अमीर आपका आशीर्वाद चाहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हृष्ट रहने तथा जो अभी अल्प है, उनको सम्मिलित होने के लिए बल दे !”

२४ फरवरी को वरियारपुर में खादीग्राम का वार्षिकोत्सव समारोह था। इस बार के उत्सव ने क्राति-सम्मेलन का रूप ले लिया था। दूसरे

दिन वरियारपुर की पोलिग में आम चुनाव का बोट क्रान्ति-सम्मेलन पड़नेवाला था। एतदर्थ पाठियों और आम जनता

उसीमें मशगूल थी, फिर भी सम्मेलन में अपार भीड़ थी। लोगों में उत्सुकता और जोश था। सभी पाठियों के लोग हमारा साथ देना चाहते थे। लेकिन उस दिन उन लोगों के भविष्य का निर्णय होनेवाला था, इसलिए वे सभी विवश थे। फिर भी सभा में काफी मात्रा में लोग उपस्थित हुए। काग्रेस कमेटी के मत्री ने कहा . “चुनाव के कारण यद्यपि हम कुछ दिन तक आपका साथ नहीं दे सकते, इसका हमें हुँख और लज्जा भी है, फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव के उपरान्त १९५७ को पूरे वर्ष हम आपके क्रान्ति-टल का साथ देंगे।”

सभा के अन्त में भूदान-समिति के सदोजक भाई नारायणजी ने मुझसे कहा कि आप क्रान्ति-पथिकों को आशीर्वाद दें।

मैंने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा “भाई रामनारायणजी ने मुझसे आशीर्वाद देने के लिए कहा है। मैं क्या आशीर्वाद दूँ? मैं तो

क्रान्ति-यात्रियों को आशीर्वाद अपने परिवार के लिए आप सब भाई वहनों का ही धाशीर्वाद मौगने आया हूँ। श्रमभारती का वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष के समान खादीग्राम में न करके जिले के दूसरे किसी गाँव में मनाने की वात इसलिए सोची कि अब हम

जिलेभर के अपने विशाल परिवार के बीच पहुँच जायें और पूरे परिवार का आशीर्वाद लेकर '५७ की क्रान्ति-यात्रा प्रारम्भ करे। हमारी यह यात्रा जैसा कि मेरे साथी आचार्य राममूर्ति ने बताया, अपने परिवार के लोगों से मिलने की यात्रा है। लेकिन हमारा केवल मिलना ही नहीं होगा, हम अपने विचार भी बतायेंगे।

हम लोग खादीग्राम में जिस श्रम और साम्य की साधना में लगे हुए हैं, वह इस युग के लिए कोई खास बात नहीं है। इतना ही है कि हमने वह पहले शुरू की है। वह काल पुरुष का यानी जमाने का सन्देश है। काल-प्रवाह किधर जा रहा है, उसका भान ससार के साधारण लोगों को नहीं होता है। बिनोवा जैसा ही कोई व्यक्ति जन-जन को चेतावनी देने के लिए उठ खड़ा होता है। जब कभी भूकम्प शुरू होता है, तो प्रारम्भ में हरएक को उसका भान नहीं होता। शुरू में जमीन थोड़ी-थोड़ी हिलती है, तब तक भी लोगों को भान नहीं होता है। लेकिन जब एक आदमी समझकर घर के बाहर निकल आता है और चिल्लाना शुरू करता है, तब बाद में उसकी पुकार को सुनकर तथा भूकम्प को देखकर दूसरे लोग भी बाहर निकल आते हैं। जो व्यक्ति पहले बाहर आता है, उसे कोई त्यागी नहीं कहता। उसी तरह वर्ग-विषमता के कारण आज जिस तूफान के आसार दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर हम घर से बाहर निकल आये हैं, यह कोई हमारा त्याग नहीं है। केवल हमने समझदारी की बात की है।

आज हमने सालभर तक गॉव-गॉव के घर-घर में धूमने का सकल्प किया है। वह केवल इस समझदारी को सब तक पहुँचाने के लिए है। हमारे भाई-बहन और बच्चे आपके यहाँ जायेंगे और युग की मौग आपके सामने रखेंगे। गाधीजी ने देव को जो मन्त्र दिया है, जिसके अनुसार बिनोवा आज देव में काम कर रहा है, वह मन्त्र सामाजिक विषमता और जोषण के निराकरण का है। वह पूँजीवाद को समाप्त कर श्रमवाद को प्रतिष्ठित करने का मन्त्र है। सामाजिक जीवन को पूँजी के आधार पर से

उठाकर श्रम के आधार पर टिकाना है। इसलिए हमने अपने विविच्छालय का नाम 'श्रमभारती' रखा है, क्योंकि विविच्छालय का आवार पूँजी नहीं है, श्रम है। आज तो केवल श्रमभारती ही नहीं, हमारा सारा आनंदोलन ही सचित निधि से मुक्त हो गया है। श्रमभारती तो इस आनंदोलन का छोटा-सा वाहन मात्र है। तब यह सवाल उठता है कि हम जो अपने को क्रान्ति का वाहन मानते हैं, उनका गुजारा कहाँ मे हो। सम्पत्ति से ग श्रम से ? सम्पत्ति चाहे सरकार की हो, गांधी-निधि की हो या आप सबके घर-घर के बहुए और तिजोरी की हो, वह सचित निधि ही है, वर्थात् अमिक के श्रम से कमाया हुआ सुनाका रूपी धन ही है। हम जो श्रम-प्रतिष्ठा की दीक्षा लेकर निकले हैं, क्या इसी सचित-निधि के आग्रित होकर जियेगे ? अगर ऐसा किया तो हमारी क्रान्ति टूटेगी ! हम सब कमजोर मनुष्य हैं। हम भीष्म और द्रोण जैसे शक्तिशाली और सकल्पनिष्ठ नहीं हैं। भीष्म और द्रोण को आजीवन पाण्डुओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी दुर्योधन के आग्रित होने के कारण कुरुक्षेत्र मे बौरवों की ही ओर से लड़ना पड़ा था। तब हमारे जैसे कमजोर मनुष्य अगर पूँजी-आग्रित जीवन-न्यापन करते रहेंगे, तो वावजूद श्रम-प्रतिष्ठा की आकाशा के श्रम और पूँजी के कुरुक्षेत्र से क्या हम श्रम के साथ रह सकेंगे ? इसलिए हमने सोचा है कि हमारा परिवार इस गांवा में श्रम-आधारित ही रहे।

वैसे तो आप हमारे परिवार के लोग हैं और आपके घर टिकते समझ हम सहज ही आपके साथ खाना खायेंगे, पर गुजारे मे भोजन ही तो एकमात्र मद नहीं है ? दूसरी भी मद है। उनके लिए हम आपसे न सम्पत्तिदान माँगेंगे, न दूसरी ही किसी सचित-निधि से मढ़ मारंगे। हम आपके सेतों मे मजदूरी करना चाहेंगे। चेत का महीना आ रहा है। मजदूरों से आप अपनी रबी की फसल की कटनी कराते हैं। हमें विच्छान है कि आप हमें उस काम के लिए लगायेंगे और हमारे परिवार को मजदूरी देंगे। आपको हमने प्रेम है तो आपका श्रमदान भी हम ले लेंगे।

अर्थात् आप भी दो-तीन दिन हमारे साथ बैठकर कटनी में हमारी मदद कर दे। यह मदद हमारे विचार के लिए मत-दान ही होगा।

थभी आप कल से राजनैतिक पक्षों के उम्मीदवारों को बोट देने निकलेंगे। हम कोई राजनैतिक पक्षवाले नहीं हैं। हमारा लोकनैतिक पक्ष है, क्योंकि हमारा काम राज से चलनेवाला नहीं है। लोगों से चलनेवाला है। इसलिए हम आपसे बोट माँगने नहीं आते हैं। राजनैतिक पक्षों का चुनाव-आन्दोलन आज समाप्त होता है, तो हमारा लोकनैतिक पक्ष का चुनाव-आन्दोलन आज से आरम्भ होता है।

इस चुनाव में मैं निर्विरोध खड़ा हूँ। राजनैतिक चुनाव में जो निर्विरोध खड़ा होता है, उसे एक भी बोटर पूछता नहीं। यानी कोई उसके लिए बोट देने नहीं जाता है। लेकिन इस चुनाव में जो निर्विरोध खड़ा होता है, उसे हर बोटर बोट देने आता है। अतएव मैं आज आपसे बोट की माँग करना चाहता हूँ। साल में खरीफ या रबी के अवसर पर आप हमें तीन दिन कटनी करके श्रमदान कर दे। तीन दिन का श्रमदान हमारे लिए एक बोट होता है।

हम जब कहते हैं कि हम खादीग्राम विश्वविद्यालय श्रमदान से चलाना चाहते हैं, तो बहुत-से मित्र हमें पागल कहते हैं। वे कहते हैं कि इतना बड़ा काम आप श्रमदान से कैसे चलायेंगे? उसके लिए गाधी-निधि या सरकार से मदद लेनी चाहिए। आखिर श्रम की ताकत ही क्या है? मुझे ऐसे की बुद्धि पर तरस आता है!

आखिर सरकारी कोष और गाधी निधि क्या चीज है? श्रमिकों के श्रम में से कुछ मुनाफा आप लोगों की पेटी में पहुँचता है और उसमें से कुछ टुकड़े बटोरकर गाधी-निधि या सरकारी कोष बनता है। इस टुकड़खोर सम्पत्ति में शक्ति है और सम्पत्ति के मूल खोत भूमि में शक्ति नहीं है, ऐसा कहनेवाला पागल है या मैं पागल हूँ।

यह तो ऐसी ही बात हुई कि कोई व्यक्ति गमछा और कपड़ा लेकर नदी से स्नान करने के लिए जाता हो और दूसरा व्यक्ति उससे यह

कहता हो कि नठी में काफी पानी नहीं है, आप चलिये, मेरे गुसलखाने में। वहाँ चहवच्चा भरा हुआ है।

तो मैं इस जिले के हर बोटर से बोट माँगता हूँ। सब लोग साल में तीन दिन कटनी करके हमें श्रमदान करें। राजनीति के बोटरों से हमारे बोटरों की सख्ता अविक है। २१ साल की उम्र से पहले उनके बोटर नहीं बन सकते। पर जब से हँसिया पक्टना सीखते हैं, तब से लोग हमारे बोटर होते हैं। अर्थात् सात साल से साठ साल की उम्र तक के सभी लोग हमारे बोटर हैं। इस जिले की जन-सख्ता २८ लाख है। उसमें से २० लाख हमारे बोटर हैं। ये २० लाख बोटर जब हमें साल में तीन दिन का उमय देंगे, तो खादीग्राम ही क्यों, मेरे आपके जिले के २७ थानों में २७ श्रमभारती-केन्द्र बनाकर चला दूँगा।

श्रमभारती-परिवार के भाई-बहन इस जिले के गाँव-गाँव और घर-घर बोट माँगेंगे। जिले के तीन हजार गाँवों में हमारे बक्से रहेंगे। हर गाँव के लिए एक-एक पोलिग एजेण्ट चाहिए, जो गाँवभर के मत सम्प्रह करके उन्हें पेटी में डाले। हर गाँव में हमारे जो प्रेमी भाई-बहन हैं, वे अपना नाम पोलिग एजेन्सी में लिखाने की कृपा करें।

इसका मतलब यह नहीं कि हम आपसे सम्पत्तिदान नहीं माँगेंगे। माँगेंगे जरूर, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि उन साधनहीन श्रमिकों के लिए, जिन्हें आप जमीन दे रहे हैं। सदियों से हम लोग उनके श्रम से गुजारा करते आये हैं। उनकी अखो-खरखो की सम्पत्ति हमने अलग-अलग रूपों से लेकर भोग ली है और भोग रहे हैं। सम्पत्तिदान-यज उन्हींके धन का थोड़ा हिस्सा उन्हें ही वाप्स देने की कोशिश मात्र है। अतः सम्पत्तिदान से साधनहीनों को सामान देने का कार्यक्रम चलेगा। मुझे विश्वास है कि इस जिले के भाई-बहन इस यज में उत्साहपूर्वक आहुति देंगे।

अब मैं फिर से एक बार अपने परिवार की इस क्रातिगत्रा के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ।'

सभा के बाद श्रम-भारती-परिवार के सब लोगों ने अपना-अपना सामान उठा लिया और सब लोग यात्रा पर निकल पड़े। उस समय का दृश्य देखने लायक था। सारी जनता के नेत्र घोंसुओं से तर थे। अत्यन्त समारोह के साथ वहाँ की जनता ने पथिकों को विदा किया। नववाबू के साथ हम लोग अगले पडाव तक गये, फिर वापस चले आये। इस प्रकार सन् '५७ का वर्ष पट्ट-यात्रा का ही वर्ष रहा।

● ● ○

केन्द्रीय दफ्तर कार्यी से

श्रमभारती, खादीग्राम

२६-१२-१७८

सन् '५७ की पदयात्रा के कारण सर्व-सेवा-सघ का प्रवान दफ्तर खादीग्राम लाया गया, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन खादीग्राम के निवासों का खाली होना दफ्तर लाने का विशेष कारण नहीं था, वह तो एक उपलब्ध मात्र था। वस्तुतः दफ्तर आन्दोलन की प्रवृत्तियों के बीच रहे, यह विचार '९५४ में वोधगया-सम्मेलन के समय से ही होता आ गया है। विहार में दफ्तर लाने के नृजीव का भी कारण यही था, ऐसा विनोदाजी ने बताया था। उन्होंने कहा था कि आन्दोलन से अलिङ्ग और दूर रहकर दफ्तर की ओर से विशेष सेवा नहीं पहुँचायी जा सकेगी। दफ्तर को भी आन्दोलन का विचार तथा प्रेरणा नहीं मिल सकेगी। इसलिए दफ्तर वोधगया आये, ऐसा निर्णय हुआ था। बाद को वह तय हुआ कि मुख्य दफ्तर वर्षी ही रहे, आन्दोलन का दफ्तर 'गया' आ जाय। उसी सम्मेलन में मेरे अवक्ष होने के कारण दफ्तर की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही पड़ी।

सम्मेलन के बाद म खादीग्राम वापस आ गया। कुछ दिन बाद दस्तर की स्परेखा पर विचार करने के लिए सभी साथी खादीग्राम केन्द्रीय दफ्तर मध्य मिश्रो का वह परामर्श रहा कि वर्धा से दफ्तर का प्रश्न दसलिए हटाया जा रहा है कि वह विचार तथा प्रवृत्तियों के साथ सम-रस हो सके, तो क्या वह टीक नहीं होगा कि दफ्तर खादीग्राम में ही रखा जाय। खादीग्राम का तो जन्म ही आन्दोलन के नक्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ का जीवन तथा

वातावरण वैचारिक भूमिका की बुनियाद पर बने, ऐसी कोशिश हो रही है।

लेकिन उस समय मैंने इसे ठीक नहीं समझा। खादीग्राम में श्रम के आधार पर एक विशिष्ट जीवन-पद्धति का प्रयोग चल रहा था, वह समय प्रयोग के आरम्भ का ही था। थोड़े लोग थे। किसी जीवन-पद्धति के प्रयोग के प्रारम्भ में ही दफ्तर-प्रबृत्ति को जोड़ देना इष्ट नहीं होगा, ऐसा मैं मानता था। दफ्तर का काम ऐसा है कि कई तरह के लोगों को उससे शामिल करना पड़ता है। फिर हमारा दस्तर, चरखा-सघ आदि सभी पुरानी सत्याओं का सम्मिलित दफ्तर था। उसके कार्यकर्ता आन्दोलन का विचार तथा सन्दर्भ लेकर शामिल नहीं हुए थे। अतएव उनके जीवन में पुराना संस्कार और पुरानी परिपाटी घर किये हुए थी। ऐसी हालत में दफ्तर-प्रबृत्ति और खादीग्राम का प्रयोग एक साथ मिला देने से शायद प्रयोग का काम आगे न बढ़ सके, ऐसी आशंका थी। इसलिए मैंने साथियों से कहा कि फिलहाल खादीग्राम के प्रयोग को अलग रखो और दफ्तर गया मैं ही रहने दो। बाद में यदि कभी ऐसी परिस्थिति आये, जिसमें दोनों को मिलाने से आगे बढ़ने की सम्भावना हो, तो देखा जायगा।

सन् '५७ में जब ऐसा प्रसरण आया, तो यद्यपि पुरानी वात के सिल-मिले से निर्णय नहीं हुआ, फिर भी निर्णय वही हुआ, जो सब लोग पहले चाहते थे। दफ्तर खादीग्राम में आ जाने से, काफी गया से खादीग्राम कार्यकर्ताओं के चले जाने के कारण ग्रुर में कठिनाइयों

हुई लेकिन कुल मिलाकर लाभ ही हुआ। श्रम का अभ्यास हुआ, खादीग्राम के भीतरी वातावरण तथा आस-पास के गोंवों के श्रमदान, ग्राम निर्माण तथा ग्राम-सम्पर्क से उनके भीतर वैचारिक भूमिका बनी। जो नये आये, वे वहाँ के जीवन क्रम तथा विचार के आधार पर ही शामिल हुए। धीरे-धीरे उत्पादक श्रम के लिए निष्ठा भी बढ़ती दिखाई देने लगी। ऐसा लगा कि अब दोनों को मिलाकर चल सकेगा।

इसलिए मने दफ्तर और श्रम-भारती को अलग न रखकर मिला दिया और खादीग्राम को सर्व-सेवा-सब के प्रधान केन्द्र के रूप में संगठित करने में लग गया।

सर्व-सेवा-सब का प्रधान केन्द्र खादीग्राम होने से दफ्तर में वानेवाले पर भी अच्छा असर होता था। प्रधान केन्द्र में विक्षण तथा अन्य

प्रवृत्तियों का चलना आस-पास के देहांतों में ग्रामदान खादीग्राम से तथा ग्रामनिर्माण के बातावरण का होना सब की हाइ से लोगों के लिए एक अच्छा प्रभाव टालनेवाला हुआ। इससे तुम सबको काफी सन्तोष हुआ। लेकिन

खादीग्राम का प्रधान केन्द्र बनाने से दिक्कतें भी काफी बढ़ गयीं। डाक-न्तार की कोई व्यवस्था न होने से दुनिया से हमारा सम्पर्क नहीं के बराबर हो गया। कभी-कभी तार भी एक सप्ताह के बाद पहुँचता था। इस बीच ऐलवाल-सम्मेलन के कारण सरकारी विकास-योजना के साथ सहयोग का कार्यक्रम भी चल निकला। इससे कठिनाई और भी ज्यादा बढ़ गयी। इससे साधियों को बहुत तकलीफ होने लगी। पत्रों के उत्तर बहुत देर से पहुँचने के कारण सब जगह असन्तोष बटने लगा। इन तमाम परेशानियों के कारण आखिर में वही निर्णय हुआ कि दफ्तर किसी मव्यवर्ती स्थान में रखा जाय। इस निर्णय के अनुनार अगस्त १९५८ में दफ्तर काशी लाया गया।

सहूलियत की हाइ से दफ्तर को बनारस में रखने का निर्णय तो किया, लेकिन मुझे इससे समाधान नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ऐसे क्रान्तिकारी आन्दोलन का दफ्तर पुराने टग से केवल अहिंसक बाता-दफ्तर के रूप में नहीं रहना चाहिए। बल्कि जन वरण का प्रश्न सर्व-सेवा-सब ने आन्दोलन के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठायी, तो उसके प्रधान केन्द्र का स्वत्तप ही आन्दोलन के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। बापू ने चरखा-सब के बारे में कहा था कि हमारे केन्द्र विचार के ग्रोतक होने चाहिए। उन्होंने

मुसोलिनी के घर का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि वे जब चिलायत गये थे, तब रास्ते में मुसोलिनी से मिलने का उन्हें अवसर मिला था। उनके घर के फाटक से लेकर बैठक तक, जहाँ तक दृष्टि जाती थी, व्याघ्राम्बर और बन्दूक-तलवार आदि शस्त्राखों की ऐसी शृखला थी कि वहाँ प्रवेश करते ही लगता था कि यहाँ पर हिसा का वातावरण है। बापू का कहना था कि उसी तरह हमारे केन्द्र का वातावरण ऐसा होना चाहिए, जिससे आगन्तुकों के मन में हमारे विचार का उद्घोषन हो सके। खादीग्राम में अगर प्रधान केन्द्र रह सकता था, तो सर्व-सेवा-सघ के प्रधान की हैसियत से हम बापू के उस कथन को चरितार्थ कर सकते थे। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सके। इसे मैं अपनी असफलता मानता हूँ। सामान्य सहूलियत के कारण वैचारिक प्रयोगों को आसानी से छोड़ देना कमज़ोरी ही है। लेकिन हुआ ऐसा ही। सर्व सेवा-सघ में मैं अकेला ही व्यक्ति नहीं हूँ—ऐसे सघों में सामूहिक निर्णय ही असली चीज़ है। यह भी सामूहिक निर्णय ही था और विनोबाजी की राय भी थी, इसलिए इसे अपनी असफलता मानते हुए भी मुझे असन्तोष नहीं हुआ। ● ● ●

वराणसी

१-१-१००

सन् १९५७ में हमारे साथी सालभर की पद-यात्रा के लिए सपरिवार निकल पडे। विदाई के समय मेने कहा था कि जिसका दिल मर जायगा, उसे मैं वापस ले आऊँगा। मेरे इस कथन की साथियों को याद रही। वे जल्दी से टिल भरने का परिचय नहीं देना चाहते थे। लेकिन कुछ वहनों का त्वास्त्र खराब होने लगा, तो उन्हें वापस बुलाना पड़ा। छोटे बच्चों के कारण पदयात्री-योलियों को तथा गाँव में प्रवन्ध करनेवालों को कठिनाई होने लगी, तो उन्हें भी वापस बुलाया। फिर वरसात के दिनों में सभी वहनों और बच्चों को वापस बुला लिया। वस्तुतः यरसात के दिनों में देहात की पद-यात्रा अत्यन्त कठिन काम है। यायट इसीलिए पुराने जमाने में परिवाजको ने चातुर्मास्य की परिपाटी चलायी होगी। वे बरसात के दिनों में किसी एक स्थान पर ही रहते थे।

जो लोग यात्रा में रहे वे जन आवारित हो, ऐसा तथ किया गया था। फिर भी तेल-सावुन आदि की कुछ व्यवस्था सघ की ओर से थी।

लेकिन यात्रा में और भी अनेक खर्च होते थे, जिनको पदयात्रा के स्थानीय जनता पूरा नहीं कर सकती थी। जनता में जनुभव अक्षि नहीं है, ऐसी वात नहीं, बल्कि स्थानीय कार्य-कर्ताओं के कमी के कारण वह असमर्थता प्रकट होती थी। इस खर्च को साहित्य-विक्री के कमीशन तथा श्रम की कमाई की रकम से पूरा किया जाय, ऐसा सोचा गया। श्रम की कमाई के लिए विकास-योजना के बोध, तालाब आदि से काम करना ज्यादा सुविवाजनक था। इसलिए हमारे माथी बीच-बीच में ऐसे काम भी उठा लेते थे।

इससे खर्च की रकम की कमाई तो अत्यन्त गौण थी। ऐसी योजनाओं को लेने का असली लाभ यह था कि श्रम-प्रतिष्ठा के विचार के साथ-साथ वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की प्रक्रिया दर्शाने का अवसर मिलता था। ऐसी योजनाओं में स्थानीय लोग हमारे श्रम को मान्य करते थे और काफी तादाद में शामिल भी होते थे। इस तरह श्रम-आधारित पद्यात्रा का अनुभव लेते हुए हमारे साथी आगे बढ़ते रहे।

यात्रा चलती रही। भाई राममूर्ति को समाज-विज्ञान का अच्छा अनुभव था, अच्छा अध्ययन था। तीन साल खादीग्राम में रहकर जो अनुभव हुआ और आनंदोलन के बीच रहने से बड़े परिवार में विचार की जो पुष्टि हुई, उससे उनमें विचार सम-
प्रवेश आने की अच्छी क्षमता आ गयी थी। फलतः पद-

यात्रा के दौरान में जनसभाओं में जो भाषण करते थे, उनकी शोहरत दिन-दिन बढ़ती गयी। ठीक चुनाव के दिनों में पद्यात्रा न हो, ऐसी सलाह बहुत-से मित्रों ने दी थी, लेकिन हमने मान लिया था कि चुनाव के कारण आरोहण की प्रक्रिया में हेर-फेर करने का मतलब है कि चुनाव में निरपेक्षता नहीं है। इसलिए हमने चुनाव के बावजूद पद्यात्रा जारी रखी। उससे लाभ ही हुआ। चुनाव की गन्दगी तथा उसकी होड़ द्वारा उत्पन्न परेशानियों के कारण जनता पक्षनिष्ठ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से ऊंची हुई थी। उस समय चुनाव की स्मृतियाँ ताजी थीं। परेशानियों वर्ना हुई थीं। जब जनता यह देखती थी कि ये लोग किसी पक्ष में नहीं हैं, किसीकी निन्दा नहीं करते, बल्कि एक रचनात्मक विचार दे रहे हैं और साथ ही उसके लायक हल्का कार्यक्रम भी बता रहे हैं, तो उसका आकर्षण हमारी ओर सहज ही बढ़ जाता था। खादीग्राम में रहते श्रम के आधार पर हम जो कुछ सार्वजनिक सेवा करते थे, उसके बारे में जिले के लोग कभी कभी सुना करते थे। सन् '५५ के अन्त में जो ग्राम-राज-सम्मेलन हुआ था, उससे खादीग्राम की शोहरत कुछ बढ़ी थी। अब जब हमारे काम का दृग जनता ने देखा तथा

विचारों का विवेचन सुना, तो उसे बड़ा सन्तोष हुआ। हर पटाक पर दो दिन टिकने की परिपाठी रखने के कारण तथा घरों में बैठकर भौजन करने से लोगों से आत्मीयता भी बढ़ी। इन तमाम कारणों से विद्यारपुण-सम्मेलन की जन-सभा में कही हमारी यह बात काफी हठ तक नार्देह होती थी कि हम अब अपने बड़े परिवारों में प्रवेश कर रहे हैं।

पद्यात्रा से हमें एक और लाभ मिला। हम नचनात्मक कार्य-कर्ताओं से पद्य-निरपेक्ष रहने के लिए कहते हैं। पश्च निरपेक्षता दो तरीओं से सध मकती है—हरएक पश्च को अलगाकर या अपना-पक्ष-निरपेक्षता कर। १९५५ में एक माह मेंने कलकत्ता में दिताया

था, उसका विवरण लिख चुका हूँ। उन दिनों में सर्वांदय के कार्यकर्ताओं की बैठकों में जाता था, तो नुनता था कि वे अपने को निर्दलीय पश्च का कहते थे। मैंने उसी समय उन्हें बताया था कि सर्वोदय अगर सबका उदय यानी सबका शुद्धीकरण चाहता है, तो उसको निर्दलीय न बनाकर सर्वदलीय बनाया जाय। इस सदर्भ में भी पद्यात्रा से हम लोगों को लाभ हुआ। दिसम्बर '५५ में 'ग्राम-स्वराज्य-सम्मेलन' के अवसर पर खाड़ीग्राम के एक ही मच पर जब सभी पक्षों ने लोग समान कार्यक्रम पर सहमति प्रकट कर रहे थे, तब सामने बैठा हुआ जिलेभर का विराट् जनसमूह सर्वांदय के सर्वदलीय न्यूहप को देखने गदगाड हो रहा था। आज जब उसी सर्वांदय के मुद्दीभर सेवक गॉव-गॉव में धूमकर मर्वांदय का विचार-प्रचार कर रहे थे, तब उन्हें हर पन के लोगों का प्रेम मिल रहा था। वे सब उत्साह से सभाओं से आते थे। भाईं राममृति से विचार-विनिमय करते थे और मतभेदों के रूपे हुए भी काफी दूर तक सहमति जाहिर करते थे। इस प्रकार कुल मिलावर पद्यात्रा ने मुगेर जिले में सर्वोदय-विचार आ गहरा प्रचार किया तथा व्यापक रूप से लोक सम्मति हासिल थी। प्रामीण जीवन तथा उनकी समस्याओं के साथ गहराई का सम्बन्ध और परिचय हुआ। वर्ष के अन्त में जब सब लोग लौटे, तो उनके पास अनुभव और प्रेम झी

भरपूर पूँजी थी। इससे प्रत्येक साथी को आगे के जीवन के लिए यात्रा-पाधेय संग्रह करने का अवसर मिला।

यात्रा की फलश्रुति में दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह रहा कि जिलेभर सर्वोदय-प्रेमी मित्र तथा सेवक बने। हमने फरवरी '५८ में ऐसे मित्र तथा सेवकों का एक माह का शिविर करने का निर्णय सर्वोदयी मित्रों की किया था। यह समय किसानों की अत्यन्त व्यस्तता संख्या में वृद्धि का था, क्योंकि इन दिनों रबी की फसल कटने का मौसम शुरू हो जाता है। फिर भी शिविर में १२५ भाइ-बहनों ने भाग लिया था। शिविर में प्रगिक्षित सेवक आगे चलकर जिले के काम की गति सावित हुए।

खादीग्राम से श्रम और साम्य का जो प्रयोग मैं कर रहा था, उसका क्रम-विकास नैं वता चुका हूँ। धीरे-धीरे नये लोग, नये कार्यकर्ता आने लगे और चालू परिपाठी के अनुसार साम्ययोगी-परिवार साम्ययोगी परिवार की कठिनाइयाँ में शामिल होने लगे। इनके शामिल होने में परिवार के साथ पहले से किसी स्नेह-सम्बन्ध का आधार नहीं था। इसलिए जिस पारस्परिक स्नेह के आधार पर परिवार बना था, वह धीरे-धीरे हल्का होता गया और आखिर मे इसका रूप बहुत कुछ स्थगित रिवाज जैसा हो गया। भावना ठीक थी, आचार भी शुद्ध रहता था, लेकिन शुरू मे परिवार-भावना मे जो स्वाभाविकता थी, वह नहीं रही। सामूहिकता के भीतर कृत्रिमता की झलक दिखाई देने लगी, तो सहज ही मेरे मन मे यह शका पेंदा हुई कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं, वे वैचारिक दृष्टि से सही होने पर भी क्या सही उपादानों के द्वारा चल रहे हैं? तुम जानती ही हो कि मेरे मन मे जब कोई विचार उठता है, तो मैं अपना सर्वस्व चिन्तन उसीमे लगा देता हूँ। तो उन दिनों मेरा सारा ध्यान परिवार-भावना, साम्य-योग, समवेतन आदि प्रश्नों पर जोरो से गया। क्या समविचार परिवार का आधार हो सकता है? अगर नहीं, तो कौन-से

तत्त्व पर परिवार बन सकता है ? पुराने जमाने में रक्तगत एकता के आधार पर परिवार बनता था, लेकिन रक्त का तत्त्व भी परिवार बनाने के लिए टिकाऊ नहीं सावित हुआ । फिर कोन-सा तत्त्व है, जिसके आधार पर परिवार बन सकता है ? दूसरा सवाल यह खड़ा हुआ कि परिवार न सही, लेकिन सामूहिक जीवन तो बन सकता है । सहकार और सहभोग तो सामाजिक प्रक्रिया है, उसके लिए परिवार-भावना पैदा होना आवश्यक है क्या ? परिवार-भावना का पैदा होना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन सामाजिक सहकार तथा सहभोग के लिए भी किसी न किसी प्रकार के जुड़ाऊ तत्त्व की आवश्यकता तो है ही । इस प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे विचार को आलोड़ित करते ये । खादीग्राम के परिवार का विश्लेषण करने लगा, तो उसमें मुझे कई चीजें दिखाई पड़ी, जो परिवार बनाने के लिए अनुकूल नहीं थीं । पहली बात यह थी कि नव लोगों में सम विचार नहीं था । साथी कार्यकर्ता समान आदर्श तथा विचार से प्रेरित होकर जीवन की पूर्व-परिस्थिति को छोड़कर खादीग्राम में एकत्र हुए थे । लेकिन उनके परिवार उस प्रकार के विचार और आदर्श के पीछे नहीं आये थे । परन्तु सामूहिक परिवार में तो वे भी थे । किसी परिवार का मुख्य उपादान त्वी होती है । खादीग्राम के परिवारों की स्थियों में आदर्श तथा विचार की मान्यता न होना, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी । दूसरी स्थिति यह थी कि एकआध को छोड़कर बाकी सबके दो घर हो गये थे, एक खादीग्राम, दूसरा उनका पुराना घर, जहाँ से वे आये थे । लोग खादीग्राम के लिए एक-दूसरे से बैंबै हुए थे, लेकिन प्रत्येक की कमर पुराने घर के खैंटे से भी बैंबी हुई थी । ऐसी स्थिति में पूरे व्यक्तित्व पर खोचा-तानी की सी दशा कायम रहती थी । आदर्श और विचार उन्हे एक-दूसरे की ओर आकृष्ट करते थे और कमरवाली रस्सी विपरीत दिशा की ओर खींचती थी । इस प्रकार के विभाजित व्यक्तित्व के कारण ही पारिवारिक स्वाभाविकता नहीं आ पाती थी । तीसरी बात यह थी कि नादीग्राम के जीवन में गहकारी पुरुषार्थ की बुनियाद नहीं थी, हम

परिवारवाले अपनी जीविका के लिए परस्परावलम्बित नहीं थे। बाहर से उपभोग के लिए जो सामग्री आती थी, उसकी कोई स्वाभाविक मर्यादा नहीं थी। बाहरी सहायता से पली हुई जमात, स्वावलम्बी जमात की स्वाभाविक मर्यादा को समझ नहीं पाती है।

वस्तुतः इन तमाम परिस्थितियों के होते हुए भी हमने जो परिवार बनाने का साहस किया था, वह अल्यन्त कठिन प्रयोग था। फिर भी हमारे

साथी जब उसे एक कामचलाऊ सफलता की तरह स्नेह और सामू-चलाने लगे, तो उससे मुझे काफी सतोष रहा। इससे हिंक पुरुषार्थ देख के लोगों की प्रेरणा भी मिलती थी। पर मेरे मन को उससे पूरा समाधान नहीं था।

काफी सोचने पर मुझे लगता था कि कुटुम्ब-भावना के लिए कम-से-कम दो चीजें तो आवश्यक हैं। पहला स्नेह-तत्त्व, दूसरा सामूहिक पुरुषार्थ की बुनियाद, जो जीविका के साथ जुड़ी हो। प्रारम्भ में स्वादीग्राम में जो थोड़े लोग थे, उनमें दो मे से एक ही पर प्रमुख तत्त्व था। यानी उनमें परस्पर स्नेह था। यह स्नेह कुछ पूर्व-परिचय के कारण और कुछ साथ मिलकर शुरू में कठिन जीवन विताने के कारण बना था। बाद में जब नये लोग बनी-बनायी संस्था की सहूलियत में शामिल होने ल्ये, तो उनमें वह चीज पैदा नहीं हो सकी। मुझे ऐसा लगा कि ग्रायद संस्था में इन तत्त्वों का निर्माण करना समव नहीं है। गॉव की स्थिति और संस्था की स्थिति में अन्तर होगा ही। गॉव में रहनेवालों के दो घर नहीं होते। आज की ऐंजीवादी समाज-व्यवस्था के बावजूद जीवन-सघर्ष के लिए काफी हद तक पराम्परावलम्बन की आवश्यकता है। बश-परम्परा से साथ रहने के कारण स्नेह सम्बन्ध निर्माण की काफी गुजाइश होती है। ग्रामदान होने पर जब सम-विचार और सम-आदर्श कायम हो जाता है, तो सामूहिक पुरुषार्थ में उपर्युक्त अनुकूल परिस्थिति मिलकर कुटुम्ब-भावना का अवसर निर्माण कर देती है। ऐसा संस्थाओं में नहीं होता।

पर्याप्त उन दिनों मेरे दिमाग को इन उपर्युक्त विचारों ने आलोड़ित

कर सका था, फिर भी खादीग्राम के प्रयोग को प्रेरणादायी मानकर चलाता था। लेकिन मन से रह-रहकर यही विचार आता था कि इस प्रकार के सामाजिक प्रयोग गाँव की स्वाभाविक जलवायु में ही सफल हो सकते हैं, इसलिए साथियों को खादीग्राम से निकलकर ग्रामीण जनता में विलीन होने के लिए कहता रहता था।

पद्मावता में जो बहने और बच्चे थे, वे जुलाई में खादीग्राम आ गये थे। यहाँ बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ की लड़कियों को भाहिला-आश्रम भेज दिया। वाहर के निराशा का बच्चों को उनके घर भेज दिया। छोटे बच्चों के बातावरण शिक्षण की व्यवस्था कर ली। बड़े लड़कों को पढ़ाना में ही छोड़ दिया। यहाँ केवल बहने ही रह गयी थी।

खादीग्राम के जीवन में काफी ढिलाई आने लगी। साथियों की विचार-निष्ठा के कारण जो कृत्रिमता दबी रही थी, वह उनकी अनुपस्थिति में उभड़ने लगी। गया से दफ्तर भी यहाँ आ जाने के कारण अधिकारी कार्यकर्ताओं में भी वह विचार-निष्ठा नहीं रही। इस तरह खादीग्राम के परिवार में विचार-निष्ठा कार्यकर्ताओं की पलियाँ और अनेक प्रकार की भावनाओं-बाले कार्यकर्ता रह गये। स्पष्ट है कि ऐसी जमात में साम्य योग, परिवार-भावना आदि की चेष्टा निष्फल होनी ही थी। परम्परा के कारण चीजें वे ही रही, लेकिन वे निर्जीव थीं। इसलिए १९५७ में खादीग्राम के जीवन का नैतिक स्तर बहुत गिर गया, जो अन्त-अन्त तक बना रहा। वाहर से जो कोई आता, वह मेरे पास अपना असन्तोष प्रकट करता और सुझाव देता कि इसके लिए कुछ बीजिये। “हम लोग बहुत बड़ी प्रेरणा की आशा से आपके यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर हमें बहुत निराशा होती है।” मैं उन्हे वस्तुस्थिति का भान कराता था, लेकिन इससे उन लोगों को कैसे समाधान होता? ऐसी ही परिस्थितियों में १९५७ का वर्ष समाप्त हो गया और सन् १९५८ की पहली जनवरी को क्रान्ति-यात्रा से लोग लौट आये।

स्वभाव-वेतन और साम्य-योग की साधना : ६ :

श्रमभारती, खादीप्राप्ति

१८-१-५९

भूदान-आन्दोलन विषमता-निराकरण का आन्दोलन है। हम सब लोग इसका प्रचार करते हैं और देशभर में गांधीजी के बताये कार्यक्रम को चलानेवाली रचनात्मक संस्थाओं में काम करनेवाले लोग भी ऐसा ही कहते रहते हैं। लेकिन हमारे सारे समाज में एक बड़ी विसंगति है। हम जिन संस्थाओं में रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जिनके माध्यम से विषमता निराकरण का सन्देश फैलाते हैं, उन्हीं संस्थाओं में इतनी अधिक विषमता का आधार बना रहता है कि जनसाधारण को भी वह दिखाई देता है। कहने के लिए यह कहा जा सकता है कि ये संस्थाएँ समता की क्रान्ति की कोख में से नहीं जनमी थीं, तो इनसे समता की अपेक्षा क्यों की जाय? यद्यपि इनकी स्थापना बापू की प्रेरणा से हुई थी, फिर भी इनका समाठन राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर हुआ था। सामन्तवाद को माननेवाला या पूँजीवाद का समर्थक भी स्वातन्त्र्य-संग्राम का मैनिक बन सकता था, इसलिए स्वातन्त्र्य-संग्राम के लिए स्थापित संस्थाएँ यदि समता का आधार नहीं रखतीं, तो उसमें एतराज भी क्या हो सकता है? पिछले पचीस सालों में संस्थाओं की विषमता पर किसीने कुछ टीका भी नहीं की है, क्योंकि किसीको उसमें किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं दिखाई देती थी। परन्तु जब से भूदान-आन्दोलन शुरू हुआ, विनोवा समता की वाणी लेकर देशभर में घूमने लगे तथा पुरानी रचनात्मक संस्थाएँ उस वाणी का वाहक बनने लगीं, तब से संस्थागत विषमता लोगों को खटकने लगी। संस्था के बाहर और भीतर असन्तोष भी बढ़ने लगा।

गार्वी-आश्रम, उत्तर-प्रदेश का वायिक सम्मेलन मेरठ में हो रहा था। अपनी परिपाठी के अनुसार गार्वी-आश्रम ने उत्तर-प्रदेश के सभी

रचनात्मक कार्यकर्ताओं को आमन्त्रित किया था।

वेतन-विप्रमता एक सदस्य के नाते मैं भी बहँ मौजूद था। काफी का प्रश्न अरसे से बाहर रहने के कारण मैं इन दिनों आश्रम के कामों से अलग हो गया था, लेकिन इस बार के

सम्मेलन में मुझे बोलना पड़ा। मैंने देखा कि सम्मेलन में आश्रम के कार्यकर्ता तथा बाहर के लोग वेतन-विप्रमता पर उत्कट टीका कर रहे हैं। वे आश्रम के सचालकों को परेशान भी कर रहे थे। मैंने गिकायत करनेवालों से पूछा “आप आश्रम में जानु लगानेवाला रखते हैं, कुछ दूसरे मजदूर भी रखते हैं, जानु घर पर भी मजदूर रखते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्यों नहीं उनके बराबर मजदूरी लेते, तो आप तुरन्त जबाब देंगे कि आपकी योग्यता या कार्य-क्षमता उनसे अदिग है। आप कहेंगे कि ‘मैं वौद्धिक काम करता हूँ, इसलिए मैं अधिक लेता हूँ’, तो आपसे अधिक बुद्धि रखनेवाला या अधिक योग्यता रखनेवाला व्यक्ति अधिक लेता है, तो एतराज क्यों करते हैं?” इतना कहकर मैंने उनके सामने समता और क्षमता की दो विचारधाराओं का जिक्र किया। मैंने कहा कि पहले मनुष्य क्षमता का कायल था और आज भी आप उसीके कायल हैं, तो जब सत्याएँ उसके अनुसार ही अपनी वेतन-मर्यादा रखती हैं, तो आपसों एतराज नहीं होना चाहिए।

स्थायों के स्वरूप तथा गिकायत करनेवालों की मनोभावनाओं के सन्दर्भ में मैंने जो कुछ कहा, सही कहा। लेकिन प्रब्ल यह है कि पिछले पचीस-तीस साल से स्थायों के स्वरूप ऐसे ही होने पर भी लोगों में असन्तोष नहीं था, पर आज क्यों हो रहा है? इसका उत्तर स्पष्ट है। वह यह कि जमाना बदल गया है। इस जमाने में मनुष्य विप्रमता बर्दादत नहीं कर सकता। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में आज समता चानारा बुल्ना है। फिर जिन स्थायों का दावा वह है कि वे बापू के

स्वप्न के अनुसार अहिंसक समाज-रचना करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उनसे जनता को अगर विशिष्ट अपेक्षाएँ हो, तो उसमें आश्चर्य क्या है। इस युग में जब विनोबा कहते हैं कि सारी उत्पत्ति की जननी भूमि का समान वितरण किया जाय और गॉव-गॉव में यह सन्देश फैला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे साधारण जनता को साम्यधर्म की दीक्षा दे रहे हैं। साधारण जनता के लिए जितना धर्माचारण अपेक्षित है, निःसन्देह उस धर्म के पुरोहित के लिए उससे ऊँचे आचरण का विधान होगा। तो यदि गांधीवादी रचनात्मक सम्प्रयोग साम्यधर्म के पौरोहित्य का दावा करती हैं, तो उनके आचरणों का प्रकार क्या होगा, यह तुम समझ ही सकती हो। यही कारण है कि हमारी सम्प्रयोगों के बारे में आज देशभर को असन्तोष है।

विनोबा इस परिस्थिति को देख रहे थे। वे रह-रहकर कार्यकर्ताओं से कहते थे कि सम्प्रयोग का कोई-न-कोई कदम उठाना चाहिए। तुम लोगों को मालूम ही है कि ये अपने द्वारा सम्प्रयोग के लक्ष्मी वाबू अग्रगामी विचार के लिए हमेशा मुस्तैद रहते थे। सन् १९४५ में जब वापू ने चरखा-सघ के नवसंस्करण की बात की थी, तब लक्ष्मी वाबू ही, जो उस समय विहार चरखा सघ के मन्त्री थे, सबसे पहले आगे बढ़े। सन् १९४८, ४९ में जब मैं केन्द्रित-उद्योग बहिष्कार की बात करता था और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की बात होने के कारण वह बोली मुँह से निकलते निकलते ही सख्त जाती थी, तो वह लक्ष्मी वाबू ही थे, जिन्होंने विहार में उस आनंदोलन को अपनाया। १९५५ में जब मैंने तन्त्रमुक्ति की बात शुरू की थी, तब बाबजूद इसके कि हमारे सभी साथी उस विचार के खिलाफ थे, लक्ष्मी वाबू ने कहा कि यह बिल्कुल सही रास्ता है और सबसे पहले खुद तन्त्रमुक्त होकर आनंदोलन चलाने की बात की। आज लक्ष्मी वाबू नहीं है। उनकी बाते रह-रहकर याद आ

रही हैं। वे होते तो कम से-कम विहार में चालीसगाँव के प्रस्ताव से आन्दोलन को सर्वजन-आधारित बनाने का विचार चला, उसका लम्बा कुछ और होता। अब तक लक्ष्मी वाबू ने विहारभर में तूफान मचा दिया होता। खादीग्राम के साथियों को सर्वजन-आधार पर सेवा करने का मार्ग निकालने में जो कठिनाई हो रही है, वह नहीं होती। लेकिन वे होते तो क्या होता, ऐसी बात सोचने से क्या लाभ है? लाभ चाहे न हो, याद तो आती ही है।

लक्ष्मी वाबू विहार खादी ग्रामोद्योग सघ के अव्यक्त थे। वे अपनी सत्था में समवेतन का प्रस्ताव लाये। उनका प्रस्ताव किसीको भी मजूर नहीं था। सत्था के, मन्त्री व्वजा भाई तथा सचालक-विहार खादी-संघ मण्डल के सभी अन्य सदस्य इसके खिलाफ थे। व्वजा-में सम-वेतन भाई ने मेरी राय ली। मैंने भी खिलाफ राय दी।

तुम पृछोगी कि खादीग्राम में साम्ययोग में लगे रहने पर भी मैंने समवेतन के खिलाफ राय क्यों दी? तुम सबको मालूम है कि इस दुनिया में कोई वस्तु निरपेक्ष नहीं है, हर वस्तु सापेक्ष है, यह मेरा मानता हूँ। वस्तुत मेरी इस मान्यता के कारण वहुत-से मेरे साथी परेगान रहते हैं। वे जब देखते हैं कि समान समस्या के लिए भी अलग-अलग साथियों को अलग-अलग राय देता हूँ, तो वे कभी-कभी घबड़ा भी जाते हैं। समवेतन कभी-कभी वे मेरी मति-स्थिरता पर भी सन्देह करने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति, सत्था या राष्ट्र का अपना स्वभाव तथा स्वधर्म होता है, यह स्वधर्म और स्वभाव हरएक में अलग अलग होता है। अगर उनकी कार्य-सूची इसके अनुसार न हो, तो नि मन्देह वह सफल नहीं होगा। खादी ग्रामोद्योग-सघ का भी एक स्वभाव और स्वधर्म था। राष्ट्रवादी आन्दोलन की कोख से जनमी हुई सम्या पचीस साल में प्राप्त हो चुकी थी। इसका स्वभाव और स्वधर्म राष्ट्रवादी होना ही स्वाभाविक था, साम्यवादी नहीं। यही कारण है कि मैंने समझा कि साम्य का विचार न पचा सकने के कारण खादी ग्रामोद्योग-सघ के कार्यकर्ता दिक्षाग

हो जायेगे। लेकिन लक्ष्मी वाचू का त्याग, उनकी तपस्या तथा सकल्य-निष्ठा असीम थी। उन्होंने अपने साथियों को समझाना शुरू किया। आखिर विनोबाजी की प्रेरणा तथा लक्ष्मी वाचू के सकल्य के फलस्वरूप खादी सब के सचालक-मडल ने मान लिया और वहाँ समवेतन का सिद्धान्त लागू हो गया।

स्थानों में परिवार-भावना का निर्माण होना असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन है, यह बात मैं पहले लिख चुका हूँ। लेकिन समाज में

जब साम्य-प्रतिष्ठा की कोशिश की जा रही है, तो सम-वेतन और कोशिश करनेवाली संस्था में साम्य होना ही चाहिए, साम्य-साधना इतना मैं मानता था। अतएव यद्यपि व्यावहारिक

दृष्टि से मैंने खिलाफ राय दी थी, फिर भी समवेतन के निर्णय से मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। लेकिन समवेतन के निर्णय के साथ-साथ एक दूसरा विचार मेरे मन में उठने लगा। वह यह कि अगर संस्था में सबका समान वेतन हो जाय, तो क्या वह समाज में साम्य-स्थापना का द्वातक है? क्या उतने मात्र से हम कह सकते हैं कि हम साम्ययोग की साधना में लगे हुए हैं? किसी संस्था के लोग अगर यह निर्णय करे कि वे सबको ५०००) मासिक वेतन देंगे, तो क्या इसे तुम साम्ययोग साधना मानोगी? अमेरिका में कोई संस्था अगर २०००) का समवेतन रखती है, तो उसे शायद साम्ययोग साधना कहा जा सकेगा, लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है, तो केवल समवेतन से साम्ययोग सध नहीं सकता, यह साफ है। देश, काल तथा पात्र के अनु-सार साम्ययोग का प्रकार अलग होगा। हम जिस साम्य की बात करते हैं, वह सामाजिक साम्य है न? तो कोई संस्था अगर साम्ययोग साधने का सकल्य करे, तो उसके लिए कोई वेतन-समता ही काफी नहीं है, बल्कि समवेतन का मान निर्धारित करते समय सामाजिक मान के सदर्भ को सामने रखना होगा। खादीग्राम से सटा हुआ ललमठिया गांव है। खादीग्राम के निर्माण के सिलसिले में वहाँ के स्त्री-पुरुष और बच्चों सबको

काम मिलता रहता है, फिर भी हम जब उस गौव के थोड़े छटोरने लगे, तो देखा कि उस गौव की आमदनी ३००-४०० प्रति परिवार के बीच है। इस हिसाब से तुम उन देहातों की हालत आ अन्दाज लगा सकती हो, जिसकी बगल में कोई ऐसा निर्माण-कार्य नहीं हो रहा हो, जिससे गौववालों को काफी मजदूरी मिल सके। विहार, हिन्दुस्तान का एक गरीब प्रदेश है, यह तुम्हें मालूम है। अतएव इस प्रदेश में अगर हम कार्यकर्ता १००० मासिक सम-चेतन का निर्णय करें, तो आज की सार्वजनिक स्थायों की जो स्थिति है, उसे देखते हुए विषमता-निराकरण की टिक्का में एक बड़ा कठम उठाना ऐसा माना जा सकता है, लेकिन अगर उसके आगे विचार न करें, तो हम साम्ययोग सावना की ओर कठम उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साम्ययोग सावना की ओर यात्रा है—ऐसा तभी माना जा सकेगा, जब हम कोई भी कठम उठायें वह सामाजिक परिस्थिति से अनुग्रन्थित हो, चाहे प्रारम्भ में पेसे की दृष्टि से हम अधिक पेसे से शुरू करें।

स्थाय का आन्तरिक विषमता-निराकरण थपनी जगह पर भारी महस्त रखता है। अगर देश की सभी रचनात्मक स्थायें अपने प्रतिश्वान् के भीतर वह नियम बना ले, तो आज की विषमता से जर्जरित समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश हो सकेगा। इस कारण समाज में जो प्रेरणा निर्माण होगी, उसमें परिणति से राज्य स्थाय पर भी असर हो सकता है। अगर वह भी चेतन समता की ओर कठम उठा सके, तो इसका देश में बहुत व्यापक परिणाम होगा, उससे देशभर के सामाजिक तथा नैतिक दृष्टिकोणों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। लेउन स्थागत विषमता-निराकरण एक चीज है और साम्य-योग सावना दूसरी चीज है। साम्य-योग साधना के लिए यह आवश्यक है कि साधक जिस समाज का नागरिक है, वानी सेवक है, उस समाज के साथ तद्दृप हो अर्थात् अपने को उसकी दृष्टिप्रकृति से शामिल करे या उसकी विधि और अपने वरावर कर सके।

विहार खादी ग्रामोद्योग-सघ के लोगों ने समवेतन का निर्णय लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में उठाने के लिए मुझे निमन्त्रित किया, तो मैंने उनसे कहा : “आप लोगों ने जो निर्णय किया है, वह जनता का स्तर प्रशसनीय है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अगर उठाना जरूरी आपकी सत्था विनोद के आनंदोलन का बाहक बनना चाहती है, तो उसे आगे बढ़कर साम्ययोग-साधना में लगना होगा।” मैंने उनसे पूछा कि डाकुओं या चोरों के गिरोह डाके या चोरी से प्राप्त सामग्री को अपने में समान वितरित कर लेते हैं, तो क्या हम उन्हे साम्य-साधक कह सकेंगे ? ऐसा नहीं कह सकेंगे। आज की बाजार भाव के अनुसार एक परिवार के लिए १००) बहुत अधिक नहीं है, इसलिए उन्हे उसे कम करने की कोशिश नहीं करनी है, बरन् अपने केन्द्र के आस-पास के देहातों की सेवा इस प्रकार करनी है, जिससे उनकी आमदनी भी प्रति परिवार १००) मासिक हो जाय। इसलिए उनकी जिम्मेदारी, केवल वस्त्रोद्योग से बेकारों को काम देना नहीं है, बल्कि खेती आदि सभी धरों में उन्नति कर तथा सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाना है।

खादीग्राम में भी जब वेतन-मान की चर्चा होती थी, तब तब मैं वहों कहता कि “आप उतना ही वेतन ले सकते हैं, जितना पचीस तीस साल में आस-पास की जनता को ऊपर उठा सकते हैं। अगर उनको जहाँ तक पहुँचाने का भरोसा है, उतना ही आप आज से लेते हैं और उन्हे उठाने की प्राण-पण से कोशिश करने लग जाते हैं, तभी मैं कहूँगा कि आप साम्ययोग की साधना में लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी दिशा सामाजिक साम्य प्रस्थापित करने की ओर है।”

जिस समय मेरे दिमाग में इन्हीं विचारों की उथल-पुथल मच्छी हुई थी, उन्हीं दिनों खादीग्राम के साथी पदयात्रा के लिए निकले। इससे फिलहाल मेरा चिन्तन सम्भव के सदर्भ से हटकर गौव के सदर्भ में चला गया। इस चिन्तन ने साम्ययोग की साधना के बारे में भी मुझे नथी वात सुझायी, जिसका उल्लेख फिर कभी कहूँगा।

लल्लस्टिया ऐं ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी : ६ :

ग्रामभारती, न्यायीनाम

२१-१-३०२

पिछले कई पत्रों में मैंने खाटीग्राम के प्रयोगों की चर्चा की। आज भूदान-आन्दोलन की कुछ चर्चा करने का विचार है। १९५१ से अब तक विनोवा तेलगाना के विव्वसकारी ताष्टव को नमित करने के लिए उसी प्रकार निकल पड़े, जिस प्रकार वापू नोआखाली की ओर अद्देते चल पड़े थे। विनोवा अकेले ही थे। सर्व-सेवा-सुव भी उस समय उनके साय नहीं था। लेकिन इतिहास की आवश्यकता की प्रति तथा विनोवा की तपस्या फलीभूत होने लगी। विचार आगे बढ़ने लगा और त्यों ज्यों विनोवा का कदम आगे बढ़ता गया, त्यों त्यों देश में वायु के बेग म बुद्धि होती गयी। सालभर के भीतर सेवापुरी सम्मेलन के अवसर पर इस हवा ने तूफान का रूप लेकर पूरे भारत को धेर लिया।

सारे भारत की दृष्टि तो इसने आकर्षित कर ली, लेकिन आकर्षण किसके लिए था, यह लोगों की समझ में नहीं आया। लोग आश्चर्य-चकित होकर देखने लगे, क्योंकि मामला अत्यन्त अभिनव था। जिन जमीन के लिए भाईं-भाईं में फौजदारी हो जाती है, उसे लोग अपने-आप छोड़ रहे हैं, वह कल्पनातीत बात थी। जब वापू ने जेल में बैठकर भाईं प्यारेलाल्जी के प्रनों के उत्तर में कहा था कि लोग खुशी से अपनी जमीन छोड़ देंगे, तो वापू के अनेक वाक्यों की तरह इस पर भी लोगों ने व्यान नहीं दिया था। लेकिन वही चीज आज हो रही है। उस समय लोगों का जो आकर्षण था, वह न विचार के प्रति था और न आन्दोलन के व्यावहारिक स्वरूप के प्रति। वह था इसके नयेपन के प्रति। वह बुद्धिजित न होकर, आश्चर्यजनित था।

फिर विनोदा धीरे-धीरे भूदान-यज्ञ के मूल विचार को समझाने लगे, तो लोगों की बुद्धि में बात धैर्य से लगी। कुछ लोग भारत में बढ़ते हुए इर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार की भूदान-यज्ञ का अनैतिकता के बीच इस नये नैतिक आन्दोलन का विकास स्वागत करने लगे, कुछ लोग इसे भूमि-समस्या के हल के रूप में देखने लगे। कुछ लोग गरीबों के लिए एक स्थायी राहत समझकर इसकी ओर आकर्षित हुए। कुछ लोग नारतीय सत्कृति का पुनरुद्धार समझकर इसे आशीर्वाद देने लगे और कुछ लोग, तो इसे विधमता तथा शोषण-निराकरण का बाहन ही मानने लगे। इस प्रकार अपनी-अपनी भावना के अनुसार लोगों ने विभिन्न पहलुओं से उसका स्वागत किया और इस ओर आकर्षित हुए। देश में बड़ी आशा निर्माण हुई। इसका दर्जन हमें १९५३ के चाहिल-सम्मेलन में हुआ। १९५३ में भूदान ने एक निश्चित राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले लिया। अनेक नये तर्फ़ और तर्फ़ियों इसमें शामिल हुईं। विहार में लाखों एकड़ भूदान भी मिलने लगा। धीरे-धीरे आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तरात् मिली। इस तरह '५३ का वर्ष अग्रगति का साल कहा जा सकता है। '५४ में बोधगया के सम्मेलन के अवसर पर आशा का बरना इस तेजी से बहने लगा कि उसमें से जीवनदान का नया स्रोत निकला। जयप्रकाश बाबू का जीवनदान हुआ। देश में उत्साह बढ़ा और आगे चलकर ग्रामदान का नया विचार निकला। इस प्रकार विनोदा एक के बाद दूसरे कदम पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और अन्त में सन् '५७ की पूर्ण आहुति ऐलवाल सम्मेलन में सबके आशीर्वाद से हुई। देशभर में सेवकों ने पढ़ात्रा करके इस विचार का व्यापक प्रचार किया। गाँव-गाँव में लोग मानने लगे कि यह होकर रहेगा।

मैं जब वह सब देखता था, तो सोचता था कि देशभर में आन्दोलन औ व्यापक मान्यता मिल गयी, अब किस चीज़ का प्रचार किया जाय?

तो मैंने सोचा कि निराकार की आरावना हो गयी, अब साकार प्रतिमा गढ़ने की आवश्यकता है। कुछ जानी मनुष्य निराकार देवता की बात करते हैं, साधारण मनुष्य जानी की 'हॉ' में 'हॉ' मिलाकर उसे मान लेते हैं। मान तो लेते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष आरावना करने वैठते हैं, तो अवकार दिखाई देता है। वे देवता के किसी साकार रूप की सौज शुरू करते हैं जब तक दर्शन नहीं होता, तब तक तसव्वीर नहीं हो पाती। मैं सोचता था कि अब जब क्राति का विचार एक तरह से लोगा ने मान लिया है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम एक कोने में वैठकर विचार की कुछ-न-कुछ प्रतिमा गढ़ ल। नहीं तो आम जनता की पुष्पाजलि नहीं चढ़ेगी। ऐसा सोचकर ^{५७} के आखिर में ही मने यह बात चाहिए करनी शुरू कर दी थी। अन्त में १९५८ की जनवरी में जन ज्ञादीग्राम के साथी पदयात्रा से लौट आये, तो उन्हे सम्बोधित करके मैंने जो भाषण किया, उसमें काफी असें की अपनी भावना प्रकट की।

उस भाषण में मैंने कहा कि 'पिछले दो वर्षों से मे कहता आया हूँ कि हम कार्यकर्ताओं का अज्ञातवास अवश्य हो। अगर किसी कारण से अज्ञातवास नहीं होता है, तो हमें योजना करके अज्ञातवास ऐसा करना चाहिए। रामचन्द्रजी को लकड़हन के अवश्यक लिए अज्ञातवास करना आवश्यक था और पाण्डवों को कोरबों के अत्याचार-गमन के लिए वह आवश्यक था, तो उसके लिए अवसर का निर्माण किया गया। क्रान्ति में भी किसी-न किसी प्रकार के अज्ञातवास की घटना घटनी चाहिए। यदि अज्ञातवास के बिना ही वह आगे बढ़ता जायगा तो वह असफल होगा, योकि क्रान्ति के उफान के समय बहुत-सा कचरा जमा होता है। अतः अज्ञातवास से उसकी सफाई होनी चाहिए, जिससे वह जन-जीवन में गहराई से प्रवेश पा सके।

कार्यकर्ताओं का जीवन भी आत्म-निरीक्षण और आत्म-साधना से शोषित होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को जीवन-साधना के लिए

आवश्यक है कि वे जीवन को अन्तर्मुख बनाने के लिए अज्ञातवास करे। क्रान्ति-साधन के लिए यह आवश्यक है कि उसके जीवन में मोटे रूप से भी विकार प्रवेश न करे। तृफानी हवा आने पर सारा वातावरण गद्दा हो जाता है। उसकी सफाई के लिए शान्ति की आवश्यकता होती है। उसी तरह क्रान्ति की तृफानी हवा में जो कुड़ा-कचरा जमा हो जाता है, उसे साफ करने के लिए अज्ञातवास की आवश्यकता हो जाती है, ताकि शुद्ध क्रान्तिकारी विचार आगे बढ़ सके। क्रान्ति के लिए यह जरूरी था कि एक बड़ा जन-आनंदोलन हो, सो वह हुआ। अब समय आया है कि हम अपने और क्रान्ति के लिए अन्तर्मुख हो पाये। क्रान्ति में मानसिक परिवर्तन या विचार के परिवर्तन की जो प्राप्ति हुई है, उसका सगठन करना जरूरी है। सिकन्दर देश जीतकर आगे बढ़ता जाता था परन्तु पीछे सगठन की कोई योजना नहीं बनाता था, जिससे जीतने पर भी उसके हाथ कुछ न लगा। हम विचार-प्रचार के लिए निकले। जितने लोग हमारे विचार को समझ पाये, वह हमारी प्राप्ति हुई। अब उन विचार समझनेवालों के लिए एक योजना होनी चाहिए और उसी आवार पर उनका सगठन भी बनाना चाहिए। तन्त्रमुक्ति का मतलब सगठन-मुक्ति तो नहीं है। केवल हम नये विचार निकालते जायें, पर उस विचार को जीवन में उतारकर उसको माननेवालों का सगठन न बनायें, तो पिछले विचार खत्म हो जायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि क्रान्ति की दिशा उलट जायगी, इसे 'प्रतिक्रान्ति' कहते हैं। इसलिए अब हमें किसी-न किसी समय अज्ञातवास करना जरूरी है। हमें यदि क्रान्ति का बाहक बनना है और आस पास तथा देश में अपनी क्रान्ति का दायरा बढ़ाना है, तो ऐसा करना आवश्यक है।

इसमें खादीग्राम जैसी संस्था की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आज सर्वोदय आनंदोलन के विचार के बाहक के रूप में सर्व-सेवा-संघ का प्रमुख स्थान है और श्रमभारती सर्व-सेवा-संघ का प्रधान केन्द्र है। इस दृष्टि से श्रमभारती की क्या जिम्मेदारी है, यह भी सोचना चाहिए।

तालाव में ढेला फैक्ने पर जिस तरह छोटी लहर बड़ी लहर में चिलीन हो जाती है, उसी तरह खादीग्राम को छोटी लहर श्रमभारती की और ललमटिया ग्राम आठि को उसमें बड़ी लहर जिम्मेदारी मानकर और सम्पूर्ण मुँगेर जिले को एक परिपूर्ण लहर मानकर उसमें काम करना है। इतना ही नहीं, प्रान्त और देश की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आनेवाली है। तो इसके लिए कौन-सा कार्यक्रम अपनाया जाय, यह सोचने की जरूरत है। अत हमारे आनंदोलन का सगठन मजबूत बनाना ही हमारा पहला काम होगा।

वैचारिक थेट्र में हमने जितना हासिल किया है, उसे ठोस बनाने के लिए सर्वप्रथम चरित्र-निर्माण की आवश्यकता है। यह पहला काम नयी तालीम से ही हो सकता है। याने हमारा सारा नयी तालीम की काम नयी तालीम की प्रक्रिया का होगा। वह काम प्रक्रिया चाहे जिले में हो, चाहे खादीग्राम के अहाते में, होगा सब नयी तालीम का ही। नयी तालीम के लिए आवश्यक है कि उत्योग के आधार पर समाज का सगठन हो। उसी उत्योग के माव्यम से गॉव के प्रत्येक व्यक्ति को नयी तालीम की शिक्षा दी जा सकेगी। अत देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा उत्योग सबसे जरूरी है। इस दृष्टि से कृपि ही हमारे देश के लिए जरूरी हो गयी है, क्योंकि किसी भी देश के साकृतिक विकास में कृपि का सबसे बड़ा हाथ होता है।

विनोदाजी ने भी कहा है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ घटे खेती का काम करना चाहिए, फिर वह देश का प्रधान मन्त्री ही क्यों न हो। इस पर नेहरूजी ने कहा था कि यह विचार ठीक है। जो देश कृपि-कार्य को छोड़ देता है, वह थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है। कृपालानीजी ने भी उस दिन यहाँ कहा था कि जो खेती नहीं करता, वह देश का आढ़मी नहीं है। इसीसे विनोदाजी कह रहे हैं कि

आनंदोलन कृपिमूलक ग्रामोद्योग प्रधान होना चाहिए। चाहे हम यहाँ काम करे या गँवो में, खेती हमें करनी ही होगी। हमारा काम नयी तालीम का काम होगा। कहीं हमारा खाद्य-केन्द्र होगा, कहीं बुनियादी शाला होगी और कहीं खाद का केन्द्र होगा। ये सब चीजें हमारे उत्तरोत्तर विकास का माध्यम होगी, लेकिन कृषि की दिलचस्पी मुख्य होगी। भूदान और ग्रामोद्योग के सन्दर्भ में हमें कृषि और ग्रामोद्योग की साधना करनी होगी। इससे प्रेम तो बढ़ेगा ही, सामाजिक चरित्र के विकास द्वारा कुटुम्ब का निर्माण भी हो सकेगा। इस तरह मानसिक और आध्यात्मिक विकास की जो प्रक्रिया है, वही सामाजिक साधना की भी प्रक्रिया है।

आज समाज दो वर्गों से विभाजित है—उत्पादक और अनुत्पादक यानी व्यवस्थापक वर्ग। एक बुद्धिजीवी और दूसरा श्रमजीवी। नयी तालीम

का काम होगा, दोनों वर्गों को मिलाने का। शुरू में समाज के दो वर्ग दोनों के लिए अलग-अलग अभ्यास-क्रम होंगे, परन्तु

दोनों का समन्वय भी करना होगा। अलग अलग अभ्यास-क्रम बनाये बिना समन्वय नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों के जीवन का क्षेत्र और स्तर भिन्न-भिन्न है। अतः इन दो स्थितियों के जीवन को शुरू से शिक्षा देकर अन्त तक पहुँचाना है। इसलिए नयी तालीम के दो 'पैटर्न' होंगे। एक आदमी टार्जिलिंग में हो, दूसरा देहली में और दोनों को कलकत्ता जाना हो, तो भी दोनों का रास्ता एक नहीं होगा। जो श्रमजीवी यानी उत्पादक वर्ग है, उसे भी श्रेणीहीन समाज का नागरिक बनाना है और जो बुद्धिजीवी है, शोपक है, उसे भी समाज के श्रमजीवी वर्ग में परिणत कर समाज का सच्चा नागरिक बनाना है। इसलिए यह तथ्य है कि दोनों के लिए दो रास्ते होंगे, दो अभ्यासक्रम होंगे और दो प्रक्रियाएँ होंगी। एक के लिए बुनियादी, उत्तर बुनियादी और दूसरे के लिए ग्रामशाला होगी। ग्रामदान को सफल बनाने के लिए निर्माण आवश्यक है। यह काम ग्रामठानी गँवो में आसान है। जो

ग्रामदानी गाँव नहीं है, पर जहाँ सम्मतिदान मिला है, वहाँ भी तो ग्रामशाला हो सकती है। उस ग्रामशाला के विद्यार्थी पूरे गाँव के लोग होंगे, शिक्षक भी विद्यार्थी होंगे। हमसे लोग पृष्ठते हैं कि ग्रामशाला में नारे लोग पढ़ेंगे, तो शिक्षक कौन होगा? उसमें विज्ञान की पढाई कैसे होगी? शुरू में तो शिक्षक बाहर से आयेंगे, पर बाद में जो अधिक जान जायेंगे, वे कस जाननेवालों को बतायेंगे। उसमें भी जो अधिक जानकार होंगे, वे बाहर जान लेने जायेंगे और यदि यही प्रक्रिया चली, तो अन्त में एक दिन गाँव के लोग अणुकीलण बन्न से अपने खेतों के कीटाणुओं का अनुसन्धान भी करेंगे। हमें विश्वविद्यालय का रूप ग्रामशाला में से निकालना होगा। दूसरे यह भी खोजना होगा कि मव्यम-वर्ग को किस तरह उत्पादक वर्ग में परिणत किया जाय। साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि उससे उनका समाधान हो रहा है कि नहीं। आज शिक्षा से असमावान है, तो उसी वर्ग को। उस तरह दोनों को दो रूप से बनाना होगा। एक को बुद्धिजीवी से बुद्धिमान् श्रमिक, दूसरे को श्रमजीवी से बुद्धिमान् श्रमिक। इस प्रकार एकवर्गीय समाज का निर्माण करना होगा। ग्रामशाला के परिणाम से जिले के दूसरे भागों का मार्गदर्शन करना होगा। हमारे दफ्तरों के काम भी शिक्षा के माव्यम होंगे। गोपालन, कराई और ग्रामोद्योग की भौति दफ्तर के काम के माध्यम से भी शिक्षा देनी होगी। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक काम करने होंगे।

किसी भी शिक्षण-संस्था की पहली आवश्यकता यह है कि वहाँ का वातावरण शिक्षा के अनुकूल हो। गांधीजी ने एक बार चरखा रघु की बैठक में कहा था कि “एक बार मैं सुसोलिनी से मिलने गया, जनुकूल वातावरण तो वहाँ का सारा वातावरण हिसा का देखा, हर जगह आवश्यक हिसक जीवों के भग्नानक-भयानक चित्र टैगे थे, उसी तरह हमारी शिक्षा-संस्था के भी जो-जो स्थान हों, वे ऐसे लगे कि यहाँ अहिसक समाज-निर्माण की शिक्षा दी जाती है।” हमारे सब स्थानों का वातावरण सफाई, प्रेम की साधना का ही हो। आज हम

दूसरों की पीठ-पीछे टीका करते हैं। इससे प्रेम की साधना नहीं होगी। इसी तरह सफाई-व्यवस्था आदि में नियमितता होनी चाहिए।

आज हम सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं रहते। इस घेरे के अदर जिस कार्यक्रम पर मजदूरी मिलती है, उसी पर हम ध्यान देते हैं और जिस पर मजदूरी नहीं मिलती, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। उसे हम नियमित रूप से करते भी नहीं। जैसे प्रार्थना के लिए मजदूरी नहीं मिलती, तो उसमें इनें-गिने लोग ही आते हैं। वही हाल सूत्र-वज्ञ का भी है। हम सामाजिक प्राणी हैं या मजदूर। आज हमें सोचना है कि हम लोगों को यदि उत्पादक नागरिक बनना है, तो जिस चीज़ के लिए हमें मजदूरी नहीं मिलती, उसके लिए भी चिन्तन करें। यो तो जो केवल मजदूर है और मजदूरी की चिन्ता करते हैं, वे भी नागरिक हैं और वोट देते हैं। लेकिन वे सामाजिक नागरिक नहीं हैं। गांधीजी ने स्वराज्य की परिभाषा में कहा था कि “वोट वे ही दे सकते हैं, जिन्होंने शरीर-श्रम से समाज की सेवा की हो। जो लोग शोषण करते हैं, वे नागरिक नहीं हैं। जिनका सामाजिक चरित्र नहीं है, वे भी नागरिक नहीं हैं। नागरिकता के लिए ये सब बातें आवश्यक हैं। इसलिए हम श्रम करके उत्पादन करें, चरित्र-निर्माण करें तथा अपने आपको नागरिक सिद्ध कर। हम अपने-आप अपना नाम बोटर-लिस्ट में लिखायें, यानी अपनी जिम्मेदारी के लिए सचेष्ट हों। नयी तालीम के बातावरण में जो है, वे सबके सब गुरु हैं। इसलिए समाज में जिस काम के लिए मजदूरी नहीं मिलती है, उस काम की जिम्मेदारी कितनी है, इसका भी हम व्यान रखें। गुरु में गुरुत्व तो होना चाहिए।”

इस भाषण में मैंने यह भी बता दिया कि १९५७ की फलश्रुति के फलस्वरूप '५८ से हमें किस दिशा में जाना है तथा किस कार्यक्रम को अपनाना है। मेरे स्वभाव तथा विचार के अनुसार इस भाषण के बाद मुझे खादीग्राम से निकलकर कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने जितनी बातें कही थीं, उसके अलावा

ओर कुछ कहने को रह नहीं गया था। खादीग्राम के साथियों के लिए अगले ५-१० वर्ष की खुराक उसमें मौजूद है। लेकिन खादीग्राम का प्रधान केन्द्र खादीग्राम में होने के कारण स्वभावतः बन्धन मेरा मुख्य स्थान यहाँ रह गया। फिर उसके बाद के कार्यक्रम ने भी मुझे यहीं रोके रखा। श्रमभारती के साथी पटवात्रा के बाद लोटे। दफ्तर के साथी यहाँ थे ही। दोनों के स्वभाव, रुचि तथा दृष्टिकोणों में भिन्नता थी। भिन्नता में स्वाभाविक सामज्जस्य प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य सम्यता के नाम पर प्रकृति के बाहर एक स्वतन्त्र जन्तु बन गया है। इसलिए भिन्नता में भी सामज्जस्य उसका स्वभाव नहीं रह गया है। अतः भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में सामज्जस्य सपादन के लिए प्रकृति पर छोड़ना सभव नहीं होता। किसीको बैठकर सामज्जस्य के लिए कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए भी मैं कुछ दिन के लिए खादीग्राम में बैध गया।

प्रतिवर्ष खादीग्राम का वार्षिकोत्सव २६ जनवरी को मनाया जाता है। सन् '५७ की सफलता के बाद इस वर्ष का सम्मेलन विशेष महत्त्व

रखता था। केवल देशभर के आनंदोलन के सदर्भ में प्रदर्शनी करने ही नहीं, बल्कि खादीग्राम के साथी सालभर पद-का विचार यात्रा कर जिलेभर से प्रेम तथा सद्गावनाओं की जो पूँजी बटोरकर लाये थे, उस कारण भी इस उत्सव का विशेष महत्त्व था। राजेन्द्र वाबू ने खादीग्राम आने की इच्छा प्रकट की थी। इस अवसर पर वे आ जायें, तो अपने नये अध्याय के लिए परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जायगा, ऐसा सोचकर मैंने उनसे प्रार्थना की। वे मान गये। सम्मेलन के महत्त्व का यह भी एक कारण था। सालभर घूमने के फलस्वरूप सर्वोदय के काम में समयदान करने के इच्छुक दाईं तीन सों नाम भाईं राममूर्ति के पास जिलेभर से आये हुए थे। काम शुरू करने से पहले उनका एक माह का शिविर करना अच्छा होगा और यह शिविर सम्मेलन से पहले हो, ऐसा निश्चय

किया था। स्वभावतः सम्मेलन एक विशिष्ट स्पष्ट लेनेवाला था। कुल मिलाकर वार्षिकोत्सव अत्यन्त महत्व का होने के कारण मैंने यहाँ एक नयी बात करने की सोची और वह थी ग्राम-स्वराज्य-प्रदर्शनी।

सन् १९३० के राष्ट्रीय आनंदोलन के दिनों में विलायती माल वहिष्कार का कार्यक्रम मुख्य था। हम लोगों ने विदेशी वस्तु वहिष्कार का आनंदोलन काफी तेजी से चलाया था। गांधीजी के नेतृत्व के कारण स्वतन्त्रता-संग्राम के दो पहलू थे। एक पहलू अबाछनीय परिस्थिति तथा वस्तुओं का निराकरण, दूसरा पहलू वाछनीय के अधिष्ठान का। विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार के साथ जनता में स्वदेशी भावना का निर्माण तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार का कार्यक्रम जुड़ा हुआ था। इसी सिलसिले में जवाहर-लालजी की प्रेरणा से इलाहाबाद में स्वदेशी लीग बनी थी और उन्हींके निवासस्थान आनन्द भवन में एक स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उस प्रदर्शनी में मैंने प्रमुख भाग लिया था। तभी से प्रदर्शनी के काम में मेरी रुचि बढ़ती गयी और क्रमशः उत्तर प्रदेश में लोग मुझे प्रदर्शनी विशेषज्ञ कहने लगे। इलाहाबाद स्वदेशी प्रदर्शनी में मैं प्रतिवर्ष भाग लेता रहा और बाद में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शनी का आयोजन होने पर हर जगह जाया करता था।

उन दिनों प्रदर्शनी का मतलब यह था—धेरे के अन्दर कुछ दूकानें बनाना और उनसे तरह-तरह की स्वदेशी वस्तुओं की दूकानें लगावा देना,

एक बड़े से हाल में तरह-तरह की स्वदेशी वस्तुओं के प्रदर्शनी की नमूने रख देना तथा लोगों को आकर्षित करने के लिए पुरानी पद्धति खेल-कूद तथा आतिशबाजी का आयोजन करना।

प्रदर्शनी की यह तर्ज पुरानी है। हम लोग भी उसी तर्ज का अनुसरण करते रहे। मैं इस प्रकार की प्रदर्शनी के आयोजन में सम्मिलित तो रहता था, परन्तु मन को तसल्ली नहीं होती थी। सोचता था कि यह ठीक है कि हर प्रकार की स्वदेशी वस्तु एक जगह सजा देने से देश की जनता को प्रेरणा अवश्य मिलेगी। इतने स्वदेशी वस्तुओं

का निर्माण हमारे देश में होता है, यह जानकर लोगों के दिल में राष्ट्र-गौरव की अनुभूति भी होगी। यह सब अपनी जगह पर महत्व रखता है, लेकिन प्रदर्शनी का उद्देश्य बाजार तो नहीं है। यद्यपि पूँजीवादी दृष्टि से बाजार का ही महत्व अधिक होता है, फिर भी जिस प्रदर्शनी को हम लोग संघटित करे, उसमें भी बाजार की ही दृष्टि रहे या और कुछ^१ इस प्रकार के प्रदर्शन रह रहकर मेरे मन में उठते थे और क्रमशः मैं इस परिणाम पर पहुँचने लगा कि प्रदर्शन का लक्ष्य बाजार कर्तव्य न होकर उसका एकमात्र व्येय शिक्षण का ही होना चाहिए। इसलिए बाद को लखनऊ आदि कई स्थानों की प्रदर्शनियों के सचालकों के साथ मैं इस प्रदर्शन पर चर्चा करता रहा और जहाँ सम्भव होता था, शिक्षण की कुछ-न-कुछ बातें शामिल करा देता था। शिक्षण का जरिया सुख्यत पोस्टर ही होता था। पॉच छह वर्ष तक इसी प्रकार चला।

सन् १९३६ में लखनऊ में कायेस का अधिवेशन था। कायेस के अधिवेशन के माय प्रदर्शनी का सिलसिला चल पड़ा था। उत्तर प्रदेश में कायेस होने के कारण प्रदर्शनी की खास जिम्मेदारी लखनऊ की मुश्ति पर आ पड़ी। गांधी आश्रम के ही साथी गिरधारी प्रदर्शनी भाई उसके मन्त्री थे। इसलिए भी मेरी जिम्मेदारी अधिक हो गयी थी। अपनी जिम्मेदारी होने के कारण

मैंने अपने विचार को सार्थक करने में इसका भरपूर उपयोग किया। प्रदर्शनी का नक्शा ऐसा बनाया, जिससे लोगों को मालूम हो कि शिक्षण ही प्रदर्शनी का उद्देश्य है। दूकानें थीं, लेकिन उनका स्थान गौण रखा गया। शिक्षण के लिए देश में जितने उद्योग चलते हैं, उन सबकी उत्पादन-प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। सारी प्रदर्शनी को शिक्षण के चाटों से भर दिया। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात यह की गयी कि प्रदर्शनी के एक मुख्य भाग में शान्तिनिवेतन कला-भवन के आचार्य नन्दलाल वावू के नेतृत्व में एक उच्चकोटि के कला-भवन का सगठन किया गया। प्रदर्शनी के फाटक तथा अन्य सजावट में उन्हींकी देखरेख

मेरे भारतीय कला का भी प्रदर्शन हुआ। इस तरह लखनऊ कायेस की प्रदर्शनी मेरे देश के सामने लोक-शिक्षण का एक नया रूप आया। कुमारप्पाजी, दादा (कृपालानीजी) और दूसरे बुजुर्ग बहुत खुश हुए। जवाहरलालजी को भी प्रदर्शनी बहुत प्रसन्न आयी। उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रदर्शनियों को जवाहरलालजी का आदीर्वाद प्राप्त था। वे जब घूमकर सब कुछ देख चुके और इलाहाबाद स्वदेशी लीग के बुजुर्ग मन्त्री श्रीमोहनलाल नेहरू से अत्यन्त हर्ष के साथ पूछने लगे कि “कहो, कैसा है?” तो उन्होंने कहा “Well, this is the Real exhibition.” (हाँ, यह असली प्रदर्शनी है।) जवाहरलालजी ने भी उनकी बातों की तार्दीद की। उसके बाद से राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले मेरे जो प्रदर्शनियाँ होती थीं, उनकी दिशा शिक्षण-प्रक्रिया की ओर ही बढ़ी। तब से कायेस प्रदर्शनियों की भी यही दृष्टि रही है।

श्री अनिलसेन गुप्त सर्व-सेवा-सघ की ओर से प्रदर्शनियों का सचालन करते हैं। उनकी इच्छा थी कि खादीग्राम के वार्पिकोत्सव के अवसर पर

यहाँ भी एक प्रदर्शनी करें। उन्होंने मुझसे इजाजत अनिलसेन गुप्त माँगी। मैंने उनसे कहा कि अब प्रदर्शनियों भीड़-से चर्चा भाड़ का उपकरण हो गयी है, इसलिए मुझे उनमे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मेरी इस बात से अनिल-

भाई और दूसरे साथियों को कुछ आश्चर्य हुआ। सबको मालूम था कि प्रदर्शनियों मेरी दिलचस्पी बहुत अधिक है। सर्व-सेवा-सघ की ओर से प्रदर्शनियों का सगठन करने के लिए दिल्ली से अनिलभाई को मैंने ही चुलाया था और फिर सर्वोदय-सम्मेलन के साथ अच्छी प्रदर्शनी हो, इसके लिए भी प्रोत्साहित किया था। अतः मैंने जब ऐसी बात कही, तो उससे आश्चर्य होना स्वाभाविक था। मैंने ऐसा क्यों कहा, यह जानने की तुम्हें भी उत्सुकता होगी। इसलिए इस बारे मेरे यहाँ चर्चा कर लेना अच्छा होगा।

खादी-ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना के बाद खादी जगत् के व्यवस्था

कार्यकर्ता श्री जेराजाणी भाई की प्रेरणा से दिल्ली में एक विराट् प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। यद्यपि उस प्रदर्शनी ने हमारे राजकीय नेताओं को तथा ग्रामोन्योगी अर्थनीति को न माननेवाले देश के अनेक विद्वानों को प्रभावित किया था, फिर भी उसका आडम्बर ऐसा था कि मैं मानता था कि दिल्ली के लोगों को प्रेरणा देने के लिए ऐसी प्रदर्शनी भले ही अनुकूल हो, लेकिन आम जनता इस प्रकार की भूलभूलेया में न कुछ सीख सकेगी, न कुछ प्रेरणा ले सकेगी। पूर्व स्स्कार तथा शिक्षा के कारण अनिलभाई को भी ऐसे आडम्बर से रचि है, यह तुम लोगों को मालूम है। खादीग्राम के वार्पिंकोत्सव के अवमर पर हम जो बातावरण पैदा करना चाहते हैं, उसके माय अनिलभाई की कल्पना की प्रदर्शनी का मेल नहीं देटेगा, ऐसा मुझे लगता था। दूसरी बात यह थी कि इस ग्रामदान के युग में प्रदर्शनियों बाजार के लिए तो नहीं ही हो, लेकिन केवल शिक्षण के लिए भी अलग से प्रदर्शन हो, उसका भी समय शायद समाप्त हो गया है, ऐसा मैं मानता था। मेरा विचार या कि अब हम लोग जिस किसी प्रदर्शनी का आयोजन करें, वह शिक्षाप्रद तो हो ही, साथ-माथ मुख्य रूप से ग्राम-स्वराज्य के सदर्भ में निर्माण की प्रदर्शनी होती थी, उसके बदले ललमठिया गाँव को ही प्रदर्शनी में परिणत कर सको, तो उसमें मुझे दिलचस्पी है। पिछले दो-तीन साल से मैं कहता आया हूँ कि नयी तालीम स्थथा के घेरे से निकालकर पूरे गाँव को ही शाला बनाये बिना, इसकी सिढ़ि नहीं हो सकती है और आज जब मैं कहने लगा कि प्रदर्शनियों को भी किसी घेरे में न रखकर गाँव को ही प्रदर्शनी के रूप में परिणत किया जाय, तो कुछ लोगों को शायद यह ख्याल होगा कि इधर मेरे दिमाग में गाँव का खब्त सवार हो गया है, पर बात ऐसी नहीं है।

अगर व्यष्टिवादी युग में राजा, पुरोहित तथा गुरु व्यक्ति थे, और बाद को स्थावादी युग में राज्य, पुरोहित स्थथा तथा सार्वजनिक शिक्षा-शालाओं की स्थापना हुई, तो इस समाजवादी युग में मनुष्य की

आकाशा, अगर राज्यसंस्था का भी विलोपन है, तो साथ-साथ कल्याण-संस्था, शिक्षणसंस्था आदि के विलोपन की भी आकाशा बनेगी न ? अतः यदि हम कहते हैं कि प्रदर्शनियों निक्षण का मात्र्यम है, तो प्रदर्शनियों का प्रकार कैसा होना चाहिए, इसका तुम लोग सहज ही अनुमान कर सकती हो ।

शुरू में अनिलभाई को यह विचार समझने में कठिन मालूम हो रहा था, लेकिन काफी चर्चा के बाद वे मान गये और धीरे-धीरे समझने भी लगे । और आखिर में जब उन्होंने काम शुरू किया, तो इस प्रकार की प्रदर्शनियों की सभावनाओं को देखकर वे काफी प्रोत्साहित हुए । अनिल-भाई विचार तो समझ गये और उत्साह से काम पर लग भी गये, लेकिन उनकी आडम्बर-प्रियता रह-रहकर सामने आने लगी । यद्यपि मैंने उसे बहुत नियन्त्रित किया, फिर भी यह ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी काफी खर्चीली और आडम्बरपूर्ण रही । यह सब होते हुए भी देश के बड़े बड़े कार्य-कर्ताओं को प्रदर्शनी का आकर्षण था और नयी दिशा की सूचिका होने के कारण उन्हे उससे काफी सतोप रहा ।

मैंने कहा कि प्रदर्शनी द्वारा हमें ग्राम-स्वराज्य का चित्र देने की कोशिश करनी चाहिए । जिस गाँव में ग्राम स्वराज्य प्रदर्शनी करनी हो,

वहाँ कम-से-कम सालभर तैयारी करनी चाहिए । प्रदर्शनी में ग्राम-गाँव की सारी योजना आगे के लिए बननी चाहिए ।

स्वराज्य का पूरे गाँव की खेती की योजना क्या होगी, उसका चित्र रहे नक्शा तैयार हो, उसके लिए गाँव के लोगों को

तालीम दी जाय और वे स्वयं योजना बना सके, ऐसी गति निर्मित की जाय । गाँव में अगर घर-घर में अम्बर चरखा चलाना हो, तो उसकी तालीम हर घर को दी जाय और चरखे की स्थापना हो । जितने गृहोदयोग तथा ग्रामोदयोग उस गाँव में चलाने हो, उतने उद्योगों के लिए उसी गाँव के लोगों को प्रशिक्षित किया जाय । कुछ घरों को विशेष-विशेष उद्योगों के अनुकूल बनाया जाय । ग्रामोदयोग के लिए निर्दिष्ट

स्थान हो और उसमें काम करने के लिए गॉव के लोगों को तैयार किया जाय। स्पष्ट है कि भारत की अर्थनीति बहु-धन्वी परिवारमूलक ही होगी यानी परिवारों को खेती के साथ कोई-न-कोई एक उद्योग चलाना ही होगा। इसलिए प्रदर्शनी में इसका दर्शन होना चाहिए कि गॉव के प्रत्येक घर में कुछ न-कुछ उद्योग चल रहा है। मैंने अनिलभाई को बताया कि “तुम लोग प्रदर्शनियों में हरएक उद्योग की प्रक्रिया दिखाते हो, उसके लिए एक-एक स्थायी ‘ओड’ तैयार करते हो और उसे एक पन्जि में जमाते हो ताकि लोग एक तरफ से देख सकें। वही बात घर-घर से करो न ? ललमटिया के लिए १५ वर्ष की एक योजना बना डालो। १५ वर्ष बाद खेती की योजना बद्ध होगी, घर-घर में कौन-कौन-से उद्योग चलेंगे, पूरे पारिवारिक उद्योग कौन-कौन से होंगे और किस किस घर में वे चलेंगे, ग्रामोद्योगों में से कौन-कौन उद्योग चलेंगे और उद्योग-केन्द्र का स्थान कहाँ होगा, शिक्षणों के लिए बालबाढ़ी तथा ग्रामशाला किस स्थान पर होगी इत्यादि सभी बातों को निर्धारित कर लो। उन्हीं स्थानों पर उन चीजों को जमा दो, तो यह कुम्हारी ग्राम स्वराज्य प्रदर्शनी हो गयी।”

ललमटिया के ग्रामदान की घोषणा होने के बाद से ही हम लोगों ने उस गॉव के नौजवानों को विभिन्न उद्योगों की ट्रेनिंग देना शुरू कर

दिया था। उसमें से कुछ लोग कुम्हारी का काम, ललमटिया में कुछ सरजाम बनाने के लिए लोहारी और बढ़दहूं प्रयोग का काम, कुछ बुनाई का काम और कुछ लोग तेल पेने का काम सीख रहे थे। अम्बर चरखे का परिशालय चल ही रहा था। इस तरह ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी का काफी उपादान पहले से तैयार था। मैंने कहा कि जिस-जिस घर के लड़के जो-जो उद्योग सीख रहे हैं, उस-उस घर में उसी-उसी चीज का प्रदर्शन किया जाय। अगर वे लोग अपनी-अपनी कला में माहिर नहीं हो पाये हैं, तो प्रदर्शनी के लिए अच्छे कलाकार उन्हीं घरों में विठाकर सीखने वालों से उनके सहायक के स्प में काम कराया जाय। जिन उद्योगों

मेरी अभी तक कोई सीखनेवाला नहीं है, उनके लिए भी आगे सिखानेवालों को निश्चित किया जाय और उन-उन घरों मेरे उन-उन कलाओं का प्रदर्शन किया जाय। खेती के लिए भी दो प्लॉट छुने गये। उन्हीं प्लॉटों को गाँव की पूरी जमीन मानकर आज जिस अनुपात मेरी खेती होती है, उसी अनुपात मेरी विभाजित करके फसल उगायी गयी और दूसरे प्लॉट मेरी पाँच साल बाद की योजना के अनुसार फसल लगायी गयी, ताकि लोग मुकाबला कर सके।

ललमठिया मेरे ४० घर है। चालीसों घरों मेरी किसी-न-किसी उद्योग की प्रदर्शनी की योजना बनी। फिर सबाल यह था कि उद्योगों का प्रदर्शन करने के लिए घर कैसा बनाया जाय? हमने सोचा कि दस दिन के लिए स्टॉल बनाया जाय, फिर उसको उजाड़ा जाय, उसके बदले मेरी घर बनाना चाहिए। हमने हिसाब जोड़कर देखा कि जितने पैसे मेरी चटाई, बोरा आदि खरीदने, मजदूरी देकर स्टॉल खड़ा करने, फिर उसे तोड़ने आदि मेरी जो खर्च होता है, उतने ही पैसे से मेरी घर की सामग्री खरीदी जा सकती है। हमने गाँववालों से कहा कि उन्हें सामग्री दे दी जायगी, वे अपने-अपने घर से स्टॉल अपने पैसे तथा श्रम से स्टॉल बना लें। उन्होंने वैसा ही किया भी। इस तरह जो खर्च प्रदर्शनी-निर्माण मेरी होता, उसका मेरी उपयोग गाँव के लिए हो गया। इसी प्रकार कई बाते हुई, जिनके कारण प्रदर्शनी से काफी लोग प्रभावित हुए। दिन-ब-दिन उसकी ख्याति फैली और अन्त मेरी वार्षिकोत्सव के दिन तीस चालीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये। इस जगल मेरी आदमियों का जमाव वस्तुतः अपूर्व था।

प्रदर्शनी हुई और वह अपने ढग की अनोखी रही, फिर भी मुझे अनोखे ढंग की पूरा सन्तोष नहीं हुआ। दूसरी प्रदर्शनियों की तुलना मेरी काफी सादगी थी, फिर भी मैं जितनी सादगी चाहता था, उतनी सादगी से अभी हम दूर थे। प्रदर्शनी के बीच खादी ग्रामोद्योग के अव्यक्त वैकुण्ठभाई की अव्यक्तता

में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। उसमें मैंने कहा : “प्रदर्शनी के तरीके में यह नया मोड़ बहुत अच्छा हुआ, मुझे इसमें खुशी है, परन्तु कार्यकर्ताओं को समझना है कि ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी अगर इतनी सचाली होगी, तो वह ग्राम-स्वराज्य को बनाने की जगह विगड़ ही देगी। लेकिन पहले प्रयास के नाते यह अच्छी है।”

यह कहकर अम्बर चरखे के प्रयोग का उदाहरण बताते हुए मैंने कहा कि “चार साल पहले दिल्ली की प्रदर्शनी में जो अम्बर चरखा दिखाया गया था, उसका दाम ५००) था। तमाम पुर्जे लोहे के थे। कृष्णदासभाई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उसे सादा बनाने का प्रयास किया और आज हम चालीस रुपया में चरखा बनाने की परिस्थिति में पहुँच गये हैं। आज अगर प्रदर्शनी में पचास हजार खर्च होते हैं, तो चार या तीन हजार में इतनी ही उपयोगी प्रदर्शनी करने तक इसे पहुँचना है।” इतना कहकर मैंने उन्हे ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी की मूल कल्पना समझायी।

खादीग्राम का वार्षिकोत्सव तथा प्रदर्शनी समाप्त हुई। प्रान्त तथा जिले में इसका काफी प्रभाव पड़ा, परन्तु ल्लमटिया पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। प्रदर्शनी के सिलसिले में प्रदर्शनी का भला-उन्हे बाहर से इतना पैसा मिला कि उनके भीतर यह बुरा अम्बर धारणा बन गयी कि उन्हे कुछ करना नहीं है, सारा काम खादीग्रामवाले करेंगे। यहाँ तक हुआ कि जहाँ पहले गॉव के सारे लोग कहा न-कहा मजदूरी हैंटकर गुजारा करते थे, वहाँ अब किसीके घर में एक लड़का बेकार रहता था, तो वे जिकायत करते थे कि खादीग्रामवाले काम नहीं दे रहे हैं। ल्लमटिया पर ऐसी प्रक्रिया होगी, इसकी चेतावनी में शुरू से ही साथियों को देता रहा, पर वे मानते नहीं थे। इसलिए मैंने समझा कि जो कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ। एक गॉव के निर्माण-कार्य में कठिनाई बढ़ी, लेकिन उससे साथियों को बहुत बड़ा अनुभव मिला। वे समझ गये कि गॉव में सामूहिक पुरुषार्थ का उद्घोषन किये बिना बाहरी मदद हानिकारक होती है। वे यह भी

समझ गये कि जो कुछ वाहरी मदद दी जाय, वह भी क्रमशः उनकी चेतना निर्माण के साथ साथ ही दी जाय। ललमठिया के खर्च ने जिस प्रकार देश को प्रदर्शनी के बारे में नवी दिशा दी और कार्यकर्ताओं को ग्रामदानी गाँव के निर्माण-कार्य की सही नीति का दिग्दर्शन कराया, उसे देखते हुए यह सौदा महँगा नहीं पड़ा। मुझे इससे तसल्ली ही हुई।

● ● ●

अमभारती, खाडीग्राम

२०-१-१५९

दार्पिंकोभव के बाद हम नव सन् '५७ में स्थगित किए हुए नयी तालीम के काम को फिर से चाढ़ फर्ने की पूर्व तैयारी में लग गये, क्योंकि मई से हमारे सब का आरम्भ होता है। कृषिमूलक शिवाक्रम में मई से सब शुरू करना अनिवार्य हो जाता है।

सन् ५७ की पदयात्रा में वीच पुराने शिक्षकों में कुछ वीमार पड़ गये और कुछ चले गये। सामने ही पदयात्रा के सिलसिले से कुछ नवे तरुण भी

हमारे साथ आमिल हुए। इसलिए हमें फिर से एक-नयी तालीम का दो गिनना पड़ा। एतदर्थं दो माह का समय जो मिल समाधानशार्मी गया, वह लाभकारी हुआ। इस वीच तुम लोगों ने रूप आवश्यक तालीमी नया का नया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था।

तुम्हं याद होगा कि उस प्रस्ताव के बाद मैंने कहा था कि यत्रपि नयी तालीम के लिए आज के सन्दर्भ में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, किर भी नियन्त्रण के बारे में देश में जो निराशा फैली हुई है, उसे देखते हुए पुराने ढग की स्थागत नयी तालीम का समाधानकारक रूप निकालने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि गाँव के समग्र जीवन के माव्यम के वीच नयी तालीम का स्वरूप निखर नहीं सकता है। लेकिन आज की विद्वित जनता इस विचार को तुरत ग्रहण नहीं कर सकती है। उसकी शिक्षा और दीक्षा इस ढग से हुई है कि भारतीय जनता के सन्दर्भ में किसी बात को समझना उसके लिए कठिन है। उसमें से जितने लोग दुद्धि से विचार को समझते भी हैं, वे भी पूर्व सस्कार के कारण जब ग्रामगाला को देखेंगे, तो उन्हें समाधान नहीं होगा। विचार को मान्य कर अगर वे उम और कदम भी रखना चाहेंगे, तो भी वे आज जहाँ खटे हैं,

वही से चलना शुरू कर सकेगे। यानी उनका एक कदम आज जहाँ है, वही रहेगा। उनका कदम आगे बढ़ेगा भी, तो उतना ही आगे बढ़ेगा जितनी उनके पैर की लम्बाई है, अर्थात् जितनी दूर वे सोच सकते हैं, उतनी ही दूर कदम रख सकेगे। पुराने ढग की स्थागत नयी तालीम की पद्धति पुरानी तालीम से नयी तालीम की ओर बढ़ने के लिए बीच का एक कदम है, ऐसा तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा। यह भी सही है कि कारण कुछ भी हो, बीच के इस कदम का चित्र हम अब तक ऐसा नहीं बना पाये हैं, जिससे विकल्प के लिए अधीर होते हुए भी पुरानी तालीम के लोगों को समाधान दे सके। इसलिए मैंने भाई राममूर्ति से कहा कि अब तुम लोगों को देख के शिक्षित मध्यम वर्ग को समाधान देने लायक नयी तालीम के पहले चित्र को निकालना है। खादीग्राम में ऐसा चित्र निकल सकेगा, इसका मुझे भरोसा था, क्योंकि सन् ५५, ५६ में जो काम हुआ था, उससे मध्यम वर्ग के मित्रों को काफी समाधान था। इसलिए इस लक्ष्य की पूर्ति में भाई राममूर्ति में काफी शक्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ।

सन् ५७ की पदयात्रा के बीच भाई राममूर्ति का एक पत्र इस आशय का मिला कि अब वे अनुभव कर रहे हैं कि उनका स्थान खादी-ग्राम में नहीं है। वे गाँव में ही जमना चाहते थे।

भाई राममूर्ति पदयात्रा के दरमियान गाँव का जो अनुभव हुआ, गाँव में बैठने को उससे ऐसा विचार आना स्वाभाविक था, क्योंकि उत्सुक कान्ति के सन्दर्भ में नयी तालीम का विचार करनेवाले के लिए ऐसे नतीजे पर पहुँचना अनिवार्य है। राममूर्ति भाई का इस प्रकार का सोचना अन्य कारण से भी हो सकता है। वे ऐसा भी सोचते होंगे कि खादीग्राम में प्रधान केन्द्र आने पर वे यहाँ नयी तालीम के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना सकेंगे। कारण जो भी हो, गाँव में ही काम करने का विचार सही था। राममूर्ति भाई के पत्र का मैंने स्वागत किया। मैं तो चाहता ही था कि मेरी इच्छा के

अनुमार साथियों को स्वयं अनुभव से प्रेरणा मिले। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?

वेकिन मेने पत्र को रख लिया और उसके अनुसार आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि विचार करने पर ऐसा लगा कि अभी उसका समय नहीं आया है। इस प्रकार सोचने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था कि उनके पत्र से मुझे ऐसा लगा कि प्रधान केन्द्र आ जाने से ग्रायद उन्हें लगता था कि भिन्न दृष्टि के लोगों के साथ वे सामज्जस्य नहीं रख सकेंगे। सर्वांदय-क्रान्ति के आरोहण में ऐसा भय ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। नाना प्रकार की दृष्टियों तथा विचारों में सामज्जस्य साधना सर्वांदय की मूल साधना है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए हर दृष्टि तथा स्वभाव के लोगों के खादीग्राम में होते हुए भी एक टीम से काम चले, इस साधना में मैं पड़ना चाहता था। यद्यपि यह कारण महत्त्व का था, फिर भा यह मुख्य नहीं था। यह बात तो मेरे दिमाग में क्षणिक ही थी। वास्तविक कारण यह था कि मैंने देखा कि आज गॉव की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वह साथियों को पचा सके। ग्रामसेवा के लिए गॉव में वैठने की जर्त यह होनी चाहिए कि सेवक वहाँ का नागरिक बनकर ग्रामवासियों में विलीन हो जाय। जब से बापू ने चरखा-न्सघ के सामने यह प्रस्ताव रखा था, तबसे हजार कामों के बीच भी यह विचार सतत जाग्रत रहता था। दस साल पूर्व में स्वयं ही उस तरह वैठना चाहता था। रणीवों से भगवती भाई को यही कहकर गॉव में भेजा था और वे उस दिशा में काफी सफल भी हुए थे। १९५६ में खादीग्राम के साथियों के सन्मुख भी यही विचार रखा था कि वे निधिमुक्त होकर गॉव में वैठें।

पिछले तीन साल से विहार भीपण अकाल से पीड़ित हो रहा था। देशभर में यह प्रदेश अत्यन्त चिन्ता का विषय हो गया था। लगातार शाला का पुनर्गठन तीन वर्ष अकालग्रस्त होने के कारण सन् '५७-'५८ की स्थिति अत्यन्त भयकर हो गयी थी। ऐसी हालत में नये सिरे से कार्यकर्ता ग्राम-आधारित बनकर गॉव में वैठें, यह प्रस्ताव

हमें व्यावहारिक नहीं लगा। केन्द्रीय कोप के सहारे एक बार बैठ जाने से आगे चलकर गॉव का सहारा मिलेगा, यह मैं नहीं मानता था। आज ही नहीं, बल्कि १९४५ में वापू ने चरखा-सघ के सामने जब यह योजना रखी कि पहले साल चरखा-सघ कार्यकर्ताओं का पूरा खर्च देगा और हर साल २५ प्रतिशत कम करता जायगा, ताकि पॉच साल में वे पूर्णरूप से ग्रामाधारित हो जायें। उस समय भी मैंने कहा था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह व्यावहारिक नहीं है। मैं मानता था कि गॉव गॉव में हम यह विचार फैलाये और जो गॉव तैयार हो, वहाँ कार्यकर्ता शुरू से ही ग्रामाधारित होकर बैठे। यही कारण था कि जब मैं वर्धा से रणीवों लौटा, तो अपने साथियों से पूछा कि इस शर्त पर गॉव में बैठने को कौन तैयार है। अकेले भगवती भाई के तैयार होने पर उसी शर्त पर एक ही कार्यकर्ता भेजना अच्छा समझा, बजाय इसके कि चरखा-सघ के प्रस्ताव के अनुसार हम ज्यादा कार्यकर्ता भेजते। मेरे इस विचार के कारण गाधी आश्रम के साथी मेरा काफी मजाक करते थे, लेकिन मुझे यही सही लगता था। यही मुख्य कारण था कि उस समय ग्रामाधारित नयी तालीम के प्रयोग की बात छोड़ दी और राममूर्ति भाई तथा उनके साथी खादीग्राम लौटकर नये सिरे से नयी तालीम शाला के पुनर्गठन में लग गये।

इस बार के प्रयोग में मैं स्वयं दिलचस्पी लेने लगा और गहराई से काम का निरीक्षण करता रहा। मैं मानता हूँ कि श्रमजीवी लोगों और बुद्धिजीवी लोगों के बच्चों के लिए दो प्रकार का शिक्षाक्रम होना चाहिए, ताकि दोनों अन्ततोगत्वा क्रमशः निकट आकर एक वर्ग में विलीन हो सके, अर्थात् दोनों का वर्ग-परिवर्तन हो सके। लेकिन मैंने सोचा कि पूर्व बुनियादी की उम्र के बच्चे नये हैं, उनके स्वाकर पके नहीं हैं, इसलिए सम्मिलित तालीम की प्रक्रिया वहाँ से शुरू की जा सकती है। ऐसा सोचकर हमने बालमन्दिर खादीग्राम में न रखकर ललमटिया में रखने का निर्णय किया, ताकि ललमटिया के उत्पादक वर्ग के बच्चे और

सादीग्राम के बुद्धिजीवियों के बच्चे एक साथ तालीम पा सके। यह निर्णय वेवल वच्चों की दृष्टि से किया ऐसी बात नहीं, वरन् अपने प्रयोग के लिए भी किया था। दो वर्ग के लिए दो प्रकार चाहिए, इसे तो विचार से ही मानता था। श्रमशाला और बुनियादी-शाला को मिलाकर वह प्रयोग सही स्थिति में प्रयोग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि श्रमशाला के १०, १२, १३ वर्ष की आयु तक के लड़के पुरानी नवी किसी भी प्रकार की तालीम पाये हुए नहीं थे। हमारे यहाँ पहले से ही शिक्षा पाये हुए बच्चे थे। इसलिए अगर उन्हें एक साथ मिलाकर एक ही प्रकार के शिक्षण में सफल नहीं हुए, तो उसे हम आखिरी प्रयोग नहीं कर सकते। अगर वह सफल हो जाय, तो तालीम के इतिहास में चार-पाँच साल की बचत हो सकेगी।

लेकिन कुछ दिन के अनुभव से मालूम हुआ कि मेरा सोचना गलत था। सादीग्राम के वच्चों को लाख कोशिश करने पर भी ललमटिया के बच्चों से मिलाने में हम असमर्थ रहे। राममृति भाई प्रयोग की खुद जाकर समस्या का हल निकालने की कोशिश अनफलता करते रहे, फिर भी सफलता नहीं मिली। हमारे बच्चे उन्हें पास आने ही नहीं देते थे। यदि वे आते भी, तो डॉटते थे। इन बातों को देखकर मेरी सोचता था कि अगर यह स्थिति है, तो जिस ग्रामदानी गाँव में दोनों वर्ग रहते हैं, उनका शिक्षण कैसे होगा? ग्रामदान से भूमिवान तथा भूमिहीन समान हैसियत में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वाल मन्दिर के प्रारम्भ से ही वच्चों को अलग रखा जाय, तो कुदम्ब-भावना आदि की बातें निरी ढोग नहीं हो जायेंगी। अगर शिक्षण-प्रक्रिया में इस प्रकार भेदासुर को प्रवेश दे दिया जाय, तो क्या अनन्त काल तक वर्ग-निराकरण की सफलता की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी? इन सवालों से उन दिनों मेरा मन आलोड़ित रहता था। अपने सामने ऐसा मिश्रित जनसख्यावाला कोई ग्रामदानी गाँव नहीं था, जहाँ चलकर प्रयोग कर सकता था।

इसी चिन्तन के सिलसिले मे मुझे अपना बचपन याद आया । हम भी बुद्धजीवी वर्ग के बच्चे थे । वह भी शहर के । और फिर विहार मे बगाली परिवार के बच्चे । तुम्हे शायद मालूम ही है पुरानी और नयी स्थिति कि हमारे बचपन मे विहार के प्रवासी बगाली अपने को कुछ उत्कृष्ट जीव मानते थे । विहारियों को वे नीची नजर से देखते थे, फिर भी हम लोग अपने बचपन मे अपने ही नौकरों के बच्चों के साथ खेलते थे । बड़े चाहे जो हो, हम लोग तो दोस्त ही थे । तो क्या यह फर्क काल के फर्क के कारण है ? स्वराज्य के बाद देश की सामान्य हैसियत के लोगों को भी जब राज्याधिकार मिलने लगा, तो देश के बातावरण मे रईसी वृत्ति का बोलबाला हो गया । दो सामान्य गृहस्थ साथी थे । उनमे से एक विधायक बन गये, शायद डिप्टी, मिनिस्टर आदि भी कुछ बन गये । एक दिन मे वे रईस हो गये, उनका आडम्बर बढ़ गया । उनके जो साथी थे, वे साथी नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है ? लेकिन साथी रहने के लिए यह आवश्यक था कि वे भी समान आडम्बर से रहे । इस तरह राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेनेवाले साथी अग्रेजों के चले जाने पर उन्हीं-के जामे मे अपने को प्रविष्ट करा लेने के कारण कुछ अचानक रईस हो गये और वाकी उनके साथी होने के नाते रईसी के आकाशी बने । इस तरह हमारे बचपन के दिनों मे और आज मे फर्क यह हुआ कि आज के बुद्धजीवी साधारण गृहस्थ के रूप मे रहना पसन्द नहीं करते । सस्थाओं मे इस हवा का आना स्वाभाविक था । इस प्रकार का चिन्चार बीच बीच मे आता था, लेकिन मन को तसल्ली नहीं होती थी । अपने से प्रश्न करता था कि क्या ल्लमटिया के बाल-मन्दिर के अनुभव की यही कैफियत है, या और कुछ ? इसके साथ-साथ आज जो सैकड़ों प्राइमरी स्कूलों की तादाद बढ़ रही है, उन पर भी दृष्टि जाती थी । आज मजदूर तथा खुद मेहनत करनेवाले छोटे किसानों के बच्चे बड़ी सख्त्या मे इन प्राइमरी स्कूलों मे भरती होते हैं । जब उन स्कूलों मे दोनों वर्ग के बच्चों को

गान्ति से बैठकर पढ़ते देखता है, तो कैसे युग को दोषी कहें ? यह सही है कि इन प्राइमरी स्कूलों के मव्यमवर्गीय वच्चों में वर्ग-चेतना है, लेकिन वहाँ वह चेतना उतने उत्कट रूप से प्रकट नहीं होती, जितने उत्कट रूप से ललमटिया में होती थी। अगर प्राइमरी स्कूल के दोनों वर्गों के वच्चे, जिनकी आयु अधिक होने के कारण वर्ग-चेतना अधिक दृढ़ हो गयी है, गान्ति से साथ साथ पढ़ सकते हैं और आपस में मिल-कर खेल सकते हैं, तो मनोविज्ञान कहता है कि बाल-मन्दिर के छोटे वच्चों को तो और अधिक हिल-मिलकर रहना चाहिए। फिर भी यहाँ अगर भिन्न अनुभव आता है, तो यह मानना पड़ेगा कि हम लोगों के अन्दर ही कहीं दोष है।

स्वभावत में उस दोष के उद्भव को हूँढ़ने लगा। सोचते सोचते हमें उसी स्थान पर पहुँचना पड़ता है, जहाँ हम परिवार-भावना-निर्माण

के सदर्भ में पहुँचते हैं, यानी हम सम्प्रथा के कार्यकर्ता दोष का उद्भव कृत्रिमता के कारण एक विकृत मानव के नमूने हैं। मे कहाँ ? पहले ही लिख चुका हूँ कि सम्प्रथा के कार्यकर्ता मानव-

समाज के बाहर रहते हैं। सामाजिक सुख-दुःख उनकी चेतना को छूता नहीं। देश में अकाल पड़ने पर उनके भोजनालय पूर्ववत् चलते हैं, केवल भोजनालय ही नहीं, वाकी सारे खर्चें भी वैसे ही चलते हैं, जैसे देश की खुशहाली के दिनों में चलते थे। विभाजित व्यक्तित्व के कारण वे न घर के रहते हैं, न सम्प्रथा के। वे न नौकर हैं, न मालिक। सम्प्रथा के सम्बन्ध में मालिक के समान चिन्ता नहीं और नौकर के जैसा डर नहीं। तुम्हे याद होगा कि १९४५ में मे जब सेवाग्राम में तुम्हारा मेहमान बनकर रहता था, तब अक्सर कहा करता था कि हम लोग देहातों में सम्प्रथाएँ बनाकर उसी ढग से रहते हैं, जिस ढग से अग्रेज हिन्दु-स्तान में 'सिविल लाइन्स' बनाकर रहते हैं।

फिर सोचता था कि इसका कुछ और भी कारण हो सकता है। खादीग्राम के साथी वर्ग परिवर्तन की क्रान्ति के विचार से प्रेरित होकर

आये। उनकी पत्नियों तो आयी नहीं, उन्हे आना पड़ा। विचारमान्य न होने पर भी पति के साथ पत्नी का आना लाजिमी था। हुजूर और मजूर का विचार बिना माने ही इस जीवन मे आने की प्रतिकूल प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। इसलिए उन्हे इन विचारों से घृणा थी, जिसका असर भी इन बच्चों पर पड़ता था। साधारण सम्मानों से ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। तुम्हे इस बात से आश्र्वय होगा अवश्य, लेकिन तुम खुद विचार के पीछे आयी हो, इसलिए सम्भवतः तुम्हे इनके मानस का अनुभव न हो। लेकिन शिक्षाशास्त्री होने के कारण इस बात को ठीक से समझ जाओगी, ऐसा मैं मानता हूँ।

इन दोनों कारणों मे से कौन-सा कारण काम करता रहा है, यह कहना कठिन है। लेकिन शायद दोनों ही कारणों के मिलन से ललमटिया के बाल-मन्दिर की ऐसी स्थिति बनी, ऐसा मैं मानने लगा। इसलिए ललमटिया के अनुभव ने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि सत्य के घेरे मे नयी तालीम की सफलता पर मेरी शका बढ़ने लगी।

मध्यम वर्ग को समाधान हो तथा पुरानी तालीम से सिर्फ एक ही कदम आगे हो, ऐसी तालीम का प्रयोग होना चाहिए। इस विचार से

प्रेरित होकर खादीग्राम मे फिर से बुनियादी शाला को बुनियादी शाला प्रारम्भ किया। इस बार केवल बुनियादी को ही

फिर खोली आगे रखा। उत्तर बुनियादी शुरू नहीं की। इस

काम को भी इस बार मैंने अधिक गहराई से देखना शुरू किया, तो कुछ बाते स्पष्ट दिखाई दी। जैसे शिक्षकों का श्रम तथा उद्योग की साधना काम शुरू करने से पहले होनी चाहिए। लोग पुरानी तालीम से पढ़कर आते हैं, उनको न श्रम का अभ्यास रहता है और न उद्योगों की जानकारी। विषयों मे भी एकआध विषय का ही अध्ययन रहता है, क्योंकि पुरानी तालीम एकाग्री विचार को मानती है। सर्वाङ्गीण ज्ञान होना चाहिए, यह मान्यता अवश्य है, पर एक मनुष्य एक ही विषय मे दक्ष हो, ऐसा ही मानते हैं। इसलिए वे नयी तालीम के शिक्षक के

रूप में असफल होते हैं। समवाय-पद्धति से तालीम देने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक को समाजोपयोगी सभी विज्ञानों का इतना बुनियादी ज्ञान रहे कि जिससे मौके पर अगर पूर्ण जानकारी न हो, तो पुस्तकालय में अध्ययन करके उसे हासिल कर सके। मैं जब इस प्रकार कहता हूँ, तो वहुत-से शिक्षाशास्त्री प्रश्न करते हैं। “क्या यह सभव है कि एक शिक्षक इतने विषयों की जानकारी रखे, उसके दिमाग में इतनी जगह कहाँ से आयगी ?” उनका कहना है कि दूर विषय के अलग-अलग शिक्षक रहे और वचों को अपना-अपना विषय सिखाये। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि “आप वचों को सभी विषय सिखाने के पक्ष में हैं न ?” इस पर वे सहमति प्रकट करते हैं। मने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। लेकिन मेरी समझ में यह शास्त्र नहीं आता है कि ‘छोटे वचों के छोटे मस्तिष्क में कुल विषय रखने का स्थान है और एक बड़े शिक्षक के विकसित मस्तिष्क में कुल विषयों के लिए जगह नहीं हो सकती।’ यह तो कहा जा सकता है कि हर मनुष्य हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। इसे मैं आसानी से मान सकता हूँ। लेकिन उसे हर विषय का कामचलाऊ ज्ञान भी नहीं हो सकता है, यह मानना मेरे लिए कठिन है। कोई कह सकता है कि हर मनुष्य इतना मेधावी नहीं हो सकता है, इसे भी मैं मानने को तैयार हूँ। मैं कहूँगा कि “हर मनुष्य शिक्षक भी नहीं हो सकता। जो गुरु होगा, उसमें गुरुत्व तो होना चाहिए। जैसे मिठास के विना शक्तर हो ही नहीं सकती, नमकीनपन के विना नमक हो नहीं सकता, उसी प्रकार गुरुत्व के विना गुरु हो नहीं सकता।”

विषयों के बारे में कम-से-कम इतना तो है कि शिक्षक एक-दो विषय की जानकारी रखते हैं। लेकिन उन्नोग के बारे में तो वे शून्य ही होते हैं, ऐसा नहीं, अपितु शिक्षकों में कमी जब उन्हें कहा जाता है कि वे पहले छह घण्टा खेती और कताई का अभ्यास करें, तो इसमें वे अपनी विद्वत्ता का अपमान देखते और कहते हैं कि हम तो तालीम देना चाहते

है, वह भी नयी तालीम की पद्धति से। वे अपने को विद्वान् मानते हैं और उस कारण बुद्धिमान् भी। वे यह भी मानते हैं कि नयी तालीम का मतलब है, उद्योग द्वारा शिक्षा। उद्योग द्वारा शिक्षण ही नयी तालीम है तथा उद्योग में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना अनावश्यक मानते हुए भी वे बुद्धिमान् और विद्वान् हैं, मनोविज्ञान के इस गृद्ध तत्त्व को समझना मेरे जैसे अनपढ़ आदमी के लिए कितना कठिन है, यह तुम समझ सकती हो। इस प्रकार हमने देखा कि नयी तालीम के शिक्षक तैयार करना एक अत्यन्त जटिल समस्या है। आज नयी तालीम की जो प्रगति नहीं हो रही है और हमारी चेष्टाएँ असफल हो रही हैं, उसका मुख्य कारण यही है। खादीग्राम में नयी तालीम का काम चलता है। आजकल पढ़े-लिखे लोग भी मुझे 'तालीमवाला' मानने लगे हैं। इसलिए पिछले तीन साल में बहुत-से पढ़े-लिखे लोग मेरे पास आये। लेकिन जब उन्हे मालूम हुआ कि श्रम का अन्यास करना होगा, उद्योग सीखना होगा, सो वह भी ऐसे लोगों से जिन्हे मूर्ख की सज्जा दी जा सकती है, तो एक-एक करके सब चले गये।

मैं जब साथियों से तथा दूसरे विद्वान् जनों से बात करता हूँ, तो वे कहते हैं कि नयी तालीम के सिद्धान्त तो तर्कशुद्ध तथा अत्यन्त वैज्ञा-

निक है, लेकिन कहीं उसे सफल करके दिखाइये, तो मायावी संसार हम भी आये। अर्थात् देश के विद्वान् मानते हैं कि की लीला नयी तालीम शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से वैज्ञानिक है, आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है और अनिवार्य रूप

से इसकी सामाजिक प्रयोजनीयता है, लेकिन पहले मूर्खों को बटोरकर उनके द्वारा इस वैज्ञानिक प्रयोग को सफल कर ले, तब वे इसमें शामिल होंगे। इतने पर भी वे विद्वान् ही रहेंगे। हम सब उन्हे ऐसा ही मानते भी हैं। इस मायावी संसार की यही लीला है। तमाशे की बात तो यह है कि अगर कही कदाचित् कोई अच्छा पढ़ा-लिखा इस काम को अपनाता है, तो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भरती कराकर दूसरों के

बच्चों को लेकर इस तालीम का प्रयोग करता है। वे इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हे नयी तालीम पर थ्रड़ा है। अद्वा न होती, तो वे अपने को इस काम में लगाते क्यों?

वापू ने सम्भवत इस परिस्थिति को देखा था। वापू की तीक्ष्ण दृष्टि नि सन्देह इस स्थिति को समझ चुकी थी। इसीलिए उन्होंने कहा

कि नयी तालीम के शिक्षक विश्वविद्यालय में
शिक्षक रहाँ नहीं मिलेंगे, बल्कि गॉव के लोहार, बदई, बुनकर,
मिलेंगे ? दस्तकार और कलाकारों में से नयी तालीम के शिक्षक
प्राप्त करने होंगे। परन्तु यहाँ दूसरी कठिनाई है। वह

यह कि उन्ह विषयों की जानकारी नहीं है। दूसरे, नयी तालीम के पीछे जो सामाजिक मान्यता है, वह उन्ह मान्य नहीं है। आखिर नयी तालीम कोई कोरी शिवण-कला तो है नहीं, वह एक जीवन-दर्शन है, सामाजिक क्रान्ति का वाहन है। वग निराकरण की प्रक्रिया के रूप में ही नयी तालीम का स्थान है। यही कारण है कि वापू, विनोबा से लेकर हम सब लोग कहते हैं कि नयी तालीम द्वारा हम जहाँ शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति करते हैं, वहाँ इससे समाज में भी अहिंसक क्रान्ति करना चाहते हैं। गॉव के कलाकारों की सामाजिक मान्यताएँ भिन्न हैं। उत्पादक श्रम का समाज में छोटा स्थान है, ऐसा वे मानते हैं। वे भी अपनी लड़की के लिए जब वर हूँढ़ने निकलते हैं और कहीं अमीर घर में वर पा लेते हैं, तो अपने साथी और रित्वेदारों से खुश होकर कहते हैं कि हमने ऐसा अच्छा वर ठीक किया है, जिसके घर मेरी बेटी को एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठाकर नहीं पीना पड़ेगा। ऐसी मान्यताएँ रखनेवाले दस्तकार शिक्षक कैसे होंगे ? रणीवों में और उसके बाद लादीग्राम में मैंने यह प्रयोग किया। लेकिन देखा कि पठ-लिखकर शिक्षक बन जाने से वे अपने हाथ से उतना भी काम करना नहीं चाहते, जितना मध्यम-वर्ग से आये हुए पढ़े-लिखे लोग करने को तैयार रहते हैं। इरा कारण मैंने गॉव के दस्तकारों को शिक्षक बनाने का प्रयास छोड़ दिया है। मैं

मानता हूँ कि जब तक उच्च कोटि के पढ़े-लिखे मेधावी नवजावान विचार तथा सकल्पपूर्वक सालों तक श्रम की साधना नहीं करेंगे तथा उद्योग का अभ्यास और जानकारी प्राप्त करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक नयी तालीम शिक्षा-क्षेत्र में आकर्षक बस्तु के रूप में रह जायगी। इसका सफल प्रयोग कहीं नहीं होगा।

अतएव नयी तालीम के शिक्षकों में काम शुरू करने से पहले निम्न-लिखित क्रम होना आवश्यक है :

(१) नयी तालीम यानी अहिसक समाज-रचना

तीन बातें के लिए वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया को मानकर ही आवश्यक क्षेत्र में उतरें। पुरानी मान्यताओं को रखते हुए किसीको नयी तालीम के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए।

(२) कम-से-कम साल-दो साल तक उत्पादक श्रम का अभ्यास तथा कृषि और किसी-न-किसी एक उद्योग का गहरा ज्ञान प्राप्त करना।

(३) औद्योगिक ज्ञान-प्राप्ति के साथ मौके पर समवाय-पद्धति से सामान्य विज्ञान तथा समाज-विज्ञान का व्यापक अध्ययन करना।

ये तीन बातें हो जायें, तो नयी तालीम के शिक्षक तालीम के काम को सफलतापूर्वक कर सकेंगे।

हाँ, एक बात और। विचार की मान्यता से भी पहले जल्दी यह है उसकी प्रकृति की ओर बच्चे आकर्षित हो, ऐसे स्वभाव का होना। कोई

कह सकता है कि अगर स्वभाव की शर्त लगायी जाय, शिक्षक का तो वही हाल होगा कि 'न नौ मन तेल होगा, न

स्वभाव राधा नाचेगी'। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अगर हम इस बात को समझ ले कि शिक्षण-कला, सगीत, नृत्य, चित्रकला आदि से अधिक वारीक लिलित कला है, और देश में जिस तरह सगीत सिखाने के लिए कण्ठ तथा ताल-बोधवाले लोग हूँडे जाते हैं, उसी तरह शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए शिक्षण, प्रकृति का मनुष्य ही खोजा जाय,

तो देश में जितने गिरक चाहिए, उतनी सख्त्या में उस प्रकृति के भनुप्य मिल जायेंगे। आज तो इस प्रकृति के हजारों लोगों में कोई मिनिस्टर है, कोई एम० एल० ए० है, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिस्पै-लिटी का सदस्य है, कोई दूकानदार है और हजारों तो दफ्तरों के कर्क्के हैं और कुछ विकास-योजनाओं में सेवक हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में जो शिक्षाक्रम चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का सयोजन नहीं है।

इस बार बुनियादी जाला के निरीक्षण के सिलसिले में मेरे सामने आयी—समवाय शिक्षण की समस्या। नयी तालीम का ही क्यों, गिरा-

मनोविज्ञान का भी सिद्धान्त यह है कि कोई ज्ञान समवाय-शिक्षण ऊपर से आरोपित न किया जाय, बल्कि बच्चों की की समस्या जिज्ञासा के उत्तर में ही ज्ञान-चर्चा हो। हम मानते हैं कि यह जिज्ञासा वास्तविक रूप से तभी पैदा हो सकती है, जब बच्चा उत्पादन की प्रक्रिया में सुषिटि के आनन्द का अनुभव करे। साथ ही साथ वह उत्पादन उसकी जिन्दगी के लिए दिलचस्पी का विषय हो। इसी मनोवैज्ञानिक तत्त्व के कारण ही आज के शिक्षागार्थी वापू की नयी तालीम के प्रति इतने आकर्षित हैं। वे इसी एक पहलू को मानते हैं। नयी तालीम के आर्थिक तथा सामाजिक विचार को नहीं मानते। लेकिन जब हमने बुनियादी जाला के बच्चों को उत्पादन-पद्धति से ज्ञान देने का कार्यक्रम अपनाया, तो हमें कृत्रिम उपायों का अबलम्बन लेना पड़ा। बच्चे हमारे साथ काम करते थे। चूंकि हम लोग सब मेहनत से काम करते थे, इसलिए उनमें उत्साह था, परन्तु उत्पादन में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन के पोपण आदि समस्याओं के समाधान के साथ खादीग्राम की खेती तथा उद्योग के उत्पादन का कोई समवाय नहीं है। बच्चों के खर्च के लिए उनके माता-पिता रकम भेजते थे और वे यहाँ पढ़ते थे। काम में विविधता के कारण बच्चों को जो दिलचस्पी थी, उसका प्रकार वही था, जो खेल-कूद का होता है।

अतएव खेती के सिलसिले में पौधे की बाढ़ कुछ कम होती थी, धान के व्यान में वृद्धि रुकती थी या कहीं कोई कीड़ा लगता था, तो उन्हें परेजानी नहीं होती थी। परेजान हुए विना कारण आरोपित उपाय दूँढ़ने की प्रवृत्ति और इसके विना जिजासा का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। इसलिए हम लोग खेती-वारी में काम करते थे और उसके समवाय के विभिन्न विषयों के ज्ञान का नोट तैयार करते थे, फिर वच्चों को बताते थे। पौधा ठीक से बढ़ नहीं रहा है, यह उसे दिखाते थे, कीड़े लगने की बात बताते थे और उसका कारण भी बताते थे। इस तरह हमारी समवाय-प्रक्रिया चलती थी। इस प्रक्रिया को तुम सब लोग जायद समवाय कह सकोगे, लेकिन सहज जिजासा-जनित न होने के कारण यह तरीका समवायी होने पर भी आरोपित ही है।

यद्यपि मुझे इस तरीके से सन्तोष नहीं था, फिर भी मैं शिक्षकों को इसके लिए प्रोत्साहित करता था। क्योंकि मैं मानता था कि जो आज स्कूलों में किताब रखाकर पढ़ा देते हैं, उससे तो यह अच्छा ही है। अधूरी होने पर भी इस प्रकार की बुनियादी शाला में मुख्य दिलचस्पी इसलिए थी कि मैं देखता था कि समवायी पद्धति से शिक्षकों के ज्ञान का विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में अधूरा सीखे हुए छात्रों को भी रोगी के इलाज का काम दिया जाता है। उसका उद्देश्य इलाज करना उतने महत्व का नहीं होता है, वल्कि चिकित्सा-प्रशिक्षण ही मुख्य उद्देश्य होता है। साय-साथ रोगियों को भी कुछ लाभ हो जाता है।

इस प्रकार की समवाय-पद्धति को मैं काफी महत्व देता हूँ और चाहता हूँ कि टेब में काफी तादाद में इस प्रकार की बुनियादी शालाएँ हो। इससे तीन लाभ तो अवश्य ही होंगे।

समवाय-पद्धति
के लाभ

(१) पुरानी तालीम छोड़कर नयी तालीम की ओर का एक समाधानकारक नमूना उपस्थित होगा।
(२) जो वच्चे इसमें से निकलेंगे, उनको श्रम-

सम्बन्धी पुरानी मान्यताएँ छोड़ना आसान होगा, जिससे वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा ।

(३) शिक्षकों की तैयारी का एक आवार मिल जायगा ।

इस प्रकार सस्थागत नयी तालीम के प्रयोग में हम सब लग गये । इसीके दोरान में अगस्त १९५८ में सर्व-सेवा सघ ने चालीसगाँव की अपनी वैठक में अपने काम को सर्वजन-आधारित करने का सकल्प किया । खादीग्राम सर्व-सेवा-सघ का प्रवान केन्द्र है, इसलिए इसका भविष्य क्या हो, यही मुख्य चिन्तन का विषय हो गया । इसके हल के लिए हम किस दिशा में सोचते रहे और क्या करते रहे, यह बात अगले पत्र में लिखूँगा ।

हुजूर को मजूर बनाने का स्वभ साकार

: ८ :

श्रमभारती, खादीग्राम

२४-१-१५९

पिछले एकाध वर्ष से मैं अनुभव करने लगा था कि सस्थाओं के स्वरूप में सामूहिक परिवार का निर्माण होना सभव नहीं है। मैं जब यह कहता हूँ, तो बहुत से मित्र मुझसे कहते हैं कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि सस्था के विभिन्न कार्यकर्ताओं का मिलकर एक कुटुम्ब नहीं बन सकता है, तो आप किस मुँह से गॉव के परिवारों को मिलाकर एक कुटुम्ब बनाने की बात करते हैं? ऊपर से यह सवाल बहुत ठीक मालूम होता है। लेकिन थोड़ा गहराई से विचार करने पर समझ में आ जायगा कि जिन परिस्थितियों के कारण सस्था में परिवार-भावना निर्माण नहीं हो पाती है, गॉव की भूमिका में वह परिस्थिति नहीं रहती। सबसे बड़ी चीज यह है कि देहात के लोगों के दो घर नहीं होते। जैसे सस्था के अधिकाश लोगों का दिल घर पर और शरीर तथा दिमाग सस्था में रहता है, गॉव के लोगों का ऐसा नहीं होता। वे जन्मते हैं उसी गॉव में। जब से वे चलना सीखते हैं, तब से आपस में दोस्ती करते हैं, खेलते-कूदते और मरते भी हैं, तो उसी गॉव में। आजीवन साथ रहने से उनके स्नेह-सम्बन्ध सहज हो जाते हैं। कालक्रम में यदि वह सबन्ध टूटता है, तो सिर्फ व्यक्तिगत सम्पत्तिवाद के चलते। अगर यह चीज हट जाय, तो जन्म से मृत्यु तक सहजीवन के कारण परिवार-भावना के लिए आवश्यक परस्पर स्नेह-सम्बन्ध सहज रूप से अपने-आप पैदा हो सकता है। सस्था में इसका अवसर नहीं मिल पाता है। दूसरी बात यह है कि सस्था के लोगों की जीविका परस्पर अवलम्बित नहीं है, क्योंकि वे अलग-अलग किसी सचित निधि के आश्रित होते हैं। कृषिप्रधान देश होने के नाते गॉव के लोग

उत्पादन प्रक्रिया में एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए विवर होते हैं। इसलिए भी पारस्परिक भावना निरन्तर जाग्रत रहती है। ये दो सुख्ख परिस्थितियों ऐसी हैं, जिनके आधार पर गॉव में परिवार भावना निर्माण करने की बात सोची जा सकती है। स्थान में इन्हीं दोनों बुनियादी चीजों की कमी होने के कारण वहाँ ऐसा नहीं सोचा जा सकता।

मैं लिख चुका हूँ कि विहार खादी ग्रामोद्योग सघ ने जब समवेतन का प्रस्ताव स्वीकार किया, तो मैं चिन्तन समवेतन और साम्ययोग के प्रश्नों पर तेजी से चलता रहा। मैं ऐसा महसूस समवेतन और करने लगा कि खादीग्राम में साम्ययोग का जो प्रयोग साम्ययोग करते थे, वह साम्ययोग नहीं है। यद्यपि हम समान वेतन लेते थे, फिर भी उस वेतन का डिलाके की

जनता की आमदनी से कोई सम्बन्ध नहीं था और न निकट भविष्य में उसका मान अपने समान करने का कोई भरोसा था। ऐसी हालत में हमारे यहाँ का प्रकार भी समवेतन है, साम्ययोग नहीं, ऐसा मानने लगा था। अगर समवेतन ही है, तो मैं वह सोचने लगा कि एक प्रदेश के भिन्न-भिन्न सर्वोदयी संस्थाओं में अलग-अलग प्रकार क्यों हो ? विहार में खादी ग्रामोद्योग सघ सबसे बड़ी सम्प्ति है, जिसमें तीन चार हजार कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ सिर्फ २०-२२ कार्यकर्ता हैं। मुझे ऐसा उचित लगा कि हम भी अपने समवेतन का प्रकार वैसा ही कर दें, जैसा विहार खादी-ग्रामोद्योग सघ में है। जब कुदुम्ब-निर्माण सम्बन्ध नहीं लगा और कृत्रिम रूप से वैसा करने की चेष्टा में आरोहण के बजाय अवरोहण की सम्भावना दिखाई देने लगी, तो जीवन के विकास के लिए वैसा ही करना ठीक लगा। अतएव हमने खादीग्राम में भी विहार में चालू समवेतन की प्रथा लागू कर दी। मैंने अपने साथियों से कहा कि संस्थाओं में परिवार बनाने की चेष्टा तो नहीं करनी है, लेकिन एक सम्य समाज तो बनाना ही है। सास्कृतिक पडोसी-धर्म सभ्य समाज की पहली कसौटी है। एक-दूसरे के सुख-दुःख में सहानुभृतिपूर्ण सहयोग

उसकी प्रक्रिया है। खादीग्राम के जीवन में अब से कुटुम्ब-साधना के बजाय पडोसी-धर्म की साधना करनी होगी। मुझे खुशी है कि यहाँ के साथी अब धीरे-धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

पिछले पत्र में मैंने चालीसगाँव के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया बताने की बात लिखी थी। बीच में रोचा कि खादीग्राम के जीवन में इधर जो परिवर्तन हुआ, उसकी चर्चा पहले कर ले, तो अच्छा होगा।

चालीसगाँव के प्रस्ताव के अनुसार सर्व-सेवा-सघ के सभी केन्द्र, सभी प्रवृत्तियाँ सर्वजन-आधार से चलनी चाहिए। जो न चल सके, उसे या तो

बन्द कर देना चाहिए या दूसरी किसी स्थानीय संस्था खादीग्राम की को दे देना चाहिए। चालीसगाँव की प्रबन्ध समिति व्यवस्था का प्रश्न में ही सवाल उठा कि सर्वजन-आधार से प्राप्त यानी सर्वोदय-पात्र, सूताजलि, सूत्रदान तथा अन्य श्रमदान का जो छठा हिस्सा सर्व-सेवा-सघ को मिलेगा, उससे दफ्तर के खर्च के अतिरिक्त खादीग्राम जैसी विभिन्न प्रवृत्तियाँ भी चलायी जा सकेंगी क्या? उस बैठक में विहार के भाई वैजनाथ चौधरी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह सभव नहीं होगा। फिलहाल अगर दफ्तर ही चल जाय, तो काफी मानना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि “फिर खादीग्राम चलाना आप लोगों के ही जिम्मे रहा।”

खादीग्राम लौटा। साथियों से कहा कि दो ही विकल्प हैं, पूरी श्रम-भारती को स्वावलम्बी बनाना या सर्वजन-आधारित कर देना। दोनों में से एक भी न हो सका, तो किसी दूसरी संस्था को सौंप देना। इस पर कई दिन तक कार्यकर्ताओं में रोज चर्चा होती रही, लेकिन हम सब किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके। उमग स्वावलम्बन की थी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, वह अस्यन्त गरीब आदिवासियों का क्षेत्र है। अतः सर्वजन-आधार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस पथरीली भूमि में इतने बड़े पैमाने के कार्यक्रम को स्वावलम्बी बनाना सम्भव नहीं दिखाई देता था। इस कारण चर्चा ही चलती थी, उसमें से कुछ निष्पत्ति

नहीं निकलती थी। उधर में प्रान्त के मवोंदयी नेताओं से भी सम्पर्क कर रहा था। विहार में सर्वादय के कुल काम के मार्ग-दर्शन के लिए एक सर्वादय-मण्डल बना हुआ है। मैंने उसके मत्री इयामवावू को लिखा कि खादीग्राम के भविष्य के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कोई नैठक बुलाये। विहार खादी-ग्रामोद्योग सघ के अव्यक्त व्यजाभाई को भी मिलने के लिए लिखा, क्योंकि विहार में रचनात्मक काम के सबसे बड़े चिन्तक वे ही हैं। इयामवावू मिले। मारी बातों पर चर्चा करने के बाद उनकी राय यही रही कि खादीग्राम को सर्वजन-आधारित बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी। अत इसे खादी-ग्रामोद्योग सघ को संोप दिया जाय। व्यजाभाई ने कहा कि खर्च भले ही ग्रामोद्योग सघ दे, नाम तो सर्व-सेवा-सघ का ही चलना चाहिए। इसका अखिल भारतीय रूप कायम रखने की उनकी इच्छा थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? खादी-ग्रामोद्योग सघ खर्च दे, तो सर्वजन आधारित कैसे हो जायगा? अगर सर्व-सेवा सघ के नाम से चलाना है, तो प्रस्ताव को तो अमल में लाना ही होगा न? ऐसी अनेक चर्चाएँ चलती रहीं।

सन् १९५६ में जब मैंने अपने साथियों के सामने गॉव में विलीन होने की परिकल्पना रखी थी, उसी समय से मैं जिला के सवाट-कार्यकर्ताओं से कहता था रहा था कि उन्हें खादी-जिले के कार्य-ग्राम की जिम्मेदारी को उठाने की तैयारी बरनी कर्ताओं से वार्ता चाहिए। जब वे कहते थे कि आचार्य होने के लिए आठमी रहों से मिलेगा, तो उनसे यही कहता था कि जिस जिले से एक ही साथ प्रदेश का मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस का अव्यक्त मिल सकता है, उस जिले से एक शिक्षण-केन्द्र का आचार्य नहीं मिल सकेगा दरा? सन् १९४६ में जब मैंने रणीवों से करणभाई और वाकी साथियों को सेवापुरी में नये केन्द्र-स्थापना के लिए मेज दिया था, तो किस तरह रणीवों गॉव के ही युवकों के हाथ उस केन्द्र को सापा था, उसकी कहानी पहले लिख चुका हूँ। आज भी वही गॉव है। लोग उसे

केवल चला ही नहीं रहे हैं, बल्कि कम-से-कम दसगुना बड़ा भी चुके हैं। अगर रणीवों को एक गाँव के लड़के सेभाल सकते हैं, तो खादीग्राम को एक जिले के लोग क्यों नहीं सेभाल सकते ? मैं तो मानता हूँ कि जिला ही क्यों, अगर जन-शक्ति का उद्वोधन हो जाय, तो हर थाना खादीग्राम जैसे केन्द्र का भार उठा सकता है। सन् '५७ में श्रमभारती परिवार की पद-यात्रा के प्रारम्भ में वरियारपुर में जो जन-सभा हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि जनता की श्रम-शक्ति यदि जम जाय, तो मैं हर थाने में एक खादीग्राम खोलने की जिम्मेवारी ले सकता हूँ। यह बात तुम्हें याद होगी। मैं तो अभी भी मानता हूँ कि अगर चालीसगाँव के प्रस्ताव पर गम्भीरता पूर्वक अमल किया जाय, तो जिलेभर में इतना सगठन जमाना कठिन नहीं है, जिससे खादीग्राम सर्वजन-आधारित हो सके।

इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मैंने मुँगेर जिला के निवेदक भाई रामनारायण वाबू को लिखा कि वे यहाँ के भावी स्वरूप पर चर्चा करने के लिए जिले के सर्वोदय-मण्डल की बैठक बुला ले। उन्होंने खास-खास कार्यकर्ताओं की एक बैठक खादीग्राम में बुलायी। मैंने उनके सामने अपना विचार रखा। लेकिन जिले के कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा हाथी पचाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वे यह चाहते थे कि सघ के प्रस्ताव के अमल का कोई तरीका निकले। काफी चर्चा के बाद रामनारायण वाबू ने कहा कि अगर आप अपने काम को विकेन्द्रित कर जिले के विभिन्न हिस्सों में बॉट दे, तो यह सम्भव है। मैंने पूछा कि फिर खादीग्राम का क्या होगा ? तो सबकी राय यह रही कि इसे कृषि तथा उद्योग-शिक्षण बेन्ड के स्प में परिणत किया जाय और खादी-ग्रामो-योग सघ को सौंप दिया जाय। मुझे यह विचार पसन्द आया और मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूँगा।

चालीसगाँव का प्रस्ताव तथा रामनारायण वाबू के सुझाव से मानो

मेरे हाथ चॉद लग गया। ऐसा लगा कि अब वर्षों के स्वप्न का कोई साकार स्पष्ट देखने को मिलेगा। तीस साल से समग्र शिक्षण-कार्य का ग्राम-सेवा की ओर की जो यात्रा चल रही है, उसकी चिकित्सकरण भी शायद आखिरी मजिल मिले। वैसे दो साल से सोच ही रहा था, लेकिन निर्णय स्थगित करने का कुछ न-कुछ कारण हो जाता था। मैंने निर्णय किया कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाया जाय और ग्राम-केन्द्रित नवी तालीम का श्रीगणेश कर ही लिया जाय। ईश्वर जो कुछ करता है, सब लाभकारी होता है। अगर हम 'पूर्वकल्पना' के अनुसार '५७ में ही निकलकर गाँव में बैठते, तो शायद निराश होना पड़ता। अकालग्रस्त जनता हमारा क्या स्वागत करती? फिर भाई राममूर्ति और दूसरे साथी बाहर के होने के कारण जिले से परिचित नहीं थे, अत जिले की जनता को उनका आकर्षण नहीं होता। खादीग्राम का परिचय तो उन्हे था, पर वह परिचय दूर का था। वे खादीग्राम आते थे, यहाँ की व्यवस्था और विराट् स्वरूप देखकर आश्चर्यचकित होते थे। यहाँ की चीजों का उन्हे आकर्षण अवश्य था। हमारे लिए उनमें आठर भी था, लेकिन इन सबके पीछे राजसी सम्मान था, सात्त्विक स्नेह नहीं। खादीग्राम के भाई-बहन तथा बच्चों की पद-यात्रा से हमें देखती जनता का भरपूर प्रेम और स्नेह मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाँव में बिलीन होने के लिए ईश्वर की ओर से यह पूर्वयोजना थी। '५७ में बाहर निकलने की योजना न करके अब करने का एक दूसरा लाभ हुआ। उस समय वह हमारा अकेले का प्रयास होता। यह कदम विनोदा की प्रेरणा से तथा सर्व-सेवा-सघ के प्रस्ताव के होने के कारण आज राष्ट्रीय योजना का अग बन गया। इसलिए देश-भर की जुभ कामनाओं की पूँजी हमारे साथ रहेगी। कल्याणकारी राज्यवाद के युग में अलग से जन-आधारित काम का विचार समझाना भी कठिन होता। आज सर्वोदय-पात्र के व्यापक प्रचार के कारण वह आसान हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर खादीग्राम के शिक्षण-कार्य

को विकेन्द्रित कर सर्वजन-आधारित करने का निर्णय समयानुकूल ही रहा। इस कारण इसकी सफलता में मुझे सन्देह नहीं रहा।

सन् १९५६ की जनवरी में जब गॉव में जाने की योजना सुनायी थी, तो हमारे सामने सर्वजन-आधार का प्रस्ताव नहीं था। इसलिए उस समय की योजना धीरे-धीरे आगे बढ़ने की थी। लेकिन अब तो ३० जनवरी से ही कदम उठाना है, अत. जल्दी से सपरिवार देहात के नागरिक बनकर बैठने का विचार स्थिर हुआ। यह किस तरह हो, उसकी प्रक्रिया क्या हो आदि बातों को सोचने लगा।

यह तो सम्भव नहीं होगा कि हम तुरन्त गॉव में जाकर ग्रामशाला या ग्रामभारती का काम शुरू कर दे। कम-से-कम सालभर तो बातावरण

बनाने में ही लगेगा। उसके बाद जहाँ शुरू करेंगे, वहें वच्चों की वहाँ पूर्व-बुनियादी तथा अधिक-से-अधिक बुनियादी व्यवस्था के एक या दो वर्ग बन सकेंगे। अतः अपने वडे वच्चों की चिन्ता हुई। खादीग्राम के करीब सभी कार्य-कर्ताओं के चले जाने पर वहाँ बुनियादी शाला नहीं चल सकेगी। अपने वच्चों को गॉव की पुरानी तालीम की शाला में नहीं भेज सकते हैं। अतः नयी तालीम ही चाहिए। इसलिए दूसरे प्रान्तों से चालू व्यवस्था में ही अपने वच्चों को भेजना है, ऐसा निर्णय किया। खादी-ग्रामोद्योग सघ के तथा विहार के दूसरे लोगों के वच्चों को मुजफ्फरपुर नयी तालीम भवन में भेज दिया। अपने लड़कों को सेवापुरी में व्यवस्था करके वहाँ भेजने की बात सोचो। यद्यपि तालीमी सघ के दिल्ली के प्रस्ताव तथा सर्व-सेवा-सघ के चालीसगॉव के प्रस्ताव के अनुसार कदम उठाने के कारण खादीग्राम की बुनियादी शाला बन्द करनी पड़ी, फिर भी इस प्रकार की शाला चलनी चाहिए, ऐसी बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जब सेवापुरी भी मेरे ही मार्गदर्जन में चलता है, तो नयी तालीम के पहले ढाँचे का प्रयोग हम सेवापुरी में ही करें। ऐसा सोचकर करणभाई को लिखा कि वे जल्दी ही

वहाँ छात्रावास की व्यवस्था करें। यह भी लिखा कि भविष्य में वहाँ के प्रयोग में मैं खुद समय दूँगा। करणभाई ने मेरे प्रस्ताव का सहर्प स्नागत किया।

मैंने सेवापुरी जाकर वहाँ के काम की नये सिरे से पुनर्गठन की योजना बना दी, ताकि वे तटनुसार व्यवस्था कर सके। वहाँ से लौट-कर अपने बडे लड़कों को सेवापुरी मेज टिया। सेवापुरी में किसी योग्य कार्यक्रम के न होने से लड़कियों की व्यवस्था वहाँ न हो सकी। महिलाश्रम अपनी ही स्थापना है। लेकिन वहाँ खेती का काम नहीं होता है। जिस युग में युग पुरुप कहता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी अपने हाथ से कुछ समय खेती करनी चाहिए, उस युग में नयी तालीम के नाम से चलनेवाली स्थापना के गिरिधर तथा गिरिधरी अगर नियमित खेती न करे, तो उसे हम नयी तालीम कैसे कहे? यह सही है कि वहाँ कताई और बुनाई का अच्छा प्रबन्ध है। यह प्रबन्ध तो आज पुरानी तालीम की सभी कन्यापाठशालाओं में हो रहा है। महिलाश्रम में खेती का अभाव मुझे खटकता था। महिलाश्रम की देखभाल भाई राधाकृष्णन करते हैं। पहले से ही आश्रम की सचालिका रमादेवी तथा भाई राधाकृष्णन से खेती के लिए कहता रहा है। इस बार और अधिक जोर देकर कहा। परन्तु उन्हे यह मान्य नहीं होता था। काफी चर्चा के बाद उन्होंने इतना माना कि खेती की भीड़ के समय वे चार-पाँच घण्टे समय उसमें दे सकते हैं, जिसमें सालभर का औसत एक घण्टा खेती के लिए हो जाय। पहले कदम के लिए इतने सुधार पर समझौता करके अपनी बड़ी लड़कियों को वहाँ भेज दिया।

मुझे ऐसा समझौता करते देख मुझे जाननेवाले लोगों को कुछ आश्र्य होगा, फिर भी मैंने अपनी बड़ी चार लड़कियों के लिए समझौता किया। तुम पूछ सकती हो कि ऐसा क्यों किया? जैसा कि मे हमेशा कहता हूँ कि सचार मे कोई भी वस्तु निरपेक्ष नहीं है। नयी तालीम के सर्वजन-आधार तथा सार्वजनिक स्वरूप की प्राप्ति मे सफलता के लिए

एक आवश्यक बुराई के रूप में मैंने इसे स्वीकार किया। लेकिन उनसे कुछ कम उम्र की लड़कियों को भाषा की दिक्षत के बावजूद वगाल के बलरामपुर में भेज दिया, क्योंकि वहाँ कृषि तथा कताई मूल उद्योग माना जाता है।

वहे वच्चों की व्यवस्था करने के बाद हम लोगों ने अपना पूरा ध्यान गाँव में वसने की ओर लगाया। भगवान् परोक्ष में हमारे इस कदम की तैयारी कर रहा था। '५८ के मार्च में खादीग्राम के चटमाडीह का पुराने कार्यकर्ता भाई सुरेन्द्रसिंह का मेरे पास एक पत्र आया कि उनके गाँव भागलपुर जिला स्थित चटमाडीह ने ग्रामदान का सकल्प किया है और अधिकाश परिवार दान-पत्र भर चुके हैं। यह गाँव मुँगेर जिले की सरहद पर है। पत्र में उनका आग्रह था कि गाँववालों का मार्गदर्शन मैं करूँ।

चटमाडीह का ग्रामदान विहार के लिए एक महत्व का विषय था। यह गाँव कुलीन राजपूतों का है। मध्यम-वर्ग का गाँव है। विषमता भरपूर है। गाँव में पढ़े-लिखे नौजवान काफी हैं। उनमें बहुत-से वाहर नौकरी करते हैं। कुछ लोग बी० ए०, बी० एस-सी० तथा एम० ए०, एम० एस-सी० पास हैं। काग्रेस तथा सोशलिस्ट पार्टी के चोटी के नेता उस गाँव के निवासी हैं। एक भाई जिला बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज कौसिल के मेम्बर है। इलाका अत्यन्त रुदिग्रस्त होने के कारण जाति-पॉति, पर्दा प्रथा आदि का कडाई से पालन होता है। राजपूत होने के नाते गरीब लोग भी अपने हाथ से काम करने को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे गाँव के लोग ग्रामदान का विचार मान्य करते हैं, वह बात आन्दोलन की बहुत बड़ी सफलता है। यह काम लक्ष्मीवाबू जैसे सन्त और तपस्वी द्वारा ही सम्भव था।

भाई सुरेन्द्र के पत्र के बाद गाँव के दस-वारह नौजवान मुझसे खादी-ग्राम मिलने आये। तीन दिन रहकर सारी योजना के बारे में गहराई

से चर्चा की। उन्होंने जो योजना बनायी थी, उसे देखकर लगता था कि यह भारत सरकार की ही योजना है। अत्यन्त लाख-डेढ़ लाख महत्वाकांक्षी होने के कारण वर्चं वा अन्दाज-पत्रक की योजना लाख-डेढ़ लाख स्पष्ट हो गया था। मने उन्हें समझाया कि न कही से यह पैसा मिलेगा और न मिलने पर वह उन्हे पचा सकेगे। तीन दिन तक ग्रामदान का मतलब समझाया। मैंने कहा कि “केन्द्रधार के निराकरण के लिए ही तो ग्राम-स्वराज्य का आनंदोलन है। जब तक आप लोग सामूहिक पुरुषार्थ का निर्माण नहीं करेंगे और केन्द्रीय ग्रासन के भरोसे अपना विकास करने की बात सोचेंगे, तब तक आप लोगों को ग्राम-स्वराज्य की दिशा नहीं मिलेगी, परस्पर सुन्दरवना का भी निर्माण नहीं होगा, कुटुम्ब-भावना तो दूर की बात है।”

उन्होंने दलील दी। ऐसी दलील करीब-करीब सभी साथी देते हैं। खादीग्राम के साथी तो इसी प्रबन्ध पर आये दिन मुझसे झगड़ते रहते हैं। उनकी दलील यह थी कि गाँव तो रिक्त हो गया है, इस समय अगर बाहर का साधन नहीं मिलेगा, तो वे अपना निर्माण कैसे करेंगे? मैंने कहा कि “सम्पत्ति से रिक्त हो गया, पर श्रम से नहीं। अगर वे सामूहिक श्रम का सगठन करें, तो उन्हे विजाल शक्ति का दर्जन होगा। शुरू में बाहर के कुछ साधनों की आयद आवश्यकता हो, लेकिन उनसे मदद मिलेगी, उनका भरोसा नहीं होगा। भरोसा तो आत्मशक्ति का ही रखना होगा। मैंने ‘हिन्द-स्वराज्य’ का उदाहरण दिया और बताया कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी तथा जोषण के कारण भारत रिक्त हो गया है, कगाल हो गया है, फिर भी भारत को अपने विकास के लिए अपना ही भरोसा करना होगा, यदि अपनी स्वतन्त्रता कायम रखनी है तो।”

मैंने उनसे कहा कि “जब कभी भारत सरकार के अधिकारी धन के लिए अमेरिका जाते हैं, तो आप भी तो उनकी टीका करते हैं कि वे देश को बैचने जा रहे हैं। भारत जैसे पिछड़े देश को बाहर की मदद अवश्य चाहिए, लेकिन अगर उसी मदद के भरोसे देश का विकास होगा,

तो उस मटद के जरिये गुलामी की जजीरे भी अवश्य पहुँचेगी। अतः भारत को अपनी गरीबी के भीतर भी अपना ही भरोसा रखना होगा। ऊपर से थोड़ी मदद ली जा सकती है। इसके बिना हिन्द स्वराज्य टिक नहीं सकता।”

मैंने यह भी कहा कि “आपके यहाँ तो अभी ग्राम-स्वराज्य हुआ ही नहीं, सकल्पमात्र है, उसे कायम करना है, फिर बाद को टिकाने का सवाल है। अतएव यद्यपि बाहर से दो-चार हजार रुपये की मटद ले सकते हैं, फिर भी आत्मशक्ति के भरोसे ही अपने काम की योजना बनाइये।” तीन दिन की चर्चा से वे मेरी बात समझे और मूल दृष्टि के कायल हुए।

इन युवकों की मॉग के अनुसार अप्रैल मे दो दिन के लिए मैं चटमा गया। चटमा के सभी लोगों से चर्चा की। ग्रामदान के विभिन्न पहल-

मैंने उन्हे बताये। इस बीच गोव के लोगों के उत्साह कुछ दानपत्र मे भी कुछ स्थिरता आ गयी। वे दो दिन गम्भीरता-वापस पूर्वक चर्चा करते रहे। कुछ लोग ग्रामदान के बारे मे पुनर्विचार भी करते रहे। चर्चा से बहुत-से लोगो मे जो गलतफहमियाँ थीं, वे दूर हुईं, शकाओं का निराकरण हुआ। तसल्ली भी हुई। लेकिन स्थिरता से विचार करने के बाद कुछ लोगो ने दानपत्र वापस ले लिये। उन्होंने कहा कि “हमारी सद्धावना है, हमे यह विचार मान्य है, पर फिलहाल साहस नहीं हो रहा है।” मैंने उनकी इस भावना का स्वागत किया।

परिवार तथा समाज का मव्यविन्दु स्त्री होती है। हमारे देश मे उसे ‘गृहलक्ष्मी’ कहा गया है। वह ‘चण्डी माई’ भी कही जाती है यानी

वह अक्ति होती है। जिस घर की स्त्री बनानेवाली वहनों का जागरण होती है, वह घर गरीबी मे भी बन जाता है। अगर स्त्री बिंगाडनेवाली होती है, तो लाख कर्माई होने पर भी घर वर्वाद हो जाता है। यही कारण है कि पिछले ३५ साल से

राष्ट्र-निर्माण के काम में छी-गिक्षा तथा छी-सुवार को सुख्य काम माना है। तुम्हें मालूम है कि मेरे इस काम में विशेष रूप से लगा रहता है। चटमा निवासियों ने मेरा दो दिन का व्यस्त कार्यक्रम रखा था, लेकिन वहाँ की वहनों से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं रखा था। दूसरे दिन शाम को मैंने कहा कि “गॉव की वहनों की एक बैठक होनी चाहिए, क्योंकि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।” मैंने उनसे कहा कि “अगर आप खियों को अलग रखकर नयी समाज-रचना करना चाहेगे, तो पूर्ण रूप से असफल होगे। केवल पुरुष विचार कर सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक कुछ गुण-विकास कर सकते हैं, लेकिन वे समाज-निर्माण नहीं कर सकते। छी-पुरुष दोनों से समाज बनता है। खी उसका रचनात्मक अग है, क्योंकि वच्चे की जिम्मेदारी उसी पर रहती है।”

मेरे कहने पर रात को नौ बजे उन्होंने वहनों को बटोरा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि “वावू लोगों ने ग्रामदान करते समय तुम लोगों से पूछा था क्या?” कुछ ने ‘हो’ कहा, कुछ ने ‘ना’ कहा। फिर मैंने उनकी भाषा में ग्रामदान के बारे में भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रकाश ढालते हुए उन्हें बताया कि उनका क्या कर्तव्य है। उस दिन तीसरे पहर की सार्व-जनिक सभा में मैंने कहा था कि वावू लोग आज काम नहीं करते हैं, उन्हें भी खेत में जाकर काम करना होगा। नहीं तो वे आज की परिस्थिति में भूखे मर जायेंगे। उस सभा में कुछ वहनें भी थीं। मैंने उन्हें सभा का समरण कराते हुए पूछा कि “आप लोगों की खेत में जाकर धान रोपने की तैयारी है क्या?” रात को वर की ओरत खेत पर जाकर धान रोपें, यह बात सुनना भी इस देश के लोग पाप मानते हैं। इसलिए इस प्रस्ताव पर काफी खलबली भी थी। मैंने उनसे पूछा—“उसने जो रोपाई की, उससे उनका क्या विगड़ा?” कुछ ने ‘हो’ किया, लेकिन और सभी वहने तरह तरह की गकाएँ करने लगे। बाहर निकलेंगे, तो

लोग क्या कहेगे ? रित्तेदारी में क्या स्थिति रहेगी ? लड़कियों की शादी कैसे होगी, आदि प्रश्न उठने लगे। आज से पचीस साल पहले राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में छुआछूत का सवाल लेकर ऐसे ही प्रश्न उठते थे। मैंने उनसे पूछा कि “जब गाधीजी ने छुआछूत के खिलाफ आन्दोलन चलाया था, और उस गाँव के जिन लोगों ने चमारों के हाथ का खाना खाया था, क्या वे आज समाज से बाहर निकाल दिये गये हैं ? क्या उनकी लड़कियों की शादियाँ रुक रही हैं ? तो गाधी के शिष्य विनोदा अगर उनको खेत में जाकर काम करने को कहते हैं और वे करते हैं, तो उनका क्या विगड़ेगा ? हर जमाने में सन्त महापुरुष उस युग के लिए आवश्यक बात करने को कहते हैं, शुरू-शुरूमें लोग ढरते हैं, पर कुछ लोग हिम्मत कर जाते हैं। चूंकि हिम्मत करनेवाले जमाने की मौग के साथ होते हैं, इसलिए वे हमेशा आगे ही रहते हैं। तो अगर चटमा के लोगों ने ग्रामदान की हिम्मत की है, तो उन्हे हर बात के लिए आगे रहना चाहिए।” वहनों पर कुछ असर हुआ। मैंने उनसे कहा कि “तुम लोग सब-की-सब दस दिन की ट्रेनिङ के लिए खादीग्राम चलो, तो मैं सबको पक्का कर दूँगा।”

जुलाई में धान-रोपाई के मौसम में मैंने उन्हे खादीग्राम भुलाया। ४०-४५ वहने यहाँ आकर एक सप्ताह तक रहीं। प्रतिदिन उनसे वैचारिक चर्चा करता रहा। यहाँ के बातावरण से हिल मिलकर खादीग्राम में भी उन्होंने बहुत कुछ समझा। खादीग्राम की बहनों वहनों की ट्रेनिंग और बच्चों के साथ उन्होंने खेत में खाद की छुलाई की, मिट्टी खोटकर तथा ढोकर खेतों की मेड बनायी और धान की रोपाई की। ये सब काम उन्होंने अत्यन्त उत्साह के साथ किये। चलते समय मैंने उनसे पूछा कि “तुमने यहाँ तो ये सब काम किये, पर घर पर भी करेगी क्या ? मैं यहाँ के काम को कोई महत्त्व नहीं देता। जो लोग जगन्नाथपुरी में जाकर सबका छुआ भात खा लेते हैं, वे गाँव में नहीं खाते। खादीग्राम में अगर यह काम

कर लिया, इसलिए अपने गॉव में भी कर सकेगी, ऐसा भरोसा है क्या ?” मुझसे उन्होंने वादा किया कि वे अपने गॉव में भी करने की हिम्मत कर सकती हैं, लेकिन मुझसे वे एक शर्त चाहती थीं। उन्होंने कहा कि “अगर मैं वहाँ बैठ जाऊँ, तो उनकी तैयारी हर काम को करने की है।” मैंने उन्हें बताया कि “मुझे बुलाना आसान काम नहीं है, मैं तो हाथी हूँ। हाथी पालनेवालों को उसकी खुराक जुटानी पड़ती है न ?” उनमें से एक वहन बोली कि “हम सब मिलकर खुराक बटोर लेंगी।” इस तरह वादा करके वे अपने गॉव को बापस गयीं। मैंने उस गॉव की स्वराज्य समिति के मन्त्री भाई गुडेश्वर सिंह से कहा कि “जिस समय बान-रोपाई शुरू हो जाय, वे सूचित करे, तो मैं गॉव में आ जाऊँगा।”

चालीसगाँव की बैठक चल रही थी। गुडेश्वर भाई का तार आया कि “१५ अगस्त के दिन वे रोपनी-समारोह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ।” सम्मेलन से सीधे १४ घरसे निकलकर अगस्त की दोपहर को चटमा पहुँचा। पहुँचकर बान-रोपाई देखा कि गॉव में तथा आस-पास काफी खलबली मची हुई थी। भाई गुडेश्वर तथा दूसरे भाइयों को बड़ी परेशानी थी। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सातपटी गॉव के दीच में चटमा की वहने निकलकर धान-रोपाई करेंगी। गॉव के अधिकार्य लोग इस चिन्ता में भी थे कि यह काम होना भी चाहिए कि नहीं। इस प्रकार की डॉवाडोल मनस्थिति स्वाभाविक थी। ३० साल से आनंदोलन के सर्वर्भ में उस बात का पूरा अनुभव हो गया था कि बड़े-बड़े हिम्मतबाले सिपाही, जो राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में अपने को असीम खतरे के मुँह में डाल चुके हैं, वे भी सामाजिक रुद्धियों तोड़ने के समय घबराते रहे हैं और उनमें से अधिकांश रुद्धियों के आगे नतमस्तक हो जाते थे। हँसते हँसते छाती पर गोली खानेवालों को भी इस मोर्चे पर हिम्मत हारनी पड़ती थी। अतः अगर चटमा के भाइयों को बवराहट थी, तो इसमें आश्र्य की बात कुछ नहीं थी।

वहनो से मिला । वे सब १५ अगस्त के झण्डोत्तोलन के समारोह में शामिल हुईं । मेरे भाषण का असर हुआ । समारोह के बाद वहनो से रोपाई करने के लिए चलने को कहा, तो वे सब वहाँ से जुलूस निकाल-कर खेत में चली गयीं । कुछ के घरवालों ने जब मना किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे खादीग्राम में बचनबद्ध हो चुकी हैं, इसलिए जायँगी । मैं तबीयत खराब होने के कारण खेत से जल्दी ही लौट आया । वहनें दो खेतों को पूरा करके मेरे पास प्रणाम करने के लिए आयी । मैंने उनसे कहा—“दिग्विजय करके आ गयीं न !” उन्होंने हँसकर उत्तर दिया—“हॉ” ।

नौ दिन तक लगातार रोज सुबह वहने रोपाई करती रही । धीरे-धीरे दूसरी पट्टी के लोग खेतों के चारों तरफ भीड़ लगाकर भूदान के गीत गाती हुई वहनों को देखने लगे । कुछ राजपूत तो खेत में जाकर खुद भी रोपनी करने लगे ।

इस प्रकार १५ अगस्त १९५८ को देश में एक बड़ी क्रान्ति की विनियाद पड़ी । ग्राम-स्वराज्य का सकल्प हुआ । पिछले बारह साल से

देशभर में ‘हुजूर’ और ‘मजूर’ की परिस्थिति समझाते बारह वर्ष का हुए मैं यह आवाज बुलन्द करता रहा कि हुजूरों को स्वप्न साकार मजूर बनना है । आज उस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष श्रीगणेश से मुझे अत्यधिक आनन्द हुआ । दो

साल पहले खादीग्राम के पास लभेत गेव में राजपूत वहनों ने जो रोपनी की थी, उसमें से कुछ अधिक निष्पत्ति नहीं निकल सकी थी । अत्यन्त गरीब होने के कारण उनके पुरुष लोग दूसरी जगह मजदूरी करने जाते थे । उनके निकलने से समाज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । गरीब होने के कारण उनके मन में भी विशेष उत्साह नहीं था । भीतर से उन्हे लगता था कि मानो गरीब होने के नाते इस काम के लिए मजदूरी है । इसलिए थोड़ी देर काम करके वे चली जाती थीं । उन वहनों से बात करने पर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हे नया

काम करने का गर्व है। इसलिए यद्यपि उनका निकलना भी हिम्मत का काम था, फिर भी इलाके में कुछ खास असर नहीं हुआ था। चटमा की वहनों के निकलने से इलाकेभर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। केवल इलाके में ही नहीं, अपिनु जिला और प्रदेश में भी उसकी शोहरत हुई। वस्तुत रणीवाँ से प्रारम्भ कर खादीग्राम तक श्रम-साधना की जो चेष्टा चल रही थी, उनसे मे गुण-विकास तो हो रहा था, कार्यकर्ताओं का मानस भी बन रहा था। लेकिन उसका असर जगन्नाथ क्षेत्र से छुआदृत निवारण जैसा ही था। सामाजिक सदर्भ में होने के कारण चटमा के काम को मैंने अपने जीवन का श्रीगणेश ही माना।

नौ दिन बाद चटमा से लैटते समय सब वहनों को एक साथ बुलाया, उनमें कहा कि धान कटनी के समय फिर आऊँगा। उस समय

वे और अधिक सख्त्या में तैयार रहे, ऐसा भी मैंने सामाजिक स्वदियों उनसे आग्रह किया। चार महीने बाद उसी इलाके के पर प्रहार तीन थानों में श्रमदान-यात्रा का आयोजन रखा।

दो टोलियों की यात्रा चली। एक टोली मेरे साथ, दूसरी भाईं रामभूति के साथ। इस बार इलाके में मानो धूम मच्ची हुई थी। गोव-गोव मे पचासों और सैकटों की तादाद में हजारों वर्षों की रुद्धि तोड़कर औरते हाथ में हँसिया लेकर धान काटने को निकल रही थीं। नौगोईं गोव में तो अजीव दृश्य था। वहाँ के नौजवानों ने ही रुद्धि तोड़ने की प्रक्रिया के खिलाफ सगठन किया। वहनों की तैयारी थी। वहने एक तरफ से निकलती थीं और नवयुवक उन्हे रोकते थे, फिर वहने दूसरी ओर से निकलने की कोशिश करतीं, वे उधर से रोकते थे। मानो गोरिल्ला लडाई चल रही थी। अतएव इन तमाम रोक-थाम के बाबजूद ३५ वहनों ने जाकर धान-कटनी की। उनमें कई नौजवान ‘इन्क्लाव जिन्दावाद’ का नारा लगानेवाले थे। सब समाजवाद को ही माननेवाले थे। तुम देख सकती हो कि जमाना बितना बदल रहा है, पद्मे के भीतर क्रान्ति की आवाज से दूर रहनेवाली वहनों को किसने चेतना

दी। जिले के दूसरे इलाको के कार्यकर्ता इसे देखने आते थे और दग रह जाते थे। वे पूछते थे कि “भाईजी, ऐसा हुआ कैसे?” मैं उन्हे जवाब देता था कि “जमाने की आवश्यकता करा रही है, हम लोग निमित्त-मात्र हैं।”

एक भाई ने पूछा “अगर जमाने की आवश्यकता करवा रही है, तो दूसरे क्षेत्रों से ऐसी बाते क्यों नहीं होती हैं?” इसका मैंने यह उत्तर

दिया कि “दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा होगा, आवश्यकता कार्यकर्ताओं का इस बात की है कि कोई निमित्त बने, कार्यकर्ता इसे

दोष शुरू करे। दिक्कत यह है कि कार्यकर्ता स्वयं ही लट्ठि-ग्रस्त है। चाहे वे सर्वोदय के प्रचारक हो या समाज-

बाद के। उनकी मान्यताएँ तो पुरानी ही हैं। यह पुरानापन केवल पिछले जमाने का ही नहीं, बल्कि पिछले से पहले का है। क्योंकि उनकी मान्यताएँ केवल पूँजीवादी समाज की ही नहीं, बल्कि कांफी अश में सामन्त-वादी समाज की भी है।

इसलिए सामाजिक क्रान्ति के लिए कदम बढ़ाने का उन्हे स्वयं ही साहस नहीं होता है, दूसरों को प्रेरणा तो क्या दे?

दूसरी सामाजिक मान्यताओं को छोड़ दीजिये, केवल श्रम की ही बात लीजिये। मैं बारह साल से ‘हुजूर’ और ‘मजूर’ का नारा लगा रहा हूँ।

विनोवा वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया के लिए पिछले पाँच साल से यहाँ तक

कह रहे हैं कि देश के प्रधान मंत्री को भी भूमि पर जाकर शरीर-श्रम करना चाहिए।

वापूने पिछले चालीस साल से, सावरमती आश्रम की स्थापना के समय से बाणी और कर्म द्वारा कार्यकर्ताओं को दीक्षा दी थी,

फिर भी आज कितने भूदान-कार्यकर्ता नियमित शरीर-श्रम करते हैं? वे

गॉव से रहते हैं, उनके सामने गॉव के किसान खेत में जाते हैं, लेकिन उनके साथ जाने में शायद शर्म आती होगी।

इसी बार मैंने देखा कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने ही अपनी पत्नी को कटनी के लिए नहीं भेजा।” इस तरह की चर्चा कई कार्यकर्ताओं से हुई।

आज भूदान-के कार्यकर्ताओं में कई लोग निराशा का अनुभव करते

ह। कहते हैं कि भूक्रान्ति ठढ़ी पठ गयी है। लेकिन वे देखते नहीं हैं कि आज गॉव-गॉव में जरा-सी पुकार पर लोग किस तरह क्रान्ति की राह पर आगे बढ़ते हैं। वे देखते नहीं कि गॉव-गॉव के लोगों की मान्यताएँ किस प्रकार बदल गयी हैं। लोग सोचते हैं कि यह होकर रहेगा, वे देखते नहीं कि देश के राजनीतिक जीवन की मायूसी के बावजूद सर्वोदय की सभावों में हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं। लोग अहते हैं कि १९५३ में क्रान्ति का जोर था। क्या १९५३ में गॉव-गॉव के लोगों में यह आवर्षण था? क्या हमारी बातों को इतनी अनुभूति मिली थी? क्या उन दिनों सामाजिक क्रान्ति के आह्वान पर लोग इस तरह निकलते? मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन दिनों भी में कमर में दर्द के होते हुए भी देहातों में घृमता था। बात यह है कि उस समय कार्यकर्ताओं का दिल और दिमाग गर्म था, आज वही ठण्डा पठ गया है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों में भी कार्यकर्ताओं में ऐसी ही चर्चाएँ चलती थीं। १९२४ में कायेस के बड़े-बड़े नेता कहते थे कि गांधी का तरीका असफल रहा। बम फेंकने का काम करने की रुचि या हिम्मत नहीं थी, तो माडरेटवाला वैधानिक आन्दोलन कुछ अविक गरम भापों में करने लगे। सन् १९३२ के बाद कायेस के जोशीले नौजवान गांधी में क्रान्ति का अभाव देखकर समाजवाद में क्रान्ति की खोज करने लगे। आज इस आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को गांधी के गिर्य विनोवा के कार्यक्रम में निष्पत्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो उसमें आश्र्व ही क्या है? आखिर नौजवान तो नौजवान ही है न? वह अधीर होता है, उसे तुरत कुछ दिखाई देना चाहिए। सो भी वह जहाँ है, वही बैठकर दिखाई देना चाहिए। देखने के लिए जनता के अन्दर उसे बुझने की आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि जवानों की यह अधीरता प्रगति का लक्षण है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि क्रान्ति कोई घटना नहीं है, वह आरोहण की प्रक्रिया है।

इस प्रकार कट्टनी-यात्रा से इलाकेभर में क्रान्ति की एक लहर

दौड़ गयी। भू-दान के लिए भी वे जागरूक हुए। गाँव-गाँव से प्रतिष्ठित लोग मेरे पास आकर कहने लगे कि “हमें रास्ता कटनी-यात्रा का बताइये। हम काम करने को तैयार हैं।” मैंने उन्हे सुफल आश्वासन दिया और कहा कि वे अपना काम करें और हमारे कार्यकर्ताओं को सर्वजन आधार में पचा सकें, तो खादी-ग्राम के भाई-बहन भी इलाके में रह सकते हैं। उनके आग्रह पर अपने दो साथियों को मैंने उस क्षेत्र में भेज दिया।

तुम पूछोगी कि क्षेत्र में भेजने की क्या प्रक्रिया है? चालीसगाँव के प्रस्ताव के बाद जो विकेन्द्रीकरण का निर्णय किया, उसकी योजना क्या है, इत्यादि। इस बारे में तो अभी हमारा दिमाग जोरो से चल रहा है। कुछ कर भी रहे हैं। आगे के लिए दूर तक की योजना सोच रहा हूँ। मैंने कहा था कि आन्दोलन का यह समय अज्ञातवास का समय है और मैं मानता हूँ कि यह समय कम-से-कम ५ साल तक रहेगा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि १९६२ के आम चुनाव के अवसर पर दलगत राजनीति का जो दर्शन मिलेगा, उससे जनता परेशान होगी। वह रास्ता हूँढ़ने के लिए व्याकुल होगी। अज्ञातवास से तुम लोगों को उस अवसर के लिए अपनी तैयारी करनी है। पिछले साल मैंने खादीग्राम के साथियों से कहा था कि “क्रान्ति के आरोहण में अज्ञातवास की आवश्यकता होती है और उसका सयोजन करना पड़ता है। वैसे भी स्वाभाविक रूप से अज्ञातवास होता है। नेतृत्व की सिफत इसीमें है कि वह उसे सयोजित बनाये, नहीं तो अज्ञातवास का उत्कट निराशावाद में परिणत होने का खतरा है।”

इस अज्ञातवास के सयोजन के लिए मैं क्या-क्या सोच रहा हूँ, फिर कभी लिखूँगा।





देहातों की सेवा का प्रमाण-पत्र आसानी से नहीं मिलता। वहाँ हमें रात-दिन अतन्त्रित रहकर काम करना होगा।

जब हम देहात में जायेंगे, तो हमारे सामने एक विराट् जगत् खुलेगा। अनेक ली-पुच्चों से सम्पर्क होगा। हमारा धान अचूक उनके गुणों की तरफ ही जाना चाहिए। दोपों की तरफ प्रवृत्ति हरगिज न होनी चाहिए।

सेवकों को सभी वादों और पक्षों से अलग रहना चाहिए। हमारे लिए सारे समाज में दो ही पक्ष हैं—एक सेवक और दूसरा मेव्य या स्वामी। हमें स्वामी की सेवा में ही मन्तोप मानना है। यही सेवक का वर्म है। सेवक को दलवन्दियों से क्या मतलब ? उसे निष्पक्ष रहकर सेवा करनी चाहिए।

ग्राम-सेवक को प्रतिदिन कुछ समय—सभव हो, तो आवा समय उद्घोष के लिए देना चाहिए। उसे ग्राम सेवा का अग ही समझना चाहिए।

—दिनोङ्कृ